त्रयोदश माला, खंड 33, अंक 22

FOR REFERENCE ONLY

बुधवार, 9 अप्रैल, 2003
19 चैत्र, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 55
Date 14/4/03

(खण्ड 33 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

मीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 33, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 22, बुधवार, 9 अप्रैल, 2003/19 चैत्र, 1925 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	381 और 382	5-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	383 से 401	30-74
अतारांकित प्रश्न संख्या	3889 से 4049	74-277
सभा पटल पर रखे गए पत्र		277-284
राज्य सभा से संदेश		285
प्राक्कलन समिति		
सातवां और आठवां प्रतिवेदन		285
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति		
बत्तीसवां प्रतिवेदन		286
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति		
तेरहवां प्रतिवेदन		286
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति		
ग्यारहवां प्रतिवेदन		286
सदस्यों द्वारा निवेदन		
(एक)	केरल पुलिस द्वारा कुछ संसद सदस्यों की कथित पिटाई के बारे में	289-295
(दो)	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	296-298
(तीन)	विद्युत करघा उद्योग पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और मूल्यवर्धित कर के अधिरोपण के बारे में	298-310
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
कुछ देशों में गंभीर तीव्र श्वसनी लक्षण (सार्स) फैलने के कथित मामले		
श्रीमती सुषमा स्वराज		311-324

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) गुजरात में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों से मानदेय का भुगतान करने के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर . .	325
(दो) झारखंड में चक्रधरपुर में लोकोमोटिव शेड्स का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण गिलुवा .	325
(तीन) कर्नाटक में बीड़ी कामगारों की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री विनय कुमार सोराके	326
(चार) बिहार में मानव संसाधनों के समुचित विकास के लिए राज्य में और अधिक शिक्षा संस्थायें खोले जाने की आवश्यकता	
श्री राजो सिंह	326
(पांच) ढाका-अगरतला बस सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री खगेन दास . .	327
(छह) कृषि क्षेत्र को नि:शुल्क बिजली प्रदान करने के लिए समन्वित योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री डी० वेणुगोपाल	328
(सात) महाराष्ट्र में कोल्हापुर में पंचगंगा नदी के किनारे रह रहे लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किए जाने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक .	328
(आठ) बिहार के भोजपुर जिले में आरा में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री रामप्रसाद सिंह .	329
(नौं) हिमाचल प्रदेश में शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'खड़ा पत्थर' में उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य .	329
(दस) गुजरात में अंकलेश्वर और राजपिपला तथा भरूच और दहेज के बीच रेल सेवाएं पुन शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी० वसावा . . .	330
(ग्यारह) महाराष्ट्र में जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरदर्शन द्वारा मैट्रो चैनल शुरू किये जाने की आवश्यकता	
श्री वाई०जी० महाजन	331

विषय	कॉलम
विद्युत विधेयक—पारित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री संतोष मोहन देव	331-340
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	340-345
श्री रूपचन्द पाल	345-353
श्री सुबोध मोहिते	353-357
कुंवर अखिलेश सिंह	357-360
श्री बिक्रम केशरी देव	360-364
श्री शिवराज वि० पाटील	364-373
श्री सी० कुप्पुसामी	373-376
श्री टी०एम० सेल्वागनपति	376-381
श्री रतन लाल कटारिया	381-384
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	384-389
श्री के० येरननायडू	390-392
श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम	392
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर	393-398
श्री प्रबोध पण्डा	398-401
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	401
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन	401-405
श्री सुरेश रामराव जाधव	405-407
श्री विकास चौधरी	407-408
श्री आदि शंकर	408-411
डा० वी० सरोजा	412-414
श्री राजो सिंह	415-418
श्री लक्ष्मण सेठ	418-421
श्री रामदास आठवले	421-423
श्री अनन्त गंगाराम गीते	423-433
खंड 2 से 180 और 1	434-485
पारित करने के लिए प्रस्ताव	485-486
कार्य मंत्रणा समिति	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन	392

लोक सभा

बुधवार, 9 अप्रैल, 2003/19 चैत्र, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 381.

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) **:** अध्यक्ष महोदय, वैट प्रणाली को लागू करने को लेकर पूरे देश में बहुत विरोध प्रकट किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जीरो आवर में बोलने की परमिशन दूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) **:** वित्त मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए। हमारे पास 'वैट' और रेडीमेड वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने के संबंध में काफी मुद्दे हैं। इसलिए, वित्त मंत्री को यहां अवश्य उपस्थित होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा और संबंधित मंत्री को बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर वैट पर चर्चा कराए जाने हेतु हमने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)* आप अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, मैं आपको जीरो आवर में बोलने का मौका दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) **:** अध्यक्ष महोदय, आज देश में वैट को लेकर गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि यह एक घातक कानून है। इसके पीछे यह धारणा है कि विदेशी कम्पनियां यहां पूरी तरह प्रवेश करेंगी और विदेशी स्टोर हिन्दुस्तान में लाए जाएंगे। कपड़े बेचने वाला व्यापारी मामूली हिसाब-किताब कैसे कर सकता है? सिन्हा साहब आप वित्त मंत्री रहे हैं। आप वित्त मंत्री जी को समझा दीजिए। कपड़ा बेचने वाला व्यापारी रोज का हिसाब-किताब कैसे रखेगा और हर जगह पर्ची कैसे दिखाएगा? पूरे व्यापार को ध्वस्त करने का यह एक षडयंत्र है। इसलिए प्रश्नकाल स्थगित करके वैट पर चर्चा करायी जाए वरना पूरे देश के व्यापारियों का व्यापार चौपट हो जाएगा।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमने अपनी ओर से नौ सूचनाएं दी हैं। इसलिए वित्त मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्थगन प्रस्ताव की अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) **:** अध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी ने वैट के बारे में जो कुछ कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं लेकिन इसके साथ वीवर्स पर जो एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की गई हैं और रेडिमेड गारमैंट्स के ट्रेडर्स पर जो एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की गई है, उस पर आज सदन में चर्चा होनी चाहिए और इस विषय में कोई न कोई डिसिजन होना चाहिए। आप माननीय वित्त मंत्री जी से कहिए कि वह आज सदन में मौजूद रहें क्योंकि छुट्टियों से पहले सदन का आज और कल का दिन बचा है। आप वित्त मंत्री को बुला कर इसका जवाब दिलवाइए।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, वैट प्रणाली को लेकर और रेडिमेड गारमैंट्स पर एक्साइज डयूटी लगाने के संबंध में मैंने भी नोटिस दिया है। सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आप कृपया संसदीय कार्य मंत्री को सलाह दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री इस बात का अवश्य ध्यान रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे विभिन्न मुद्दों पर अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने उन सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

[हिन्दी]

लेकिन आपने वैट के विषय में जो बात कही है, आप उसे जीरो आवर में उठा सकते हैं। इसके पहले कुरूप जी और दूसरे सदस्यों ने भी नोटिस दिए हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, सिर्फ 'वैट' की बात नहीं है बल्कि रेडीमेड वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने का भी मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभी सदस्य सहयोग करें तो सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। श्री कुरूप और अन्य सदस्यों ने भी सूचनाएं दी हैं जो काफी गम्भीर मुद्दों से संबंधित हैं। मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिकल हत्या के संबंध में मेरा भी नोटिस है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जिन लोगों के भी नोटिस हैं, मैं उन सभी को बोलने का मौका दूंगा। पासवान जी, मैं आपको जीरो आवर में बोलने की इजाजत दूंगा। मुझे आपकी सूचना मिल गयी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमने क्वैश्चन आवर सस्पैंशन के लिए नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया है। प्रश्न काल के निलंबन से संबंधित सूचनाएं भी अस्वीकृत कर दी गई हैं।

अब हम प्रश्न काल शुरू करते हैं। प्रश्न सं. 381। राजो सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति देने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

सी.एन. सिंह जी, आपका भी नोटिस है। मैं जीरो आवर में आपको बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैंने भी एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि अपका मुद्दा महत्वपूर्ण है। मैं आपको अनुमति देने जा रहा हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, मैंने भी एक सूचना दी है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, हमने भी एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी सूचनाओं को पढ़ा है। मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति दूंगा।

अब प्रश्न सं. 381 — श्री राजो सिंह

पूर्वाह्न 11.07 बजे

[हिन्दी]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेडियो पेजिंग उद्योग में राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली

+

***381. श्री राजो सिंह :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **सूचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेडियो पेजिंग उद्योगों में लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने और राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली आरम्भ करने का निर्णय लिया है, ताकि यह उद्योग स्वयं चलता रहे और देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का लाभ उपलब्ध करा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्णय के कारण सरकार को उक्त उद्योगों पर बकाया करोड़ों रुपये की धनराशि माफ करनी पड़ी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितनी धनराशि माफ की गई;

(ङ) राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली शुरू करने के क्या कारण हैं; और

(च) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (च) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत रेडियो पेजिंग उद्योग के लिए लाइसेंस प्रणाली को समाप्त नहीं किया गया है। रूग्ण रेडियो पेजिंग उद्योग को फिर से चालू करने संबंधी विचार को ध्यान में रखने के बाद सरकार ने हाल ही में रेडियो पेजिंग लाइसेंसधारकों को फिक्सड लाइसेंस शुल्क व्यवस्था से राजस्व हिस्सेदारी की व्यवस्था में जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। लाइसेंसधारक कम्पनी के समायोजित सकल राजस्व का 5% लाइसेंस शुल्क के रूप में देना होगा। इससे दिनांक 30.9.2002 तक के ब्याज सहित लगभग 450 करोड़ रुपये का वित्तीय व्यय होगा। कार्यान्वयन की विधियों को अन्तिम रूप देने के शीघ्र बाद राहत पैकेज प्रदान किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से रेडियो पेजिंग उद्योग के बारे में प्रश्न पूछा था, जिसके संबंध में माननीय सुषमा स्वराज ने प्रैस कांफ्रेंस में एक वक्तव्य दिया था, उसी आधार पर मैंने यह प्रश्न पूछा था। उस प्रैस कांफ्रेंस के वक्तव्य की अखबार की कटिंग भी मेरे पास है। इसमें लिखा हुआ कि रेडियो पेजिंग कम्पनियों का 450 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने जो उत्तर दिया है, उससे स्पष्ट नहीं होता है। फिर भी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या पूरे देश में रेडियो पेजिंग उद्योग मृतप्राय: हो चुका है? जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है कि इस उद्योग में फिर से जान फूंकने के उद्देश्य से सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं जिसके अंतर्गत एक कदम सरकार ने 450 करोड़ रुपया लाइसेंस फीस के रूप में माफ कर दिया है तथा फिक्स्ड लाइसेंस फीस की व्यवस्था खत्म कर राजस्व भागीदारी प्रणाली लागू कर दी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि रेडियो पेजिंग उद्योग की वर्तमान स्थिति के लिये कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हैं तथा इस उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिये जनवरी, 2003 की पैकेज घोषणा के बाद क्या कदम उठाये गयें हैं और इस में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

श्री अरुण शौरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिलकुल सही कहा कि रेडियो पेजिंग इंडस्ट्री नाजुक स्थिति में है। वर्ष 1998 में इसके कुल सब्सक्राइबर्स 7.4 लाख थे जो आज घटकर ढाई-तीन लाख रह गये हैं। इसका कारण यह है कि सैलुलर इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा एक्सपैंशन हुआ है, सेलुलर इंडस्ट्री के रेट्स पिछले 18 महीने में तकरीबन 60 प्रतिशत गिर गये हैं। जो इसमें एस.एम.एस. हो सकता है, वह सैलुलर फोन पर दिया जा सकता है। इसे देखते हुये 1999 में इस उद्योग को एक रिलीफ पैकेज दिया गया था जिसे न तो सीटी ऑपरेटर्स ने और न ही सर्किल आपरेटर्स ने अवेल किया। इससे उनकी हालत और खराब होती गई। इस तरह उनके ड्यूज, इंटरेस्ट मिलाकर, 450 करोड़ रुपये बन गये। उसे माफ करने के लिये इस इंडस्ट्री को रिलीफ पैकेज दिया गया है।

अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नमेंट ने जनवरी में डिसीजन लिया था और उसका एक कारण यह भी है कि अभी तक वह अमाउंट वेव नहीं किया गया है। लां मिनिस्ट्री ने अभी उसे वेंट करना है, वह उसे देख रही है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि इन 450 करोड़ रुपये में 220 करोड़ रुपया पंजाब की सरकारी कम्पनी पुनवायर और पुनवायर मोबाइल के नाम है। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि वह कम्पनी लिक्विडेशन में चली गई है। उनको भी क्या आगे वेवर दीजियेगा, ऐसा सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री इसे एग्जामिन कर रही है। जैसा भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, उसे इम्पलीमेंट किया जायेगा।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार के उत्तर को आपने और पूरे सदन ने सुना लेकिन हमारी और जो सदन की भावना है, उसके अनुकूल सरकार का उत्तर नहीं आया। मैं अपना दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जैसा मंत्री ने बताया कि 1885 का यह नियम बना हुआ था, क्या इस कानून में सुधार कर दूसरा कानून लाने की विचारधारा मे सरकार सहमत है या नहीं, यदि सहमत है तो वह सुधार कब तक लायेगी? मेरे प्रश्न का 'ख' भाग यह है कि रेडियो पेजिंग कम्पनियों को प्रारम्भ में 20 वर्ष के लिये लाइसेंस दिया गया था लेकिन इस उद्योग के विकास के समय अचानक सैलुलर उद्योग का बोलवाला हो गया। वर्तमान पैकेज की घोषणा के बाद सरकार इस उद्योग के भविष्य को देश के किन-किन क्षेत्रों में देखती है, क्य यह उद्योग पुनर्जीवित हो सकता है, क्या सरकार का ऐसा विश्वास है, यदि हां, तो सरकार बताने की कृपा करे।

श्री अरुण शौरी : सर, इसमें इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885, जहां तक मेरा ख्याल है कई बार अमैन्ड हो चुका है। अगर इस इंडस्ट्री के रिलीफ के लिए या ।फसी और कारण मे, जैसे पोस्टल एक्ट के लिए ये सब चीजें अमैन्ड करनी पड़ेंगी, वे आपके सामने आयेंगी। एक नई चीज, जो आपके आगे रखी गई है, वह कंवर्जेन्स विल, 2001 में रखी गई थी। वह स्टैंडिंग कमेटी के पास गया। उन्होंने तकरीबन 94 अमैन्डमैन्ट्स सजेस्ट किये हैं। उनका एग्जामिनेशन चल रहा है। जब सरकार आपके पास लाये तो आप उन्हें पारित कीजिएगा। इन सब चीजों का समाधान एक कंवर्जेन्स लाइसेन्स में होगा। हम उसके लिए काम कर रहे हैं।

दूसरी चीज आपने कही कि इसके पहले लाइसेन्स बीस साल के लिए दिए गए थे। जबकि एक्चुअली लाइसेन्स सी.टी. आपरेटर्स और सर्किल ऑपरेटर्स के लिए दस साल के लिए थे। उसमें वह प्रावधान था कि पहले तीन साल के लिए सी.टी. ऑपरेटर्स अपनी फिक्स्ड फीस देंगे। वह फीस ऑक्शन के आप्शन के जरिये डिटरमिन हुई थी। उन सबने एनथुसियाज्म में 1992-1994 में इतनी ज्यादा बिडिंग की कि उसके बाद वे दूसरे साल से ही ड्यू अमाउंट नहीं दे पाये। सर्किल ऑपरेटर्स के लिए प्रावधान था कि वे दस साल के लिए फिक्स्ड फीस देंगे लेकिन वे पहले साल से ही फीस नहीं दे पाये। इस तरह इन सब चीजों के कारण दो बार रिलीफ पैकेज देने की कोशिश की गई है। मेरे पास सी.टी. ऑपरेटर्स जरूर आये थे और उन्होंने यह एश्योर किया था कि अगर यह रिलीफ पैकेज दिया जाता है तो वे सैलुलर फोन्स के कम्पिटीशन में होते हुए अभी भी अपनी इडस्ट्री को वायबल बना सकते हैं। सर्किल ऑपरेटर्स की ज्यादा डिफिकल्टी है। टैरिफ कमीशन ने भी यह कहा कि सर्किल ऑपरेशंस के लिए इनवैस्टमैन्ट बहुत ज्यादा चाहिए। पहले उनमें तीन आपरेटर्स थे, अब केवल एक रह गया है। सर्किल आपरेटर्स वॉयबल हो पायेगा या नहीं, अब यह देखना है। हम रिलीफ पैकेज ही दे सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि रेडियो पेजिंग उद्योग में लाइसेंसधारकों को फिक्स्ड लाइसेंस शुल्क व्यवस्था से राजस्व हिस्सेदारी की व्यवस्था में जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से कारण थे, जिनकी वजह से इस व्यवस्था में जाने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा। आपके मुताबिक स्थिति नाजुक है, वह स्थिति नाजुक कैसे बनी, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके कारण क्या हैं, कृपया उनके कारणों को बताने का आप कष्ट करें।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि जब यह तय कर लिया गया है कि राजस्व भागीदारी करनी है और लाइसेंस फीस व्यवस्था को समाप्त करना है तो नई व्यवस्था के तहत रेडियो पेजिंग इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, जो पहले से लाइसेंस लिये हुए लाइसेंसधारक थे, क्या उन्हीं को यह सुविधा मिलेगी। कहीं यह मेनिपुलशन तो नहीं है। एक स्वस्थ कम्पिटीशन हो, नई निविदाएं आमंत्रित की जाएं, उसमें नये लोगों की भागीदारी हो, वरना यह उनकी मोनोपोली हो जायेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से कारण थे, जिनके चलते यह व्यवस्था असफल सिद्ध हुई, सरकार यह बताये। दूसरी जो भागीदारी वाली व्यवस्था आप सुनिश्चित करने जा रहे हैं, उसमें क्या नये लोगों को भी भाग लेने का अवसर मिलेगा या जो पुराने लाइसेंसधारक हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। पुराने लाइसेंसधारकों पर आपका जो शुल्क बकाया है...

अध्यक्ष महोदय : आप लम्बा प्रश्न मत पूछिये, पहले प्रश्न का उत्तर आने दीजिए, जल्दी प्रश्न पूछिये।

श्री रामजीलाल सुमन : मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि पुराने लाइसेंसधारकों का जो पैसा बकाया है, उसे वसूल करने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है।

श्री अरुण शौरी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें मोनोपोली का कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय सदस्य जानते होंगे कि जो 27 सिटीज हैं, उनमें 106 पार्टीज को लाइसेंस दिये गये। इसमें मोनोपोली का कोई प्रश्न नहीं है।

[अनुवाद]

श्री रामजीलाल सुमन : मंत्री महोदय, क्या आप नए दलों को शामिल करेंगे अथवा नहीं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उत्तर देने दीजिए, प्लीज बैठिये।

श्री अरुण शौरी : अध्यक्ष महोदय, आप भी सीटीज में 67 ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। इसी तरह मैंने जैसे सर्कल्स का कहा, अगर कोई न्यू इनवैस्टर्स आना चाहते हैं, जबकि दो बड़ी कंपनीज बैठ चुकी हैं सर्कल ऑपरेशन्स में, तो उनकी इनवैस्टमेंट आए, बिल्कुल ठीक है, मगर ये रिलीफ पैकेज उनके लिए है जो आज पुरानी व्यवस्था के कारण बुरी हालम में हैं। इसके तीन कारण रहे हैं। एक तो यह है कि जब भी नया सैक्टर खुलता है तो उसमें बहुत एनथूसियैज्म होता है। आपने टैलीकॉम में देखा, आपने पेजिंग में देखा, आपने एफ.एम. रेडियो स्टेशन्स में देखा। बहुत ज्यादा बिडिंग लोग कर देते हैं और बहुत ऊंची बिड दे देते हैं, फिर उस बिड को वह पूरा नहीं कर पाते हैं – यह मुश्किल इसमें आ रही है। दूसरा कारण यह है कि एक्सैसिव इनवैस्टमेंट भी इसमें हुई है। तीसरा, जैसा मैंने राजो सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में बताया, इसका मुख्य कारण यह रहा है कि इनका सबस्क्राइबर बेस काफी श्रिन्क हो गया है। इनवैस्टमेंट वहीं की वहीं रह गई है, सबस्क्राइबर बेस कम हो गया है क्योंकि सैल्यूलर आपरेशन ज्यादा हो गया है। ये मुख्य कारण रहे हैं। मगर आज भी ऐसे कोई बुलंद लोग हों जो कि इनवैस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से सरकार उनका स्वागत करेगी।

श्री रामजीलाल सुमन : आप उनको आमंत्रित करेंगे या नहीं? वे आना चाहते हैं, वह अलग बात है। सरकार की तरफ से उनको आमंत्रण मिलेगा या नहीं, आप नई निविदाएं करेंगे या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : सैल्यूलर फोन आने के बाद उसका महत्व कम हुआ है। इसमें वह क्या करेंगे?

[अनुवाद]

बहुत साधारण कारण है। मैं आपके उत्तर से आश्वस्त हूं।

(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मारकोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार करने के बाद भारत की जनता श्रवण मीडिया का लाभ उठाती रही है। यद्यपि दृश्य मीडिया भारतीय जनता को सर्वाधिक सेवा दे रही है, बीसवीं सदी के पश्चात् तथा यहां तक कि 21वीं सदी में हमें श्रवण मीडिया का लाभ मिल रहा है। भारत के गांवों के कोने-कोने में रह रहे लोग रेडियो के माध्यम से समाचार सुनते हैं। हमारे पास आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो है।

महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने निजी व्यक्तियों को प्रसारण का लाइसेंस प्रदान किया है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, आपका अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : जी, नहीं, रेडियो पेजिंग में रेडियो शामिल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने निजी व्यक्तियों को आकाशवाणी की जगह प्रसारण करने का लाइसेंस दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आकाशवाणी की जगह प्रसारण करने हेतु व्यक्तियों को लाइसेंस दिया है अथवा उनको लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। यदि हां, तो वे लाभार्थी कौन हैं जिन्हें लाइसेंस मिले हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह एक अलग प्रश्न है। मुझे खेद है, मैं आपके अनुपूरक प्रश्न को पूछने की अनुमति देने की स्थिति में नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : रेडियो और पेजर मिलकर रेडियो पेजर ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को अस्वीकृत करता हूं।

श्री पी.एच. पांडियन : कहने में क्या नुकसान है? जब यह मुद्दा सभा के समक्ष रख दिया गया है, तो मंत्री जी को उत्तर देने दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न पर उन्हें यही प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री के.ए. सांगतम : अध्यक्ष महोदय, निजी पार्टियों, सेल्यूलर फोन आपरेटर्स इत्यादि को पूरे देश में आम जनता को सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गयी है। अनेक राज्यों उदाहरणार्थ छत्तीसगढ़ में कुछ निजी कम्पनियां, नगरों में सेवाएं प्रदान करने के अलावा गांवों में भी सेवाएं प्रदान करने पर सहमत हुई थीं। उन्होंने ग्राम पंचायत टेलीफोनी प्रदान करना भी चुना है। परन्तु ऐसा लगता है कि वे अपने वादों को पूरा करने में समर्थ नहीं रही हैं।

महोदय, उन्होंने पूर्वोत्तर में भी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु निविदाएं दी है। निस्संदेह, सुरक्षा कारणों की वजह से वे इस कार्य को करने में सक्षम नहीं रहे थे। परन्तु अगस्त में सुरक्षा प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा प्रतिबंधों को हटाए जाने से पूर्व निजी पार्टियों ने गांवों को छोड़कर गुवाहाटी और शिलांग में सेवा देने चुना था। इस प्रकार, इस मामले में, जिस किसी भी निजी कम्पनी ने इस ग्राम टेलीफोनी को चुना था वह इस कार्य को पूरा करने में सफल नहीं रही हैं। इसलिए, क्या उन कम्पनियों के ऊपर कोई दंड लगाया गया है जो आज तक इन ग्राम टेलीफोनी को प्रदान करने में असफल रही हैं? रिकार्ड में, मात्र एक कम्पनी का पता लगाया गया है और सरकार द्वारा कारवाई किए जाने का प्रयास किया गया है।

महोदय, ऐसी अनेक निजी कम्पनियां हैं जिन्होंने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। इसलिए, क्या सरकार उनके विरुद्ध कारवाई करेगी?

श्री अरुण शौरी : महोदय, मैं माननीय सदस्य का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। यद्यपि यह अनुपूरक प्रश्न पेजिंग के बारे में न होकर ग्रामीण टेलीफोनी के बारे में है, फिर भी मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा।

दिए गए मूल छः लाइसेंसों में एक शर्त थी। ग्रामीण टेलीफोन का छः कम्पनियों को दायित्व भी सौंपा गया था। माननीय सदस्य अपने कथन में पूर्णतः सही हैं कि करीब 97,000 गांवों में ग्राम टेलीफोन लगाने के अपने दायित्व की तुलना में – मैं समृति के आधार पर बोल रहा हूं – वास्तव में इन कम्पनियों ने मात्र करीब 7,414 गांवों को ही कवर किया है। इसी कारण की वजह से मूल लाइसेंस में दंडों और क्षतिपूर्ति को जा सकनेवाली हानियों हेतु शर्तें रखी गयी थीं। उन सभी की वसूली की जा चुकी है – 54 करोड़ रुपये की धनराशि वसूली गयी है।...*(व्यवधान)* मैं सहमत हूं। इसलिए, आपको उन लाइसेंसों को देखना चाहिए था जो 1994 में दिए गए थे। ये किसने दिए क्योंकि मे 1994 के लाइसेंस हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : प्रश्न यह नहीं है। उन्हें प्रश्न को तोड़ने-मरोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस सरकार ने क्या किया है? जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो यह इस सरकार का उत्तरदायित्व था। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जो प्रश्न पूछा वह यह है।...*(व्यवधान)*

श्री के.ए. सांगतम : महोदय, उत्तर चयनात्मक नहीं हो सकता है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : यह दोष को बांटने का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस सरकार ने अपने सत्ता काल में इन चीजों को शुरू किया था। परन्तु उन्होंने इसके साथ क्या किया है? यह तो जिस काम को करने में वे विफल रहे उसके लिए दोष दूसरे के सिर मढ़ने जैसा है।...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : महोदय, यह प्रतिक्रिया व्यक्त करने का एक विचित्र तरीका है। जैसे भी हो, मैं तथ्यों का उल्लेख करूंगा।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मंत्री महोदय आपका उत्तर काफी संक्षिप्त होना चाहिए क्योंकि इस प्रश्न का संबंध मूल प्रश्न से नहीं है। इसलिए आप बहुत संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं।

श्री अरुण शौरी : जी, हां। यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : एस.एम.एस. और मोबाइल को अस्तित्व में आने से पहले एक समय पेजिंग उद्योग खूब फल-फूल रहा था। माननीय मंत्री ने अभी-अभी जिस पैकेज के बारे में बात की है मैं उसका ब्यौरा जानना चाहता हूं। साथ ही, मैं उन कम्पनियों के बारे में भी जानना चाहूंगा जिनके लिए वे कह रहे थे कि वे मोबाइल सेवाओं व अन्य चीजों की वजह से आर्थिक रूप से डावांडोल हो गयी हैं। मैं उन वर्षों के ब्यौरे चाहता हूं जिन वर्षों में ये कम्पनियां चूककर्त्ता रही हैं अथवा सेवा देनी बंद कर दी है तथा वे किस वर्ष उन्हें पैकेज के रूप में क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। यही मैं जानना चाहता हूं।

श्री अरुण शौरी : यह लम्बी सूची है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उन्हें पूरी सूची दे सकता हूं अथवा यदि वह इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सीधे उनके पास भेज सकते हैं।

श्री अरुण शौरी : यह लम्बी सूची है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : महोदय, वह इसे सभा पटल पर रख सकते हैं; मैं इसे ले लूंगा।

श्री अरुण शौरी : वह जिस तरह से चाहें मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल : हमें बताया गया था कि इस पैकेज के कारण इस सरकार को 450 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है। श्री सांगतम ने भी इसी बात का उल्लेख किया था। यह हानि इससे भी अधिक थी। कुल हानि उन अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बिक्री मूल्य से कहीं अधिक है जिसके अध्यक्ष इस मंत्रालय के वर्तमान मुखिया माननीय मंत्री महोदय रह चुके हैं।

हमारी एकमात्र चिंता यही है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या इनकी सेवाओं का लाभ देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है और प्रश्न का यह भाग अनुत्तरित रह गया है। यही कारण है कि उन्होंने इसे लाइसेंस विभाग से उठाकर राजस्व संबंधी विभाग को सौंपने को तरजीह दी। अभी भी यही कदम अपनाया जा रहा है। क्या आपने कोई शर्त रखी है कि सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं देनी होगी।

मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि सेल्युलर फोन ने रेडियो पेजिंग उद्योग को बाहर कर दिया है। देश के अनेक ऐसे भाग हैं जो अभी भी इनकी पहुंच से दूर हैं, जिन्हें डिजिटल छलांग का लाभ नहीं मिला है। वह इस संबंध में क्या करने जा रहे हैं? क्या वह उन कम्पनियों के लिए अनिवार्य बनाने जा रहे हैं जिनके बीच उन्होंने 450 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है। अर्थात् यदि वे कम्पनियां इस सेवा में बनी रहनी चाहती हैं तो उन्हें यर्थाथत: कुछ सुदूर अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं आवश्यक रूप से प्रदान करनी होगा। क्या वे ऐसा करने जा रहे हैं?

श्री अरुण शौरी : वस्तुत: सेल्युलर प्रचालन में कुछ भ्रांतियां हैं।. ..*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे खेद है। मैं जो कहना चाहता हूं उसे वह कहने की कोशिश न करें। हो सकता है मैं मंत्री महोदय के समान कुशाग्रबुद्धि न होऊं, परन्तु मैं निश्चित रूप से दोनों के बीच अंतर करता हूं। मैं यह अंतर स्पष्ट रूप से करना चाहता हूं। मुझे भी इन मामलों का अध्ययन करने के कुछ अवसर प्राप्त हुए है और मैं अंतर कर सकता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : लेकिन वस्तुत:, यहां कोई भ्रांति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैं उनके कार्यों में मात्र अंतर दर्शाने की कोशिश कर रहा था। यह सरकारी मामलों पर विचार करते समय चिन्तन प्रक्रिया में आता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, आपने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय मंत्री भ्रमित हो रहे हैं और मुझे भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक वाक्य भी पूरा नहीं किया है। आप पर कुछ थोपने का प्रश्न कहां है? कृपया, बैठ जाइए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है, उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए...

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैं इस सरकार के कार्यों के बीच· अन्तर बताने की कोशिश कर रहा हूं – इस सरकार ने पहले क्या किया और इस समय क्या किया जा रहा है। लेकिन वह मात्र आरोप को अन्य लोगों पर डालने की कोशिश कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : महोदय, प्रश्न वास्तव में इस उद्योग को बनाये रखने का है और इस उद्योग पर नई शर्तें थोपने का नहीं है क्योंकि यदि यह उद्योग अस्तित्व में नहीं रहता तो हमें तत्काल बता दिया जाता कि फलां उद्योग समाप्त हो गया है और पेजर का प्रयोग ड्राफ्ट्समैन और प्लम्बर जैसे कम आय वर्ग के लोग करते थे इसलिए हमने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया।

उनका कहना कि ग्रामीण टेलीफोनी के बारे में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां अलग-अलग बिन्दु है। यहां पूरे पैकेज को प्रशुल्क आयोग के अनुसार तैयार किया गया है और उसने सिफारिश की है कि इस प्रवृति के किसी उद्योग के लिए, तथ्यों को देखते हुए कि इसकी हालत खतरनाक और निराशाजनक है – अन्य प्राधिकरणों द्वारा इन्ही शब्दों का प्रयोग किया गया है – कृपया एक पैकेज तैयार कीजिए और उन्होंने जिस पैकेज के बारे में सलाह दी थी वह यही पैकेज है। ट्राई और प्रशुल्क आयोग दोनों ने कहा है ''उस निर्धारित लाइसेंस

शुल्क को समाप्त करें जो कि ऐसा बोझ है जिसे वे वहन नहीं कर सकते और राजस्व-बांटने वाले ऐसे पैकेज की ओर अग्रसर होना चाहिए जिसमें पांच प्रतिशत राजस्व आपस में बांटा जाना चाहिए। इसलिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे इसे कितना अच्छा कर पाते हैं। 27 शहरों और शहरों के बाहर 19 सर्किलों, जिनमें गांव और हर चीज शामिल है, में लाइसेंस प्रणाली लागू हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : क्या आप को लाभ मिला है या उन्होंने आपको इतना अधिक दे दिया है जितना आप अन्यथा प्राप्त कर चुके होते?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

छोटे परिवार संबंधी मानदण्ड

***382. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर परिवार का आकार एक/दो बच्चों तक सीमित करने संबंधी एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए अन्य कौन से उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में छोटे परिवार के मानदंड को अपनाने की हिमायत की गई है। इस नीति में नागरिकों को अपने परिवार के आकार के संबंध में स्वेच्छा से और सोच-समझकर निर्णय लेने की अनुमति देकर देश की जनसंख्या को स्थिर करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में मौजूदा स्वरूप में लोगों को छोटे परिवार के मानदंड को अपनाने के लिए प्रेरित करने के वास्ते कोई व्यक्तिगत प्रोत्साहन अथवा दण्ड शामिल नहीं है। इसके बजाय, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के वास्ते एक समेकित दृष्टिकोण की योजना बनाई गई है। प्रोत्साहनों और दण्ड के लिए कोई कानून बनाने के वास्ते व्यापक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता होगी। इसी कारण से वर्ष 1992 में 79वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था जो संसद के समक्ष विचाराधीन है। इस विधेयक का उद्देश्य दो बच्चों से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को संसद अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने अथवा उसका सदस्य होने पर प्रतिबंध लगाना है।

(ग) जनगणना, 2001 से प्रकट हुआ है कि जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कम होकर 1.93% रह गयी है। यह दर पिछले 40 वर्षों से 2% से अधिक रही है। 10 राज्यों और संघ क्षेत्रों अर्थात् केरल, तमिलनाडु, गोवा, नागालैंड, दिल्ली और पांडिचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और मिजोरम ने पहले ही 2.1 से कम की कुल प्रजननता दर अर्थात् जनसंख्या का कुल प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया है। 11 राज्यों और संघ क्षेत्रों अर्थात् कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, दमण व दीव और सिक्किम ने 2.1 लेकिन 3 से कम की कुल प्रजननता दर प्राप्त कर ली है। अत: वे 2010 तक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के लक्ष्य प्राप्त करने के लायक हो गए हैं। यद्यपि 12 राज्य संघ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी कुल प्रजनन दर 3.0 से अधिक है, तथापि जनसंख्या स्थिरीकरण की मुख्य चुनौती चार राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और राजस्थान के समक्ष है।

बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 को अपनाने के पश्चात् अनेक पहलें शुरू की हैं। हालांकि योजना आयोग में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई है, निजी क्षेत्र से धन जुटाने के लिए 100 करोड़ की कार्पस निधि से परिवार कल्याण विभाग में जनसंख्या स्थिरता कोष स्थापित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी इन दोनों निकायों के अध्यक्ष हैं। जनांकिकीय रूप से पिछड़े हुए आठ राज्यों अर्थात् बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा और राजस्थान की विशिष्ट अपूरित जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक अधिकार सम्पन्न कार्य दल गठित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी, 2003 को अपने निवास पर 4 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस बैइक में उन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्य-निष्पादन की मासिक अधार पर समीक्षा करने के लिए जोर दिया। ऐसी समीक्षाओं के लिए मानीटरिंग प्रारूप और कार्य बिन्दुओं की सूचना भी राज्य सरकारों को भेज दी गई है। सेवा प्रदाय में सुधार करने के लिए परिवार कल्याण विभाग ने देश-भर में 8669 उप-केन्द्रों को मंजूर करने का प्रस्ताव किया है। इसमें राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए 461

उप-केन्द्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने अप्रैल, 2002 से देश में सभी उप-केन्द्रों के लिए वित्त-पोषण करने की बात स्वीकार कर ली है। तदनुसार, नसबन्दी और आई.यू.डी. निवेशन के लिए मुआवजे की दरों का संशोधन कर दिया गया है। महिला नसबंदी की मुआवजे की दर 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए और पुरुष नसबन्दी की 160 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है। इस कार्यक्रम में नए गर्भनिरोधकों अर्थात् आई.यू.डी. 380ए और आपाती गर्भनिरोधक शामिल कर दिए गए हैं। इसी तरह, जनशक्ति की कमी, गर्भनिरोधकों और मातृ एवं बाल परिचर्या से संबंधित सेवाओं की पहुच-बाह्यता संबंधी समस्या का समाधान करने के वास्ते प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक पहलें शुरू की गई हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम में स्थानीय सरकार की संस्थाओं को शामिल करने की एक वृहद कार्यनीति तैयार की जा रही है। अत्यधिक सार्थक ढंग से गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए इस बात को सुनिश्चित करने के वास्ते दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है कि गैर-सरकारी संगठन केवल सलाह देने के बजाए सेवा-प्रदानगी की ओर ध्याप दें। अन्त में ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भ. निरोधकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सामाजिक विपणन संबंधी दिशा-निर्देशों में भी संशोधन किया जा रहा है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान की जनसंख्या आज 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, जो बड़ी चिन्ता का विषय है, क्योंकि आबादी बढ़ने के कारण देश भर में कोई नियोजन नहीं हो पाता है। इस कारण सरकार को भी काम करते वक्त कई दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कई बार हम लोग उन्हें स्वास्थ्य के बारे में फुलफ्लेज्ड राहत नहीं दे पाते। मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना जो यहां बनाने का संकल्प किया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, वे इसके लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, लेकिन इसमें हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। हिन्दुस्तान की जिस तरह आबादी बढ़ रही है, उसमें परिवार को सीमित करने के लिए हम क्या-क्या प्रोत्याहन दे रहे हैं ताकि नियोजन अच्छी प्रकार से हो सके। हमारे देश में परिवार कल्याण केन्द्रों की सुविधा कितनी है, देश में ऐसे कितने केन्द्र चल रहे हैं और उनकी मोनिटरिंग कैसे हो रही है, लोगों को अवेयर कैसे कर रहे हैं कि परिवार नियोजन करना चाहिए? इन सारी बातों को ध्यान में रखकर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए आप क्या-क्या कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, प्रश्न आपके सामने है। खैरे जी, आप बाकी प्रश्न दूसरी सप्लीमेंटरी में पूछिये, इसमें नहीं पूछ सकते।

श्री चन्द्रकांत खैरे : मैं कहूंगा कि इसमें धर्म का आधार किसी के लिए नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न इतना बड़ा है कि प्रश्न पूरा होने तक जनसंख्या बढ़ जाएगी, मुझे यही चिन्ता है। आप बैठिये। प्रश्न छोटा रहेगा तो जनसंख्या भी छोटी रहेगी।

श्री चन्द्रकांत खैरे : कामन सिविल कोड को मद्देनजर रखते हुए सभी धर्मों के लिए क्या आप एकसमान कायदा या कोड रखने वाले हैं, यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं? नहीं तो ऐसा देखने में आया है कि किसी धर्म विशेष का एक व्यक्ति परिवार नियोजन कर लेता है लेकिन दूसरे बोलते हैं कि हम पांच-हमारे 25 — ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, माननीय सांसद का मूल प्रश्न इसी बात को लेकर था कि हम क्या-क्या कर रहे हैं और डेढ़ पृष्ठ के लिखित उत्तर में मैंने यही बताया कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने यह जानना चाहा कि कितने केन्द्र इसके लिए चल रहे हैं, उसकी मोनिटरिंग कैसे कर रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि 1,37,311 सब सैंटर्स पूरे देश में इस समय चल रहे हैं, जिनके माध्यम से आर.सी. एच. का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन 1991 की सेंसस के मुताबिक यदि हर पांच हजार की जनसंख्या पर ये केन्द्र हमें स्थापित करने हैं तो इसमें 8200 सब-सैण्टर्स की कमी थी। हम लोगों ने तय किया है कि 8200 सब-सैण्टर्स और जोड़कर 1991 की सेंसस के मुताबिक पांच हजार की जनसंख्या पर हम इसे पूरा कर देंगे। इसके अलावा भी राजस्थान में 461 और सब-सैण्टर्स, जो केवल डैजर्ट इलाके में हैं, जहां पांच हजार की स्कीम को भी हम हटा रहे हैं, उसे भी हम पूरा कर देंगे। इस समय देश में 1,45,311 सैण्टर्स और ये 461 सैंटर्स उसमें और जुड़ जाएंगे, फिर राजस्थान में ये सब जगह हो जाएंगे।

उनकी मौनीटरिंग लगातार होती रहती है। हम इसमें पहले 90 परसेंट के करीब केन्द्रों को पैसा देते थे लेकिन नयी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जो वर्ष 2000 में अपनाई गई है, उसमें हमने तय किया है कि जितने सैंटर्स पहले से इस देश में चल रहे हैं और जितने सब-सैंटर्स नये जोड़े जायेंगे, उनकी पूरी संख्या मैंने बताई है, उन सबका पैसा केन्द्र सरकार देगी।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल केन्द्र खोलने से कुछ नहीं होगा। केन्द्र खोलने से लोगों को अवेयरनैस जरूर होती

है। मेरा सैकिंड क्वैश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कई राज्यों ने, जैसे महाराष्ट्र में ऐसा नियम बनाया गया है कि पंचायत राज, स्थानीय संस्थाओं, महापालिका, नगरपालिका, जिला परिषद आदि में जो पदाधिकारी हैं, यदि उसके दो बच्चे हैं तो वह उस पद के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, अगर इससे ज्यादा बच्चे होंगे तो वह जिस पद पर है, वह पद रद्द हो जायेगा—ऐसी जो नीति आ रही है उसमें लिखा है। वर्ष 1992 में संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में लाया गया था, जो अभी तक संसद के समक्ष विचाराधीन है। उस विधेयक का उद्देश्य यही था कि वह दो बच्चों से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को सांसद अथवा राज्य विधायिका के किसी भी संसद सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने अथवा उसका सदस्य होने पर प्रतिबंध लगाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो कायदा है, क्या उसे सरकार जल्दी से जल्दी लाने वाली है और यदि लाने वाली है तो कब तक लाने वाली है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से पहले जो विचार-विमर्श हुआ, उस विचार-विमर्श के आधार पर कोई भी सहमति हतोत्साहित या प्रोत्साहित करने के लिए अलग से इन्सेंटिव या डिसइन्सेंटिव रखे जाये, इस बारे में नहीं बन पायी, इसीलिए राष्ट्रीय जनसंख्या में वालेंटरी एडप्शन की बात की गयी। जिस विधेयक का जिक्र अभी माननीय सदस्य कर रहे हैं, वह 1992 का संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ है जो कि अभी भी वहां लंबित है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा यदि इस पर कोई राष्ट्रीय सहमति बन पाये। इसीलिए मैंने जवाब में यह लिखा है कि ऐसा कोई लेजिस्लेशन लाना है तो उसके लिए लार्जर नैशनल कन्सेन्सस की जरूरत होगी, राष्ट्रीय सर्वानुमति की जरूरत पड़ेगी। माननीय सांसद आज इस बात को कह रहे हैं, वह विधेयक राज्य सभा में लंबित है। हम ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाकर तय कर सकते हैं। यदि एक सहमति पूरे सदन की बनती है तो सरकार को कतई कोई आपत्ति नहीं होगी बल्कि सरकार खुश होगी कि इस तरह का विधेयक राज्य सभा में पारित होने के बाद, लोक सभा में पारित हो जाये, और इस तरह के इन्सेंटिव, डिसइन्सेंटिव उसमें आ सकें।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या वृद्धि हम सबके लिए गहरी चिंता का विषय है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित हैं और विपक्ष के नेता भी यहां हैं। जनसंख्या वृद्धि को मात्र मौखिक सहानुभूति या वक्तव्यों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आन्ध्र प्रदेश विधान सभा ने एक कानून पारित किया है उसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं तो वह स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा। हम सभी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और सभी राजनीतिक दल जनसंख्या घटाना चाहते हैं। चाहे सरकार में कोई भी हो, वे राष्ट्रीय नीति अपना रहे हैं। इसलिए, इसे हमसे ही शुरू होना चाहिए। इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा लेकिन इसका भावी प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसा कर लिया जाता है तो इससे जनसंख्या को कुछ सीमा तक कम करने में सहायता मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस बात पर सर्वसम्मति की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भविष्य में, यदि किसी व्यक्ति के बच्चे दो से अधिक हो तो उसे विधायक या सांसद का चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। इससे जनसंख्या को कुछ सीमा तक कम करने में सहायता मिलेगी।

कई राज्य इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संसोधन के समय हमने माननीय प्रधान मंत्री से निर्वाचन क्षेत्रों को स्थिर रखने का अनुरोध किया था। करेल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र इस संबंध में अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या कम हुई है। निर्वाचन क्षेत्रों को स्थिर रखने हेतु विधेयक पारित करते समय, भारत सरकार इन राज्यों को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गई थी। अन्यथा राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रमों का अनुसरण नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। आपको सीधे प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न काल के दौरान भाषण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री के. येरननायडू : महोदय, किसी विशेष राज्य में जनसंख्या को कम करने के लिए हतोत्साहनों और प्रोत्साहनों की आवश्यकता है।

इस संबंध में अच्छा कार्य करने वाले राज्यों के लिए क्या प्रोत्साहन हैं? अब हम उन राज्यों को दण्डित कर रहे हैं जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, यदि यहां सभी लोगों की रुचि है तो माननीय प्रधान मंत्री को कुछ राज्यों द्वारा अधिनियमित किए गये विधान को भावी प्रभाव से लागू करने हेतु सर्वसम्मति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, तभी निचले स्तर के लोग इस उदाहरण का अनुकरण करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा करना चाहती है या नहीं?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सही जानकारी दी है कि आन्ध्र प्रदेश ने ऐसा कानून बनाकर यह तय

किया है कि अब पंचायतों में, नगर पालिकाओं में कोई व्यक्ति तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि उसके दो बच्चे या उससे कम बच्चे नहीं होते। इसी तरह, केवल आन्ध्र प्रदेश ने ही नहीं बल्कि और कई राज्यों ने, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने भी कानून बनाए हैं लेकिन वहां के लोग यह सवाल कर रहे हैं कि ऐसा डिसक्रिमिनेशन किसलिए है। अगर ग्राम पंचायतों का चुनाव लड़ना है तो दो बच्चे से ऊपर वाला नहीं लड़ सकता लेकिन विधान सभा का चुनाव वह लड़ सकता है और संसद का चुनाव लड़ सकता है। वहां के लोग यह कह रहे हैं कि ऐसा ही डिसइंसेंटिव असैम्बली और पार्लियामेंट के लिए क्यों नहीं होता। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अभी ये भी कह रहे थे कि नेता विपक्ष भी बैठी हैं और प्रधान मंत्री जी भी बैठे हैं, आप जिस दिन तय करें, आल पार्टीज मीटिंग ही केवल नहीं बुलाई जाएगी बल्कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अगर सदन में इस पर सहमति बनती है तो इसी सत्र में हम लोग यह बिल लाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिल पहले से लम्बित है। हमें नया बिल इंट्रोड्यूस नहीं करना है। बिल 1992 से...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : वह बिल आप लाइए।...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : ऐ बिल लाए हैं, क्या दूसरा बिल लाने वाले हैं सर्वदलीय सहमति से, यह पूछ लीजिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले उत्तर तो आने दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं बता रही हूं। यह बिल 1992 में राज्य सभा में लाया गया था। यह इस बिल का सौभाग्य है कि अगर वह लोक सभा में लाया जाता तो कभी का लैप्स हो जाता, जब-जब भी लोक सभा डिजॉल्व होती। फिर भी यह बिल अभी तक लम्बित है चूंकि राज्य सभा में लाया गया है। जो उत्साह आज सदन में दिखाई पड़ रहा है, अगर यही उत्साह विधेयक पारित करने के लिए प्रतिबिम्बित हो जाए, क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है जो केवल बहुमत से पारित नहीं हो सकता, पचास फीसदी टोटल और दो-तिहाई प्रेजेंट एण्ड पोटिंग से बिल पारित होगा। इस उत्साह को अगर बरकरार रखें तो इसी सत्र की 21 तारीख को जब से यह शुरू होगा, हम राज्य सभा में बिल ला सकते हैं और पास कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने का यह कोई तरीका नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? आप कृपया सहयोग करिए। क्या आप केवल मुलायम सिंह जी की बात ही सुनेंगे? मेरी भी सुनिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने चार राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ 16 जनवरी, 2003 को बैठक की। आज हमारी कुल जनम दर तीन से अधिक है। अब हमारा वर्ष 2010 तक जनम दर को 1.5 तक लाने का निनिचत लक्ष्य है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री तथा माननीय प्रधानमंत्री से भी जानना चाहती हूं कि क्या सरकार सभी गर्भवती माताओं का अनिवार्य पंजीकरण करने हेतु कानून लाने पर विचार कर रही है जैसा कि जन्म-मृत्यु के मामलें में किया जाता है। इससे छोटे परिवार संबंधी मानदंडों को लागू करने में ही नहीं बल्कि पात्र जोड़ों के पंजीकरण को अद्यतन करने में भी सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपना प्रश्न पूछिए।

डा. वी. सरोजा : महोदय, यह मेरा प्रश्न है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या प्रसवपूर्ण माताओं का पंजीकरण किया जाएगा या नहीं। इससे छोटे परिवार संबंधी मानदंडों को लागू करने में ही नहीं बल्कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी और पी.एन.डी.टी. का बेहतर कार्यान्वय होगा। क्या माताएं ऐसे विधान हेतु आगे आएंगी? मात्र इसी विधान से हम जनसंख्या को वर्ष 2007 तक यानि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही निमंत्रित कर लेंगे। ऐसा तमिलनाडु में हमारा व्यावहारिक अनुभव रहा है। क्या माननीय प्रधानमंत्री अब ऐसा विधान लाएंगे?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अभी तक इस तरह का कोई प्रस्ताव या ऐसा कोई विधेयक सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन आज चूंकि माननीय सांसद ने यह सुझाव दिया है, तो हम देखेंगे कि इनके क्या प्रॉस एंड कांस हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे। अभी तक कोई लेजिस्लेशन अंडर कंसिडरेशन नहीं है।

श्री लाल मुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि इसी सत्र में वह विधेयक लाने को तैयार हैं, लेकिन इसमें से दो व्यक्तियों को निकाल दिया जाए – एक विपक्ष की नेता और दूसरे प्रधान मंत्री जी – क्योंकि ये दोनों इसकी सीमा के अंदर हैं और दोनों हां कह देंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : चौबे जी, आपको पता होना चाहिए कि सुषमा जी भी उस परिधि में आती हैं और मैं भी आती हूं।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधान मंत्री तथा विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी भी यहां हैं। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय मैं आपको बधाई देता हूं कि कल आपने यह देखा कि भारत ने एकता और अखण्डता के गांधी दर्शन का अनुकरण किया है। इस शांति प्रिय देश ने सारे विश्व को दिखा दिया है कि कठिन समय में भी यह एकता सम्पन्न राष्ट्र रहा है।

इसी भावना से, मैं अध्यक्ष महोदय से इस मुद्दे को भी मौलिक अधिकारों में संशोधन हेतु सभी राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति बनाने हेतु उठाने का अनुरोध करता हूं। हर परिवार को दो बच्चों तक ही सीमित किया जाना चाहिए जैंसा कि चीन में चल रहा है। यही कारण है कि आज चीन विश्व का सर्वशक्तिशाली देश है। इसी प्रकार से यदि आप देश को बचाना चाहते हैं तो देश के प्रत्येक नागरिक दो बच्चों के परिवार संबंधी मानदंडों का पालन कराया जाए चाहे उसकी जाति, विश्वास या धर्म कुछ भी क्यों न हो। इस प्रयोजनार्थ क्या मैं माननीय मंत्री से अगले तीन वर्षों में भारत को विश्व का सर्वशाक्तिशाली देश बनाने हेतु संविधान में संशोधन हेतु सर्वसम्मति बनाने का अनुरोध करता हूं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, यह सुझाव आपको सम्बोधित है। इसलिए, मैं तो आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा कर सकती हूं, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकती।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूर्णत: इस सुझाव के पक्ष में हूं। चूंकि माननीय मंत्री ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि इस संबंध में विधेयक यथाशीघ्र लाया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है और सभी दल इससे सहमत होंगे तो अध्यक्ष को इस बात से सर्वाधिक खुशी होगी।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : मैं इस बात की प्रंशसा करता हूं कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई योजनाएं बना रही है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां इस योजना को ईमानदारी से लागू किया गया है।

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : हम ही जनसंख्या नियंत्रण और छोटे परिवार संबंधी मानदंडों की सफलता के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए हमें प्रश्न पूछने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : तमिलनाडु में जनन दर 2.1 से भी कम है। हाल ही में सरकार ने एडस नियत्रंण हेतु ही नहीं बल्कि जनसंख्या वृद्धि पर नियत्रंण रखने के लिए सर्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में कंडोम की बिक्री की घोषणा की है।

मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों की स्थापना करके तमिलनाडु को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है, दूसरा यह कि मैं माननीय मंत्रीजी से जाना चाहता हूं कि इन 8669 प्रस्तावित उपकेन्द्रों में से तमिलनाडु को कितने दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : पहले मैं यह बताना चाहूंगी कि प्राइमरी हैल्थ सेंटर की जो बात माननीय सदस्य ने कही है कि इंसेटिव के तौर पर तमिलनाडु को दे दें, लेकिन प्राइमरी हैल्थ सेंटर स्टेट सब्जेक्ट है। प्राइमरी हैल्थ केयर और कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर दोनों स्टेट गवर्नमैंट चलाती है केन्द्र उसके लिए कुछ नहीं देता है। हम सिर्फ सब-सेंटर देते हैं, जिसकी संख्या 1,37,312 है।

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी : कम से कम पर्याप्त धनराशि तो दी जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उन्होंने प्राइमरी हैल्थ सेंटर मांगने की बात कही है कि हर विलेज में हर प्राइमरी हैल्थ सेंटर दे दें। प्राइमरी हैल्थ सेंटर स्टेट बनाता है, कम्युनिटी हैल्थ सेंटर भी स्टेट बनाता है, हम सिर्फ सब-सेंटर्स देते हैं, जिसके तहत आरसीएच प्रोग्राम चल रहा है। जो 8669 नये सेंटर्स हम बनाने वाले हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि 1991 की जनगणना में पांच हजार की आबादी पर एक सब-सेंटर है, मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें तमिलनाडु के सेंटर्स नहीं हैं, उनके यहां पूरे हैं फिर भी मैं एक बार इसकी जांच करा लूंगी और सही जानकारी माननीय सदस्य को दे दूंगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में देश के तमाम राज्यों को तीन श्रेणी में जनसंख्या बढ़ोत्तरी के हिसाब से रखा है – एक कैटेगरी वह है जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत से कम है, दूसरी कैटेगरी वह है जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 पहुंच गयी है और तीसरी कैटेगरी में वे राज्य हैं जो तीन प्रतिशत से फाजिल हैं। तीन प्रतिशत से फाजिल राज्यों में बिहार,

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान हैं। हम लोगों को बीमारू कहा जाता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कृपा करके चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक जनवरी माह में की थी। जनसंख्या वृद्धि देश की सबसे बड़ी समस्या है। हम जानना चाहते हैं कि ये चारों राज्य जो जनसंख्या नियंत्रण में देश में सबसे पीछे हैं, सरकार ने क्या इनके पीछे रहने के कारणों का पता लगाया है? गरीबी की वजह से, अशिक्षा की वजह से या किसी और वजह से वहां जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आ रही है क्या सरकार ने इस बारे में पता लगाया है? साथ ही उन कारणों के समाधान के लिए क्या सरकार की ओर से कोई प्रयत्न किया गया है। सरकार न तो प्रोत्साहन देने के लिए और न ही दंडात्मक कार्यवाही करने पर सहमत है जिससे नेशनल एवरेज में ये राज्य आ जाएं। पंचायती राज को समेट करके, सभी लोगों में अवेयरनैस बढ़ाकर और कोई विशेष परियोजना बनाकर क्या सरकार कोई उपाय कर रही है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय सांसद की जानकारी के लिए पहले मैं यह बता दूं कि तीन वर्गीकरण जो किये गये हैं – उनमें एक वर्ग वह है जो राज्य 2.1 प्रतिशत से कम हैं, दूसरा, जिनका फर्टिलिटी रेट 2.1 प्रतिशत से 3.00 प्रतिशत तक है और तीसरी जिनका प्रतिशत 3 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है। इनमें तीन प्रतिशत से ऊपर वाले केवल चार राज्य नहीं हैं जिनका नाम माननीय सांसद महोदय ने लिया है बल्कि उसमें 12 राज्य हैं, लेकिन जिनकी हमें चिंता है, और वे हैं बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उसमें मेघालय भी आता है। लेकिन अगर मेघालय में प्रतिशत तीन से ऊपर है तो भी देश का औसत उससे नहीं बिगड़ता है। चूंकि इन चार राज्यों में देश की 44 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, ये राज्य जब तीन प्रतिशत से ऊपर रहते हैं तो उससे देश का औसत बिगड़तां है। इसलिए मैंने इन चार राज्यों की बात अलग से की है। आपने पूछा कि सरकार की तरफ से क्या प्रयास किये गये हैं। हमने 8 राज्यों का ईएजी, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया है जिनमें चार राज्य ये भी हैं और तीन नवगठित राज्य उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अतिरिक्त उड़ीसा शामिल है। इन आठ राज्यों का एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी उनकी बैठक लेते हैं। जैसा आपने अभी कहा कि इन चार राज्यों की स्पेशल बैठक ली गयी। आपने कारण पूछे हैं कि वहां एवरेज कम-ज्यादा जनसंख्या की क्यों है? उसके कारण तीन हैं। दो तो आपने स्वयं गिनाए – गरीबी और अशिक्षा और तीसरा प्रशासन की कमजोरी है। ये तीन मिलकर ऐसे कारण बनते हैं कि जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाये जाते हैं, वे अच्छा प्रशासन न होने के कारण, गरीब लोगों तक उनका लाभ नहीं पहुंचता है। वहां शिक्षा पहुंची नहीं है। प्रथम वर्गीकरण के जो राज्य हैं वे 2.1 प्रतिशत से कम इसलिए रह गये क्योंकि महिला-शिक्षा का स्तर वहां बहुत ऊंचा है। इसलिए जो भी योजना आप बनाते हैं, जो भी जानकारी देते हैं, शिक्षित महिला को स्वयं ही जानकारी मिल जाती है और वह स्वयं स्मॉल-फैमिली-नार्मस को एडॉप्ट करती है। लेकिन गरीबी, अशिक्षा और अच्छा प्रशासन न होने के कारण जितनी भी योजनाएं केन्द्र की ओर से चलाई जाती हैं, उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है।

यही कारण है कि आज बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान पीछे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यदि हम इसे डरते-डरते हल करने की कोशिश करेंगे तो यह प्रश्न हल नहीं होगा और ठोस कदम उठाए बगैर यह प्रश्न हल नहीं होगा। जिन्होंने पुराने जमाने में इसकी आलोचना की थी, वे भी इसे हल करने से डर रहे हैं और जिन के खिलाफ आलोचना हुई थी, वह भी उसके बारे में ज्यादा जोर से बोलने में डर रहे हैं इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। 1992 से यह बिल लम्बित है तो इसके लिए दूसरों की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि इस बारे में यहां माननीय सदस्य क्या-क्या बोल रहे हैं? यदि उसे ध्यान में रख कर कोई पहल की जाएगी तो मुझे ऐसा लगाता है कि कोई न कोई उसमें से रास्ता निकल कर आएगा और ऐसी जरूरत भी है। मैं कहना चाहूंगा कि ''हम दो, हमारे दो'' कहने की बजाय ''हम दो, हमारा एक'' कहने से ही यह सवाल हल हो सकता है। चाइना ने इसी प्रकार से ही किया है। हम सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या वह हिम्मत करके सभी लोगों को साथ लेने की कोशिश करने की पहल करके, सिर्फ हम करेंगे, आगे आएंगे यह न कहते हुए, इस समस्या को हल करना चाहेंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैं शिवराज जी से कहना चाहूंगी कि ठोस कदम और जोर-जबर्दस्ती में अन्तर होता है। ठोस काम और जोर-जवर्दस्ती में मूल अन्तर होता है। आलोचना किस की हुई थी – वह जोर-जबर्दस्ती की हुई थी। ठोस कदम उठाने से कोई नहीं डर रहा है। दूसरी बात, उन्होंने कही कि यह बिल 1992 से लम्बित क्यों है, क्या सब को सहमति की आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सब की सहमति की आवश्यकता इसलिए है कि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है इसलिए मैंने कहा कि जब तक टू थर्ड प्रैजेंट ऐंड वोटिंग सदन में नहीं जुटता तब तक यह विधेयक पारित नहीं हो सकता। इसलिए अभी मैंने यह बात आपके सामने कही कि अगर इसमें सहमति सब की बन रही है और जैसा उत्साह आज़ सदन में दिखायी दे रहा है, यही उत्साह अगर बरकरार रहता है तो

इसे पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि यह बिल राज्यसभा में है और वहां सरकार का बहुमत नहीं है इसलिए यह पहले राज्य सभा में पारित होगा, फिर लोक सभा में आएगा। यहां सभी दलों के नेता बैठे हैं और उन्हीं पार्टीज के सदस्य राज्यसभा में है। अगर आज हम यह तय करते हैं कि विभिन्न दलों के नेता राज्य सभा के सदस्यों को यह निर्देश देंगे कि यह बिल वहां से पारित करवाएं तो मैं सदन में खड़े होकर यह आश्वासन देती हूं के 21 तारीख से शुरू होने वाले सत्रावकाश के बाद मैं यह बिल पारित कराने के लिए तैयार हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील : हम वोटिग से पहले कोई ठोस जवाब देना नहीं चाहने हैं। हम क्या कर रहे हैं, यदि उसका अर्थ सरकार की समझ में नहीं आए तो हमारी मजबूरी है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : इस बारे में सरकार का जवाब आ गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में कई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। कई सदस्य अपना हाथ उठा रहे हैं। वे इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। मुझे एक सुझाव दिया गया है कि जिन सदस्यों के एक या दो बच्चे हों उन्हें ही प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि इस सुझाव पर विचार किया जाए। श्री रामदास आठवले इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं नहीं जानता कि उनके कितने बच्चे हैं। मैंने उस नियम को श्री रामदास आठवले पर लागू नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, 1992 में इससे संबंधित बिल लोक सभा में आया लेकिन इसका इम्पलीमैंटेशन अभी तक नहीं हुआ। शिवराज पाटील जी ने बताया कि अब ''हम दो हमारा एक'' नारा होना चाहिए। चाइना ने पापुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जबर्दस्त संघर्ष किया। हमें भी उसी तरह का संघर्ष करना पड़ेगा और आर्थिक व सामाजिक तौर पर भारत को मजबूत बनाने के लिए पापुलेशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इस बारे में कानून अभी आएगा। उस कानून में ''हम दो, हमारे दो'' या ''हम दो, हमारा एक'' जैसी जो भी बात होगी, लेकिन उसके पहले जिन के 3-4-5-6 या 10-12 बच्चे होंगे, वे लोग कोर्ट में जा सकते हैं और वहां कहेंगे कि कानून अभी आया है लेकिन उसके पहले मेरे बच्चे बहुत ज्यादा थे और उस समय ऐसा कानून नहीं था। हमारे सामने यह समस्या है। आप लोक सभा और विधान सभा का चुनाव लड़ने वालों के लिए यह कानून लाएंगे, लेकिन इससे पापुलेशन कम होने वाली नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह है कि यह कानून हर आदमी पर लागू होना चाहिये, चाहे व इलैक्शन लड़े या न लड़े, क्योंकि हर फैमिली के लिये इस कानून की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी कह रही थीं कि वे 21 तारीख को इस आशय का एक बिल लायेंगी। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक वे क्या कर रही थीं। इस सरकार को आये हुये चार साल हो गये हैं। यहां प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हुये हैं। आप पापुलेशन कम करना चाहते हैं, इस देश को मजबूत करना चाहते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि 1992 से लेकर अब तक यह बिल क्यों नहीं आया? अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 21 तारीख को इस सैशन में इस बिल को वे लाना चाहती हैं। यदि दो-तिहाई मेजौरिटी रही, लेकिन जो इसे सपोर्ट नहीं कर रहे, वे इलैक्शन में हार जायेंगे। इसलिये इस बिल को हर आदमी को सपोर्ट करना है। हम लोगों को पापुलेशन कंट्रोल करना है, यह हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको आश्वासन देते हैं। इस सैशन में इस बिल को लाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले जी, मैंने आपका प्रश्न समझा नहीं, आप फिर से पूछिये।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष जी, इस सैशन में बिल लाने की आवश्यकता है, अगर इस सैशन में बिल को नहीं लायेंगे तो फिर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि श्री रामदास आठवले के कितने बच्चे हैं...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : ऐसा लगता है कि उनके दो से अधिक बच्चे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि आपने प्रश्न पूछने के अधिकार पर एक शर्त लगाई। मैं उत्तर देने का पूरा-पूरा अधिकार रखती हूं क्योंकि मैंने उस नारे को साकार किया है – 'हम दोनों एक, हमार एक' जो 'हम दो हमारे दो' से भी आगे है। मैं एक बच्चे की मां हूं और वह एक बेटी की मां हूं। इसलिये वह आधिकार पूरा-पूरा मेरा है। दूसरी बात माननीय सांसद श्री आठवले जी ने कही कि हम बिल लेकर आयें, इस बिल के विषय में केवल इतना ही हतोत्साहन न रखें कि

जिन लोगों ने चुनाव लड़ना है, उन तक न होकर यह हर परिवार पर नार्म्स लागू होना चाहिये। मैंने कहा कि अगर सर्व सहमति यहां बनती है, हम बिल लाते हैं, इस तरह का संशोधन उसमें आयेगा। चूंकि अभी बिल लम्यित है, उसका प्रारूप तैयार है, अगर उसमें उस तरह का संशोधन आयेगा, सरकार उस पर विचार करेंगी लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह बड़े ही महत्व का प्रश्न है कि हम लोग जो संशोधन लायें, हम लोग जो भी राय बनाये, अगर उसमें राष्ट्रीय सहमति बन जायेगी तो जरूर बिल लायेंगे। इस में 'अगर' वाली बात नहीं है। अगर नहीं लायेंगे, का सवाल ही नहीं उठता। मैं सदन के फर्श पर खड़े होकर कहना चाहती हूं कि आप लोग 'हां' भरिये सहमति बनाइये. मैं बिल लाऊंगी।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देती हूं, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु उपाय किए जाने चाहिए और जहां तक इस देश के विकास का संबंध है, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं।

महोदय, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2002 के अनुसार नागरिकों को परिवार का आकार सीमित करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में किए गए निर्णयों की स्वैच्छिक जानकारी की स्वतंत्रता दी है। लेकिन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के विपरीत प्रेस में ऐसा प्रभावित हुआ है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार देश के कई भागों में मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से अनिवार्य उपाय किए जाते हैं और यहां तक कि इस प्रयोजनार्थ प्रतिबंधित गर्भनिरोधकों का भी प्रयोग किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. प्रेमाजम कृपया सीधे प्रश्न पूछिए। अन्यथा समयाभाव के कारण उत्तर देना सम्भव नहीं होगा।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रही हूं। परिवार कल्याण कार्यक्रमों का इतिहास बताता है कि इससे महिलाओं को ही नुकसान हुआ है। इसलिए, मैं जानना चाहती हूं कि क्या अब परिवार को छोटा करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों के तहत अनिवार्य उपाय किए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, कोई कम्पलसरी मैजर्स प्रोगाम नहीं चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में इस तरह की कोई सहमति नहीं बनी थी इसलिये वौलैंटरी एप्रोच अपनाई जा रही है। कुछ राज्य सरकारों ने डिसइंसैटिव देते हुये कुछ ऐसे एक्ट्स पास किये हैं। उन एक्ट्स के मुताबिक अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके दो बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिये। इसी तरह से कुछ डिसइनसैंटिव/इनसैंटिव वे देते हैं। कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाये हैं लेकिन कंपलसरी मैजर्स अडाप्ट नहीं किये गये हैं।

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशी जेलों में बंद भारतीय

***383. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी जेलों में बड़ी संख्या में भारतीय बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और 31 मार्च, 2003 तक देश-वार कितने लोगों को सजा हुई और कितने छोड़े गये/भारत वापस लाये गए; और

(घ) सरकार द्वारा शेष बचे कैदियों की रिहाई के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेश स्थित भारतीय मिशनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(घ) भारतीय मिशन विदेश जेलों में कैद भारतीय राष्ट्रिकों को सभी संभव सहायता प्रदान करते हैं। इस सहायता में इन भारतीय राष्ट्रिकों के साथ मुलाकात करना शामिल है ताकि कोई अन्याय न हो, मुकदमें को सुविधाजनक बनाया जा सके और जेलों में रहन-सहन की बेहतर स्थिति और बेहतर व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

क्रम सं.	देश	विदेशी जेलों में सड़ रहे भारतीयों की संख्या और उनका ब्यौरा	पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कैदी और कैद मुक्त भारत में वापिस लाए गए व्यक्तियों की संख्या			टिप्पणी
			2000-01	2001-02	2002-03	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अल्जीरिया	शून्य	शून्य	शून्य	1/1	
2.	अर्जेंटाइना	3 नजरबंद	शून्य	शून्य	9/9	
3.	अर्मीनिया	1	1			
4.	अस्ट्रेलिया	2	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	आस्ट्रिया	शून्य	18	11	4	
6.	अजरबेजान	शून्य	2/2	शून्य	शून्य	
7.	बहरीन	119	400/312	212/148	20/87	
8.	बंगलादेश	आंकड़े प्राप्त नहीं	20	421	850	
9.	बेल्जियम	14	शून्य	शून्य	शून्य	
10.	बोलिविया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
11.	बोत्स्वाना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
12.	ब्रुनई	शून्य	5/5	3/3	1/1	
13.	बल्गेरिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
14.	बर्किना फासो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
15.	कम्बोडिया	1	शून्य	शून्य	शून्य	
16.	कनाडा	3	शून्य	शून्य	शून्य	
17.	मध्य अफ्रीका गणराज्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
18.	चिले	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
19.	चीन	शून्य	शून्य	2/2	1/1	

1	2	3	4	5	6	7
20.	कोलम्बिया	शून्य	6/6	6/5	शून्य	
21.	कोमरन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
22.	कोट डी आवरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
23.	क्रोएसिया	शून्य	0/6	0/1	0/2	
24.	साइप्रस	2003 में 31 मार्च तक 46 गिरफ्तार किए गए जिनमें से 37 निर्वासित और 8 कैद मुक्त किए गए अभी भी एक बंदी है जो 5.5.03 तक रहेगा।	91/61/30	73/37/36	102/53/48	
25.	चेक गणराज्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
26.	ई ओर सल्वेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
27.	फिजी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
28.	जर्मनी	शून्य	363/155	894/244	237/41	इनमें से आपात प्रमाण-पत्र के आधार पर गैर-कानूनी रूप के भारत में में भारतीयों की संख्या 2000 - 166 : 2001 - 139, 2002 - 68 जनवरी से मार्च, 03 - 25
29.	घाना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
30.	गिनी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
31.	हांगकांग	39	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	
32.	हंगरी	10	0/51	0/2	शून्य	
33.	इरान	4	6	8	7	
34.	आयरलैंड	शून्य	शून्य	1/0	शून्य	
35.	इजराइल	9	98/0	77/0	56/9	

1	2	3	4	5	6	7
36.	इटली	इटली की जेलों में इस समय 39 भारतीय कैदी हैं जो काफी समय से बंदी हैं।	शून्य	शून्य	शून्य	
37.	जार्मिया	शून्य	8/8	14/14	10/10	
38.	जापान	4	4/491	0/469	1	
39.	जोर्डन	4	0/9	0/11	0/2	
40.	कुवैत	बहुत कम जेल में हैं।	203/93	162/195	162/150	
41.	लेबनान	180 भारतीय अनधिकतर रूप से स्वयं जेल में हैं।	53/35	260/24	180/08	
42.	लिबेरिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
43.	लिब्या	1	2/1	शून्य	शून्य	
44.	मेकडोनिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
45.	मेडागास्कर	2	2/0	2/2	शून्य	
46.	मलेशिया	311	0/1440	0/1563	0/458	
47.	मालदीव	32	76/150	116/168	91/152	
48.	मेक्सिको	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
49.	मंगोलिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
50.	मोजाम्बिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
51.	म्यांमार	4	6/13	10/5	11/5	
52.	नामिबिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
53.	निकारागुआ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
54.	नाइजर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
55.	ओमान	22	0/89	0/221	0/210	

1	2	3	4	5	6	7
56.	पाकिस्तान	1. सिविल कैंदी 883 2. मछुआरे 245 3. गायब रक्षा कार्मिक 054				
57.	पनामा	3	शून्य	शून्य	शून्य	
58.	पेरू	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
59.	पोलैंड	1	37/26	153/66	72/38	
60.	पुर्तगाल	2	2/0	शून्य	शून्य	
61.	कतर	36	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	
62.	रूस	6	0/4	0/1	0/5	
63.	साऊदी अरब	वर्ष 2000 में 1677 वर्ष 2001 में 1096 वर्ष 2002 में 1091 वर्ष 2003 में 69	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	
64.	सीरिया ल लिऑन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
65.	सिंगापुर	43	0/2975	0/3115	0/439	
66.	द. अफ्रिका	6				
67.	सुडान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
68	स्वीडेन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
69.	स्विटजरलैंड	1	शून्य	शून्य	शून्य	
70.	ताजिकिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
71.	तंजानिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
72.	टोगो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
73.	ट्यूनेशिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
74.	टर्की	2 पुलिस हिरासत में	22/3	2/0	4/120	

1	2	3	4	5	6	7
75.	यू ए ई	यू ए ई की विभिन्न जेलों में नवम्बर 2002 को 2214 भारतीय थे जिनमें से 923 पकड़े गए कैदी और 1291 है जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है।				
76.	यूगांडा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
77.	उक्रेन	2		24	61	
78.	यूएसए	वर्ष 2002 में 42, 2001 में 54 2002 में 53 2003 में 23	32/47	54/36	29/22	
79.	उजबेकिस्तान	शून्य	1/0	0/1	2/2	
80.	वियतनाम	शून्य	1/1	शून्य	शून्य	
81.	यमन	शून्य	शून्य	3/3	शून्य	
82.	युगोस्लाविया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
83.	जिम्बाबे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

[अनुवाद]

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण

***384. श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दूरसंचार कंपनियों की सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी कराये गए सर्वेक्षण से पता चला है कि बड़े निजी सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं को विश्वसनीयता, नेटवर्क कार्य निष्पादन और उपलब्धता के संबंध में नियामक द्वारा नियत मानदण्डों को अभी भी पूरा करना है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो इसका ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(क) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में बताया गया है कि कुछ निजी सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं को सेवा की गुणवत्ता संबंधी ट्राई के विनियम में निर्धारित मानदण्डों को अभी पूरा करना है।

(ख) ट्राई द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जन साधारण के सूचनार्थ उक्त निष्कर्षों को प्रकाशित किया गया है तथा इंटरनेट पर ट्राई के वेबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू ट्राई जीओवी इन) पर भी इन्हें दर्शाया गया है। ऐसा मुख्यत: विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए

किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को स्वयं सेवा प्रदाता का चयन करने में मदद मिलेगी तथा इससे सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु भी उन पर दबाव पड़ेगा।

विवरण

क्रमांक	पैरामीटर	सीएमटीएस लाइसेंसधारकों की संख्या जिन्होंने सेवा की गुणवत्ता (क्यू ओ एस) संबंधी मानदंड पूरे किये हैं	सीएमटीएस लाइसेंसधारकों की संख्या जिन्होंने सेवा की गुणवत्ता (क्यू ओएस) संबंधी मानदंड पूरे नहीं किये	सीएमटीएस लाइसेंसधारकों की संख्या जिनके पास डेटा उपलब्ध था
1.	उपभोक्ता द्वारा रिपोर्ट कराई गई दोष संबंधी शिकायतें (अप्रैल से जून 2002 तक)	36	1	37
2.	गुड वॉइस क्वालिटी से युक्त कॉलों का प्रतिशत (अप्रैल से जून 2002 तक)	32	1	33
3.	उपभोक्ता द्वारा रिपोर्ट कराई गई बिल संबंधी शिकायतें (अप्रैल से जून 2002 तक)	15	24	39
4.	नेटवर्क कार्य-निष्पादन, विश्वसनीयता और उपलब्धता के संबंध में उपभोक्ता की संतुष्टि (अक्तूबर 01 से जून 02 तक)	शून्य	39	39
5.	समग्र सेवा के संबंध में उपभोक्ता की संतुष्टि (अक्तूबर 01 से जून 02 तक)	14	25	39

उपर्युक्त पैरामीटरों के संबंध में ट्राई के सेवा की गुणवत्ता (क्यू ओ एस) संबंधी मानदंड:-

1. उपभोक्ता द्वारा रिपोर्ट कराई गई दोष संबंधी शिकायतें:- दोष दर प्रति 100 उपभोक्ता प्रति माह 2 से कम होनी चाहिए।
2. गुड वॉइस क्वालिटी से युक्तकालों का प्रतिशत:- 92% से अधिक होना चाहिए।
3. उपभोक्ता द्वारा रिपोर्ट कराई गई बिल संबंधी शिकायतें:- बिल संबंधी शिकायतें प्रति 100 उपभोक्ता 0.15% प्रति माह से कम होनी चाहिए।
4. नेटवर्क कार्य-निष्पादन, विश्वसनीयता और उपलब्धता के संबंध में उपभोक्ता की संतुष्टि:- 90% से अधिक होनी चाहिए।
5. समग्र सेवा के संबंध में उपभोक्ता की संतुष्टि:- 85% से अधिक होनी चाहिए।

मलेशिया में सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों का उत्पीड़न

***385. श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मलेशिया और लंदन में सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों समेत बड़ी संख्या में भारतीयों को निरुद्ध किया गया और पुलिस द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित अधिकारियों के साथ यह मुद्दा उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना) : (क) से (ङ) **मलेशिया**

9 मार्च, 2003 को 195 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को मलेशियाई पुलिस द्वारा, इनके वीजा की स्थिति के बारे में पूछताछ के लिए निरुद्ध किया गया। इस मामले को मलेशियाई प्राधिकारियों के समक्ष कड़ाई से उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप उनमें से 185 को उसी दिन, सात अन्य को बाद में छोड़ दिया गया और शेष तीन को, निश्चित अवधि से अधिक समय तक रुकने के आरोप में अब स्वदेश लौटा दिया गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री सहित मलेशियाई नेताओं से इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुई क्षमा प्रार्थना की है।

भारत सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में अपना गंभीर रुख जता दिया है।

लन्दन

डच प्राधिकारियों से प्राप्त एक प्रत्यर्पण आदेश के आधार पर, यूनाईटिड किंगडम की पुलिस द्वारा आइ-फ्लेक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सेंथिल कुमार को लन्दन में 26 मार्च, 2003 को गिरफ्तार कर लिया गया। आई-फ्लेक्स के विरुद्ध डच प्राधिकारियों की ओर से कम्पनी का यद्यपि कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथापि नई दिल्ली स्थित डच दूतावास द्वारा जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति में, उन्हें निरुद्ध किए जाने का कारण यह बताया गया है कि उन पर नियोजन तथा अनिवार्य कराधान से बचने का सन्देह था।

सरकार ने नई दिल्ली और द हेग एवं लन्दन स्थित डच एवं यूनाइटिड किंगडम के प्राधिकारियों के साथ इस मामले को कड़ाई से उठाया है। भारत सरकार ने इन तर्कों को खारिज कर दिया है। सरकार इस मामले को आर्थिक संरक्षणवाद के एक उदाहरण के रूप में देखती है। श्री सेंथिल कुमार को लन्दन की एक अदालत द्वारा 2 अप्रैल, 2003 को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटिड किंगडम और नीदरलैण्ड्स की सरकारों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है कि श्री कुमार को नीदरलैण्ड्स प्रत्यर्पित करने की मांग करने वाले इंटरपोल के आदेश को वापस ले लिया जाए।

गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन-2003

***386. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्वालालम्पुर में हाल में संपन्न गुटनिरेपक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में जिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या उन्होंने सदस्य देशों से एक वैश्विक गरीबी उन्मूलन कोष की स्थापना का आह्वान किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके सुझाव को स्वीकार किया गया और उसे गुटनिरपेक्ष घोषणा पत्र में शामिल किया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पाकिस्तान ने उक्त शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाया था; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार और अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया रही?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (छ) प्रधानमंत्री ने 23-25 फरवरी तक कुआलालम्पुर में आयोजित गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु थी "गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निरंतर संवर्द्धन" इसके अतिरिक्त बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार, वैश्विक आतंकवाद, उत्तर दक्षिण क्रियाकलाप का महत्व, दक्षिण–दक्षिण सहयोग, वैश्वीकरण और स्थायी विकास जैसे सामयिक प्रासंगिक विषयों पर भी व्यापक चर्चा की गयी। फिलीस्तीन और इराक की स्थिति पर भी चर्चा हुई। शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सतत् संवर्द्धन से संबंधित कुआलालम्पुर घोषणा पारित की गयी। इसमें इराक, फिलीस्तीन पर एक वक्तव्य भी पारित किया गया और विभिन्न मसलों पर हुई सहमति को परिलक्षित करने वाली एक अंतिम विज्ञप्ति जारी की गयी।

शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री ने वैश्विक गरीबी उपशमन कोष बनाये जाने के लिए गुटनिरपेक्ष सदस्यों का आह्वान नहीं किया।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में जम्मू और कश्मीर के बारे में कुछ पूर्णत: अवांछनीय टिप्पणी की जो द्विपक्षीय मसलों से परहेज करने की नाम की पुरानी स्वस्थ परंपरा के विपरीत है। मुशरर्फ के अस्वीकार्य वक्तव्यों प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विडंबना है कि जो देश जम्मू और कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध हिंसा करने वाले आतंकवादियों को उकसाता रहा है वह आज अंतर्राष्ट्रीय मानवीय व्यवस्था की बात कर रहा है। शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान को किसी देश का समर्थन नहीं मिला। वह इतना अकेला हो गया कि उसे उत्तर भी नहीं देने दिया गया।

विद्युत वित्त निगम का विनिवेश

*387. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (पीएफसी) का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम को इससे ऋण प्राप्त करने वालों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्युत मंत्रालय ने उक्त निगम के निजीकरण करने के किसी भी कदम का विरोध किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निगम के निजीकरण के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं। विद्युत वित्त निगम उन कई हस्तियों में से एक है जिन पर विनिवेश आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अंधापन और कुष्ठ रोग का उन्मूलन

*388. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्त के दौरान विभिन्न राज्यों को अंधेपन और कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए कितनी केन्द्रीय अनुदान सहायता प्रदान की गई;

(ख) इस वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय सहायता या अनुदान सहायता को खर्च करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान दोनों स्कीमों के लिए सामग्रीगत सहायता सहित राज्यों को जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार ने दोनों स्कीमों के लिए बजट आबंटन सहित सहायता अनुदान के उपयोग के बारे में विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिद्रेशों में ऐसे कार्यकलाप शामिल हैं जिनके लिए सहायता अनुदान का उपयोग किया जाना है और साथ ही इनमें मासिक/तिमाही कार्यनिष्पादन एवं व्यय रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा परीक्षित रिपोर्ट एवं समुपयोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना भी शामिल है।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई राशि	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	808.30	179.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.65	115.96
3.	असम	35.70	97.48

1	2	3	4
4.	बिहार	126.74	855.85
5.	छत्तीसगढ़	169.37	354.41
6.	गोवा	11.43	8.10
7.	गुजरात	210.31	99.65
8.	हरियाणा	49.77	43.89
9.	हिमाचल प्रदेश	62.03	30.45
10.	जम्मू एवं कश्मीर	84.26	96.39
11.	झारखण्ड	123.40	257.46
12.	कर्नाटक	343.59	122.66
13.	केरल	182.15	69.36
14.	मध्य प्रदेश	658.01	676.61
15.	महाराष्ट्र	629.54	263.14
16.	मणिपुर	15.34	101.25
17.	मेघालय	33.71	46.24
18.	मिजोरम	31.94	76.50
19.	नागालैंड	23.37	112.44
20.	उड़ीसा	306.26	478.63
21.	पंजाब	190.30	40.27
22.	राजस्थान	509.37	52.32
23.	सिक्किम	20.66	39.36
24.	तमिलनाडु	1,609.53	240.63
25.	त्रिपुरा	44.01	33.60
26.	उत्तर प्रदेश	1,070.95	1,508.04
27.	उत्तरांचल	134.77	120.01
28.	पश्चिम बंगाल	318.87	599.55
29.	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	1.59	20.22
30.	चंडीगढ़	20.37	10.13
31.	दादरा एवं नगर हवेली	6.44	6.00
32.	दमन एवं दीव	5.00	14.50
33.	दिल्ली	28.62	93.42
34.	लक्षद्वीप	1.59	7.26
35.	पांडिचेरी	7.39	6.00
	योग	7,898.31	6,877.00

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य परिचर्या

***389. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के लिए स्वास्थ्य परिचर्या अभी भी शिशु-जन्म और शिशु-जन्म के बाद के शुरूआती दिनों तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति के लिए कौन-से कारक उत्तरदायी हैं; और

(ग) महिलाओं को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) 15-19 वर्ष की प्रजनन आयु वर्ग वाली महिलाओं को गर्भधारण और बाल जन्म संबंधी कारणों से अधिक रुग्णता और मौतें होने का खतरा होता है। भारत के महारजिस्टार की नमूना पंजीयन प्रणाली (एस आर एस 1998) द्वारा उपलब्ध कराए गए मातृ मृत्यु अनुपात संबंधी आकड़ों के आधार पर यह अनुमान है कि भारत में लगभग 1.1 लाख महिलाओं की हर वर्ष गर्भधारण और

बाल जन्म संबंधी कारणों से मृत्यु हो जाती है। मौजूदा कार्यनीतियों और कार्यक्रमों को व्यापक रूप से सम्पूरित करने के लिए प्रजनन एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है ताकि मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाई जा सके। इन कार्यकलापों में अनिवार्य प्रसूति परिचर्या, आपाती प्रसूति परिचर्या, पंचायतों के माध्यम से गर्भ धारण से जोखिमपूर्ण गर्भावस्था वाली गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल परिवहन सुविधा, प्रथम रेफरल यूनिटों में औषधियों और उपकरणों की व्यवस्था, अतिरिक्त सहायक नर्स मिडवाइफ (ए एन एम), स्टाफ नर्स जैसे कर्मचारियों की संविदा आधार पर व्यवस्था करना तथा संवेदनाहरण विज्ञानियों (एनिसथिटिस्ट) की सेवाएं भुगतान पर लेना शामिल हैं। सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पुरुषों और महिलाओं, दोनों को गहन स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने पर समान रूप से बल दिया गया है।

इस प्रमुख समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकारों ने राज्य बजट में पर्याप्त प्रावधान करके तथा अपने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में विद्यमान सुविधाओं के माध्यम से महिलाओं को बच्चे के जन्म के समय तक और बच्चे के जन्म के बाद आरम्भिक वर्षों में भी व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के कई कदम उठाए हैं।

महिलाओं में सर्विकल और स्तन कैंसर का आरम्भिक स्थिति में ही पता लगाने और उसका उपचार करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, भारत सरकार के परिवार कल्याण विभाग और राज्य सरकारों के सहयोग से एच आई वी/एड्स तथा प्रजननमार्गीय संक्रमणों और यौन संचारित संक्रमणों (आर टी आई/एस टी आई) पर राष्ट्रव्यापी परिवार स्वास्थ्य जागरुकता अभियान चलाता है और अभियान की अवधि में प्रजननमार्गीय संक्रमणों और यौन संचारित संक्रमणों का उपचार भी करता है। इस बात के भी प्रमाण मिल रहे हैं कि गुणसूत्रीय और चयापचयी (मेटाबालिक) विकार तथा विटामिन डी जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी विशेषरूप से रजोनिवृत्ति-पूर्व एवं रजोनिवृत्ति-बाद की आयु वाली महिलाओं में रुग्णता और मृत्यु पर काफी प्रभाव डालती हैं। इन बीमारियों के लिए मौजूदा अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सम्पर्क

***390. श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजीटल अन्तराल को पाटने के लिए आन्ध्र प्रदेश के दूरवर्ती क्षेत्रों में एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की गई है जैसा कि दिनांक 15 मार्च, 2003 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के फोन और सुविधाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता और राजसहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) रूरल टेलीकॉम फाउंडेशन (आरटीएफ) नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने प्रयोग के तौर पर 13.9.2002 को आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के कलेदा गांव में अपनी स्वयं की पहल पर एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है। इस प्रयोग को "ग्राम फोन" स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसमें पवर्तगिरी एक्सचेंज से सामान्य रूप में अलग-अलग उपभोक्ताओं को दी गई 65 सीधी एक्सचेंज लाइनों का उपयोग किया गया है। इस प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य एक सीधी टेलीफोन लाइन की अन्य 3 निकटवर्ती घरों द्वारा समांतर लाइनों के रूप में साझेदारी करके और अधिक ग्रामीण घरों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना है। समांतर लाइनों में आउटगोइंग कॉल करने की सुविधा नहीं है और कुछ घरों में इनकमिंग कालों को सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

(ग) से (च) इस प्रयोग के परिणामों पर गौर किया जाएगा। इस प्रकार की टेलीफोन की संयोजकता में कुछ कठिनाइयां हैं जो प्राय: कई टेलीफोनों के समांतर संयोजन के कारण हैं, जैसे कि गोपनीयता का अभाव, आउटगोइंग कॉलों के लिए लीडर पर निर्भरता, बिल संबंधी विवाद, दोष उत्पन्न होने की संभावनाओं में वृद्धि, बातचीत को ठीक से नहीं सुन पाना, आदि। अत: उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई टेलीफोन सेवा बीएसएनएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने में ध्यान में रखे जाने वाले मानकों के अनुरूप नहीं है। तथापि, सरकार छ: माह के पश्चात् इस प्रयोग के परिणामों की समीक्षा करेगी और यह मूल्यांकन करेगी कि क्या इस प्रयोग को अन्य स्थानों पर दोहराया जाना उपयुक्त होगा।

'फेडरल इंवेस्टिगेटिव ब्यूरो' का सृजन

*391. **श्री सी. कुप्पुसामी :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर से कार्य का बोझ कम करने के लिए 'फेडरल इंवेस्टिगेटिव ब्यूरो' के सृजन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कौन-कौन से कार्य सौंपे जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इसके द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या वर्तमान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो है कार्य बोझ निपटने में असमर्थ है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यकरण में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) यद्यपि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपने कार्य-बोझ से निपट रही है, संगठन के कार्य निष्पादन में सुधार लाने की चल रही प्रक्रिया के भाग के रूप में संगठन की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान और भारतीय खेल-कूद प्राधिकरण की भूमिका

*392. **श्री जी.एस. बसवराज :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान और भारतीय खेल-कूद प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य और इनकी भूमिका क्या है;

(ख) इन प्राधिकरणों के गठन के बाद इनके द्वारा प्रशिक्षित कितने खिलाड़ी ओलंपिक खेलों की फाइनल स्पर्धा में पहुंचे और कितने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने में इनका क्या योगदान रहा;

(ग) क्या ये प्राधिकरण अच्छे प्रशिक्षक तैयार करने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना वर्ष 1961 में, देश में वैज्ञानिक ढंग से खेलों का विकास करने और विभिन्न खेल विधाओं में उच्च योग्यता वाले प्रशिक्षकों को तैयार करने के विस्तृत उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान अब भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के साथ वर्ष 1987 में अपने विलय के पश्चात उसके एक शैक्षणिक स्कन्ध के रूप में कार्य कर रहा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य देश में खेलों के संवर्धन एवं विकास के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना है। यह प्राधिकरण राज्य सरकारों, राज्य खेल परिषदों, भारतीय ओलम्पिक संघ, राष्ट्रीय खेल परिसंघों और इसी प्रकार के मिलते-जुलते अन्य राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ, खेलकूद तथा सम्बद्ध विषयों से संबंधित मामलों पर उनके साथ तालमेल रखता है।

(ख) से (घ) भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपनी योजनाओं के आरंभ होने से लेकर, विभिन्न खेल संवर्धनकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से 229 ओलंपिक्स/अंतर्राष्ट्रीय एथलीट तैयार किये हैं। ऐसे कई एथलीटों, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल की है, उन्हें नेताजी सुभाष क्रीड़ा संस्थान, पटियाला में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला और भारतीय खेल प्राधिकरण के अन्य शैक्षिक स्कन्धों ने 2001-2002 तक के शैक्षिक सत्रों में 25 खेल विधाओं में 13603 कोच तैयार किये हैं जिसमें विदेशों से आये 470 प्रशिक्षक भी शामिल हैं। एस.ए.आई. प्रशिक्षकों को समय-समय पर, विभिन्न खेल विधाओं के लिये राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

(ङ) प्रशिक्षकों के कार्यनिष्पादन और योग्यता में आगे और सुधार लाने और उनके कौशल को विकसित करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान और इसके शैक्षणिक स्कन्ध, प्रशिक्षण और खेल चिकित्सा पर अनेक डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। छः सप्ताह की अवधि वाला एक उन्नत पाठ्यक्रम प्रशिक्षकों को खेल प्रशिक्षण

में नवीनतम तकनीकों तथा प्रत्येक विशेष खेल विधा में वैज्ञानिक समर्थन की भूमिका के बारे में निवेश प्रदान करता है। ऐसे प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है जिन्होंने विदेशों में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार किये हैं।

प्रशिक्षकों को अब संविदा आधार पर नियुक्त किया जाता है और उनके कार्यनिष्पादन की निरन्तर आधार पर समीक्षा की जाती है।

सी.आर.एफ. योजनाएं

*393. **चौ. तालिब हुसैन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के पास मंजूरी के लिए सी.आर.एफ. के अंतर्गत प्रस्तुत की गई योजनाओं के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा अब तक राज्यवार कौन सी योजनाएं मंजूर की गई हैं;

(ग) शेष योजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या जम्मू और कश्मीर को सी.आर.एफ. और सड़कों के निर्माण के लिए अन्य केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के दूर-दराज और पर्वतीय राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के तहत अनुमोदन हेतु विभिन्न राज्यों से राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 2558 प्रस्ताव प्राप्त हुए। संलग्न विवरण के अनुसार 1796 प्रस्ताव अनुमोदित कर लिए गए हैं। स्कीमों के अनुमोदन के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि स्कीमों का अनुमोदन राज्यों द्वारा धनराशि के उपभोग पर निर्भर करता है।

(घ) 2000-01 से 2002-03 की अवधि में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 91.62 करोड़ रु. जमा हुए हैं। प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य के लिए 37.44 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत 15.98 करोड़ रु. के 7 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(ङ) केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कार्य शुरू किए जाने के लिए खंडों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के तहत प्राप्त और अनुमोदित स्कीमों की राज्यवार सूची

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त स्कीमें		गत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित स्कीमें	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	58	252.94	58	252.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	55.54	16	47.13
3.	असम	149*	228.57	39	67.81

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	78*	448.91	43	129.38
5.	छत्तीसगढ़	42*	205.28	16	75.39
6.	गोवा	4	7.62	.4	7.62
7.	गुजरात	369	241.02	342	215.96
8.	हरियाणा	43	115.54	41	102.13
9.	हिमाचल प्रदेश	30*	75.65	11	27.84
10.	जम्मू और कश्मीर	43*	144.29	25	78.37
11.	झारखंड	7*	48.98	5	26.75
12.	कर्नाटक	258	209.09	201	165.43
13.	केरल	8**	58.71	5	38.08
14.	मध्य प्रदेश	161	879.51	44	189.14
15.	महाराष्ट्र	200*	443.50	106	295.82
16.	मणिपुर	10	20.14	7	13.98
17.	मेघालय	28*	51.91	14	21.40
18.	मिजोरम	26	24.02	23	20.01
19.	नागालैंड	5	10.06	4	7.16
20.	उड़ीसा	101	98.89	101	98.89
21.	पंजाब	91*	208.93	76	160.72
22.	राजस्थान	244*	320.88	188	255.16
23.	सिक्किम	10	8.56	9	5.57
24.	तमिलनाडु	332	225.93	332	225.93
25.	त्रिपुरा	5	9.24	4	7.10
26.	उत्तर प्रदेश	83*	741.14	31	197.08

1	2	3	4	5	6
27.	उत्तरांचल	110*	291.77	23	29.99
28.	पश्चिमी बंगाल	8	96.65	8	96.65
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान और निकोबार	1	2.43	1	2.43
30.	चंडीगढ़	6	11.45	4	6.93
31.	दादरा और नगर हवेली	8	2.51	8	2.61
32.	दमन और दीव	1	1.85	—	—
33.	दिल्ली	16	32.00	5	19.36
34.	लक्षद्वीप				
35.	पांडिचेरी	2	4.50	2	4.50
	जोड़	2558	5578.01	1796	2895.26

*अनुमोदन की अनुमत सीमा से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अनुमत सीमा तक के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

**अभी हाल में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

संचार क्षेत्र में विदेशी निवेश

***394. श्रीमती निवेदिता :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार क्षेत्र में विदेशी कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसका इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों और उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां सरकार द्वारा इस प्रकार का निवेश किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) 1991 से 2002 तक की अवधि के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) लगभग 9,560 करोड़ रुपये है।

(ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण दोनों में दूरसंचार क्षेत्र की तीव्र वृद्धि में सहायता मिली है।

(ग) समग्र दूरसंचार क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। सरकार ने 2000 से 2002 तक की अवधि के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए लगभग 17,500 करोड़ रुपये के लगभग 211 प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। इसके अलावा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मुख्यत: निजी क्षेत्र द्वारा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, बुनियादी टेलीफोन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवाओं और दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण उप-क्षेत्रों में किए जाने की संभावना है।

सरकारी उपक्रमों का विनिवेश

***395. श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मामले में कितने प्रतिशत शेयरों का विनिवेश किया गया और विनिवेश किये गए प्रत्येक उपक्रम में भूमि का मूल्य, परिसंपत्तियों का मूल्य और देयता राशि कितनी थी और प्रत्येक मामले में अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विनिवेश से प्राप्त धनराशि से किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान विनिवेश से प्राप्त धनराशि से किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) विनिवेश किये गये उन सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनमें सरकार का नियंत्रण समाप्त हो गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विनिवेश किये गये उद्योगों का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी और प्रत्येक मामले में लाभ और हानि, उत्पादन और उत्पादकता और कर्मचारियों की स्थिति और रोजगार संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) विनिवेशित शेयरों की प्रतिशतता दर्शाते हुए 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष को पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/इकाइयां और विनिवेशित इक्विटी से प्राप्त धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विनिवेश के पूर्व वर्ष में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तिम लेखा परीक्षित खातों के अनुसार भूमि का मूल्य, परिसम्पत्तियों का मूल्य और देयताओं को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से जुटाई गई धनराशि भारत के संचित कोष में जमा करवाई गई है, जिसका उपयोग सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों के वित्त-पोषण, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए किया जाता है।

(घ) सरकार ने विनिवेश नीति के अनुसरण में संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी इक्विटी का विनिवेश किया है, जिसके अन्तर्गत सभी गैर-महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मामला दर मामला आधार पर 26 प्रतिशत तक अथवा उसके निचले स्तर तक विनिवेश किया जा सकता है।

(ङ) और (च) अनुकूल बिक्री के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश केवल तीन वर्ष पहले ही आरम्भ किया गया था और अधिकतर सौदे पिछले दो वर्षों में ही सम्पन्न हुए हैं। इसके प्रभाव का यथार्थ विश्लेषण करने के लिए अभी पर्याप्त समय नहीं गुजरा है। तथापि, उपाख्यान का साक्ष्य यह सुझाता है कि इसने परिसम्पत्तियों के उत्पादक उपयोग को सुसाध्य बना दिया है जो विकास ओर रोजगार में योगदान करेगा। संबंधित कम्पनियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री और लाभ संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी यह सुझाती है कि रोजगार में कमी कम से कम हुई है। अक्सर यह कमी विनिवेशित कम्पनी की आन्तरिक आवश्यकताओं द्वारा वांछित, पहले आरम्भ की गई पुनर्संरचना के अनुक्रम में है। एक मामले में विनिवेश के बाद रोजगार में वृद्धि हुई है। छंटनी का कोई मामला नहीं हुआ है। कई मामलों में लम्बित वेतन करारों को अन्तिम रूप दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि हुई है।

माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड और पारादीप फॉस्फेटस लिमिटेड, विनिवेश से पूर्व घाटे में चलने वाली कम्पनियां थी। विनिवेश के बाद इन कम्पनियों की बिक्री में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है और घाटे के स्तर में भारी कमी हुई है। इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी थी, जो जून, 2002 में विनिवेशित की गई थी। जैसा कि कम्पनी द्वारा बताया गया है, वर्ष 2002-2003 के पहले नौ महीनों के दौरान सकल कारोबार में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और निवल लाभ में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 104 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बाल्को में, विभिन्न संचालनात्मक और आदान की लागत में कमी आई है, गर्म धातु का उत्पादन बढ़ा है और नया प्रबंधन क्षमता में भारी वृद्धि करने पर विचार कर रहा है।

ये उदाहरण यह दर्शाते हैं कि विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कार्य-कुशलता को बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त किया है जो अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए लाभकारी है।

विवरण-I

अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	विनिवेशित इक्विटी की प्रतिशतता	जुटाई गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
2000-2001		
1. भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. (बाल्को)	51.00	551.50
2001-2002		
1. एच टी एल लिमिटेड	74.00	55.00
2. सी एम सी लिमिटेड	51.00	152.00
3. भारत पर्यटनविकास निगम		
(i) अशोक बंगलौर	दीर्घकालिक पट्टा सह प्रबंधन अनुबन्ध	39.41@
(ii) बोधगया अशोक	100	1.81
(iii) हसन अशोक	100	2.27
(iv) मदुरै अशोक	100	4.97
(v) टीवीएबीआर, मामल्लापुरम	100	6.13
(vi) आगरा अशोक	100	3.61
(vii) लक्ष्मी विलास पैलेस, उदयपुर	100	6.77
(viii) कुत्तुब होटल, नई दिल्ली	100	34.46
(ix) लोधी होटल, नई दिल्ली	100	71.93
उप-योग		171.36
4. होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया (एच सी आई)		
(i) संतूर होटल जुहू बीच, मुम्बई	100	153.00
(ii) इण्डो होके होटल्स लि., राजगीर	100	6.51
उप-योग		159.51*

1		2	3
5.	आई बी पी लिमिटेड	33.58	1,153.68
6.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	25.00	3,689.00**
7.	पारादीप फास्फेटस लिमिटेड	74	151.70
2002-2003			
1.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	26.00	445.00
2.	मारुति उद्योग निगम लिमिटेड		1000.00#
3.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पो. लि. (आईपीसीएल)	26.00	1491.00
4.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ अण्डिया (एच सी आई) संतूर होटल एयरपोर्ट, मुम्बई	100	83.00*
5.	आई टी डी सी		
	(i) केएबीआर, कोवलम	100	40.39
	(ii) मनाली अशोक	100	3.65
	(iii) खजुराहो अशोक	100	2.19
	(iv) वाराणसी अशोक	100	8.38
	(v) औरंगाबाद अशोक	100	16.50
	(vi) कनिष्का अशोक	100	92.37
	(vii) इन्द्रप्रस्थ	100	43.39
	(viii) चण्डीगढ़ परियोजना (अपूर्ण)	100	17.27
	(ix) रणजीत	100	29.28
	(x) एयरपोर्ट अशोक, कोलकाता	100	19.39

*अर्थागम एयर इण्डिया को चला गया है।

**इसमें 755 करोड़ रुपए का लाभांश और विशेष अन्तरिम लाभांश और 1495 करोड़ रुपए का लाभांश कर शामिल है।

#सरकार द्वारा मारुति उद्योग लिमिटेड में राइट्स इश्यु के परित्याग के लिए प्राप्त नियंत्रण प्रीमियम, जिसके परिणामस्वरूप मारुति उद्योग लिमिटेड में सरकारी इक्विटी 49.74 प्रतिशत से 45.54 प्रतिशत तक कम हो गई है।

@न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक भुगतान (एम जी ए पी), प्रतिभूति जमा और कारोबार अन्तरण प्रतिफल आदि सहित।

विवरण-II

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	भूमि की कीमत	परिसम्पत्तियों की कीमत (भूमि की कीमत सहित)	देयताओं का मूल्य (शेयरधारकों की निवल निधि)
1.	भारत एल्युमिनियम कम्पनी लि. (बाल्को)	6.71	1210.05	505.90
2.	एच टी एल लि.	0.11	333.96	276.34
3.	सी एम सी लि.		353.16	278.49
4.	भारत पर्यटन विकास निगम**	3.97	314.59	110.77
5.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया**	0.79	117.16	76.56
6.	आई बी पी लि.	51.16	1490.07	1121.00
7.	विदेश संचार निगम लि.	75.10	10069.26	3480.52
8.	पारादीप फॉस्फेटस लि.	3.71	1364.59	1016.95
9.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	10.91	1501.50	434.23
10.	मारुति उद्योग निगम लि.	8.50	4828.50	2121.20
11.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. (आई पी सी एल)	84.95	8253.07	5425.78

**भारत पर्यटन विकास निगम और होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में आंकड़े समग्र रूप से संबंधित कम्पनियों के लिए है और सौदा सम्पन्न होने वाले वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित खातों से संबंधित है।

विवरण-III

विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्रियों/लाभ के आंकड़े

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	अवधि	बिक्रियां (करोड़ रुपए में)	निवल लाभ (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	एम एफ आई एल*	जनवरी से दिसम्बर, 01	232	-12
2.	बाल्को	2001-02	714.65	18.76
3.	सी एम सी	2001-02	565.33	25.09

1	2	3	4	5
4.	एच टी एल	2001-02	233	-107.61
5.	वी एस एन एल	दिसम्बर, 02 को समाप्त होने वाले 9 महीने	3780	589
6.	आई बी पी	दिसम्बर, 02 को समाप्त होने वाले 9 महीने	6754	49
7.	पी पी एल	दिसम्बर, 02 को समाप्त होने वाले 9 महीने	499	-50.42
8.	एच जैड एल	दिसम्बर, 02 को समाप्त होने वाले 9 महीने	1080	95
9.	आई पी सी एल	दिसम्बर, 02 को समाप्त होने वाले 9 महीने	3656	114

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा

***396. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए;

(ग) क्या व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहन देने हेतु अफगानिस्तान में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के लिए भारतीय व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। संक्रमणकालीन अफगानिस्तान इस्लामिक राज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री हामिद करजई 5 से 8 मार्च, 2003 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए।

इस यात्रा के दौरान, द्विपक्षीय सहयोग, अफगानिस्तान में भारतीय सहायता की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति, नए अफगानिस्तान के निर्माण तथा 2004 में अफगानिस्तान में चुनाव सहित बॉन करार के कार्यान्वयन सहित आतंकवादी गतिविधियों से क्षेत्रीय शान्ति और स्थिरता को हो रहे लगातार खतरे के विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। भारत-अफगानिस्तान व्यापार संबंधों के विस्तार के उद्देश्य से द्विपक्षीय अधिमानी व्यापार करार पर दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने 6 मार्च, 2003 को हस्ताक्षर किए. प्रधानमंत्री ने अनुदान के रूप में पहले से उपलब्ध 100 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त अफगानिस्तान में जारंग-देलाराम मार्ग के निर्माण के लिए 70 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय वचनबद्धता की घोषणा की, और एअर इण्डिया द्वारा तीन एअर बस एअरक्राफ्टों में से तीसरे एअरक्राफ्ट को एरियना अफगान एअरलाइन्स को 7 मार्च, 2003 को स्वयं राष्ट्रपति करजई को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया।

अपनी अन्योन्यक्रियाओं में अफगानिस्तान के सरकारी अधिकारियों ने अफगानिस्तान में विदेशी निवेश और संयुक्त उद्यमों की स्थापना से संबंधित कानूनों का खुलासा किया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ तथा भारतीय उद्योग परिसंघ सहित भारत के व्यवसाय संगठन अफगानिस्तान में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जीवन रक्षक मशीनों का उपयोग न किया जाना

***397. श्री रामजी मांझी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जीवन रक्षक मशीनों का उपयोग न किये जाने के बारे में 20 नवम्बर, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) पहली नवम्बर, 2002 को ''दैनिक जागरण'' में छपे समाचार में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निम्नलिखित मशीनों के अप्रयुक्त पड़े रहने का उल्लेख किया गया था:-

क्र.सं.	नाम	मात्रा/संख्या	मूल्य (रुपये)
1.	लेटेस्ट वेंटिलेटर	3	24 लाख
2.	आर्गोन बीम कोगुलेटर	1	15 लाख
3.	वीडियो एंडोस्कोपी सिस्टम	1	10 लाख
4.	कार्डियक मानीटर्स	6	20 लाख
5.	पल्स आक्सीमीटर	6	6 लाख
6.	पेशेंट वार्मिंग सिस्टम	4	5 लाख
	कुल	21	80 लाख

उपर्युक्त मदों में से मद संख्या 1, 4, 5 और 6 अर्थात् लेटेस्ट वेंटिलेटर, कार्डियक मानीटर्स, पल्स आक्सीमीटर, पेशेंट वार्मिंग सिस्टम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की हाई डिपेंडेन्सी यूनिट में इस्तेमाल करने हेतु फरवरी/मार्च, 2001 में खरीदे गए थे। इस यूनिट को संस्थान के डी-7 वार्ड के नवीनीकरण के बाद चालू किया जाना था। नवीनीकरण का कार्य अक्तूबर, 2002 में पूरा करवाया गया। उपर्युक्त उपकरण नवम्बर, 2002 से चालू हो गए हैं।

जहां तक अन्य दो मदों अर्थात् वीडियो एंडोस्कोपी सिस्टम और आर्गोन बीम कोगुलेटर का संबंध है, इन्हें भी फरवरी/मार्च, 2001 में खरीदा गया था और शल्य चिकित्सा वार्ड तथा मुख्य आपरेशन थियेटर में क्रमश: मई, 2002 और सितम्बर, 2002 में संस्थापित किया गया था।

अत: समाचार में बताए गए उपकरण अप्रयुक्त नहीं पड़े हुए हैं।

बी.एस.एन.एल. नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण

***398. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण करने हेतु 2003-2004 के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2003-2004 के दौरान 12285 करोड़ रुपये की लागत से अपने व्यावसायिक नेटवर्क के विस्तार एवम् आधुनिकीकरण की योजना तैयार की है।

(ख) उन योजनाओं का, जिन पर उक्त धनराशि को खर्च किये जाने की संभावना है, योजना-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	योजनाओं के नाम	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये)
1.	स्थानीय टेलीफोन प्रणालियां*	7543.69
2.	लम्बी दूरी के स्विचन	400.00
3.	लम्बी दूरी के पारेषण	1633.80
4.	इनसैट और इनटेलसैट	123.10
5.	टेलेक्स एवं टेलीग्राफ	10.65
6.	अन्य भूमि एवं भवन	827.58
7.	अनुषंगी प्रणालियां	135.00
8.	नई सेवाएं/आधुनिकीकरण	1445.94
9.	कार्यालय-खर्च, फर्नीचर एवम फिटिंग	2.24
10.	आस्थगित भुगतान (भूमिगत केबल के लिए)	163.00
	कुल वित्तीय परिव्यय	12285.00

*एमएआरआर प्रणाली पर काम कर रहे 80,000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को बदलने का प्रावधान है।

खांसी रोधी शर्बतों के दुष्प्रभाव

*399. **डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा खांसी रोधी शर्बतों (कफ सिरप) की विभिन्न किस्मों का रोगियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बाजार में खुले रूप में उपलब्ध खांसी रोधी शर्बतों में डेक्स्ट्रो-मेथोफिन (डी एक्स एम) ''सप्रेसेन्ट्स'' और ''एक्सपेक्टोरेन्ट्स'' विद्यमान होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन संघटकों का रोगियों के स्नायुतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) जी, हां। खांसी के प्रिपरेशनों, जिन में विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सीय अवयव सम्मिलित होते हैं, की संगतता की वर्ष 1988 में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की गई थी और राज्य औषध नियंत्रण संगठनों को दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए थे। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के खांसी के प्रिपरेशनों में विभिन्न अवयवों का प्रयोग और खुराकें तथा प्रयोग में लाए गए अवयवों के ज्ञात आनुषंगिक प्रभावों के आधार पर सावधानियों और चेतावनियों का उल्लेख करने हेतु लेबल संबंधी अपेक्षाएं शामिल हैं।

डेक्स्ट्रो-मेथारफन (डी एक्स एम) बलगम रहित खांसी से राहत के लिए एक सामान्य रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला खांसी उन्मूलक है। चिकित्सीय साहित्य के अनुसार, डेक्स्ट्रो-मेथारफन के साथ प्रतिकूल प्रभाव विरल प्रतीत होते हैं और इस में चक्कर आना, जठरान्त्र संबंधी गड़बड़ी शामिल है। अत्यधिक खुराकें लेने के बाद उत्तेजना, संभ्रान्ति और श्वसनी दबाव हो सकता है।

बीमारियों पर नियंत्रण रखने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की रणनीति

*400. **श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष 56.5 मिलियन मौतों में से 59% मौतें असंचारी हृदय रोग संबंधी रोगों मधुमेह, मोटापा, कैंसर तथा श्वास संबंधी रोगों के कारण होती हैं;

(ख) क्या विश्व सवास्थ्य संगठन ने इन बीमारियों पर नियंत्रण रखने हेतु एक नई रणनीति का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विश्व स्वास्थ्य संगठन की रणनीति को किस तरह लागू करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2001 के अनुसार, विश्व भर में होने वाली मौतों में से लगभग 60 प्रतिशत गैर संचारी रोगों के कारण होती हैं। भारत में गैर संचारी रोगों के कारण होनेवाली मौतों के संबंध में विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है। वैसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व बैंक द्वारा किए गए ''रोगों, चोटों तथा खतरे वाले कारकों से होनेवाली मौतों तथा अपंगता के व्यापक मूल्यांकन'' के अनुसार, भारत में होनेवाली कुल मौतों में से 51.2 प्रतिशत मौतें गैर संचारी रोगों से होती हैं।

मई, 2000 में हुई 53वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ''गैर संचारी रोगों के निवारण तथा नियंत्रण के लिए वैश्विक कार्यनीति'' की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस कार्यनीति में गैर संचारी रोगों तथा उनके निर्धारकों के परिमाणन तथा उनका पता लगाने हेतु निगरानी, खतरे के कारकों (तम्बाकू के प्रयोग, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक अक्रियता, आदि) से बचने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन लाने हेतु जागरूकता पैदा करके निवारण और लागत प्रभावी उपचार-उपायों की व्यवस्था करके गैर-संचारी रोगों के उपचार प्रबंध पर जोर दिया गया है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम, जो कैंसर रोगियों, कैंसर के खतरे के कारकों/निर्धारकों तथा अन्य संबंधित कारकों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराता है, का कार्यान्वयन कर रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तम्बाकू तथा शराब के सेवन के खतरे वाले कारकों, आहार तथा पोषण और शारीरिक कार्यकलापों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए हरियाणा, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में प्रहरी स्वास्थ्य मानिटरिंग केन्द्र भी चला रही है। इन उपचार उपायों का 10वीं योजना कार्यकलापों, जिनमें गैर संचारी रोगों की निगरानी एक महत्वपूर्ण घटक है, के एक भाग के रूप में एक समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम के जरिए संवर्धन किया जा रहा है।

जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार गैर संचारी रोगों के बारे में जन-स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य संबंधी संदेशों का प्रसार करने हेतु इलेक्ट्रानिक तथा मुद्रित प्रचार माध्यमों का प्रयोग कर रही है।

गैर संचारी रोगों सहित विभिन्न रोगों के उपचार के लिए सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों, मेडिकल कालेजों तथा विभिन्न विशिष्टता वाली संस्थाओं में उपलब्ध हैं। कैंसर के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 से चलाया जा रहा है।

सरकारी अस्पतालों में खराब सफाई व्यवस्था

***401. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य :**
प्रो. दुखा भगत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी अस्पताल खराब सफाई व्यवस्था के कारण संक्रमण का जनन क्षेत्र बन रहे हैं जैसाकि 3 मार्च, 2003 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या उन अस्ततालों में आवश्यक औषधियों तथा उपकरणों की कमी है: और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली में सरकारी अस्पताल खराब सफाई व्यवस्था के कारण संक्रमण के पनपने के स्थल बन रहे हैं। इन सभी अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण समिति/तंत्र मौजूद है और वे अस्पताल में आ जाने वाले संक्रमणों जो मुख्य रूप से प्रकट हो रहे औषध प्रतिरोध और अत्यधिक भीड़-भाड़ के कारण होते हैं, को मानिटर करते हैं तथा उन की रोकथाम को कड़ाई से लागू करने को सुनिश्चत करते हैं। नियमित मानिटरिंग के माध्यम से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अस्पताली संक्रमण को नियंत्रित रखा जा रहा है।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य औषधों और उपकरणों की कोई कमी नहीं है। अस्पताल फार्मूलरी के अनुसार रोगियों को दवाएं मुफ्त वितरित की जाती हैं। अनिवार्य एवं जीवन रक्षक दवाएं भी खरीदी जाती हैं और गरीब रोगियों को मुफ्त दी जाती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उनके अस्पतालों में सफाई के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं और सफाई की स्थितियों में सुधार करने के लिए सफाई के कार्य का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने आगे यह सूचित किया है कि उनके अस्पतालों में दवाओं की खरीद जरूरत के आधार पर केन्द्रीकृत समिति द्वारा की जाती है और इन अस्पतालों में अनिवार्य औषधों की कमी नहीं है। किसी दवा की अनुपलब्धता के मामले में अस्पताल प्राधिकारी इन दवाओं को अपने ही स्तर पर खरीदने के लिए शक्ति-सम्पन्न हैं।

वंसत विहार में सी.जी.एच.एस. औषधालय खोला जाना

3889. डा. जसंवतसिंह यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वंसत विहार सी.जी.एच.एस औषधालय का भवन निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अद्यतन प्रगति क्या है;

(ग) इस भवन में औषधालय द्वारा अपना कार्य कब से शुरू कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस औषधालय के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

विशेषज्ञ सुविधाएं

3890. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और पाविार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी.जी.एच.एस. के भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के संबंध में दिए गए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मार्ग-निर्देशों का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सी.जी.एच.एस. के लाभान्वितों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के मद्देनजर नए होम्योपैथी औषधालयों/इकाइयों में विशेषज्ञ सुविधाएं प्रदान करने, विशेष सेवाएं देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का औषधालय खोलने के लिए कोई नियत मानदण्ड नहीं हैं। ये एकक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की अपेक्षाओं/मांगों के अनुसार औचित्य के आधार पर तथा कार्मिक शक्ति और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन खोले जाते हैं।

वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/एककों के मानदण्डों/कार्यकरण का अध्ययन किया है और रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) से (च) नए होम्योपैथिक औषधालयों/एककों में विशेषज्ञों की सुविधाएं प्रदान करने और विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार करने से संबंधित मामले पर उपर्युक्त कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में ढांचागत विकास के लिए व्यापक योजना

3891. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य ढांचागत विकास के लिए व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो कौन-सी परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाना है और ऐसी प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि व्यय की जानी है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कल्पना चावला को सम्मानित करना

3892. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में किसी उपग्रह का नाम रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) माननीय प्रधान मंत्री जी ने फरवरी 5, 2003 को यह घोषणा की थी कि उपग्रहों की विशिष्ट मौसमविज्ञानीय श्रृंखला, (मेटसैट) का नाम कल्पना रखा जायेगा। तअनुसार, इस श्रृंखला में प्रथम उपग्रह, मेटसैट-1, जिसे सितम्बर 12, 2002 को प्रमोचित किया गया था. का नाम कल्पना-1 रखा गया है।

[अनुवाद]

असम के जनजातीय पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग इकाइयां

3893. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय युवकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के मद्देनजर असम के जनजातीय बहुल पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) लघु उद्योग (एस.एस.आई.) इकाइयों का विकास करना मुख्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार किसी लघु उद्योग इकाई की स्थापना नहीं करती है। असम सहित देश में लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकार बढ़े हुए राजकोषीय एवं क्रेडिट समर्थन, बेहतर आधारिक संरचना, विपणन सुविधाओं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के लिए प्रोत्साहनों से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। ये योजनाएं/कार्यक्रम पूरे देश में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

झारखंड में खराब टेलीफोन नेटवर्क

3894. प्रो. दुखा भगत :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में विशेषकर राजधानी शहर रांची में टेलीफोन नेटवर्क के उचित रूप से कार्य न करने के कारण टेलीफोन लंबे समय से खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा खराब टेलीफोनों को शीघ्र ठीक करना, सुनिश्चित करने के हेतु क्या कार्रवाई की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खराब टेलीफोनों को शीघ्र ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(i) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोष-मरम्मत की निगरानी।

(ii) कम दूरी प्रभारण केन्द्र (एसडीसीसी) पर इन्टरएक्टिव वाइस रिस्पान्स सिस्टम (आईवीआरएस) आधारित सेन्ट्रलाइज्ड दोष दर्ज करने की सुविधा।

(iii) बाह्य संयंत्र का पुनर्संस्थापन/उन्नयन।

(iv) लम्बे ऊपरी संयोजनों को चरणबद्ध रूप से भूमिगत केबलों द्वारा बदलना।

(v) टेलीफोन एक्सचेंजों से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की प्रति दिन जांच।

(vi) वीपीटी को तत्काल ठीक करने के लिए प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र में कोर ग्रुप का गठन करना।

(vii) मियाद पूरी कर चुके टेलीफोन उपकरणों को चरणबद्ध रूप से बदलना।

(viii) लम्बी अवधि तक विद्युत आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए जनरेटर सैटों की व्यवस्था करना।

[अनुवाद]

'ई-पोस्ट' योजना

3895. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सहित कुछ राज्यों के कई डाकघरों में 'ई-पोस्ट' योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो केरल के उन डाकघरों का ब्यौरा क्या है जहां यह सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या राज्य के कुछ और डाकघरों में यह सुविधा बढ़ाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में कुल 44 डाकघरों में ई-पोस्ट सुविधा उपलब्ध है। केरल में ई-पोस्ट सुविधा वाले डाकघरों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा अन्य डाकघरों, जिनमें केरल के भी डाकघर शामिल हैं, में चरणबद्ध रूप में प्रदान करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्रमांक	डाकघर का नाम	पिन
1	2	3
1.	अडूर	691523
2.	अलप्पूजा	688001
3.	अलुवा	683101
4.	अतिंगल	695101
5.	चंगनचेरी	686101
6.	चेंगानूर	689121
7.	चेरथला	688524
8.	एर्नाकुलम	682011
9.	इरिंजलकुडा	680121
10.	कलपेटा	673121
11.	कनहनगढ़	671315
12.	कंजेरापल्ली	686507
13.	कन्नूर	670001
14.	कासरगोड	671121
15.	कट्टाप्पान	685508
16.	कयाकुलम	690502
17.	कोल्लम	681001
18.	कोट्टारकरा	691506
19.	कोट्टायम	686001
20.	कोजीकोड	673001
21.	कुन्नमकुलम	680503
22.	मल्लपुरम	676505
23.	मंजेरी	676121
24.	मवेलीकारा	690101
25.	मुवात्तुपुजा	686661
26.	नेय्याततिनकारा	695121
27.	ओलावाकोट	678002
28.	उट्टापलम	679101
29.	पल्लई	686575
30.	पालाकाड़	678001
31.	पथनमथिट्टा	689645
32.	पेरम्बूर	683542
33.	पोनानी	679577
34.	पूनाल्लूर	691305
35.	क्यूलन्दी	673305
36.	थल्लासेरी	670101
37.	थल्लपरम्वा	670141
38.	तिरूवनंतपुरम	695001
39.	थोडूपूजा	686585
40.	त्रिसूर	680001
41.	तिरुरकेरल	676101
42.	तिरूवल्ला	689101
43.	वडकारा	673101
44.	वायकोम	686141

[हिन्दी]

बिहार में स्टेडियम और शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र

3896. श्री सुबोध राय : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खेल और युवा गतिविधियों के विकास हेतु भागलपुर (बिहार) में स्टेडियम और शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के लिए योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) से (ग) 'खेल' राज्य सूची का विषय है। सभी स्तरों पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए, स्टेडियम आदि सहित विभिन्न खेल सुविधाओं का सृजन करना मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तथापि, इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, राज्य सरकारों/नगर निगमों आदि को, खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, विभिन्न खेल सुविधाओं के सृजन के लिए, समतुल्य हिस्से के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते कि राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों। तथापि, उपर्युक्त योजना में शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

भागलपुर में स्टेडियम के निर्माण के लिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान, बिहार सरकार से कोई भी प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दूरसंचार सेवाएं

3897. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में हैवलॉक, नील द्वीपसमूह में दूरसंचार सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं। अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के हैवलॉक तथा नील द्वीपसमूह में अलग-अलग एक्सचेंज कार्यरत हैं और वे उपग्रह प्रणाली द्वारा मुख्य नेटवर्क से जोड़े गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेज के विकास हेतु सहायता

3898. श्री एम.के. सुब्बा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को 'होप' (एच.ओ.पी.ई.) परियोजना के अंतर्गत डिब्रुगढ़ स्थित असम मेडिकल कालेज के विकास हेतु असम सरकार से सहायता अनुदान के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है तत्संबंधी लागत कितनी है और कितनी सहायता राशि मांगी गई; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग ने सूचना दी है कि 20 करोड़ की लागत से असम मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (एच.ओ.पी.ई.), डिब्रूगढ़ के विकास के लिए असम सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को एन.एल.सी.पी.आर. के अन्तर्गत धन व्यवस्था हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। ब्यौरा इस प्रकार है :-

	निर्माण कार्य (पूंजीगत घटक)	लागत (रुपये करोड़ में)
1.	सर्जिकल काम्प्लैक्स	10.50
2.	मेडिकल काम्प्लैक्स	4.66
3.	शवगृह और धुलाई घर राजस्व घटक	0.22
4.	मंडिकल उपकरण	1.62
5.	सर्जिकल उपकरण	2.20
6.	सी.एस.एस.डी., शवगृह एवं धुलाई घर	0.80
	कुल	20.00

अण्डाशय प्रत्यारोपण को मान्यता दिया जाना

3899. श्री किरीट सोमैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अण्डाशय प्रत्यारोपण के बारे में 11-12-2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3404 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई के डाक्टरों द्वारा अण्डाशय प्रत्यारोपण के लिए अनुसंधान/शल्य चिकित्सा को मान्यता देने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) जी, नहीं। यद्यपि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा मांगी गई जानकारी डाक्टर द्वारा दी गई थी, तथापि उक्त जानकारी अपर्याप्त पाई गई और इसलिए, अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

डाकघरों के लिए टेलीफोन कनेक्शन

3900. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुचारू कार्यकरण और प्रधान डाकघर एवं शाखा डाकघरों के बीच संबादहीनता को कम करने के लिए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि हो, तो आंध्र प्रदेश में ऐसे डाकघरों की जिला-वार संख्या कितनी है जहां टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ग) ऐसे डाकघरों की जिला-वार संख्या कितनी है जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(घ) सभी डाकघरों में यह सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, नहीं। टेलीफोन कनेक्शन विभागीय डाकघरों को ही उपलब्ध कराए जाते हैं न कि शाखा डाकघरों को, जो अतिरिक्त विभागीय डाकघर होते हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी कंपनियां

3901. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ विदेशी दूरसंचार कंपनियों को उनके पूर्ण स्वामित्व में काम करने वाली इकाइयों की स्थापना की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दूरसंचार क्षेत्र में उनका कार्य-निष्पादन क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने अगस्त, 1991 से दिसंबर, 2002 की अवधि के दौरान देश में विदेशी कंपनियों के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों, द्वारा लगभग 5800 करोड़ रु. की राशि के विदेशी निवेश के लिए 59 प्रस्ताव मंजूर किए हैं। इन कंपनियों के कार्य-निष्पादन का केन्द्रीय अनुवीक्षण नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

राजस्थान में मोबाइल फोन सेवा

3902. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने जिला केन्द्रों और शहरों में भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल फोन सेवा शुरू की जा चुकी है और आज की तिथि तक ऐसी मोबाइल फोन सेवा की क्षमता और उपभोक्ता-वार संख्या कितनी है; और

(ख) उन शहरों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 2003-04 के दौरान उक्त मोबाइल फोन सेवा शुरू की जानी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड ने राजस्थान के 32 शहरों और 25 जिला केन्द्रों में मोबाइल सेवाएं शुरू की हैं। क्षमता और मौजूदा उपभोक्ताओं की संख्या संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) बाजार मांग और इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार शेष बचे जिला मुख्यालयों में सेवाएं शुरू करने और अन्य/मौजूदा शहरों में सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

विवरण

वर्ष 2002-03 और 2003-04 में कवर किए जाने वाले शहरों की सूची

2002-03

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	कुल नियोजित क्षमता	कुल उपभोक्ता
1	2	3	4
1.	अजमेर*	5000	3438
2.	अलवर*	5000	3117
3.	ब्यावर	1300	785
4.	भरतपुर*	2600	1230
5.	भीलवाडा*	4000	1918
6.	भिवाड़ी	2600	928
7.	चुरू*	2600	1474
8.	धौलपुर*	1300	648
9.	हनुमानगढ़*	1300	1174
10.	जयपुर*	29000	22028
11.	झुनझुनूं*	2600	1584
12.	मदनगंज	1300	996
13.	सीकर*	2600	1369
14.	श्रीगंगानगर*	5000	3817
15.	स्वाईमाधोपुर*	2600	1656
16.	टोंक*	1300	789
17.	बाड़मेर*	1300	796
18.	बीकानेर*	9100	4987
19.	जैसलमेर*	1300	915
20.	जोधपुर*	7750	5773
21.	मकराना	1300	798
22.	माऊंट आबू	1300	816
23.	नागौर*	1300	827
24.	पाली*	5000	2663
25.	सिरोही*	1300	784
26.	कोटा*	10400	6914
27.	रामगंज मंडी	1300	714
28.	बांसवाड़ा*	2600	1627
29.	चित्तौड़गढ़*	1300	984
30.	कंकरोली*	2600	1597
31.	नाथदवारा	1300	784
32.	उदयपुर*	10400	7187
	कुल	129650	85117

2003-04

1.	दौसा*	1000	0
2.	करौली*	1000	0
3.	जालोर*	1000	0
4.	बलोतरा	1000	0
5.	बारन*	1000	0

1	2	3	4
6.	बूंदी*	1000	0
7.	झालावाड़*	1000	0
8.	डूंगरपुर*	1000	0

*जिला मुख्यालय

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना

3903. श्री टी. गोविन्दन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी, जबलपुर और तिरूवनंतपुरम में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) इन औषधालयों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) गुवाहाटी, जबलपुर और तिरूवनन्तपुरम में 2003-2004 के दौरान एक-एक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालय खोलने के प्रस्ताव को दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने भारतीय चिकित्या पद्धति एवं होम्योपैथी के अधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/एककों के मानकों और कार्यकरण का एक अध्ययन किया है और रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन नए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथिक औषधालय खोलने, जिसमें नए पदों का सृजन शामिल है, पर ऊपर बताई गई कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जा सकता है। यह धन की उपलब्धता के अध्यधीन भी होगा।

मोबाइल सेवाओं की दरें

3904. श्री रामसिंह राठवा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सेल्यूलर कम्पनियों ने अपनी दरें घटायी हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इन सेलफोन आपरेटरों द्वारा वर्तमान में प्रदान की जा रहीं दरें/योजनाएं क्या हैं;

(ग) क्या एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. की दरें इन सेलफोन आपरेटरों की दरों की तुलना में काफी महंगी हैं; और

(घ) यदि हां, तो बुनियादी फोन सेवा प्रदाताओं अर्थात् एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. की तुलना में सेलफोन आपरेटरों की तुलनात्मक दरें क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) देश में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) महित दूरसंचार सेवाओं का टैरिफ निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा का टैरिफ इस समय वहनीय है जिसका तात्पर्य यह है कि सेल्यूलर प्रचालक विभिन्न प्रकार के टैरिफ विकल्प प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी पिछले दिनों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के टैरिफ में सतत् गिरावट का रुख देखने में आया है; ऐसी मुख्यत: सेल्यूलर क्षेत्र में बढ़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ है। सेल्यूलर प्रचालकों के पास मासिक किराया और एयरटाइम प्रभारों की भिन्न-भिन्न दरों, जिनका वे समय-समय पर संशोधन करते रहते हैं, की विभिन्न टैरिफ योजनाएं हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी सूचना यह दर्शाती है कि समूचे देश के सेल्यूलर उपभोक्ताओं के लिए इस समय 600 से अधिक विभिन्न प्रकार की टैरिफ योजनाएं हैं। इस प्रकार सेल्यूलर प्रचालकों द्वारा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए प्रभारित टैरिफ और बीएसएनएल तथा एमटीएनएल द्वारा लैण्ड लाइन फोनों (बुनियादी टेलीफोन सेवा के अन्तर्गत) प्रभारित टैरिफ के अर्थपूर्ण तुलना कर पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

कार्यालय व्यय

3905. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उपक्रमों द्वारा प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, आतिथ्य, खान-पान, उद्घाटन

समारोहों, सेमिनारों, सम्मेलनों, यात्राओं (विदेश यात्राओं सहित) एस.टी.डी. और आई.एस.टी.डी. टेलीफोन बिलों, बिजली बिलों (विशेषकर एयर कंडीशनरों और कूलरों के बिल) और अन्य कार्यालय व्यय पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त मदों पर खर्च कम करने के लिए कोई अभियान चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) सूचना नीचे दी जा रही है।

मद	1999-2000 (लाख रुपए)	2000-2001 (लाख रुपए)	2001-2002 (लाख रुपए)
प्रचार-प्रसार/विज्ञापन	171.43	208.34	330.14
आतिथ्य/खान-पान	261.87	323.43	568.38
उद्घाटन समारोह, संगोष्ठियां/सम्मेलन	263.50	556.72	865.54
घरेलू दौरे (विदेश दौरों सहित)	2227.33	2765.32	3391.17
एस टी डी और आई एस टी डी टेलीफोल बिजली का बिल	469.11	500.46	985.44
बिजली का बिल			
(क) एयर कंडीशनर	6942.32	7367.46	7078.35
(ख) कूलर			
अन्य कार्यालय खर्च	3157.07	5136.82	5827.35

(ख) और (ग) जी, हां। विभाग ने व्यय में कटौती करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछेक वरिष्ठ अधिकारियों को ही टेलीफोन दिए गए हैं। अधिकांश मामलों में, व्यय के संबंध में सीमा निर्धारित की गई है। एस टी डीज/आई एस टी डीज सेवा को बढ़ावा नहीं दिया जाता और ई-मेल के जरिए संदेश भेजने के प्रयास किए जाते हैं। दौरों पर भी काफी हद तक रोक लगाई गई है। कैंटीन को दी जाने वाली इमदाद में भी भारी कटौती की गई है। केवल बहुत ही वरिष्ठ अधिकारियों को और जहां एकदम आवश्यक है, वहां वर्क स्टेशनों पर एयर कंडीशनर मुहैया कराए गए हैं। कार्यालय खर्चों को भी काफी हद तक कम कर दिया गया है।

(घ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास

3906. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्र प्रायोजित योजना में पिछले वर्ष हुए सुधार के पश्चात् अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास हेतु राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों जैसे असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव मुख्यतया संभाव्यता रिपोर्ट को तैयार कराने, जलमार्ग के निकर्षण और टर्मिनलों के संस्थापन के लिए हैं। जहां तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है ये प्रस्ताव विभिन्न स्थानों पर अंतर्देशीय जलमार्गों (निकर्षण, टर्मिनल/जेट्टी इत्यादि के संस्थापन) के विकास के लिए है। महाराष्ट्र के प्रस्तावों की जांच कर ली गई है और राज्य सरकार को प्रस्तावों में संशोधन/सुधार करने की सलाह दी गई है।

कम्प्यूटर सूचना केन्द्र

3907. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा प्रत्येक राज्य विशेषकर बिहार में आज तक स्थापित किए गए कम्प्यूटर सूचना केन्द्रों की संख्या का स्थानवार ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक केन्द्र के लिए कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सात पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के ब्लॉक मुख्यालयों में 487 सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) स्थापित करने की एक योजना कार्यान्वित की है। यह योजना अरुणाचल प्रदेश (56 सीआईसी), असम (219 में से 215 सीआईसी), मणिपुर (33 सीआईसी), मेघालय (32 सीआईसी), मिजोरम (26 सीआईसी), नागालैंड (52 सीआईसी), त्रिपुरा (29 सीआईसी) और सिक्किम (40 सीआईसी) में कार्यान्वित की गई है। अब तक 483 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

सामुदायिक सूचना केन्द्र परियोजना के लिए अब तक 101.33 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मिश्रित रूप से धनराशि जारी की जाती है। देश के अन्य भागों में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना नहीं की गई है।

जम्मू-कश्मीर में डाकघर खोला जाना

3908. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर के बारामूला क्षेत्र के गांवों में स्थित डाकघरों की संख्या कितनी है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के सभी गांवों में कितने डाकघरों के खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जम्मू व कश्मीर के बारामूला क्षेत्र के गांवों में मार्च, 2002 तक की स्थिति के अनुसार डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) हर सर्किल को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं और यह कार्यवाही अभी जारी है।

विवरण

31-3-2002 की स्थिति के अनुसार बारामूला के गांवों में डाकघरों की संख्या

उपडाकघर (एसओ)	अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर (ईडीएसओ)	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ)
13	01	237

राष्ट्रीय राममार्ग सं. 1ए को चार लेनों वाला बनाना

3909. श्री नरेश पुगलिया : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को पंजाब सरकार की ओर से राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1ए के कुछ खंड और विशेषकर अमृतसर-बटाला-गुरदासपुर-पठानकोट खंड को चार लेनों वाला बनाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो खंडवार विशेषकर बटाला खंड के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य खंडों सहित सिर्फ उपरोक्त खंड ही चार लेनों में परिवर्तित करने हेतु अब तक शेष रह गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाने की संभावना है और इन खंडों पर कार्य के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) अमृतसर-बटाला-गुरदासपुर-पठानकोट खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 15 का हिस्सा है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए का जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 4 लेन का बनाया जाएगा। पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 को 4 लेन का बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में डाकघरों का आधुनिकीकरण/उन्नयन

3910. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने डाकघरों का आधुनिकीकरण किया जाना था और इसके लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया था:

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में वस्तुत: कितने डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया और उन पर जिलेवार कितनी धनराशि व्यय की गयी; और

(ग) राज्य के शेष डाकघरों का आधुनिकीकरण करने/उन्नयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में 2.39 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन से 39 डाकघरों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव था।

(ख) इस अवधि के दौरान 31 डाकघरों को आधुनिकीकृत किया गया। राज्य में आधुनिकीकृत डाकघरों की जिलावार संख्या और व्यय की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए और डाकघरों, जिनमें पश्चिम बंगाल के डाकघर भी शामिल हैं, को चरणबद्ध रूप में आधुनिकीकृत करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में आधुनिकीकृत डाकघर

क	ख	ग
जिले का नाम	आधुनिकीकृत डाकघरों की संख्या	व्यय की गई राशि लाख रुपए में
1	2	3
1. कोलकाता	8	55.2
2. बांकुरा	1	6.5
3. पश्चिम बंगाल	1	6.25
4. मिदनापुर	4	30.72
5. हुगली	3	16.29
6. हावड़ा	1	9.7
7. बीरभूम	2	12.7
8. दार्जिलिंग	1	6.7
9. कूच बिहार	1	8.9
10. 24 परगना दक्षिण	2	15.65
11. पुरूलिया	1	4.4
12. 24 परगना उत्तर	2	28.62
13. मुर्शिदाबाद	2	18.01
14. बर्दवान	1	3.74
15. नाडिया	1	11.5
कुल	31	234.88

अंतर्देशीय जल परियोजनाओं पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नियंत्रण

3911. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्देशीय जल परियोजनाओं पर राष्ट्रीय कंपनियों की अपेक्षा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विश्लेषण/अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय कंपनियों के हितों की रक्षा के मद्देनजर इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं हेतु निधियों का आवंटन

3912. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं के लिए अगले चार वर्षों में 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को अब तक किस हद तक प्राप्त किया जा चुका है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर बाइपास

3913. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुंदर लाल तिवारी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर बाइपास के निर्माण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (घ) जी, हां। मध्य प्रदेश में रा रा 7 पर रीवा बाइपास का निर्माण, निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर किया जाना है। इसकी संभावित लागत 40.55 करोड़ रु. है। इस बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु वर्ष 2000 में 3.63 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे। आवश्यक भूमि अधिग्रहण मार्च, 2002 में पूरा कर लिया गया है तथा हाई टेंशन/लो टेंशन लाइन जैसी सुविधाओं का स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। सरेखण में सुधार के कारण विलंब हुआ है।

रिक्त पद

3914. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों में नर्सों के काफी पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) रिक्त पदों के भरनें की कार्रवाई को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/8/2001-पी आई सी में दिए गए केन्द्रीय सरकारी अनुदेशों द्वारा अधिशासित किया जाता है। जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में नर्सों के रिक्त पदों का संबंध है, जांच समिति ने उन्हें भरने की स्वीकृति पहले ही दे दी है।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियां

3915. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी अस्पतालों में प्रयोग की गई आयातित जीवन रक्षक औषधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई थी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बाल चिकित्सा अस्पताल

3916. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर दिल्ली में केवल बाल चिकित्सा हेतु अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली से संबद्ध कलावती सरन बाल अस्पताल का एक राष्ट्रीय बाल चिकित्सा संस्थान के रूप में उन्नयन करने का एक प्रस्ताव अस्पताल के 10वें योजना प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भी सूचित किया है कि दिल्ली में गीता कालोनी में 200 पलंगों वाला एक अतिविशिष्ट बाल चिकित्सा अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है। अस्पताल का निर्माण प्रगति पर है और बहिरंग रोगी विभाग सितम्बर, 2003 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

जेनरिक दवाओं की बिक्री

3917. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दवा विक्रेता जेनरिक दवाओं के थोक मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य में भारी अंतर के कारण दवाओं की खुदरा बिक्री से भारी लाभ कमा रहे हैं जैसा कि दिनांक 6 मार्च, 2003 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विभिन्न चिकित्सा संघ समय-समय पर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक की गई-कार्यवाही/जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) विगत कुछ समय में, बड़ी भैषजिक कम्पनियों सहित औषध फार्मूलेशनों के विनिर्माताओं ने अपनी दवाइयों का विपणन, आम प्रचलन के अनुसार चिकित्सा व्यावसाय के जरिए उन्हें बढ़ावा दिए बिना सीधे खुदरा विक्रेताओं के जरिए करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसी प्रक्रिया अधिकांशतया गैर-अनुसूची वाले फार्मूलेशनों, जो मूल्य नियंत्रण के अधीन नहीं होते हैं, के मामले में प्रचलित है। ऐसे फार्मूलेशनों के मूल्य उत्पाद की लागत, माल भाड़ा और बाजार में प्रतियोगिता आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए खुद विनिर्माताओं द्वारा नियत किए जाते हैं। ऐसी दवाइयों के मूल्य आम तौर पर चिकित्सा व्यवसाय के जरिए विपणन की गई समतुल्य ब्राण्ड की दवाइयों के मूल्यों के बराबर होते हैं।

समाचार में छपे सात उत्पादों में से दो उत्पाद (डिक्लोफेनक+पारासिटामोल टैबलेट और निमेसुलाइड+सेराटीओपेप्टीडेज टैबलेट) गैर-अनुसूची फार्मूलेशन श्रेणी में आते हैं। दो अन्य उत्पाद सिप्रोफ्लोक्सासीन इंजेक्शन और सिप्रोफ्लोक्सासीन कैप्सूल अनुसूची फार्मूलेशन श्रेणी में आते हैं लेकिन मूल्य नियंत्रण के तहत उन्हें शामिल करने से संबंधित मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। शेष तीन उत्पादों (टेक्टोसेप्ट मलहम, सेफजेन सीरप और सेफ्लर इंजेक्शन) से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) किसी भी चिकित्सा संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे, कुछ राज्य औषध नियंत्रकों/व्यापार संघों/गैर सरकारी संगठनों/अतिविशिष्ट व्यक्तियों आदि से अभ्यावेदन और पत्रादि प्राप्त हुए हैं।

डी.पी.सी.ओ., 1995 का पैरा-19 विनिर्माताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को बेचे गए अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के बारे में व्यापारिक गुंजाइश निर्धारित करता है। गैर-अनुसूची फार्मूलेशनों से संबंधित ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। इस मामले पर उद्योग संघों के साथ भी चर्चा की गई और वे अच्छी विपणन पद्धतियों के अनुरूप व्यापारिक गुंजाइश तथा बोनसों के मामले में अनुशासन का पालन करने पर सहमत हो गए।

[अनुवाद]

ग्लोबल फंड से सहायता

3918. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एड्स, मलेरिया और तपेदिक का मुकाबला

करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसी, ग्लोबल फंड से राशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में ग्लोबल फंड के कार्यकारी निदेशक ने इस संबंध में विस्तार से चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन बिमारियों से निपटने में और सार्वजनिक तथा गैर-सरकारी निकायों को शामिल करने का है; और

(च) सरकार का विचार इस राशि का उपयोग और इसके समुचित उपयोग की निगरानी किस प्रकार करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, नहीं। अभी तक वैश्विक निधि से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, वैश्विक निधि ने धन देने के प्रथम चरण (अप्रैल, 2002) में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) का छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल राज्यों में विस्तार करने हेतु 8.783 मिलियन यू.एस. डालर का अनुदान अनुमोदित किया है। धन देने के दूसरे चरण (जनवरी, 2003) के दौरान वैश्विक निधि ने माता-पिता से बच्चे में एच आई वी/एड्स संचरण की रोकथाम के कार्यकलाप के सुदृढ़ीकरण के लिए और एण्टिरिट्रोवाइरल उपचार के प्रावधान के लिए सरकारी-निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु 100.81 मिलियन यू.एस. डालर का अनुदान अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के विस्तार के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों हेतु 29.11 मिलियन यू.एस. डालर अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। वैश्विक निधि के कार्यकारी निदेशक, प्रो. रिचर्ड जी.ए. फीकैम ने 28 फरवरी, 2003 से 9 मार्च, 2003 तक भारत का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भारत सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने महाराष्ट्र और उत्तरांचल राज्यों का दौरा भी किया। उन्होंने नई दिल्ली में कन्ट्री कोआर्डिनेटिंग मैकेनिज्म (सीसीएम) जो वैश्विक निधि हेतु देश के आवेदन पत्र को अनुमोदित करने के लिए एक नोडल अभिकरण है, की बैठक को संबोधित किया।

(ङ) जी, हां।

(च) ये अनुदान मौजूदा कार्यक्रमों के विस्तार के लिए हैं और इन्हें उसी तरह से उपयोग में लाया जाएगा और मानीटर किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु राशि

3919. श्री पी.सी. थामस : क्या **सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु और अधिक राशि आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राशि के समुचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित धनराशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया की शुरूआत, निर्माण कार्यों पर कड़ी निगरानी से धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हुआ है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11188.26	10379.70	11846.37
2.	अरुणाचल प्रदेश			45.00
3.	असम	5253.64	7605.19	7374.65
4.	बिहार	6927.56	6532.00	7652.90
5.	चंडीगढ़	144.00	150.00	270.00
6.	छत्तीसगढ़	1227.80	3228.00	6120.40

1	2	3	4	5
7.	दिल्ली	483.00	600.00	600.00
8.	गोवा	2300.00	2000.00	800.00
9.	गुजरात	9099.97	7042.71	9000.19
10.	हरियाणा	10100.00	10388.47	5900.00
11.	हिमाचल प्रदेश	4415.00	5500.00	3000.00
12.	जम्मू और कश्मीर	250.00	230.00	400.00
13.	झारखंड	2200.00	3500.00	3200.00
14.	कर्नाटक	8104.00	10947.56	8965.97
15.	केरल	8978.03	9261.56	7594.63
16.	मध्य प्रदेश	13472.11	9099.00	9610.25
17.	महाराष्ट्र	21236.20	19371.95	12478.07
18.	मणिपुर	851.31	1452.59	1401.84
19.	मेघालय	1708.34	2270.00	2219.98
20.	मिजोरम	1000.00	2600.00	2200.00
21.	नागालैंड	1500.00	1500.00	1200.00
22.	उड़ीसा	10046.89	7912.70	5632.04
23.	पांडिचेरी	200.00	212.00	200.00
24.	पंजाब	5365.00	6413.00	5176.01
25.	राजस्थान	8720.00	8746.00	9389.14
26.	तमिलनाडु	10342.21	9739.00	10248.18
27.	उत्तर प्रदेश	14949.76	14662.88	13730.57
28.	उत्तरांचल	199.35	2500.00	2068.81
29.	पश्चिम बंगाल	12800.00	8422.04	11450.00
30.	मंत्रालय	854.00	1418.00	695.00
31	बी आर डी बी	13592.00	16350.00	20000.00
32.	भा.रा.रा.प्रा.	227280.00	315970.00	350300.00
	जोड़	414788.43	506004.35	530770.00

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

3920. श्री रामानन्द सिंह : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश स्थित किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विनिवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अभी तक निजी कंपनियों को बेचा गया है और इससे सरकार को सरकारी उपक्रम-वार कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ख) इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से प्रत्येक उपक्रम में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो विनिवेश के कारण बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश का एकमात्र मामला भारत पर्यटल विकास निगम की एक इकाई होटल खजुराहो अशोक के विनिवेश का था। भारतीय होटल कम्पनी लिमिटेड (आई एच सी एल) की 10 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ भारत सरकार की समस्त 89.97 प्रतिशत शेयरधारिता 7.8.2002 को 2,21,000 रुपए के प्रतिफल पर मैसर्स भारत होटल्स लि. को बेच दी गई थी। इसमें से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) क्षतिपूर्ति (उपदान सहित) को मिलाकर भारत सरकार और भारत पर्यटन विकास निगम को उपार्जित धनराशि 2,18,79,594 रुपए थी।

(ख) इस होटल इकाई के 40 कर्मचारियों में से 39 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकार किया। एकमात्र बचा कर्मचारी

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का पात्र नहीं था और उसके दिनांक 7.8.2002 को सौदा सम्पन्न होने से पूर्व त्याण पत्र दिए जाने की सूचना है।

(ग) क्रेता के साथ निष्पादित शेयर खरीद करार में किए गए कर्मचारियों के हित के संरक्षण के लिए उपबन्ध संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

शेयर खरीद करार में कर्मचारियों से संबंधित उपबन्ध

क. करार का एक विधिक अंश इस प्रकार पठित है :-

क्रेता इस बात को विशेष रूप से स्वीकार करता है कि सरकार अपनी रोजगार नीतियों के संबंध में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित व्यक्तियों के हितों के लिए कतिपय सिद्धान्तों का अनुकरण करती है और क्रेता/पट्टाधारी/लाइसेंसधारी इस बात पर सहमत हुआ है कि इसमें अभिप्रेत सौदे के पूरा होने पर वह ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में कंपनी के सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा और वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों की संख्या में किसी प्रकार की कमी करने की दशा में, क्रेता/पट्टाधारी/लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की छंटनी अन्त में हो।

ख. करारों में क्रेता की समापन के बाद निम्नलिखित दायित्वों की व्यवस्था है :-

क्रेता, इकाई के उन सभी नियमित कर्मचारियों को कम्पनी के रोजगार में बनाए रखने का कारण बनेगा जिन्हें कम्पनी में ऐसे शर्तों पर स्थानान्तरित किया गया है जो लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई हों, कम्पनी पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना सहित, इकाई के हस्तांतरण की तारीख को नियमित कर्मचारियों पर लागू होने वाले शर्तों और कर्मचारियों/कामगारों, यूनियन/संघों के साथ ऐसे नियमित कर्मचारियों के संबंध में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा सम्पन्न करारों में तय की गई शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगे :-

(i) नियमित कर्मचारियों को सेवाओं में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा।

(ii) नियमित कर्मचारियों पर लागू सेवा की शर्तें उनसे किसी भी प्रकार कम अनुकूल नहीं होगी जो तत्काल रूप से इस तारीख को उन पर लागू थी।

(iii) वह लागू कर्मचारी विनियमनों तथा कम्पनी के स्थायी आदेश अथवा लागू कानून के अनुसरण में उनके रोजगार से नियमित कर्मचारियों की किसी प्रकार की बर्खास्तगी अथवा सेवा-समाप्ति को छोड़कर, समापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक अपने किसी नियमित कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेगा।

(iv) नियमित कर्मचारियों की छंटनी करने की दशा में, कम्पनी नियमित कर्मचारियों को ऐसी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी, जो ऐसे आधार पर लागू श्रम कानूनों के अधीन हों, जैसे कि नियमित कर्मचारियों की सेवा निरंन्तर तथा अबाधित रही हो। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी नियमित कर्मचारी की छंटनी तब तक नहीं की जाएगी जब तक प्रभावित कर्मचारी को ऐसे लाभ प्रदान न कर दिए जाएं जो (क) इस तारीख को लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कम्पनी पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और (ख) लागू कानून के अधीन किसी कर्मचारी को सांविधिक रूप से दिए जाने वाले लाभ/क्षतिपूर्ति से अधिक हों।

(vi) कम्पनी केवल कर्मचारियों की सेवाओं की बर्खास्तगी अथवा सेवा-समाप्ति लागू कर्मचारी विनियमनों के अनुसरण में अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण ही आरम्भ करेगी।

(vii) अनुबन्धित कर्मचारियों के संबंध में कम्पनी द्वारा प्रासंगिक अनुबन्धों की शर्तों का पूरा-पूरा अनुपालन किया जाएगा और क्रेता/पट्टाधारी/लाइसेंसधारी, सरकार तथा भारत पर्यटन विकास निगम को कम्पनी द्वारा ऐसे अनुबन्धों के किन्हीं भी शर्तों के अनुपालन में असफल रहने के परिणामस्वरूप हरजाने, नुकसान तथा दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा अधिक व्यय किया जाना

3921. श्री कमलनाथ :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा प्रत्येक माह भारी राशि खर्च किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत 3 वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, देश-वार खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा समय-समय पर घोषित किए जाने वाले मितव्ययिता संबंधी विभिन्न उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय मिशनों द्वारा अधिक खर्च रोकने हेतु कोई ठोस योजनाएं बनाई गई हैं; और

(च) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। मिशनों/केन्द्रों में व्यय उनके लिए मंत्रालय द्वारा किये गये बजटीय आबंटन के अनुसरण में किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मिशनों को समय-समय पर संबंधित विषय के दिशानिर्देशों के अनुसरण में व्यय में मितव्ययता अपनाने की सलाह दी जाती है। उदाहरणस्वरूप, दैनिक भत्ते में 25% कटौती, नई गाड़ियों की खरीद पर रोक, मंत्रालय के विशेष अनुमोदन के बिना गाड़ियां बदलने पर रोक इत्यादि के संबंध में मिशनों/केन्द्रों द्वारा मितव्ययता का पालन किया जा रहा है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

कार्गो टर्मिनलों के निर्माण हेतु राजसहायता

3922. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नदियों और नहरों के किनारे कार्गो टर्मिनलों के निर्माण हेतु राजसहायता देता है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए दी जा रही राजसहायता की दर क्या है;

(ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान निर्माणाधीन और पूरी की गई उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो आई डब्ल्यू ए आई से राजसहायता प्राप्त करने की पात्र थीं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को राष्ट्रीय राजमार्ग-6 से जोड़ना

3923. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को राष्ट्रीय राजमार्ग-6 से जोड़ने वाले वडोदरा-पोर-सिनौर-नेतरंग-व्यारा-अहवा-सपुत्रा-नासिक मार्ग के निर्माण पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को राष्ट्रीय राजमार्ग-6 से जोड़ने वाले वडोदरा-पोर-सिनौर-नेतरंग-व्यारा-अहवा-सपुत्रा-नासिक सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तटीय राजमार्ग का निर्माण

3924. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :
श्री सुंदर लाल तिवारी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने मुख्य कस्बों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-214 के समानान्तर एक तटीय राजमार्ग का निर्माण शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने नरसापुर, मछलीपट्टणम, चल्लापल्ली, पुलीगेडा, पेनुमुडी, रपाले, भट्टीप्रोलू, बापतला और चिराला होते हुए दिगामारू से अंगोले राज्यीय सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नत करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था।

(ग) राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने से संबंधित सभी प्रस्ताव नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदण्डों के आधार पर समीक्षा हेतु आंध्र प्रदेश सहित संबंधित राज्य सरकारों को वापस कर दिए गए हैं। इस समय धनराशि के अभाव के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर प्रतिबंध है। तथापि, सरकार प्रतिबंध हटा लिए जाने के पश्चात् यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमित लंबाई के कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार कर सकती है।

नई दवाओं के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं

3925. श्री पी.आर. खूंटे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दवाओं का परीक्षण करने हेतु प्राधिकृत प्रयोगशालाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(ख) औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अंतर्गत अपने वाली अपीलीय प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) नई औषधों के नमूनों की चांच निम्नलिखित केन्द्रीय औषध प्रयोगशालाओं में की जाती है:-

1. केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता।
2. केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, थाणे, महाराष्ट्र।
3. केन्द्रीय भारतीय भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता अपीलीय प्रयोगशाला है।

विभिन्न बीमारियों का मुकाबला करने हेतु महाराष्ट्र को सहायता

3926. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार बड़ी संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों का मुकाबला करने हेतु महाराष्ट्र को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार की सहायता से महाराष्ट्र में लागू किए गए कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इन राशियों के समुचित उपयोग की निगरानी हेतु क्या तंत्र उपलब्ध है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सरकार महाराष्ट्र राज्य सहित देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मलेरिया, कुष्ठ, क्षयरोग, एड्स, दृष्टिहीनता जैसे प्रमुख रोगों के नियंत्रण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख संचारी तथा गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिए महाराष्ट्र को प्रदत्त वित्तीय सहायता इस प्रकार है:-

(रुपये लाख में)

कार्यक्रम	निर्मुक्त राशि		
	2000-01	2001-02	2002-03*
मलेरिया**	288.41	468.50	221.58
कुष्ठ	398.60	435.99	263.14
क्षयरोग	1257.08	1683.61	1025.81
एड्स	1283.65	1281.65	2293.21
दृष्टिहीनता	766.38	1298.99	629.54

*अनंतिम।

**संवर्धित मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को छोड़कर।

(ग) धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों/जिला रोग नियंत्रण सोसाइटियों को दिशानिर्देश परिचालित किए

जा चुके हैं। धन के उपयोग की मानीटरिंग नियमित रिपोर्टों, केन्द्र तथा राज्यों दोनों में समीक्षा बैठकों, लेखापरीक्षा रिपोर्टों तथा उपयोग प्रमाण-पत्रों के जरिए भी की जाती है।

[हिन्दी]

तीन वर्षीय चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम

3927. श्री पुन्नूलाल मोहले :
डा. चरणदास महंत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से अपने तीन वर्षीय चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम को भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता दिलाने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त पाठ्यक्रम को कब तक मान्यता दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं। सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों में भारतीयों की संख्या

3928. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार खाड़ी देशों में देश-वार कितने भारतीय रह रहे हैं; और

(ख) चल रहे इराक युद्ध के कारण आपातस्थिति के मामले में इन लोगों को वहां से लाने हेतु क्या प्रबंध किए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना) : (क) खाड़ी के देशों में रह रहे भारतीयों की अनुमानित संख्या, अद्यतन तिथि के अनुसार निम्नवत है:-

सउदी अरब	14,00,000
संयुक्त अरब अमीरात	12,00,000
कुवैत	3,50,000
ओमान	3,30,000
कतर	1,70,000
बहरीन	1,40,000
यमन	5,000
ईराक	19

(ख) कुवैत में रह रहे भारतीयों को सउदी अरब से होकर निकाल लाने के लिए आपात योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। तथापि, ईराक में लड़ाई छिड़ने की शुरूआत से ही नियमित वाणिज्यिक उड़ानों के लिए कुवैत तथा खाड़ी के अन्य देशों के एअरपोर्ट खुले हुए हैं और अभी तक भारतीय राष्ट्रिकों को निकाल लाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

इंडेंट की गई दवाइयों की विलम्ब से आपूर्ति

3929. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) के. स. स्वा. योजना के लाभर्थियों को इंडेंट की गई दवाइयों का आपूर्ति करने हेतु कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि विशेषकर दिल्ली स्थित सी.जी.एच.एस. औषधालय सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को इंडेंट की गई दवाइयों की आपूर्ति बहुत विलम्ब से अर्थात् 10-12 दिनों के अन्दर कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा प्रक्रिया को सुचारू बनाने तथा रोगियों को दवाइयों की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों के साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा तय की गई संविदा की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार, प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय को मांगी गई दवाओं की आपूर्ति 24 से 48 घण्टों के भीतर की जानी होती है। आपातिक मामले में बिना किसी भुगतान के प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से सीधे ही 7 दिनों की अवधि तक दवा एकत्र करने के लिए लाभार्थी को एक प्राधिकार पर्ची जारी की जाती है।

(ख) से (घ) कुल मिलाकर, प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों से मांगी गई दवाओं का आपूर्ति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निश्चित समय के भीतर कर दी जाती है। तथापि, मांगी गई दवाओं में विलंब से आपूर्ति से संबंधित शिकायतें यदा-कदा प्राप्त होती हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को मांगी गई दवाओं की आपूर्ति 48 घण्टों के भीतर सुनिश्चित करने के लिए अपर निदेशकों/संयुक्त निदेशकों को अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में 'स्पीड पोस्ट सेवाएं'

3930. श्रीमती रीना चौधरी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों के डाकघरों में स्पीड पोस्ट सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के कुछ और जिलों और उप-मंडलों में स्पीड पोस्ट सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) शून्य।

(ख) जी, हां। (स्पीड पोस्ट सुविधा रहित सब-डिवीजनों के लिए)।

(ग) यह निर्धारित मानदंड़ों के पूरा होने पर निर्भर करेगा। ये मानदंड व्यावसायिक क्षमता और कनेक्टिविटी पर आधारित हैं जो सेवा मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

[अनुवाद]

हॉस्पिटलशिप शुरू करना

3931. श्री विष्णु पद राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हॉस्पिटलशिप शुरू करने के बारे में 18 दिसम्बर, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4573 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्ताव को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) जैसा कि दिनांक 18.12.2002 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4573 के उत्तर में पहले ही बताया गया है, यह प्रस्ताव केवल प्रारंभिक अवस्था में है और इसलिए, इसके कार्यान्वयन के लिए समय लगने की संभावना है।

खाड़ी देशों में मृत्युदंड भुगत रहे भारतीय

3932. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से भारतीय लोग खाड़ी देशों में मृत्युदंड भुगत रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कैदियों को आम माफी दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जिनको मृत्युदण्ड दिया गया है उनके संबंधियों से प्राप्त दया याचिकाओं सहित दण्डों के क्षमा अथवा लघुकरण की याचना वाली दया याचिकाएं अग्रेषित की गई हैं और इनको संबंधित सरकारों के समक्ष उठाया गया है।

विवरण

खाड़ी के देशो में जिन भारतीय व्यक्तियों को मृत्युदण्ड दिया गया है उनका ब्यौरा

देश का नाम	(ख) मृत्युदंड पाने वाले भारतीयों की संख्या और उनके ब्यौरे	(ङ) इन कैदियों के लिए क्षमादान हासिल करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित/ उठाए गए कदम
बहरीन	शून्य	लागू नहीं।
कुवैत	शून्य	लागू नहीं।
ओमान	एक तथाकथित भारतीय है जिसे नशीले पदार्थों के व्यापार के लिए मृत्युदण्ड दिग़ा गया है।	इस मामले में दण्ड के लघुकरण हेतु कोई दया याचिका प्राप्त नहीं हुई है।
कतर	शून्य	लागू नहीं।
सऊदी अरब	वर्तमान स्थिति के अनुसार दो भारतीय राष्ट्रिकों को मृत्यु-दण्ड दिया गया है: एक को नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए दूसरे को दूसरे भारतीय की हत्या करने के लिए।	सऊदी प्राधिकारियों को मृत्यु-दण्ड के लघुकरण और इन व्यक्तियों को शीघ्र मुक्त करने के लिए दया याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं।
संयुक्त अरब अमीरात	10 भारतीय राष्ट्रिकों को हत्या और नशीले पदार्थ इत्यादि रखने के आरोपों पर मृत्यु-दण्ड दिया गया है।	आरोपी कैदियों के निकट के रिश्तेदारों से प्राप्त दया याचिकाओं को संयुक्त अरब अमीरात की सरकार को अग्रेषित कर दिया गया है। हालांकि जनवरी 2002 से संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने इस प्रकार के मामलों के लिए प्रस्तुत दया याचिकाओं को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है।

क्रेडिट गारंटी फण्ड स्कीम

3933. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के लिए एक ''क्रेडिट गारंटी फण्ड स्कीम'' चलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार ऐसे कितने लघु उद्योग हैं, जिनको 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार योजना के अंतर्गत समपार्श्विक गारंटी प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव निधि के कोष में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकंदर) : (क) से (ग) सरकार ने लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम शुरू की है, जो भारत सरकार तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा 4 : 1 के अनुपात (सीजीटीएसआई) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य 25 लाख रु. प्रति यूनिट के अधिकतम क्रेडिट की शर्त के अधीन सम्पार्श्विक मुक्त क्रेडिट के 75 प्रतिशत तक क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए गारंटी सुरक्षा प्रदान करना है।

31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार योजना के अन्तर्गत 7151 लाख रु. के कुल ऋणों के लिए 6424 लघु उद्योग यूनिटों को शामिल किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित गारंटियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सी.जी.टी.एस.आई. के निधि कोष को वित्तीय वर्ष 2002-03 के अन्त में बढ़ाकर 427.01875 करोड़ रु. कर दिया गया और इसे उचित तौर पर और आगे बढ़ा दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए योजना का परिव्यय 192 करोड़ रु. है।

विवरण

31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित गारंटिया

(राशि लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु उद्योग यूनिटों की संख्या	ऋण की राशि
1	2	3	4
1.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	6	2
2.	आंध्र प्रदेश	414	582
3.	असम	37	102
4.	बिहार	705	368
5.	चण्डीगढ़	4	20
6.	छत्तीसगढ़	102	92
7.	दमन एंड दीव	1	25
8.	दिल्ली	23	128
9.	गोवा	16	17
10.	गुजरात	76	107
11.	हरियाणा	112	185
12.	हिमाचल प्रदेश	233	94
13.	जम्मू और कश्मीर	102	67
14.	झारखंड	232	218
15.	कर्नाटक	534	1274
16.	केरल	967	520
17.	मध्य प्रदेश	436	404
18.	महाराष्ट्र	219	683
19.	मेघालय	2	1
20.	नागालैंड	1	1
21.	उड़ीसा	132	71
22.	पांडिचेरी	1	25
23.	पंजाब	233	190
24.	राजस्थान	85	115
25.	सिक्किम	1	1
26.	तमिलनाडु	307	856
27.	त्रिपुरा	1	22
28.	उत्तर प्रदेश	1300	797
29.	उत्तरांचल	12	10
30.	वेस्ट बंगाल	130	174
	कुल	6424	7151

आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों में दवाइयों की कमी

3934. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.जी.एच.एस. आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों को सभी तरह की आयुर्वेदिक/यूनानी दवाइयों की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) जी, नहीं। आम बीमारियों के उपचार के लिए अपेक्षित अधिकांश दवाइयां आयुर्वेदिक/यूनानी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में उपलब्ध रहती हैं। वैसे, लाभार्थियों को सरकारी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित की जाने वाली तथा औषधालयों में अनुपलब्ध आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाइयां खुले बाजार से खरीदने की अनुमति दी जाती है और सरकार इस धन राशि की प्रतिपूर्ति कर देती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र पी.सी.ओ.

3935. **श्री भीम दाहाल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर सिक्किम में जिले-वार कितने पी.सी.ओ. आवंटित किए गए;

(ख) क्या सरकार ने पी.सी.ओ. के आवंटन हेतु कोई नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) सिक्किम सहित दूरसंचार की जिलावार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	दूरसंचार जिले का नाम	आबंटित किए गए एसटीडी/आईएसडी/स्थानीय पीसीओ की संख्या		
		2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	मेघालय	178	233	358
2.	मिजोरम	71	56	94
3.	त्रिपुरा	350	347	589
4.	अरुणाचल प्रदेश	719	879	921
5.	मणिपुर	985	1203	1313
6.	नागालैंड	1381	1412	1515
7.	सिक्किम	70	71	19
8.	बोंगईगांव	456	235	600
9.	डिब्रूगढ़	269	170	278
10.	गुवाहाटी (कामरूप)	578	819	717
11.	जोरहाट	97	136	341
12.	नागांव	122	170	374
13.	सिलचर	451	275	516
14.	तेजपुर	439	352	545

भारतीय जड़ी-बूटियों पर अनुसंधान

3936. **श्री पी.एस. गढ़वी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जड़ी-बूटी उद्योग कतिपय औषधियों के निर्माण के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी अनुमति अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पश्चिमी देश भारतीय जड़ी-बूटियों पर व्यापक अनुसंधान कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.

ओ.) ने परंपरागत दवाइयों पर अनुसंधान और मूल्यांकन विषयक पद्धतियों और परंपरागत चिकित्सा कार्यनीति से संबंधित सामान्य दिशा-निर्देश सदस्य देशों के लिए जारी कर दिए हैं। अत:, किसी प्रकार का अनुसंधान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुमति आवश्यक नहीं है।

(घ) और (ङ) यह ज्ञात है कि पश्चिमी देश भूमि आमलकी (फाइलेंथस एमेरस), निंब (अजादिरचता इंडिका) और हरिद्रा (करक्युमा लौंगा) आदि समेत भारतीय जड़ी बूटियों पर अनुसंधान कर रहे हैं।

बिहार में औद्योगिक इकाई समूह स्थापित करना

3937. श्री सुकदेव पासवान : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बिहार में औद्योगिक इकाई स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आवंटित की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकंदर) : (क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय सिल्क बोर्ड ने बिहार सरकार के सहयोग से किशनगंज जिले के जिले के पैनीसल गांव के आस-पास एक सेरी-कलचर कलस्टर विकसित किया है तथा दूसरा कलस्टर सहरसा, सुपाल तथा मधेपुरा जिलों में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। उपर्युक्त कलस्टरों के लिए 10.757 लाख रु. की राशि रिलीज की गई है। इसके अलावा ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत नालंदा जिले के बिहार शरीफ में लैदर उद्योग के लिए कलस्टर तथा मधुबनी जिलों में मिथिला/मधुबनी पेंटिंग के विकास के लिए क्रमश: 55,270/- तथा रु. 505,596/- की लागत से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक द्वारा अपने हाथ में लिया है।

[हिन्दी]

रिक्त पद

3938. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न् विभागों में श्रेणी क, ख, ग, और घ अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कोटा कितना है;

(ग) क्या मंत्रालय में अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) का आरक्षण कोटा भरा जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कोटे को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या ओ.बी.सी. कें कर्मचारियों को पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किया जाता है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सिवाय विदेश मंत्रालय में अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :-

समूह	अन्य पिछड़े वर्गों के श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या
क	33
ख	61
ग	42
घ	27

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार में सीधी भर्ती के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा पदों का 27 प्रतिशत है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार में सीधी-भर्ती के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केवल 1995 में शुरू हुआ। उसके बाद से विदेश मंत्रालय में अन्य पिछड़े वर्गो के लिए उद्दिष्ट 27 प्रतिशत रिक्तियों को भरा जा रहा है।

(च) और (छ) जी नहीं, भारत सरकार की मौजूदा आरक्षण नीति में अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के लिए पदोन्नति में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

3939. श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने खाद्य और औषध प्रयोग का कम्प्यूटरीकरण करने, औषध नियंत्रण प्रयोगशाला, मुम्बई को सबल बनाने, औषध नियंत्रण प्रयोगाशाला, औरंगाबाद को सफल बनाने के संबंध में विश्व बैंक से वित्तीय सहायता पाने हेतु नवम्बर, 2001 में केन्द्र सरकार को तीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना का पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका है और यह अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

उड़ीसा में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

3940. श्री परसुराम माझी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुट जिलों में कितने ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित हैं;

(ख) क्या इन जिलों के अधिकांश गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधाएं नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन जिलों के प्रत्येक गांव में, विशेषकर दुर्गम्य गांवों में, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा के कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिलों में कुल 8987 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) लगाए गए हैं। जिला-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

जिला	कुल गांव	दूरसंचार सुविधा युक्त गांव
कालाहांडी	2700	2371
बोलंगीर	2569	2396
कोरापुट	6118	4220

(ख) जी, नहीं।

(ग) इन जिलों में टेलीफोन सुविधा रहित शेष 2400 गांवों में से 2077 दुर्गम गांवों में उपग्रह आधारित टेलिफोन प्रदान किए जाने की योजना है बशर्ते कि सरकार द्वारा निधि उपलब्ध करा दी जाए। 228 गांव आबादी रहित हैं, 55 छोटे गांवों में कोई संरक्षक नहीं है और 40 गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पड़ते हैं। स्थिति में सुधार होते ही इन गांवों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों में डब्ल्यूएलएल

3941. श्री सुरेश पासी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के समूचे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को मल्टी एक्सेस रिले रेडियो (एम.ए.आर.आर.) के द्वारा टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश ग्राम सभाओं और पंचायतों को टेलीफोन उपकरण नहीं मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ ग्राम सभायें और पंचायतें जिन्हें उपकरण मिल चुके हैं, वे उनका समुचित रख-रखाव नहीं कर रही हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रणाली की विफलता के मद्देनजर उन्हें डब्ल्यूएलएल में परिवर्तित करने का है;

(छ) यदि हां, तो इस योजना के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए एमएआरआर, वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल), लैंडलाइन और सैटेलाइट टर्मिनलों जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है।

(ग) से (ङ) जी नहीं, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा गांवों को प्रदान किए गए सभी वीपीटी कनेक्शनों और एमएआरआर आधारित वीपीटी कनेक्शनों को उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। तथापि कुछ स्थानों पर वीपीटी की सेवा सन्तोषजनक नहीं है।

(च) से (ज) भारत के समग्र ग्रामीण क्षेत्र में एमएआरआर आधारित सभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2004-05 तक परिवर्तित करने की योजना है।

[अनुवाद]

प्रशिक्षित क्लीनिकल पोषाहार विशेषज्ञों का अभाव

3942. श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेशचन्द्र यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में समुचित रूप से प्रशिक्षित क्लीनिकल पोषाहार विशेषज्ञों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) दिल्ली में केन्द्र सरकार के प्रत्येक अस्पताल अर्थात् डा. राम-राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफदर जंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों में एक आहार विज्ञान विभाग विद्यमान है और इन अस्पतालों में रोगियों को पोषण के बारे में सलाह देने के लिए योग्य आहारिकीविद तैनात हैं।

बीएसएनएल द्वारा एसटीडी दरों में कटौती

3943. श्री अनन्त नायक :
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने एसटीडी दरों में भारी कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस सीमा तक कटौती की गई और इसे कब से लागू किया गया;

(ग) क्या बीएसएनएल का विचार आईएसडी दरों में कटौती करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। बीएसएनएल द्वारा 7 मार्च, 2003 से 500 कि.मी. से अधिक दूरी वाली लंबी दूरी की कालों के प्रभारों को 9 रुपए प्रति मिनट से 4.80 रुपए प्रति मिनट करके एसटीडी की दरों में भारी कटौती कर दी गई थी।

(ग) आई एस डी की दरों में कटौती करने के बारे में बी एस एन एल में फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एन एच-34 की स्थिति

3944. श्री अबुल हसनत खां : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता हवाई अड्डे से दार्जिलिंग जिले की सिलीगुड़ी

को जाने वाले एन एच - 34 की स्थिति काफी समय से खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सड़क की कब तक व्यापक रूप से मरम्मत की जाएगी; और

(घ) इस सड़क का कब तक विस्तार किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रा रा 34 कोलकाता विमान पत्तन से शुरू होता है और डलखोला में समाप्त होता है। कोलकाता विमान पत्तन से 31 कि.मी. और 398 कि.मी. से डलखोला तक इस सड़क का सुधार पहले ही पूरा कर लिया गया है। एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से 31 से 398 कि.मी. तक के खंड की क्षमता बढ़ाने और सुदृढ़ीकरण के लिए मार्च, 2003 में स्वीकृति दी गई है। यह कार्य 2006-07 तक पूरा किया जाना है। डलखोला से सिलीगुड़ी खंड (रा रा 31) में 4 लेन बनाने का कार्य चल रहा है। इसे 2007 तक पूरा किया जाना है।

आई.सी.एम.आर. के विषविज्ञान पैनल की रिपोर्ट

3945. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.सी.एम.आर. के विषविज्ञान समीक्षा पैनल ने टॉक्सिसिटी स्टाइरिन मैलिक एनहाइड्राइड (एस.एम.ए.) और ड़ाइमिथाइल सल्फॉक्सादड (डी.एम.एस.ओ.) को मंजूरी नहीं प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एस.एम.ए. और डी.एम.एस.ओ. का सेवन करने से मानव अंगों को अतिशय नुकसान पहुंचता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मनुष्यों पर उपरोक्त औषधियों के प्रयोग के पीछे क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। सम्पूर्ण विष विज्ञानीय ब्यौरे (डोजियर) और देखे गए क्लीनिकल परिणामों के अभाव की वजह से परिषद का विष विज्ञान पैनल स्टिरीन मैलिएक सल्फोक्साइड (एस.एम.ए.) और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड (डी.एम.एस.ओ.) पर अध्ययन आगे बढ़ाने के लिए आगे की मंजूरी नहीं दे सका है।

(ग) से (ङ) प्रकाशित साहित्य के अभाव के कारण और अनुसंधान के वर्तमान स्तर की वजह से एस. एम. एस. और डी. एम. एस. ओ. के सेवन पर कोई निर्णायक प्रमाण प्राप्त नहीं निकाले जा सकते।

[हिन्दी]

जयपुर में आधुनिक संचार सुविधा

3946. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान जयपुर, राजस्थान में टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने और आधुनिक संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्रियान्वित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2003-2004 में जयपुर में प्रदान की जाने वाली ऐसी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में विशेषकर राजस्थान में संचार और डाक सेवाओं में कितने अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2002-03 के दौरान जयपुर के गौण स्विचन क्षेत्रों (जयपुर और दौसा राजस्व जिलों) में एक्सचेंजों की क्षमता में निम्नानुसार वृद्धि की है :-

1. बढ़ाई गई स्विचन क्षमता - 29018 लाइनें।
2. जयपुर गौण स्विचन क्षेत्र में 7 नए एक्सचेंज खोले गए।
3. ट्रंक आट्रोमैटिक एक्सचेंज की क्षमता का 8000 लाइनों द्वारा विस्तार किया गया।
4. 29000 लाइनों की क्षमता वाली सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) चालू कर दी गई है।

आधुनिक टेलीफोन सुविधाएं जैसे आईएन (इंटेलीजेंट नेटवर्क) सेवाएं [आईटीसी (इंडिया टेलीफोन कार्ड)] कार्ड, निशुल्क फोन सेवाएं, टेलीवोटिंग सेवा, पीआरएम (प्रीमियम रेट सेवा), वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) सेवा, आईएन पीसीओ (सार्वजनिक टेलीफोन बूथ), आईएसडीएन (इंटिग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क) सेवाएं वीडियो कान्फ्रेंसिंग, डायल अप/लीज्ड लाइन/आईएसडीएन इंटरनेट सेवाएं, इंटरनेट ढाबा तथा इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं प्रदान कर दी गई हैं।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने जयपुर सिटी के लिए 2003-04 के दौरान निम्नलिखित सुविधाओं की योजना बनाई है :-

1. जयपुर में 9000 लाइनों वाले ई डब्ल्यू एस डी (डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणाली) की एक्सचेंज क्षमता में वृद्धि तथा 1000 लाइनों वाले ओसीबी (आंर्गन सेन्ट्रल बाइनेयर) स्थानीय एक्सचेंज के उपस्कर का आदेश दिया जा चुका है।

2. सेल्यूलर मोबाइल सेवा का विस्तार।

3. 9000 लाइनों वाले टीएएक्स (ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज) की क्षमता का संवर्धन।

4. 10000 लाइनों की डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) मोबाइल सेवाएं चालू की जानी हैं।

जयपुर में 2003-04 के दौरान प्रदान की जाने वाली आधुनिक दूरसंचार सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

1. 96 लाइनों वाली सीधी इंटरनेट एक्सेस प्रणाली (डीआईएएस)।

2. इंटरनेट डायल अप कनेक्शन हेतु ऑन लाइन पंजीकरण।

3. सीएलआई (कालिंग लाइन आईडेंटिफिकेशन) आधारित इंटरनेट सेवा।

4. आईवीआरएस प्रणाली पर मूल्य वर्धित सेवा।

5. मुख्यस्थित लीज्ड लाइन नेटवर्क।

6. कॉल केन्द्र खोलना।

7. कंप्यूटरीकरण संबंधी कार्यकलाप जिनमें बिल तैयार करने तथा वाणिज्यिक सेवाओं का एकीकरण शामिल है।

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान राजस्थान में संचार विभाग में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की संख्या 95 है और सभी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वर्ष 2001-02 के दौरान राजस्थान में डाक विभाग में कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था। देशभर में डाक तथा संचार विभाग में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

सेलुलर फोनों को आईटी इंस्ट्रूमेंट के रूप में घोषित किया जाना

3947. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेलुलर फोनों को आईटी इंस्ट्रूमेंट के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी करार (आई टी ए) जिसमें भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है, के अंतर्गत सेल्यूलर फोनों को पहले ही शामिल किया जा चुका है। इस प्रकार, सेल्यूलर फोन सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण हैं।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एनटीपीसी का विनिवेश

3948. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की इक्विटी के विनिवेश का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शुल्क का भुगतान

3949. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहरी टेलीफोन केन्द्र के सन्निकट रह रहे ग्रामीण उपभोक्ताओं को वही शुल्क अदा करना पड़ता है जो शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा देय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शहरी और ग्रामीण टेलीफोन केन्द्रों की परिभाषाएं बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जनगणना रिपोर्ट में ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित टैरिफ के अनुसार टैरिफ का भुगतान करना पड़ता है और यह टैरिफ उस एक्सचेंज जिससे उपभोक्ताओं को सेवा दी जाती है, की स्थान-स्थिति पर निर्भर करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शहरी और ग्रामीण के रूप में एक्सचेंजों के वर्गीकरण का ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता की टैरिफ देयता का कोई सम्बन्ध नहीं है।

पेशे से जुड़े खतरों का अध्ययन

3950. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट फार ऑकुपेशलन हैल्थ को विभिन्न तबकों के श्रमिकों के पेशे से जुड़े भिन्न-भिन्न खतरों के अध्ययन की जिम्मेवारी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यों का ब्यौरा क्या है जिन पर एन.आई.ओ.एच. ने गत तीन वर्षों के दौरान अध्ययन कार्य पूरे कर लिए हैं और वर्तमान में चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एन.आई.ओ.एच. के कार्यकरण की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) जी, हां। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन एक संस्थान राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद को ''व्यावसायिक रोगों का नियंत्रण और उपचार'' नामक एक केन्द्रीय कार्यक्रम सौंपा गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नौ मुख्य परियोजनाएं चलाई गई। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान ने गोमेद उद्योग, क्वांदज-ग्राइन्डरों, तम्बाकू हार्वेस्टरों, नमक कामगारों और पत्थर का कार्य करने वाले कामगारों में व्यावसायिक जोखिमों की रोकथाम के लिए मोड्यूल विकसित किए हैं।

(घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसका राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, एक घटक है, में विभिन्न स्थायी संस्थानों/केन्द्रों की वैज्ञानिक गतिविधियों के मूल्यांकन की प्रणाली मौजूद है। वैज्ञानिक परामर्शी बोर्ड, जिसके अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक हैं। इन संस्थानों/केन्द्रों के काम-काज का नियमित आधार पर मूल्यांकन करता है।

विवरण

1. गोमेद उद्योग में सिलिकोसिस और सिलिको-क्षयरोग की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार।

2. तम्बाकू उगाने वालों की व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याएं और उनकी रोकथाम।

3. बालश्रम—व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याएं, मूल्यांकन और नियंत्रण।

4. राष्ट्रीय व्यासायिक स्वास्थ्य संस्थान, में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्षमता सृजन।

5. गुजरात के और पश्चिम राजस्थान के दूरस्थ मरुस्थलीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे नमक कामगारों के बीच व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों की रोकथाम और नियंत्रण।

6. सिलिकोसिस के अधिक खतरे वाले कुटीर उद्योगों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम मूल्यांकन और उपचार कार्यक्रम का विकास।

7. घरों के अन्दर/आस-पास के वायुप्रदूषण के कारण ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का स्वास्थ्य संबंधी जोखिम मूल्यांकन।

8. खतरनाक प्रक्रियाएं और रसायन। डेटाबेस तैयार करने वाली प्रलेखन सामग्री और सूचना।

9. साइकिल चलाने वालों की व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मूल्यांकन करना और एर्गोनामिक सिद्धान्त पर साइकिल रिक्शा डिजाइन करना।

मास्टर कन्ट्रोल फैसिलिटी केन्द्र

3951. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का सैटेलाइट संबंधी निगरानी क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसरो द्वारा कितने मास्टर कन्ट्रोल फैसिलिटी केन्द्रों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) ऐसे केन्द्रों को स्थापित किए जाने के लिए चिन्हित किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा भोपाल, मध्य प्रदेश में एक और मुख्य नियंत्रण सुविधा (मास्टर कन्ट्रोल फैसिलिटी) स्थापित की जा रही है।

फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सहायता

3952. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के फाइलेरिया मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों से विशेषकर उड़ीसा से फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) देश में फाइलेरिया के रोगियों की संख्या को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य से ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

माइक्रोफाइलेरिया (एम.एफ.) एवं इसके रोगियों (1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2002 तक) की व्याप्तता पर राज्यवार अनन्तिम डाटा

क्रम सं.	राज्य	रक्त स्मीयर जांच	माइक्रोफाइलेरियन वाहकी की संख्या (एमएफ घनात्मक)	एम.एफ. % दर	रोगियों की संख्या	रोगी दर %
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	213877	2438	1.14	10299	4.82

1	2	3	4	5	6	7
2.	असम	0	0	0.00	0	0.00
3.	बिहार	278038	1133	0.41	5315	1.91
4.	गोवा	11790	17	0.14	0	0.00
5.	गुजरात	26473	35	0.13	10	0.04
6.	कर्नाटक	86150	536	0.62	5882	6.60
7.	केरल	88597	393	0.44	599	0.68
8.	मध्य प्रदेश	103984	214	0.21	656	0.63
9.	महाराष्ट्र	589147	7581	1.29	2596	0.44
10.	उड़ीसा	16112	210	1.30	1569	9.74
11.	तमिलनाडु	2011010	1385	0.07	1166	0.06
12.	उत्तर प्रदेश	67245	504	0.75	4815	7.16
13.	पश्चिम बंगाल	5463	180	3.29	487	8.91
14.	पांडिचेरी	106040	523	0.49	126	0.12
15.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11823	78	0.66	0	0.00
16.	दमन और दीव	12051	14	0.12	92	0.76
17.	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0	0.00
18.	झारखण्ड	27507	70	0.25	356	1.29
	कुल	3655307	15311	0.42	33768	0.92

मंगलौर पत्तन से सड़क संपर्क

3953. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर पत्तन को सड़क से जोड़ने के लिए कर्नाटक में कोई सड़क परियोजना प्रारंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां।

रा रा 17 पर सूरतकल से नंतूर जंक्शन और रा रा 48 पर पादिल जंक्शन से बांटवाल खंड का सुधार करके नवमंगलूर पत्तन के लिए मार्ग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 38 कि.मी. है।

(ग) यह परियोजना विशेष प्रयोजन तंत्र की स्थापना करके शुरू की जाएगी जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नवमंगलूर पत्तन न्यास की भागीदारी हो सकती है।

डाकघर स्थापित करना

3954. श्री ए. नरेन्द्र : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में डाकघरों की नई इमारतों के निर्माण और रख-रखाव के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में स्थापित नये डाकघरों की संख्या कितनी है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन राज्यों में कितने डाकघरों की स्थापना का प्रस्ताव है और इसके लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में पिछले प्रत्येक तीन वर्षों में और अब तक डाकघरों के नए भवनों के निर्माण और उनके रख-रखाव के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

		आवंटित धनराशि (लाख रु. में)			
		2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004
नए भवनों के निर्माण के लिए	आंध्र प्रदेश	92.54	108.28	शून्य	शून्य
	उत्तरांचल	शून्य	90	87.10	शून्य
भवनों के रख-रखाव के लिए	आंध्र प्रदेश	193	188.20	227	शून्य
	उत्तरांचल	शून्य	121	131	शून्य

(ख) आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान खोले गए नए डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है:-

	खोले गए नए डाकघरों की संख्या		
	2000-2001	2001-2002	2002-2003
आंध्र प्रदेश	8	3	3
उत्तरांचल	7	16	4

(ग) लक्ष्यों और आवंटित धनराशि का सर्किलवार ब्यौरा हर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में तैयार किया जाता है और यह कार्यवाही अभी जारी है।

[हिन्दी]

क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि

3955. श्री महेश्वर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान क्षयरोग के आतंक को ध्यान में रखकर इस रोग के नियंत्रण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि उपलब्ध करायी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यवार विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है और उन संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन संगठनों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता को जिला स्तर तक विकेन्द्रिकृत कर दिया गया है और इस प्रयोजन के लिए केन्द्र द्वारा राज्य क्षयरोग सोसायटियों को धन जारी किया जाता है ताकि वे आगे जिला क्षयरोग सोसायटियों को धन जारी कर सकें। केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सीधे कोई धन जारी नहीं किया जाता। आज तक गैर-सरकारी संगठन शीर्ष के अधीन धन के राज्य-वार व्यय और सहभागी गैर-सरकारी संगठनों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबन्ध पर दिया गया है। बहुत से गैर-सरकारी संगठन, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में स्वैच्छिक आधार पर भाग लेते हैं।

(ग) क्षयरोग परिचर्या सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के अधीन गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता पर विशेष जोर दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए विस्तृत दिशा-निदेश तैयार किए गए हैं और उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता के लिए पांच स्कीमें हैं और गैर-सरकारी संगठन अपनी क्षमता के अनुसार इनमें से कोई एक स्कीम अपना सकते हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों में आज तक गैर-सरकारी संगठन शीर्ष के अधीन धन का व्यय

क्रम सं.	राज्य का नाम	व्यय	सहभागी गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.02	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.30	2
3.	बिहार	2.76	13
4.	चण्डीगढ़	0.25	5
5.	दिल्ली	1.66	48
6.	गुजरात	4.94	24
7.	हिमाचल प्रदेश	0.09	2
8.	झारखण्ड	0.97	8
9.	कर्नाटक	3.80	21
10.	केरल	4.08	27
11.	मध्य प्रदेश	1.15	2
12.	महाराष्ट्र	23.05	108
13.	मणिपुर	2.43	40
14.	नागालैण्ड	0.21	4
15.	राजस्थान	3.60	53
16.	सिक्किम	0.55	28
17.	तमिलनाडु	4.89	75
18.	उत्तर प्रदेश	1.76	6
19.	पश्चिम बंगाल	20.37	32

बहुत से गैर-सरकारी संगठन, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में स्वैच्छिक आधार पर भाग लेते हैं।

झारखण्ड में डब्ल्यूएलएल आधारित पीसीओ

3956. श्री नागमणि : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल आधारित पीसीओ स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इस सुविधा के राज्य में उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम संचार सेवक योजना के अन्तर्गत डब्ल्यूएलएल आधारित पीसीओ उपलब्ध करा दिये गये हैं।

मातृत्व लाभ योजना को आरम्भ किया जाना

3957. योगी आदित्यनाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई नई मातृत्व लाभ योजना आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां। जननी सुरक्षा योजना के नाम से एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। यह योजना न केवल मौजूदा राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना को इस समय चल रही प्रसूति स्वास्थ्य योजनाओं के साथ मिलायेगी बल्कि अनेक नई पहलें भी शुरू करेगी।

(ख) और (ग) इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार होंगी :-

(i) यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना होगी।

(ii) यह लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रह रही सभी महिलाओं को उपलब्ध होगा।

(iii) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की 19 वर्ष और इससे अधिक आयु की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी।

(iv) इसका कार्यान्वयन शहरी क्षेत्रों में नगर स्वास्थ्य प्राधिकारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से होगा।

(v) दो जीवित जन्मों तक लड़के के जन्म के लिए 500 रुपए और लड़की के जन्म के लिए 1000 रुपए की सहायता। ऐसी गर्भवती महिलाओं को, जो बंध्यकरण करवाने के लिए तैयार हो, दो बच्चों के जन्म के बाद भी इस स्कीम का लाभ दिया जाना चाहिए।

(vi) इन लाभों को प्राप्त करने के लिए किसी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में कम से कम 3 प्रसवपूर्व जांचे और प्रसव करवाना आवश्यक होगा।

(vii) किसी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में गर्भवती महिला को ले जाने के वास्ते 150 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

(viii) यदि किसी गर्भवती महिला के पास गरीबी रेखा से नीचे के संबंध में कार्ड नहीं है तो गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति के बारे में स्व-घोषणा को स्वीकार किया जाएगा।

(ix) प्रसव के तत्काल बाद ए एन एम द्वारा इस स्कीम से संबंधित सहायता संवितरित की जानी प्रस्तावित है।

(x) यदि कोई दाई गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में लाती है तो उस दाई को 25 रुपए का प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा।

अपंजीकृत चिकित्सक

3958. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के लाखों अपंजीकृत चिकित्सकों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें प्रशिक्षण देकर अनुभव के आधार पर उन्हें पंजीकृत करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) सरकार को ज्ञात है कि देश में अनेक अपंजीकृत चिकित्सक हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय वाहन लाइसेंसिंग प्राधिकरण की स्थापना

3959. श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री सुंदर लाल तिवारी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय वाहन लाइसेंसिंग प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्राधिकरण के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पत्तन क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय

3960. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान पत्तन क्षेत्र के लिए स्वीकृत योजना परिव्यय का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आबंटित योजना परिव्यय का पूर्ण प्रयोग नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) नौवीं योजना के दौरान पत्तन क्षेत्र के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय के पत्तन/संगठनवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्रम सं.	पत्तन/संगठन	परिव्यय (करोड़ रु.)
1	2	3
(i)	कोलकाता पत्तन	545.00
(ii)	मुम्बई पत्तन	1208.00
(iii)	जवाहरलाल नेहरू पत्तन	700.00
(iv)	चेन्नई पत्तन	1500.00
(v)	कोचीन पत्तन	380.00
(vi)	विशाखापत्तन पत्तन	900.00
(vii)	कांडला पत्तन	560.00
(viii)	मुरगांव पत्तन	360.00
(ix)	पारादीप पत्तन	1200.00
(x)	नव मंगलूर पत्तन	640.00
(xi)	तूतीकोरिन पत्तन	550.00
(xii)	ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया	695.00
(xiii)	अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य	125.00
(xiv)	लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन	15.00
(xv)	महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	12.00
(xvi)	लघु पत्तन	30.00
(xvii)	अन्य	8.00
	योग :	9428.00

(ख) जी, हां।

(ग) पत्तनों द्वारा योजना परिव्यय का उपयोग न करने के मुख्य कारणों में मानसून/खराब मौसम के कारण आरंभ करने में हुआ विलम्ब/धीमी गति, संविदात्मक विवाद/मुकदमेबाजी, निविदाओं को अंतिम रूप देने तथा ठेके देने में हुआ विलम्ब, योजनाओं को समाप्त/आस्थगित करना, पर्यावरणीय अनुमोदन आदि में विलम्ब होना शामिल है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के भवन का सौंपा जाना

3961. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर.के. पुरम के 12 सेक्टर की सी.जी.एच.एस. औषधालय के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भवन अभी तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सी.जी.एच.एस. को नहीं सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक इस नवनिर्मित भवन में औषधालय के स्थानान्तरित होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह इमारत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के हवाले नहीं की गई है क्योंकि स्थानीय निकायों से कुछ मंजूरी प्राप्त करनी अपेक्षित हैं।

(घ) उपरोक्त मंजूरियां प्राप्त होने के बाद ही इस औषधालय को नई इमारत में स्थानांतरित किया जा सकता है।

फार्मेसिस्ट के रिक्त एद

3962. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियों में विशेषकर दिल्ली में फार्मेसिस्ट के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन डिस्पेंसरियों के सुचारू कार्यकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इन रिक्तियों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार रिक्तियों की स्थिति इस प्रकार है:-

	1.4.2003 की स्थिति के अनुसार के.स.स्वा.यो. के फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की संख्या	
	आयुर्वेदिक	होम्योपैथिक
दिल्ली में	3	3
दिल्ली से बाहर	4	1

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में फार्मासिस्टों के पद सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत आते हैं और इसलिए ये पद तब तक नहीं भरे जा सकते जब तक कि इस उद्देश्य के लिए सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की मंजूरी नहीं मिल जाती। इस जांच समिति ने 29.1.2003 को आयोजित बैठक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत फार्मासिस्ट (होम्योपैथी) के तीन पदों और फार्मासिस्ट (आयुर्वेदिक) के दो पदों को भरने की सिफारिश की है। इसके साथ ही कर्मचारियों की कमी की समस्या के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं।

(ग) जांच समिति द्वारा अनुमोदित फार्मासिस्ट के पदों के संबंध में संबंधित नियुक्ति अधिकारी से उन पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

ई-गुरूकुल कार्यक्रम

3963. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ई-गुरूकुलों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ई-गुरूकुलों के मुख्य उद्देश्य और कार्यप्रणाली क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र में अस्पतालों के लिए विदेशी सहायता

3964. श्री किरीट सोमैया :
श्री मोहन रावले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र राज्य सरकार से राज्य में कुछ

अस्पतालों के उन्नयन हेतु जापान से वित्तीय सहायता के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस प्रस्ताव को शीघ्र अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) जी, हां। (1) सर जे.जे. अस्पताल और कामा एवं एल्बलेश अस्पताल, मुम्बई की चिकित्सा सेवाओं में सुधार से संबंधित परियोजना और (2) कोल्हापुर, लातूर, चन्द्रपुर, गड़चिरौली एवं अमरावती में महाराष्ट्र सरकार के सिविल अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन, के लिए क्रमश: दो प्रस्ताव अप्रैल, 1997 और फरवरी, 2002 में जापान सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं।

जापान सरकार ने सर जे.जे. अस्पताल और कामा एवं एल्बलेश अस्पताल, मुम्बई के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है और सिविल अस्पताल एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन संबंधी प्रस्ताव पर जापान सरकार विचार कर रही है।

प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने के लिए आय अर्जन का मानदंड

3965. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने में आय अर्जन के मानदंड को नहीं अपनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को आंकते समय विदेशों और अन्य राज्यों मे भेजी गई रकमों को ध्यान में नहीं रखा जाता;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति औसत आय का सही-सही पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान कराया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रति व्यक्ति औसत आय की ठीक-ठीक गणना करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं को शामिल करने का है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने में आय अर्जन के मानदंड को नहीं अपनाया गया है।

(ख) अन्य राज्यों के साथ-साथ विदेशों से कारक आय के निवल अन्तर्वाह संबंधी जानकारी के अभाव के कारण आय अर्जन के मानदंड को अपनाना संभव नहीं हुआ है।

(ग) विदेशों और अन्य राज्यों से भेजी गई रकम तथा बैंक अंतरणों को इस गणना में ध्यान में नहीं रखा जाता है।

(घ) आय उत्पादक मानदंड से इन प्रवाहों की कोई संगतता नहीं है।

(ङ) राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों के संकलन के लिए राज्यों द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली, जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रति व्यक्ति औसत आय की गणना का आधार बनाती है, इस प्रयोजना के लिए गठित क्षेत्रीय लेखा समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

(च) जैसाकि उपर्युक्त (ङ) में स्पष्ट किया गया है।

(छ) जी, नहीं। आजकल अपनाई जा रही कार्य प्रणाली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रति व्यक्ति औसत आय का उचित निर्धारण प्रदान करती है।

एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा सेल्यूलर सेवाएं

3966. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमटीएनएल और बीएसएनएल देश में सेल्यूलर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार इससे एमटीएनएल और बीएसएनएल ने कितना राजस्व अर्जित किया है;

(ग) क्या लोग निजी टेलीफोन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सेल्यूलर टेलीफोन सेवा की तुलना में सरकारी स्वामित्व वाली एमटीएनएल और बीएसएनएल सेल्यूलर टेलीफोन सेवा में कम रुचि दिखा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अपनी सेल्यूलर सेवाओं को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लि. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों—नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद तथा गुड़गांव सहित मैट्रो शहरों—दिल्ली और मुम्बई तथा इसके नजदीकी क्षेत्रों—नवीं मुम्बई एवं कल्याण में ही सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं प्रदान कर रहा है। अन्य स्थानों पर सेल्यूलर सेवा भारत संचार निगम लि. द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लि. तथा भारत संचार निगम लि. द्वारा फरवरी, 2003 तक अर्जित कुल राजस्व क्रमश: 236.389 करोड़ रु. तथा 127 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। महानगर टेलीफोन निगम लि. तथा भारत संचार निगम लि. द्वारा प्रदत्त सेवाओं की अच्छी प्रतिक्रिया रही है।

(ङ) सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं को और लोकप्रिय बनाने के लिए जो कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं, वो इस प्रकार हैं:-

(i) वहनीय टैरिफ योजना के कारण सेल्यूलर मोबाइल सेवा आम लोगों की पहुंच के भीतर है।

(ii) उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की सेवा आसानी से प्राप्त की जा सकती है और उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए कॉल केन्द्र खोले गए हैं।

(iii) कवरेज में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त बेस यूनिटों की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

ट्रांसमीशन टावर की ऊंचाई

3967. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए राजस्थान के कोटा जिला मुख्यालय में स्थापित ट्रांसमीशन टावर की ऊंचाई निर्धारित मानक से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता कौन-कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) एक स्थल जिसे हवाई अड्डे की निकटता के कारण विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रूपांकित ऊंचाई का टावर स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई है, को छोड़कर सभी टावर रूपांकित ऊंचाई के अनुरूप प्रदान किये गये हैं।

(ग) और (घ) इसके परिणामस्वरूप कवरेज में आने वाली कमी को विस्तार योजना के एक भाग के रूप में अतिरिक्त टावर स्थापित करके पूरा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

होम्योपैथी से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3968. श्री टी. गोविन्दन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान होम्योपैथी विषय पर हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत सरकार के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए पृथक बजट है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2002-03 के लिए बजट प्रावधान (बी.ई.) का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2002-03 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, ओरिएन्टल और कम्प्लीमेन्टरी मेडिसिन विषयक एशिया पैसिफिक कन्फरेन्स के दो सम्मेलन विगत तीन वर्षों में मलेशिया के कोटाभारू में आयोजित किए गए। डा. आर. एन. शॉ, निदेशक, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् ने 2000-2001 में एक सम्मेलन में भाग लिया।

(ख) और (ग) विभाग में ''भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम/संगोष्ठियां, कार्यशाला'' की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम/संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए सहायता-अनुदान दिया जाता है।

(घ) 100.00 लाख रुपये के आबंटन में से वर्ष 2002-2003 के दौरान 63.00 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

पोलियो उन्मूलन के लिए समय सीमा

3969. **श्री जी.एस. बसवराज :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने विश्व में पोलियो उन्मूलन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समय सीमा तक भारत द्वारा कितना लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2005 तक विश्व से पोलियो उन्मूलन और पोलियो मुक्त प्रमाणन का लक्ष्य रखा है।

(ग) सरकार का उद्देश्य देश से पोलियो समाप्त करना और 2005 तक पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त करना है। चूंकि भारत से पोलियो समाप्त करने की पहल 1995 में की गई थी. इसलिए 2001 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी प्रगति हुई है। पोलियो के रोगियों की संख्या 1998 में 1934 थी जो 1999 में घटकर 1126, 2000 में 265 और 2001 में 268 हो गई थी। तथापि, भारत में 2002 के दौरान उत्तर प्रदेश में पुन: पोलियो की घटना होने पर तथा अन्य पड़ोसी राज्यों में इसके संचरण के कारण पोलियो उन्मूलन प्रयास को धक्का लगा है। वर्ष 2001 में रोगियों की संस्था 268 थी जो 2002 में बढ़कर 1599 हो गई। इस स्थिति को देखते हुए तथा विषाणु के संचरण को रोकने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत विशेषज्ञ सलाहकार समूह ने 2003-04 के दौरान अधिक खतरे वाले राज्यों/क्षेत्रों में चार उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दौर और दो राष्ट्रीय टीकाकरण दौर आयोजित करने की कार्यनीति अपनाने का सुझाव दिया है। इस कार्यनीति के अंग के रूप में अधिक खतरे वाले राज्यों/क्षेत्रों में, जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार भी शामिल हैं, एक उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दौर 6 अप्रैल, 2003 को आयोजित किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

एम.टी.एन.एल., बी.एस.एन.एल. और डी.ओ.टी. अधिकारियों के साथ समझौता

3970. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एमटीएनएल, बीएसएनएल और डीओटी के अधिकारियों के साथ उनकी सेवा शर्तों और वेतनमानों के संबंध में एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो यह समझौता किस तिथि को किया गया और सभी पार्टियों ने इस पर हस्ताक्षर किये; और

(ग) इसे कब कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

बायोटेक इकाइयों के आवेदन

3971. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की प्रमुख बायोटेक इकाइयों ने भारत के औषधि महानियंत्रक को बड़ी संख्या में आवेदन प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है और ये कब से लंबित हैं; और

(ग) भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा इन आवेदनों को मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फार्मेस्यिूटीकल्स से भिन्न आर-डी.एन.ए. आधारित चिकित्सा विज्ञान से जैव-प्रौद्योगिकी-विज्ञान विभाग के अंतर्गत आनुवंशिक परिचालन अनुमति संवीक्षा समिति (रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मेनिपुलेशन क्लीएरेंस) द्वारा प्रारंभ में मूल्यांकित किया जाना अपेक्षित है। इसके पश्चात् भारत के औषध महानियंत्रक कार्यालय और पर्यावरण मंत्रालय इत्यादि के अधीन आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति के कार्यालय में आर-डी.एन.ए. आधारित चिकित्सा विज्ञान के लिए विशेषज्ञ पैनल को गठित किए जाने से पहले और अन्तिम अनुमति दिए जाने से पहले प्रस्तावित आर-डी.एन.ए. आधारित उत्पादों से सृजित सुरक्षा और प्रभावकारिता से संबंधित आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाता है।

प्रत्येक आवेदन-पत्र की स्थिति सहित औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय में हैदराबाद के जैव प्रौद्योगिकी की इकाइयों द्वारा किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

क्रम सं.	संस्था के नाम	आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि	प्रस्ताव	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मै. भारत बायोटेक. इन्स्टीट्यूट लि., हैदराबाद	-17.05.99	-स्वदेश में ही विकसित आर-ह्यूमेन स्ट्रेप्टोकिनेस का निर्माण और विपणन	-कम्पनी द्वारा नैदानिक मूल्यांकन किया जा रहा है।
2.	मै. शान्ता बायोटेक. प्रा.लि., हैदराबाद	-28.11.01 -11.2.2003	-स्वदेश में ही विकसित आर-ह्यूमेन स्ट्रेप्टोकिनेस का निर्माण और विपणन -स्वदेश में ही विकसित आर-ह्यूमेन इरिथ्रोपोइटिन इन्जे. का निर्माण और विपणन	-कम्पनी द्वारा नैदानिक मूल्यांकन किया जा रहा है। -10.3.03 को आरसीजीएम अनुमति प्राप्त की गई। 4.4.03 को नैदानिक परीक्षण करने के लिए अनुमति दी गई।
3.	मै. डा. रेड्डी लैब्स, हैदराबाद	-28.05.01	-स्वदेश में ही विकसित आर-ह्यूमेन इन्टरफेरोन अल्फा 2बी का निर्माण और विपणन	-कम्पनी द्वारा नैदानिक मूल्यांकन किया जा रहा है।
4.	मै. बायोलॉजिकल ई.लि., हैदराबाद	-26.08.02	-स्वदेश में ही विकसित आर-हेपाटाटिस बी वैक्सीन का निर्माण और विपणन	-स्वदेश में ही विकसित आर-ह्यूमेन इन्टरफेरोन अल्फा 2बी का निर्माण और विपणन

1	2	3	4	5
5.	मै. विस्थोबायोटेक. प्रा.लि., हैदराबाद	-19.12.02 -19.12.02 -17.12.02	-स्वदेश में ही विकसित आर-ह्यूमेन इन्टरफेरोन अल्फा 2बी इन्जे. का निर्माण और विपणन -इन्टरल्यूकिन इन्जे. -प्लेटलेट्स व्युत्पन्न वृद्धि घटक	फर्म ने अभी आरसीजीएम की अनुमति अभी प्राप्त नहीं की है। सभी प्रस्तावों में फर्म को फरवरी/मार्च, 03 में आजमाइसी बैचों का उत्पादन करने से पहले अच्छी निर्माण पद्धतियों के मानदण्डों के अनुरूप सुविधा का निरीक्षण करवाने की सलाह की गई है।
6.	मै. मेडजीन बायो-टेक. इन्स्टीट्यूट लि., हैदराबाद	-28.11.02	-स्वदेश में ही विकसित आर-ह्यूमेन ग्रोथ हार्मोन का निर्माण और विपणन	फर्म ने निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। फर्म को 4.1.03 को नियमानुसार अपेक्षित फीस सहित निर्धारित फार्म 40 में आवेदन करने की सलाह दी गई थी।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. के केन्द्रीय भंडारों में घोटाला

3972. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसएनएल, मुरादाबाद के केन्द्रीय भंडारों में घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संपूर्ण तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में कौन-कौन दोषी पाये गए; और

(घ) दोष व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) भण्डार-सामग्रियों के निपटाने में अनियमितताएं देखने को मिली हैं।

(ख) 496.55 क्विंटल लकड़ी तथा लौह सामग्रियों के अप्रयोज्य भण्डार-सामग्रियों का निपटारा नियमित बोली प्रक्रिया के माध्यम से 98,350 रुपये में किया गया था और इस राशि को सरकार खाते में डाल दिया गया था।

(ग) प्राथमिक जांच से उप-मंडल अभियंता (सामग्री प्रबंधन), कार्यालय-महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, मुदाराबाद की कई गलतियों का पता चलता है।

(घ) इस कार्य में संलिप्त अधिकारियों की गलतियों का पता लगाने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है और तदनदुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच दिनांक 28.1.2003 को उप मंडल अभियंता (सामग्री प्रबंधन) का मुरादाबाद से अमरोहा स्थानान्तरण कर दिया गया है।

[अनुवाद]

गैर-कानूनी ढंग से चल रहे नर्सिंग होम्स

3973. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री भास्करराव पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में गैर-कानूनी ढंग से चल रहे नर्सिंग होम्स की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नर्सिंग होम योग्यता प्राप्त चिकित्सकों को नियुक्त नहीं करते और उनकी चिकित्सीय देखभाल भी घटिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (च) भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है। प्राइवेट अस्पतालों तथा नर्सिंग होमों का विनियमन राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ऐसी कोई सूचना नहीं रखता है।

सॉफ्टवेयर का निर्यात

3974. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगलौर में हुए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सम्मेलन में यह टिप्पणी की गई है कि भारत की सॉफ्टवेयर उन्नति अधिकतर सेवा आधारित है और वह उत्पाद आधारित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्मेलन में यह टिप्पणी की गई कि चीन सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बंगलौर में हुए विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नहीं किया था। किन्तु, 3-7 जनवरी, 2003 के दौरान बंगलौर में हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 90वें सत्र का आयोजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और बंगलौर विश्वविधालय (बीयू) ने किया था। 90वें सत्र का केन्द्रीय विषय "अग्रगामी विज्ञान और अति परिष्कृत प्रौद्योगिकियां" था।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 90वें सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित दो सत्र थे:-

(1) ज्ञान के लिए सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकियों पर पूर्ण अधिवेशन।

(2) सूचना और संचार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर एक लघु सत्र।

विज्ञान कांग्रेस के आयोजकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित के बारे में न कोई करार हुआ और न ही सर्वसम्मति:-

(i) कि सॉफ्टवेयर में भारत की प्रगति सेवा आधारित है न कि उत्पाद आधारित है।

(ii) कि चीन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रता हासिल कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, किए गए प्रस्तुतीकरण में इस बात की चहुमुखी सराहना की गई और यह स्वीकार किया गया कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी प्रगति की है और भारत के समक्ष सॉफ्टवेयर और विनिर्माण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनकर उभरने, सूचना प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण विज्ञान, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक कार्यकलापों से जोड़कर ज्ञान आधारित समाज को बनाने की चुनौती है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वत: मार्ग के अन्तर्गत हैं।

3. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनत निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यंत नि:शुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों को लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। इनका मूल्यहास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यहास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002-03 के बजट में, सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों की स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0%, फ्लॉपी डिस्क पर 15% से 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25% से 5%, अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से 0%, इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25-35% से 15%, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, सांचों, डाइयों पर 25% से 15% और इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25-35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

- कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मानीटरों के विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर 0% की दर से जारी है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की मदों पर सीमा शुल्क 15%, दूरसंचार के पुर्जों पर 5%, सेल्युलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक-पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001-02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% की एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16% की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर की सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10वीं के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण शामिल है।

16. धारा 80एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध हैं।

17. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, 10बी तथा 80एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र हैं।

18. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहे उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

19. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/ सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/ सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में निर्यात गृहछ का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

- विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।
- सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

20. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयोजित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर-वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धर्मार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई है।

21. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी भी संगठन द्वारा गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त सकूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

22. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में से इक्विटी शेयर के रूप में किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

23. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

24. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पंजी निधियों ने आरम्भिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

25. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कम्पनी में साम्यापूंजी के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001-02 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

26. धारा 80-1ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अंतर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

27. एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अन्तर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुन: परिवर्तित किया जा सकता है।

28. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002-03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% को और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताविक संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

29. भारत में उद्योगों को पुन: स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुन:स्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

30. जो भारतीय कम्पनियां विदेशों में पूंजीनिवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वत: मार्ग

से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का पूंजीनिवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान 50 मिलियन अमरीकी डालर है। (बजट 2002-03 की घोषणा)

31. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजीनिवेश करने वाली भारतीय कम्पनियां अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालियत के 50% तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25% है। (बजट 2002-03 की घोषणा)

32. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

33. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन मे, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घण्टे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से ग्परिचित व्यवसायीड (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

34. मुम्बइ, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियां तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी को व्यवस्था लागू को गई है।

35. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर, अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा मे संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

इराक युद्ध के प्रभाव का आकलन

3975. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग तेल आयात, निर्यात और अन्य विदेशी विप्रेषण पर इराक युद्ध के पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना आयोग द्वारा इस संबंध में क्या उपयुक्त उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषकर निर्यात, आंतरिक विप्रेषण, तेल मूल्यों एवं पर्यटन पर इराक युद्ध के प्रभाव का आकलन करने हेतु योजना आयोग के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए इराक युद्ध से उत्पन्न आर्थिक प्रभाव संबंधी एक आंतरिक स्थायी समूह गठित किया है।

(ग) अभी तक इस समूह ने कोइं सिफारिशें नहीं की हैं।

हज सहायकों का चयन

3976. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों की हज सहायकों के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु चयन सम्बन्धी क्या मरनदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने सरकारी कर्मचारियों का इस प्रकार चयन किया गया और कितने कर्मचारियों का आगामी वर्षों में किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार हज यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हज सहायकों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हज 2003 के दौरान प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित मानदंडों से कोई विचलन हुआ है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या प्रतिनियुक्त व्यक्तियों से साप्ताहिक अवकाश और मुआवजा के बिना आठ घंटे से अधिक समय तक काम कराया जाता है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना) : (क) हज सहायकों की अस्थायी प्रतिनियुक्ति हेतु पात्रता मानदण्ड और शर्तें बिल्कुल स्पष्ट हैं और उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षो में भेजे गए हज सहायकों वास्तविक संख्या निम्नानुसार हैं :-

2001	116
2002	131
2003	128

हज सहायकों के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारियों को निम्नानुसार नियुक्त किया गया है :-

प्रतिनियुक्त व्यक्ति का वर्ग	2001	2002	2003
सहायक हज अधिकारी	34	37	34
चिकित्सक	96	107	94
पराचिकित्सीय स्टाफ	118	125	92

आगामी वर्ष में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या जी सी आई जद्दा के वास्तविक अनुरोध पर निर्भर करती है जो कि हज अवधि के समापन के पश्चात उनके मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) जी. नहीं।

(ङ) और (च) जी. नहीं।

(छ) और (ज) हज व्यवस्थाओं में सऊदी अरब राज्य में हज यात्रियों के रहने के दौरान 24 घंटे की सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं। हज ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त सभी अधिकर्मियों को सऊदी अरब में प्रतिनियुक्ति की अपनी संपूर्ण अवधि के दौरान ड्यूटी पर माना जाता है। उनकी सेवाओं का उपयोग कुछ अवसरों पर आठ घंटे प्रतिदिन और आकस्मिकता के आधार पर अन्य अवसरों पर ज्यादा लम्बी अवधि के लिए किया जाता है।

विवरण

हज 2003 के लिए भारत के प्रधान कोंसलावास, जद्दा, सऊदी अरब में अस्थायी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदण्ड और शर्तें

(क) पात्रता शर्तें :

– महायक हज अधिकारो के लिए आवेदक को केंद्र सरकार के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड अथवा समकक्ष में कार्यरत राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए।

– हज सहायक के लिए आवेदक को केंद्र सरकार में अराजपत्रित पद पर कम से कम अपर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में होना चाहिए।

– आवेदक को यथा दिनांक 1.1.2003 को 45 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए।

– आवेदक को स्वस्थ होना चाहिए और वह सरकारी अस्पताल से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।

– आवेदक को इस ग्रेड में स्थायी पद धारक होना चाहिए।

– वे आवेदक जो पहले ही हज ड्यूटी दो बार अथवा दो से अधिक बार कर चुके हों पात्र नहीं होंगे। हालांकि विदेश मंत्रालय उन आवेदकों के मामलों में इस अपेक्षा में छूट देने पर विचार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिन्होंने पिछली प्रतिनियुक्तियों के दौरान उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की हों।

– निर्धारित ग्रेड से उच्चतर ग्रेड के अधिकारियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख. वांछनीय अर्हताएं :

– क्षेत्रीय भाषाओं की जानकारी वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।

– उन आवेदकों को भी वरीयता दी जाएगी जिन्हें जन संपर्क एवं एकाउन्ट्स में अनुभव हो। डेटा प्रविष्टि और कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग की जानकारी वाले आवेदकों को भी वरीयता दी जाएगी।

ग. वेतन एवं भत्ते :

– भारत के प्रधान कौंसलावास, जद्दा में भारत आधारित स्टाफ अथवा समकक्ष को यथा अनुमत्य मूल वेतन, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता और विदेश भत्ता।

– कोई दैनिक भत्ता अनुमत्य नहीं होगा।

– विदेश मंत्रालय के नियमों के अनुसार एक मुश्त स्थानांतरण अनुदान अनुमत्य होगा।

– प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए व्यक्तियों को जद्दा और वापसी की इकॉनॉमी क्लास की उड़ान की टिकटें प्रदान की जाएंगी।

– चुने हुए उम्मीदवार 20 किलो के सामान्य बैगेज भत्ते के हकदार होंगे।

– प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को भागीदारी के आधार पर आवास प्रदान किया जाएगा।

(घ) चुने हुए अधिकारी प्रस्थान के पूर्व 8 दिनों की तैयारी/कार्यभार संभालने के लिए समय के पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति से वापसी पर तैयारी करने/कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई समय अनुमत्य नहीं हैं।

– दिल्ली में विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए यात्रा भत्ता भुगतान नहीं किया जाएगा।

– तैयारी के लिए समय सहित सऊदी अरब में प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा वेतन, जद्दा में और वापसी की विमान यात्रा और सऊदी अरब में आवास के व्यय का वहन किया जाएगा।

– प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की तैनाती और उनकी ड्यूटियां :

– प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की तैनाती मक्का और मदीना, जद्दा स्थित हज टर्मिनल, मीना और अराफात स्थित शिविरों इत्यादि में विभिन्न शाखा कार्यालयों में भारत के प्रधान कोंसलावास, जद्दा द्वारा की जाएगी। प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की ड्यूटी में निम्नलिखित शामिल होगा:-

(i) हज के दौरान यात्रियों को उनके मक्तबों और शिविरों में सहायता प्रदान करना।

(ii) यात्रियों को उनके दैनिक क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करना और उनकी शिकायतों का निवारण करना।

(iii) यात्रियों को उनके हज अनुष्ठान का पालन करने मे सहायता करना।

(iv) यात्रियों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता।

(ङ) प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तें :-

– चुने हुए अधिकर्मियों को पति/पत्नी सहित अपने परिवार के किसी भी सदस्य को स्वयं अपनी लागत पर भी ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

– प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को मीडिया से संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी। इस शर्त के उल्लंघन के परिणामस्वरूप तत्काल वापसी कर दी जाएगी और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

– दूसरी बार प्रतिनियुक्त व्यक्ति को हज करने की अनुमति नहीं होगी।

– प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को हमेशा सिविलियन कपड़ों में रहना होगा।

– प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की सेवाएं भारत के प्रधान कोंसलावास, जद्दा के नियंत्रण में होगी।

– प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को सौंपी गई ड्यूटी के संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं किए जाने पर उन्हें तत्काल भारत लौटाया जा सकता तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें उस सरकारी धनराशि की आंशिक अथवा संपूर्ण वसूली शामिल है जो उनकी प्रतिनियुक्ति पर खर्च की गई हो।

[हिन्दी]

पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

3977. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड और बिहार में जिलेवार कितनी ग्राम पंचायतों में अब तक टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा झारखंड राज्य की प्रत्येक ग्राम पचायत को बेहतर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) बिहार में सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं और झारखंड में 204 ग्राम पंचायतों में अभी टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है। झारखंड में 204 ग्राम पंचायतों का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) झारखंड के ग्राम पंचायतों में बेहतर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(i) दोषपूर्ण एमएआरआर आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के स्थान पर उत्तरोत्तर रूप से वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल)/लैंड लाइन फोन लगाए जा रहे हैं।

(ii) आप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से एक्सचेंजों को विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान किया जा रहा है।

(iii) राज्य सरकार के प्राधिकारियों से संपर्क कर स्थिर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

झारखंड में दूरसंचार सुविधारहित जिला-वार पंचायतें

सर्किल	जिला	दूरसंचार सुविधारहित ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3
झारखंड	रांची	20
	गुमला	25
	लोहरदगा	23
	सिमडेगा	23
	हजारीबाग	6
	कोडरमा	8
	चतरा	25
	डाल्टनगंज	5
	गढ़वा	7
	लातेहार	3
	दुमका	16
	देवधर	9
	गोड्डा	10
	पाकुड़	2
	जामतारा	10
	साहेबगंज	12
	जोड़	204

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

3978. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल :**
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित 22 प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंपे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) *क्या दसवीं पचवर्षीय योजनावधि के दौरान नए राष्ट्रीय* राजमार्गों हेतु संशोधित प्रस्तावों को विचार हेतु भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन नई परियोजनाओं को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां। नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकार से प्राप्त 22 प्रस्ताव संशोधित दिशा निर्देशों के आधार पर समीक्षा हेतु जून, 2002 में वापस कर दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकार से कोई संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में मुगल रोड

3979. चौ. तालिब हुसैन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य में मुगल रोड के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस सड़क के कब तक बनाए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) मुगल रोड के निर्माण के लिए कोई प्राक्कलन राज्य सरकार ने हमें प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुगल रोड राज्य सरकार की परियोजना है। केंद्रीय सरकार, मुगल रोड के निर्माण के लिए परियोजना लागत के 50% सीमा तक निधि उपलब्ध कराने के लिए सिद्धांतत: सहमत हो गई है। मुगल रोड के साध्यता अध्ययन के लिए 27.9 लाख रु. की राशि के प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई है, इस लागत की 50% की हिस्सेदारी केंद्रीय सरकार की होगी।

(घ) राज्य सरकार द्वारा मुगल रोड के निर्माण के लिए प्राक्कलन प्रस्तुत करने के बाद समय सीमा का पता चलेगा।

संस्मारक डाक टिकट जारी करना

3980. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोल्हापुर के छत्रपति शाहूजी महाराज की स्मृति में संस्मारक डाक टिकट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) डाक विभाग को कोल्हापुर के छत्रपति शाह महाराज की समृति में स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जर्मन राष्ट्रपति की यात्रा

3981. श्री ए. जनार्दन रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघीय गणराज्य जर्मनी के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी और अनेक विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और उनका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या आर्थिक आदान-प्रदान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाने पर बल दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो दोनों सरकारों द्वारा इस संबंध में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जर्मनी संघीय गणतन्त्र के राष्ट्रपति डा. जोहानेस राउ ने 2 से 7 मार्च, 2003 तक भारत का राजकीय यात्रा की और द्विपक्षीय सम्बन्धों तथा परस्पर हितों के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं की।

(ग) और (घ) दोनों ही देश इस बात पर सहमत हुए कि एक ऐसी महत्वपूर्ण साझेदारी विकसित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा जाए जिसमें व्यापार एवं निवेश की स्थिति में सुधार लाने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त शोध गतिविधियों सहित वृहत्तर शैक्षणिक विनिमयों पर ध्यान केन्द्रित रहे। विशाखापट्टनम में स्थापित किए जाने वाले ''भारत-जर्मन उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान'' के बारे में एक ''समझौता ज्ञापन'' पर हस्ताक्षर किए गए। भविष्य में अधिक ध्यान दिए जाने के लिए अन्तरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया।

दिल्ली में टेलीफोन दोष दर

3982. श्री रामजी मांझी :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रति सौ टेलीफोन दोष दर देश के अन्य महानगरों की तुलना में अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) दिल्ली में दोष दर कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) अन्य यूनिटों की तुलना में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की दिल्ली यूनिट का दोष-दर कुछ अधिक है। वर्ष 2002-2003 (31.1.2003) के लिए चार मेट्रो शहरों में प्रति सैकड़ा प्रति माह का औसत दोष-दर निम्नानुसार है :-

दिल्ली	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई
19.99	10.31	12.0	11.2

दिल्ली का दरसंचार नेटवर्क न केवल सबसे पूराने नेटवर्कों में से एक है जहां पेपर कोर भूमिगत केबल अभी भी मौजूद है बल्कि फ्लाईओवरों के निर्माण, सड़कें चौड़ी करने, तेजी से बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने और उसे कायम रखने के लिए अन्य उपयोगी सेवा संस्थाओं द्वारा खुदाई जैसी आधारभूत अवसंरचना के तीव्र गति से विकास के कारण, भूमिगत केबलों को काफी अधिक क्षति पहुंचती है। तथापि, माह फरवरी, 2003 की दोष दर प्रति माह प्रति 100 उपभोक्ता के हिसाब से 17.27 तक कम हुआ है।

(ग) दिल्ली में दोष-दर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दोष-दर को कम करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली ने निम्नानुसार कई कदम उठाए हैं

(i) एमटीएनएल, दिल्ली में सभी इलैक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेंज तथा एनालॉग इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों को डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है।

(ii) पेपर कोर भूमिगत केबलों को डिजिटल लूप कैरियरों (डीएलसी) सहित जेलीयुक्त केबलों/आप्टिकल फाइबर केबलों से बदला जा रहा है।

(iii) उच्च क्षमता की प्राइमरी केबलों और जंक्शन केबलों के लिए डक्ट प्रणाली की शुरूआत की गई है।

(iv) केबलों में लीड लगाने और बहुमंजिलीय भवनों में दुबारा तार लगाने संबंधी पुन: संस्थापन कार्य किया जा रहा है।

(v) 5 पेयर केबल और वॉल डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंटों को लगाकर के ओवर हैड वायरों को कम किया गया है।

(vi) जंक्शन नेटवर्क को पूरी तरह से आप्टिकल फाइबर केबल लिंक पर अंतरित कर दिया गया है।

(vii) रिंग आर्किटेक्चर से जुड़ी सिंक्रोनस डिजिटल हायरआर्की (एसडीएच) प्रणालियां उपलब्ध करा कर इसमें और सुधार किया जा रहा है।

(viii) अधिक सुदूर उपभोक्ता इकाइयों (आरएसयू)/सुदूर लाइन इकाइयों (आरएलयू)/डिजिटल लूप कैरियरों (डीएलसी) का नियोजन करके उपभोक्ता लूप की लम्बाई कम की जा रही है।

(ix) कॉर्डेक्ट, वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) जैसी प्रौद्योगिकियां शुरू की गई हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोषों पर दैनिक आधार पर निगरानी रखी जाती है।

(x) कंप्यूटरीकृत दोष रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की गई है जिसमें दोष संबंधी शिकायतें दर्ज करने, उनकी जांच करने तथा संबंधित लाइन कर्मियों को उनकी जानकारी देने में सहायता मिलती है।

(xi) इसके अलावा, शीघ्र दोष निवारण हेतु जांच कर्मियों के साथ आसानी से संपर्क बनाए रखने के लिए लाइन कर्मियों को पेजर मुहैया कराए गए हैं।

(xii) लीज्ड सर्किटों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए मैनेज्ड लीज्ड डाटा नेटवर्क प्रणाली शुरू की गई है।

(xiii) एमटीएनएल ने 5 साल पुराने अथवा दो बार से ज्यादा मरम्मत किए हुए सभी टेलीफोन उपकरणों को बदलने की खातिर नीति को उदार बनाया है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। पहले चरण में 8 साल से अधिक पुराने उपकरणों को बदला जा रहा है।

किराए के भवनों में दूरभाष केन्द्र

3983. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में ग्रामीण दूरभाष केन्द्र किराए के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ विभागीय भवनों का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जहां कहीं भूमि उपलब्ध हुई है निर्माण-कार्य चलाया गया है/चलाया जाएगा तथा जहां कहीं भूमि उपलब्ध नहीं हो रही हो विभाग, विभागीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि अर्जित/प्राप्त करने के लिए उपाय कर रहा है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

किराए के परिसरों में प्रचालित ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज तथा निर्माणाधीन या निर्मित होने वाले प्रस्तावित विभागीय भवन

क्रम सं.	राज्य का नाम	किराए के परिसरों में टेलीफोन एक्सचेंज	निर्माणाधीन या निर्मित होने वाले प्रस्तावित विभागीय भवनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2293	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	46	—
3.	असम	360	22
4.	बिहार	850	15
5.	छत्तीसगढ़	552	—
6.	दिल्ली	—	—
7.	गुजरात	1018	83
8.	गोवा	64	5
9.	हरियाणा	757	—
10.	हिमाचल प्रदेश	856	7
11.	जम्मू तथा कश्मीर	226	2
12.	झारखंड	222	6
13.	कर्नाटक	1964	—
14.	केरल	638	23
15.	मध्य प्रदेश	2096	23
16.	महाराष्ट्र	3675	147
17.	मणिपुर	28	3
18.	मेघालय	36	2
19.	मिजोरम	13	5
20.	नागालैंड	11	4
21.	उड़ीसा	813	31
22.	पंजाब	1093	21
23.	राजस्थान	1985	73
24.	सिक्किम	33	—

1	2	3	4
25.	तमिलनाडु	1045	19
26.	त्रिपुरा	17	11
27.	उत्तर प्रदेश	1952	—
28.	उत्तरांचल	358	—
29.	पश्चिम बंगाल	1224	22
	जोड़	24225	524

अप्रयुक्त संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) की निधियां

3984. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की बड़ी मात्रा में धनराशि जिला कलेक्टर के पास अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो गत 3 वर्षों में से प्रत्येक के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सभा और लोक सभा सदस्यों की अप्रयुक्त राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) इस अप्रयुक्त राशि के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या राज्य सभा सदस्यों से एम पी एल ए डी राशि आवंटन को वापस लेने का प्रस्ताव लंबित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, साख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) 31.03.2003 को उपलब्ध सूचना के अनुसार जिलाध्यक्षों के पास सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों का अव्ययित शेष 2225.10 करोड़ रुपए था। यह राशि योजना के प्रारंभ से अब तक अवमोचित निधियों का 21.2 प्रतिशत है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के अंत में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों का अव्ययित शेष निम्न है:-

दिनांक तक	अव्ययित शेष
31.3.2001	2448.31 करोड़ रुपए
31.3.2002	2287.62 करोड़ रुपए
31.3.2003	2225.10 करोड़ रुपए

(ग) अपेक्षित ब्यौरा निम्नलिखित है:-

दिनांक तक	लोक सभा सांसद करोड़ रु.	राज्य सभा सांसद करोड़ रु.
31.3.2001	1646.35	801.96
31.3.2002	1510.22	777.40
31.3.2003	1409.22	815.88

(घ) राज्य सरकारों और संघशासित प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने जिलाध्यक्षों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता देने के निर्देश जारी करें। उन्हें यह सुनिश्चित करने का भी परामर्श दिया गया है कि कार्यकारी अभिकरणों को आबंटित निधियां सुगम उपलब्धता हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों में पृथक बचत खातों में रखी जाएं। जिलाध्यक्षों को परामर्श दिया गया है कि वे कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं को सुलझाने एवं बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतरालों पर समीक्षा बैठकें आयोजित करें। योजना के अंतर्गत 31.3.1998 के 54.6 प्रतिशत से 31.3.2002 के 78.8 प्रतिशत संचयी अवमोचन के प्रतिशत के रूप में संचयी व्यय में एक प्रगामी सुधार हुआ।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर का उपचार

3985. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कैंसर क्योर फाउन्डेशन द्वारा "बियरिंग दि बर्डन पर्सपेक्टिव्य ऑन दि कास्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट" विषय पर हाल ही में दिल्ली में संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक्टरों ने कैंसर की औषधियों की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए कैंसर के उपचार की लागत वहन करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस पर क्या दृष्टिकोण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) इस मंत्रालय ने दिल्ली में ऐसे सम्मेलन का न तो आयोजन किया है और न ही इसके लिए धन उपलब्ध कराया है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

3986. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण हेतु एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव पर वर्ष 2003-2004 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) प्रथम चरण में इस प्रयोजनार्थ चुने गए राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-कौन से हैं; और

(घ) विकास कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आई.डब्ल्यू.ए.आई. द्वारा परियोजनाओं का विकास

3987. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई.डब्ल्यू.ए.आई.) ने निजी निवेश हेतु मॉडल करार आधारित दस परियोजनाओं का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं में कितने निवेश की परिकल्पना की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सबमेरीन केबल लैंडिंग स्टेशन

3988. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **सचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट के अंतरराज्यीय प्रवेश द्वारों हेतु सबमेरीन केबिल लैंडिंग स्टेशन की स्थापना के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के खंड-13 में गुजरात तट को सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने उक्त दिशानिर्देशों की समीक्षा हेतु केन्द्र सरकार से प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) अंत: समुद्री केबल माध्यम के प्रयोग के जरिए इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवे के संबंध में वर्ष 2000 में सरकार द्वारा दिशानिर्देश घोषित किए गए थे। इंटरनेट हेतु अंतर्राष्ट्रीय गेटवे के लिए अंत: समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु दिशा-निर्देशों के खंड 13 के अनुसार गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों सहित सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में लैंडिंग स्टेशनों की स्थापना करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) गुजरात सरकार ने इस बात का आग्रह किया था कि गुजरात के आर्थिक विकास के हित में, गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में अंत: समुद्री लैंडिंग स्टेशनों की स्थापना करने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाए। उसके बाद सरकार ने इस मुद्दे पर विचार किया था और यह निर्णय लिया था कि सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों, जिसमें गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं, में अंत: समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशनों

की स्थापना सहित सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय गेटवे की स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी जाए बशर्ते कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वहां पर समुचित मानीटरिंग उपस्कर स्थापित कर दिए जाएं और मानीटरिंग उपस्करों अथवा मानीटरिंग उपस्करों की स्थापना के लिए लाइसेंसधारकों द्वारा समुचित प्रभारों का भुगतान कर दिया जाए।

[हिन्दी]

आटोमोबाइल/मोटर स्पोर्ट्स अथारिटी इंस्टीट्यूशन को मान्यता प्रदान करना

3989. **श्री पी.आर. खूंटे :**
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आटोमोबाइल/मोटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन को मान्यता प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या है; और

(ख) देश में सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किए जा चुके मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन/इंस्टीट्यूशन के नाम क्या हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) प्रचलित मार्गनिर्देशों के अनुसार, मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र होने के वास्ते, किसी राष्ट्रीय खेल परिसंघ को मुख्यत: निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करना होता है:- (1) तीन वर्षों से अधिक के लिए एक स्वैच्छिक पंजीकृत निकाय के रूप में कानूनी स्थिति; (2) भारत के कुल राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कम मे कम 2/3 में सम्बद्ध इकाइयां; (3) लिखित संविधान; (4) जहां खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ विद्यमान है; राष्ट्रीय परिसंघ को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ से सम्बद्ध होना चाहिए; (5) विभिन्न श्रेणियों में पिछले तीन वर्षों के लिए नियमित राष्ट्रीय चैम्पियनशिपें आयोजित करना; (6) प्रत्येक खेल विधा के लिए केवल एक मान्यता प्राप्त परिसंघ होगा। राष्ट्रीय खेल परिसंघों की मान्यता के लिए, विस्तृत मार्गनिर्देश राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता के लिए मार्गनिर्देशों में दर्शाए गए हैं।

(ख) भारत में मोटर स्पोर्ट्स के संवर्धन के लिए; सरकार ने 'भारतीय मोटर स्पोर्ट्स क्लब परिसंघ' को मान्यता दी है जिसका कार्यालय चेन्नई में स्थित है।

[अनुवाद]

अस्वस्थता सहायता निधि

3990. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए अस्वस्थता सहायता निधि का गठन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अभी तक अस्वस्थता सहायता निधि का गठन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त निधि हेतु प्रत्येक राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुदान सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त निधि से सहायता प्राप्त करने वाले लाभान्वितों की संख्या क्या है और उक्त अवधि के दौरान उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम, राजस्थान, गोवा, गुजरात, सिक्किम, बिहार और झारखंड राज्यों ने राज्य अस्वस्थता सहायता निधि बनाई है। शेष राज्यों को समय-समय पर ऐसी निधियां स्थापित करने के लिए स्मरण कराया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी किए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) उक्त निधि से सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या और उनमें से प्रत्येक को मिली सहायता के संबंध में आंकड़ों

का रखरखाव इस मंत्रालय में नहीं होता है। तथापि, राज्य सरकारों से अस्वस्थता सहायता निधि के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करनेवाले लाभार्थियों की सूची राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित करना अपेक्षित है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी किया गया सहायतानुदान

वर्ष	राज्य (राज्य जिनको अनुदान जारी किया गया)	धनराशि (करोड़ रुपए में)
2000-2001	सिक्किम	0.25
	जम्मू एवं कश्मीर	0.125
	बिहार	1.25
	गोवा	0.15
2001-2002	छत्तीसगढ़	0.50
	आन्ध्र प्रदेश	2.50
2002-2003	झारखण्ड	1.50
	राजस्थान	1.00

सड़कों के लिए धन जुटाना

3991. श्री लक्ष्मण सेठ :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए धन जुटाकर सड़कों का सही ढंग से रख-रखाव करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो धन जुटाने के लिए बनाई जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त रख-रखाव हेतु राज्यवार आवंटित राशि क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उपकर लगाकर केंद्रीय सड़क निधि का नवीकरण किया है। केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में निम्नलिखित के लिए धनराशि के उपयोग का प्रावधान है :-

(i) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

(ii) ग्रामीण सड़कों का विकास

(iii) आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क सड़कों के साथ-साथ अन्य राज्यीय सड़कों का विकास और अनुरक्षण

(iv) रेलवे लाइनों पर रोड ओवर/अंडर पुलों के निर्माण तथा मानव रहित रेल-रोड क्रासिंग पर सुरक्षा कार्यों का निर्माण

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए आबंटित धनराशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सी आर एफ के अंतर्गत जमा धनराशि

(लाख रु)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2000-01 के लिए जमा राशि	वर्ष 2001-02 के लिए जमा राशि	वर्ष 2002-03 के लिए जमा राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8161.00	8088.00	8145.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	1113.00	1080.00	1086.08
3.	असम	1508.00	1473.00	1540.08
4.	बिहार	2569.00	2612.00	3390.08
5.	छत्तीसगढ़	2303.00	2256.00	1728.08

1	2	3	4	5
6.	गोवा	393.00	380.00	409.08
7.	गुजरात	7008.00	6784.00	6813.08
8.	हरियाणा	3140.00	3205.00	3575.08
9.	हिमाचल प्रदेश	1045.00	1025.00	1075.08
10.	जम्मू और कश्मीर	3084.00	2973.00	3105.08
11.	झारखंड	1822.00	1785.00	1125.08
12.	कर्नाटक	5750.00	5550.00	5813.08
13.	केरल	2768.00	2615.00	2771.08
14.	मध्य प्रदेश	6251.00	6191.00	6659.08
15.	महाराष्ट्र	10880.00	10318.00	10141.08
16.	मणिपुर	332.00	318.00	324.08
17.	मेघालय	447.00	434.00	429.08
18.	मिजोरम	302.00	290.00	296.08
19.	नागालैंड	256.00	241.00	247.00
20.	उड़ीसा	2910.00	2861.00	2982.08
21.	पंजाब	4299.00	4116.00	4043.08
22.	राजस्थान	7582.00	7584.00	7671.08
23.	सिक्किम	112.00	107.00	110.00
24.	तमिलनाडु	6703.00	6643.00	6722.08
25.	त्रिपुरा	193.00	187.00	193.00
26.	उत्तरांचल	1102.00	1076.00	759.08
27.	उत्तर प्रदेश	8795.00	8851.00	9643.08
28.	पश्चिम बंगाल	3573.00	3627.00	3688.088
	संघ राज्य क्षेत्र			
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	174.00	178.00	183.00
30.	चंडीगढ़	301.00	238.00	221.00
31.	दादरा व नगर हवेली	121.00	130.00	107.00
32.	दमन और दीव	89.00	87.0	76.00
33.	दिल्ली	3189.00	2673.00	2705.00
34.	लक्षद्वीप	7.00	8.00	5.00
35.	पांडिचेरी	218.00	219.00	219.00

लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के संबंध में कोहली समिति की रिपोर्ट

3992. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूग्ण लघु उद्योगों के पुनर्वास के संबंध में कोहली समिति की रिपोर्ट लघु उद्योग इकाइयों के बीच परिचालन हेतु विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जा चुकी है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य विभाग मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है, किसी समिति की रिपोर्ट/परिपत्र को हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में प्रकाशित नहीं किया जाता है। कोहली समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी, 2002 को रूग्ण लघु उद्योग (एस.एस.आई.) यूनिटों के पुनर्वास के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) लघु उद्योग के अखिल भारतीय संघों, तथा संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों को संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत अग्रेषित किए हैं। और अधिक जानकारी के लिए उक्त मार्गदर्शी-सिद्धांत अग्रेषित किए हैं। और अधिक जानकारी के लिए उक्त मार्गदर्शी-सिद्धांत आर.बी.आई. वेबसाइट

आर.बी.आई., ओ.आर.जी., इ.न. पर उपलब्ध हैं, जिनके संबंध में कोई भी विश्व के किसी भी कोने से अपनी पहुंच बना सकता है। रूग्ण/लघु उद्योग यूनिटों के पुनर्वास के संबंध में कार्यकारी ग्रुप की रिपोर्ट लघु उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.लघु-उद्योग काम पर उपलब्ध है।

सभी ग्राम पंचायतों में वीपीटी

3993. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 2002 तक देश में सभी ग्राम पंचायतों में वीपीटी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अभी कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं;

(घ) सरकार का देश में विशेषकर दूर-दराज के क्षेत्रों में शेष सभी पंचायतों को कब तक जोड़े जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस वर्ष के अंत तक शेष सभी ग्राम पंचायतों को वीपीटी प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। ग्राम पंचायतों सहित दूरसंचार रहित सभी गांवों को दिसंबर, 2002 तक कवर किये जाने की योजना थी परन्तु निम्नलिखित कारणों से इन गांवों को दूरसंचार सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी :-

(i) पहले तो सुरक्षाकारणों को देखते हुए सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू तथा कश्मीर में वॉयरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली चालू करने की अनुमति नहीं दी गई परंतु अब अनुमति मिल गई है और इन क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा।

(ii) दूरस्थ तथा दूर-दराज के अलग-थलग क्षेत्रों को उपग्रह माध्यम से कवर किये जाने की योजना है। यह कार्य समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन स्कीम के अंतर्गत अभी भी 7538 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाना बाकी है।

(घ) और (ङ) स्थलीय माध्यम से कवर की जाने वाली ग्राम पंचायतों को दिसंबर, 2003 तक कवर कर लिए जाने की योजना है तथा ऐसे सुदूरवर्ती एवम् दूर-दराज के अलग-थलग क्षेत्रों को सरकार से धनराशि उपलब्ध होने की तारीख के एक वर्ष के भीतर कवर कर लिया जाएगा।

ई-कामर्स और ई-गवर्नेंस कार्यक्रम

3994. श्री सुबोध मोहिते : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने विभागों में ई-कामर्स और ई-गवर्नेंस कार्यक्रम में तेजी नहीं ला पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) डिजीटल हस्ताक्षर को प्रमाणित करने हेतु प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में डिजीटल हस्ताक्षर के प्रायोग में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में ई-कामर्स और ई-गवर्नेंस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु, इन क्षेत्रों में स्थिति नीचे दिए अनुसार है :-

ई-वाणिज्य : नैस्कॉम के बाजार सर्वेक्षण के अनुसार देश में ई-वाणिज्य लेन-देन वर्ष 2002-03 में अनुमानत: 20,000 करोड़ रुपए था तथा इसके वर्ष 2003-04 के दौरान बढ़कर 40,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। सीआईआई के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान ई-वाणिज्य लेन-देन 50,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस प्रकार ई-वाणिज्य के विकास में वृद्धि का रूझान है।

ई-शासन : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के जरिए देश में केन्द्र सरकार के

विभागों, राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासन को नेटवर्क बैकबोन तथा ई-शासन सहयोग प्रदान कर रहा है।

योजना आयोग के दिशा-निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में बजट प्रावधान के 2 से 3% के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के लिए ई-शासन के लिए न्यूनतम कार्यसूची की तैयार की गई है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करते समय राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने चार सशक्त उप-समितियां गठित की हैं, जिसमें ई-शासन पर विशेष संदर्भ सहित शासन सुधारों पर एक सशक्त उप-समिति शामिल है।

(ग) प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक (सीसीए) ने अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रमाणन प्राधिकरण (सीए) को तीन लाइसेंस से जारी किए हैं। लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण हैं—सेफस्क्रिप्ट लिमिटेड, इंस्टीट्यूट फार डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च इन बैंकिंग टेकनोलॉजी (आईडीआरबीटी) और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।

(घ) और (ङ) भारतीय व्यवसाय समुदाय का ई-सुविधा का इस्तेमाल करने के बजाय परम्परागत रूप से वास्तविक वाणिज्य और व्यापार की ओर रुझान है। अत: भारत में ई-वाणिज्य संस्कृति अपनी शैशवास्था में है। शासन, वाणिज्य और व्यापार संबंधी लेन-देन की परम्परागत प्रणालियां ई-शासन तथा ई-वाणिज्य पर निर्भर नहीं है। ई-शासन और ई-वाणिज्य के अनुप्रयोग परम्परागत प्रणालियों के प्रतिस्थापन की बजाय विकल्प के रूप में देखे जाते हैं। फलस्वरूप देश में अंकीय हस्ताक्षर के इस्तेमाल में प्रगति धीमी है। इसके अतिरिक्त, बलपूर्वक उपायों जैसेकि कानून, प्रौद्योगिकीय उन्नति (आयातित अथवा स्वदेशी), सरकारी इमदाद आदि के परिणामस्वरूप जनता द्वारा नई प्रौद्योगिकी (ई-शासन तथा ई-वाणिज्य) को अपनाने में वृद्धि नहीं हुई है।

[हिन्दी]

दूरसंचार लाइसेंस बेचना

3995. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में लाइसेंस धारकों को दूरसंचार लाइसेंस बेचने हेतु प्राधिकृत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लाइसेंसिंग प्रणाली में क्या परिवर्तन किए गए और उक्त परिवर्तन कौन सी तारीख को प्रभावी हुए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सरकार ने दूरसंचार सेवाओं के संबंध में लाइसेंसों के हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करने के लिए 25.3.2003 को एक निर्णय लिया है जो कंपनियों के कुछ शर्तों के अध्यधीन विलय या विलयित कंपनियों के अलग-अलग हो जाने पर किया जा सकता है। मुख्य-मुख्य शर्तों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

सरकार द्वारा 25.3.2003 को किए गए निर्णय के अनुसार दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस के हस्तांतरण की अनुमति से संबंधित मुख्य-मुख्य शर्तें

(i) जिस नई कंपनी को लाइसेंस हस्तांतरित किया जाना है उसे उस विशिष्ट सेवा के लिए नया लाइसेंस प्रदान करने के लिए पात्र होना चाहिए।

(ii) पूर्ण रॉल ऑउट दायित्व सहित लाइसेंस से संबंधित सभी निबंधन और शर्तें उस कंपनी पर लागू होंगी जिसे लाइसेंस हस्तांतरित किया जा रहा है और उसके लिए हस्तांतरण किए जाने के समय पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(iii) लाइसेंस के हस्तांतरण की अनुमति दिए जाने से पहले हस्तांतरण की तारीख तक की सभी पिछली देय राशियों का भुगतान किया जाना होगा।

(iv) विलयित कंपनियों के फिर से अलग-अलग होने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से धारा 394 तक में किए गए सभी उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

महाराष्ट्र के पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में लघु उद्योग इकाइयां

3996. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माहाराष्ट्र के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर विदर्भ में लघु उद्योग स्थापित करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुटीर उद्योग के सामने आ रही समस्याओं की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) लघु औद्योगिक (एस.एस.आई.) यूनिटों का विकास करना मुख्यतया राज्य/संघ शासित सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकार किसी लघु उद्योग यूनिट की स्थापना नहीं करती है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र सहित देश में यूनिटों की स्थापना वैयक्तिक उद्यमियों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों/जो कि बढ़ी हुई राजकोषीय तथा क्रेडिट सहायता, बेहत्तर बुनियादी संरचना, मार्किटिग सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहनों से संबंधित हैं, के माध्यम से राज्य/संघ शासित सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन समग्र देश में किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार कुटीर उद्योग सेक्टर के समक्ष आ रही मुख्य समस्याओं के संबंध में अवगत है। इस सेक्टर के धारणीय विकास तथा वृद्धि को मद्दे नजर रखते हुए, विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को शुरू किया गया है ताकि कच्चे माल की उपलब्धता, क्रेडिट, डिजाइन तथा तकनीकीय इनपुट्स, निपुणता उन्नयन, पैकेजिंग और मार्किटिंग की सुविधा मिल सके। कुछेक कदमों को नीचे दर्शाया गया है:-

(1) 14.5.2001 को घोषित "खादी पैकेज" में पैकेजिंग तथा डिजाइन सुविधाओं का सृजन, ब्रांड बिल्डिंग, कलस्टर विकास, विपणन, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी इत्यादि सम्मिलित हैं।

(2) प्रभावी मदस्य प्रतिभागिता तथा म्यूचुअल सहयोग के माध्यम से चुनिंदा कारीगर कलस्टरों का विकास करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना शुरू की गई है।

(3) कारीगरों की सहायता हेतु समग्र देश में 52 हैन्डीक्राफ्टस मार्किटिंग तथा सेवा विस्तार केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(4) गुवाहाटी, बंगलौर, मुम्बई, दिल्ली तथा कोलकात्ता में पांच क्षेत्रीय डिजाइन और तकनीकीय विकास केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(5) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना 2000-01 में शुरू की गई ताकि बेसिक इनपुट तथा कार्यशील पूंजी की व्यवस्था डिजाइन मार्किटिंग, प्रकाशन इत्यादि के लिए हो सके।

(6) नेशनल हैंडलूम डिवलपमेन्ट कारपोरेशन बुनकरों को "मिल गेट प्राइस स्कीम" के तहत यार्न की आपूर्ति करती है।

(7) यार्न उत्पादकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कम से कम 40% हैंक रूप में उत्पाद शुल्क मुक्त यार्न की पैक यार्न में सिविल आपूर्ति करें।

(8) टैक्सटाइल डिजाइन के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की गई है।

(9) टैक्सटाईल वस्तुओं की 11 श्रेणियों को केवल हैंडलूम उत्पादन के लिए आरक्षित किया गया है।

डाकघरों का उन्नयन

3997. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **संचार और सूचना प्रैद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार ओर झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में डाकघरों के उन्नयन के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर बिहार और झारखंड राज्यों के संबंध में स्थानवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) जी, हां। देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में डाकघरों का दर्जा बढ़ाने संबंधी प्रस्तावों का स्थानवार और श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। हालांकि डाकघरों का दर्जा बढ़ाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

देश के विभिन्न राज्यों में डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जिला/डिवीजन का नाम	शाखा डाकघर से दर्जा बढ़ाकर उप डाकघर करना	उप डाकघर से दर्जा बढ़ाकर प्रधान डाकघर करना
1	2	3	4
बिहार	औरंगाबाद	1. सलाईया	शून्य
	भागलपुर	(i) बिजयघाट गुरूद्वार	शून्य
	मुंगेर	(i) पाटन	शून्य
		(ii) माननपुर	
	नालन्दा	(i) प्राखण्ड बेन	शून्य
	नवादा	(i) स्योतर	शून्य
		(ii) रोह प्राखण्ड	
	पटना	(i) मारान्ची	शून्य
		(ii) नदवान	
		(iii) बेउर	
		(iv) पभेरा	
	रोहतास	(i) धानव इंगलिश	शून्य
	वैशाली	(i) पोहियार	शून्य
		(ii) रघुनाथपुर इमादपुर	
	मधुबनी	(i) बहेजा	शून्य
	सीतामढ़ी	शून्य	(i) जनकपुर रोड
गुजरात	बारडोली	(i) कादोदारा	शून्य
	वलसाड	(i) दादरा	शून्य

1	2	3	4
	राजकोट	(i) वेरावल	शून्य
	सुरेन्द्रनगर	(i) वीहालगड	शून्य
हरियाणा	करनाल	(i) निगधू	शून्य
		(ii) जलमाना	
	मोहिन्दरगढ़	(i) सेहलोंग	शून्य
झारखण्ड	गिरिडीह	(i) नौडीह	शून्य
	पलामऊ	(i) मेराल	शून्य
	रांची	(i) बघीमा	शून्य
		(ii) तोंगो	
		(iii) अरगोरा	
		(iv) निबारनपुर (ईडीएसओ)	
		(v) कादरू	
	पश्चिम सिंघभूम	(i) भारभरिया	शून्य
		(ii) इंचा	
		(iii) कराइकेला	
	पूर्वी सिंघभूम	(i) खंडा मुंडा	शून्य
	हजारीबाग	(i) चांदवाड़ा (ईडीएसओ)	(i) कोडरमा
			(ii) झुमरीतलैया एसआई
	संथाल परगना	शून्य	(i) साहिबगंज
			(ii) गोड़ा
केरल	तिरूवनन्तपुरम	(i) पुत्थुकुलनगारा	शून्य
	त्रिसूर	(i) तजेक्कड	शून्य
महाराष्ट्र	पुणे	(i) हिनजावाडी	शून्य
		(ii) चिखाली	

1	2	3	4
उड़ीसा	सतारा	(i) गोंडावाले बीके	शून्य
	सोनपुर		सोनपुर (मुख्य डाकघर)
पंजाब	फरीदकोट	(i) फतेहगढ़	शून्य
		(ii) पंजतूर	
	भटिंडा	(i) मेहराज	शून्य
		(ii) भूचो कलां	
	संगरूर	(i) बर्दवाल	शून्य
राजस्थान	जयपुर	(i) हरमाड्डा	शून्य
		(ii) बिंदियाका	
		(iii) सैपुरा	
	जैसलमेर	(i) फतेहगढ़	शून्य
	बारन	शून्य	(i) बारन
	करौली	शून्य	(i) करौली
तमिलनाडु	तिरूपुर	(i) अरासुर (ईडीएसओ)	शून्य
	कन्याकुमारी	(i) ताल्यावट्टाई	शून्य
उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	शून्य	(i) राबर्टगंज
	इलाहाबाद	(i) नाहवई (ईडीएसओ)	शून्य
	सहारनपुर	(i) टोडरपुर	शून्य
	सीतापुर	(i) पुरेहारा	शून्य
		(ii) रामकोट	
	लखीमपुर	(i) जंग	शून्य
		बहादुरगंज	
	रायबरेली	(i) डिडौरा	शून्य

1	2	3	4
उत्तरांचल	अल्मोड़ा	शून्य	(i) बागेश्वर (मुख्य डाकघर)
	चमोली	शून्य	(i) रूद्रप्रयाग (मुख्य डाकघर)
	टिहरी	शून्य	(i) उत्तरकाशी (मुख्य डाकघर)
	देहरादून	शून्य	(i) हरिद्वार (मुख्य डाकघर)
पश्चिम बंगाल	पुरूलिया	(i) बागलता	शून्य
सिक्किम	उत्तर सिक्किम	(i) चुंगथुंग (ईडीएसओ)	शून्य
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान (पोर्ट ब्लेयर)	(i) गाराचारमा (ईडीएसओ)	शून्य

मध्य प्रदेश में जिलावार मोबाइल सेवा

3998. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आज की तारीख के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों में मोबाइल सेवा उपलब्ध है;

(ख) अभी तक राज्य के कितने जिलों में यह सेवा शुरू नहीं की गई है; और

(ग) वर्ष 2003-2004 के दौरान शेष जिलों में यह सेवा कब दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र (जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है) में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं :-

क्रमांक	लाइसेंसधारक का नाम
1.	बी.टी.ए. सेल्कॉम लिमिटेड
2.	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लिमिटेड
3.	भारत संचार निगम लिमिटेड
4.	भारती सेल्यूलर लिमिटेड

इन कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में उपर्युक्त कंपनियों में से कम से कम एक कंपनी द्वारा 38 जिलों में (जिले में एक या अधिक स्थानों पर) सीएमटीएस की सुविधा प्रदान कर दी गई है और बचे हुए 7 जिलों में अभी सीएमटीएस की सुविधा प्रदान की जानी है।

(ग) दूरसंचार सर्किलों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं (सीएमटीएस) के लाइसेंस करार के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार किसी प्रचालक को उसके लाइसेंस के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर सेवा क्षेत्र में कम से कम 10% जिला मुख्यालयों को और तीन वर्ष के भीतर 50% जिला मुख्यालयों को कवर करना अपेक्षित होता है। लाइसेंसधारक को जिला मुख्यालय के बदले में जिले के किसी अन्य शहर को कवर करने की अनुमति भी दी जाती है। कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/शहरों को चुनने और आगे 50% जिला मुख्यालयों/शहरों से अधिक सीमा तक विस्तार किए जाने का अधिकार लाइसेंसधारक का होगा जो उनके कारोबार के निर्णय पर निर्भर करेगा। सेवा क्षेत्र को शत प्रतिशत रूप से कवर करने की कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। तथापि, सरकारी प्रचालक अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड ने अक्तूबर, 2003 तक मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सीएमटीएस की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है।

[अनुवाद]

निजी आपरेटरों को नए लाइसेंस जारी करना

3999. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टेलीफोन सेवाएं शुरू करने हेतु निजी पार्टियों को नए लाइसेंस जारी करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मोबाइल सेवाओं के प्रचालन हेतु नए लाइसेंस जारी करने संबंधी मामले को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशें दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर की गई/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) 8 दूरसंचार सर्किलों [अण्डमान निकोबार और पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, नार्थ-ईस्ट, उड़ीसा, उ.प्र. (पूर्व) उ.प्र. पश्चिमी] में खाली स्लाटों को भरने के लिए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) के लिए 14 लाइसेंसों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए दिनांक 10.2.2003 को नई निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं। यद्यपि 7 कंपनियों ने निविदा दस्तावेजों की खरीद की थी परन्तु किसी ने अपनी बोली प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से नई दूरसंचार नीति-1999 के अनुसार सेल्यूलर मोबाइल टलीफोन सेवा के लिए अतिरिक्त लाइसेंस प्रदान करने हेतु अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया गया था। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि एक सेवा क्षेत्र में एकाधिक प्रचालकों का प्रवेश ट्राई की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा, जो आवश्यकतानुसार तथा कम से कम हर दो वर्षों में इसकी पुनरीक्षा करेगा।

(घ) ट्राई ने, दिनांक 20.2.2003 के अपने प्रत्युत्तर में अन्य बातों के साथ अपना मत व्यक्त कियां है कि विभिन्न सेवा क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रदाताओं के प्रवेश पर विचार किया जा सकता है, यदि मौजूदा सेवा प्रदाताओं और नए सेवा प्रदाताओं (अनुमति दिए जाने पर) के लिए स्पैक्ट्रम की पर्याप्त उपलब्धता हो। ट्राई ने यह भी उल्लेख किया है कि बाजार के तेजी से बढ़ते हुए इस क्षेत्र में सेवा की पर्याप्त गुणवत्ता सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

(ङ) इस मामले में निर्णय यथा समय ले लिया जाएगा।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

4000. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ आयातित खाद्य वस्तुएं जैसे जूस, प्रशीतित डेजर्ट आदि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के दायरे के अन्तर्गत नहीं आती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खाद्य गुणवत्ता की जांच के मानकों और बेहतर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और आयातित खाद्य वस्तुओं को इस अधिनियम के दायरे के अन्तर्गत लाने के लिए सरकार द्वारा कौन से नए कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) आयातित खाद्य वस्तुओं को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में सूचीबद्ध किए गए सभी उत्पादों के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करना अपेक्षित है।

(ग) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं समेत केन्द्रीय और राज्य स्तर पर खाद्य नियंत्रण संबंधी बुनियादी ढांचे को क्षमता निर्माण परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किए जाने का प्रस्ताव है जिस पर विश्व बैंक के साथ बातचीत की जानी है।

[हिन्दी]

मनीआर्डर देरी से दिए जाने की शिकायतें

4001. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीआर्डरों के देरी से दिए जाने की शिकायतों पर जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(घ) कितने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों को दी गई सजा का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मनीआर्डर से संबंधित प्राप्त हुई शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या
1999-2000	238
2000-2001	427
2001-2002	272

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी कर ली गई है, उनकी संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	भारी दंड	छोटा दंड
1999-2000	10	228
2000-2001	42	385
2001-2002	26	246

(ङ) दोषी पाए गए कर्मचारियों को दिए जाने वाले दंड में परिनिन्दा, वेतनवृद्धि में रोक, वेतन में से नुकसान की भरपाई, पुट ऑफ ड्यूटी, विभागीय परीक्षाओं में बैठने पर रोक, निष्कासन, निलम्बन और ग्रेड घटाना जैसी कार्रवाई शामिल है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मनीआर्डर से संबंधित प्राप्त हुई शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	सर्किल का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	असम	2327	1086	3417
2.	आंध्र प्रदेश	3308	3539	5987
3.	बिहार	5403	4565	2372
4.	छत्तीसगढ़	—	2891	5274
5.	दिल्ली	41963	39376	59814
6.	गुजरात	2590	2791	2404
7.	हरियाणा	9969	14427	19282
8.	हिमाचल प्रदेश	3438	3129	3215
9.	जम्मू एवं कश्मीर	457	1541	3087
10.	झारखंड	—	112	1657
11.	कर्नाटक	3520	3635	8986
12.	केरल	3282	2380	4541
13.	मध्य प्रदेश	8022	10077	7852
14.	महाराष्ट्र	9760	10558	7223
15.	उत्तर-पूर्व	2082	2121	1531
16.	उड़ीसा	4188	2806	2252
17.	पंजाब	8648	16859	29919
18.	राजस्थान	3728	3781	3274
19.	तमिलनाडु	3968	5714	4852

1	2	3	4	5
20.	उत्तर प्रदेश	19819	22022	21778
21.	उत्तरांचल	—	56	1224
22.	पश्चिम बंगाल	6118	6251	12537
23.	सेना डाक सेवा	4904	7367	7766
	कुल	1,47,530	1,67,084	2,18,244

अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण

4002. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों और उपक्रमों में श्रेणी क, ख, ग और घ के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) के कर्मचारियों की इस समय श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) का आरक्षण कोटा पूरी तरह से भरा जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त वर्गों के लिए आरक्षण कोटे को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या ओ.बी.सी. के कर्मचारियों को पदोन्नति के समय भी आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (छ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में दूरभाष केन्द्र

4003. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषत: मछलीशहर और प्रतापगढ़ में स्थापित किए गए दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन केन्द्रों के अधीन बड़ी संख्या में टेलीफोन ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनके ठीक ढंग से कार्य करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1401 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं जिनमें मछली शहर जिले में 5 एक्सचेंज और प्रतापगढ़ जिले में 39 एक्सचेंज यम्मिलित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव व सुधार

4004. श्री रामदास आठवले : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषत: जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव व सुधार के लिए राज्य सरकारों को राज्यवार और वर्षवार धनराशि के आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार के संबंध में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों

की कुल लंबाई 58112 कि.मी. है। राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। राज्यों के जनसांख्यिकीय विशेषता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा नहीं की जाती है। आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्योरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) ब्योरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अनुमोदित परियोजनाओं के राज्यवार ब्योरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214 और 219	4002
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए और 153	392
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154	2836
4.	बिहार	2, 19, 28, 28ए, 30, 30ए, 31, 57, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106 और 107	3312
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216 और 217	1810
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9.	गुजरात	एन ई-1, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15 और 59	2461
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72 और 73	1357
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 72 और 88	1188
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी और 1सी	823
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1603
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 206, 207, 209, 212 और 218	3570
15.	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	1440
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 79, 86 और 92	4664

1	2	3	4
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204 और 211	3626
18.	मणिपुर	39, 53 और 150	954
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	717
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21.	नागालैंड	36, 39, 61 और 150	369
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 200, 201, 203, 215 और 217	3301
23.	पांडिचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 12, 14 15, 65, 76, 79, 79ए, 89 और 90	4597
26.	सिक्किम	31ए	62
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 46, 47, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219 और 220	3758
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तरांचल	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108 और 109	1075
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 19, 24, 24ए, 25, 25ए, 26, 27, 28, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 92, 93, 96 और 97	4942
31.	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31ए, 31सी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 80 और 81	1951
		जोड़	58112

विवरण–II

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए धनराशि के आबंटन का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-2001		2001-2002		2002-2003	
		विकास	अनुरक्षण	विकास	अनुरक्षण	विकास	अनुरक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	111.88	54.14	103.80	42.20	118.46	35.44

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.09
3.	असम	52.54	47.79	76.05	41.49	73.75	26.92
4.	बिहार	69.28	64.49	65.32	45.16	76.53	30.46
5.	चंडीगढ़	1.44	0.45	1.50	0.46	2.70	0.74
6.	छत्तीसगढ़	12.28	11.80	32.28	24.20	61.20	25.60
7.	दिल्ली	4.83	0.82	6.00	1.02	6.00	0.12
8.	गोवा	23.00	6.06	20.00	4.00	8.00	4.15
9.	गुजरात	91.00	24.58	70.43	25.82	90.00	10.51
10.	हरियाणा	101.00	19.53	103.88	19.43	59.00	10.30
11.	हिमाचल प्रदेश	44.15	33.51	55.00	19.92	30.00	12.51
12.	जम्मू और कश्मीर	2.50	2.84	2.30	0.86	4.00	0.88
13.	झारखंड	22.00	9.61	35.00	20.00	32.00	16.97
14.	कर्नाटक	81.04	46.84	109.48	39.43	89.66	45.82
15.	केरल	89.78	33.40	92.62	23.36	75.95	23.74
16.	मध्य प्रदेश	134.72	86.34	90.99	60.82	96.10	48.03
17.	महाराष्ट्र	212.36	42.95	193.72	52.91	124.78	47.39
18.	मणिपुर	8.51	8.24	14.53	9.36	14.02	6.01
19.	मेघालय	17.08	10.17	22.70	11.35	22.20	8.70
20.	मिजोरम	10.00	9.81	26.00	5.00	22.00	6.20
21.	नागालैंड	15.00	3.61	15.00	2.03	12.00	1.86
22.	उड़ीसा	100.47	47.77	79.13	48.88	56.32	42.37
23.	पांडिचेरी	2.00	1.82	2.12	0.85	2.00	0.76
24.	पंजाब	53.65	20.86	64.13	25.26	51.76	17.59

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	राजस्थान	87.20	41.04	87.46	44.69	93.89	33.86
26.	तमिलनाडु	103.42	53.81	97.39	45.45	102.48	41.62
27.	उत्तर प्रदेश	149.50	60.77	146.63	66.19	137.31	39.85
28.	उत्तरांचल	1.99	4.59	25.00	10.68	20.69	5.84
29.	पश्चिम बंगाल	128.00	53.75	84.22	42.03	114.50	20.69

विवरण-III

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	147	346.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	7.62
3.	असम	89	238.12
4.	बिहार	102	256.30
5.	चंडीगढ़	2	5.39
6.	छत्तीसगढ़	96	155.56
7.	दिल्ली	5	15.82
8.	गोवा	13	39.75
8.	गुजरात	99	300.95
10.	हरियाणा	47	158.60
11.	हिमाचल प्रदेश	50	98.85
12.	जम्मू और कश्मीर	9	12.36
13.	झारखंड	51	99.61
14.	कर्नाटक	157	288.89
15.	केरल	85	225.33
16.	मध्य प्रदेश	200	317.45
17.	महाराष्ट्र	205	402.66
18.	मणिपुर	8	23.86
19.	मेघालय	28	73.24
20.	मिजोरम	35	79.37
21.	नागालैंड	33	35.56
22.	उड़ीसा	77	188.35
23.	पांडिचेरी	5	5.03
24.	पंजाब	59	112.94
25.	राजस्थान	174	320.11
26.	तमिलनाडु	176	293.75
27.	उत्तर प्रदेश	136	431.68
28.	उत्तरांचल	34	1173.62
29.	पश्चिम बंगाल	38	241.20

जीवनरक्षक दवाओं के अन्मर्गत मधुमेह की दवाओं को शामिल करना

4005. डा. अशोक पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मधुमेह रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मधुमेह की दवाओं को जीवनरक्षक दवाओं के अन्तर्गत शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) मधुमेह की दवाएं अर्थात् मोनोकोमपोनेन्ट इन्सूलिन, पोरसाइन इन्सूलिन जिंक ससपेंशन; और पोरसाइन एवं बोवाइनइन्सूलिन दिनांक 1.3.2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 21/2002-सी.शु. की सूची 4 के अन्तर्गत क्रमशः क्रम सं. 71, 83 एवं 85 में जीवनरक्षक दवा के रूप में अधिसूचित हैं और इन दवाओं को सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है।

[अनुवाद]

सफदरजंग अस्पताल में डायलिसिस के लिए नल के जल का प्रयोग

4006. श्री नरेश पुगलिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि सफदरजंग अस्पताल में हिमो डायलिसिस करने के लिए जल शोधन संयंत्र के अभाव में नल के जल का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसका मरीजों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल में हीमोडायलिसिस के लिए नल के पानी का उपयोग डायोनाइजिंग मशीनों का उपयोग करके उस पानी को शोधित करने के बाद किया जाता है। डायलिसिस के बाद रोगियों पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखे गए हैं। डायलिसिस के लिए रिवर्स ओस्मोसिस एवं डायोनाइजिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है तथा दोनों प्रक्रियाओं में नल का पानी इस्तेमाल किया जाता है। रिवर्स ओस्मोसिस मशीन की खरीद की कार्रवाई भी की जा रही है।

भुवनेश्वर और कटक के बीच बाई-पास सड़क

4007. श्री के.पी. सिंह देव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर और कटक शहरों के लिए बाई-पास सड़क के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य के लिए उड़ीसा सरकार को धनराशि स्वीकृत करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी

4008. श्री सुबोध राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में दवाओं की बड़ी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन अस्पतालों में दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में औषधियों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान नीति के अनुसार अस्पताल की फारमूलरी के आधार पर रोगियों को औषधियां मुफ्त वितरित की

जाती हैं। आवश्यक एवं जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध न होने पर औषधियां खरीद कर भी निर्धन रोगियों को दी जाती हैं।

जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक नीति

4009. श्री राजो सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेडिकल जैव-प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनियमन में सरकार द्वारा किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है;

(ख) इस संबंध में भेषज उद्योगों द्वारा सरकार के समक्ष क्या समस्याएं रखी गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जैव-प्रौद्योगिकी और जीनोम संबंधी अनुसंधान के प्रभावी विनियमन हेतु कोई विनियामक प्रणाली बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रणाली कब तक बना लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और हमारे देश के हित में एक स्पष्ट जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक नीति बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 5.12.1989 के राजपत्र अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1039 के तहत औषध सहित जैविक उत्पादों के आयात, विनिर्माण एवं विपणन की अनुमति प्रदान करने के वास्ते मानदण्ड निर्धारित किए हैं। इन मानदण्डों के अंतर्गत चिकित्सा संबंधी जैविक उत्पादों के वास्ते आवेदनों के मूल्यांकन हेतु बहुस्तरीय प्रक्रिया है।

जैविक औषधों के स्थानीय विनिर्माताओं को शुरू में आणविक विशिष्टता, जीन मेनिपुलेशन तकनीक, अशुद्धता स्थिति और रोग प्रतिरक्षी रसायनिक विशेषताओं आदि की जांच के आधार पर उत्पादों के पशु पर निदान पूर्व प्रयोग करने के वास्ते जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत जीनी मोनिपुलेशन संबंधी समीक्षा समिति (आर सी जी एम) से स्वीकृति लेनी पड़ती है।

आर सी जी एम की स्वीकृति के बाद और औषध के बारे में तैयार निदान-पूर्व आंकड़े के आधार पर भारत के औषध महानियंत्रण कार्यालय द्वारा मानव विज्ञान निदान परीक्षण करने के बारे में अनुमति प्रदान की जाती है।

आवेदक द्वारा तैयार किए गए निदान संबंधी आंकडें और आणविक विशिष्टता आदि की जांच विशेषज्ञ पेनल द्वारा की जाती है जिसका समन्वयन औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत औषध के विपणन संबंधी अधिकार प्रदान करने वास्ते औषध महानियंत्रक (भारत) करते हैं।

इसके बाद जैविक उत्पादों के विनिर्माण और विपणन के वास्ते पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जेनेटिक इंजिनियरिंग अनुमोदन समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।

चिकित्सा संबंधी जैविक उत्पादों और पर्यावरणीय विषयों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय रूप से विनिर्मित जैविक औषधों को स्वीकृति प्रदान करने के बारे में औषध महानियंत्रक (भारत) को सलाह देने के वास्ते एक विशेषज्ञ पेनल गठित किया गया है।

[अनुवाद]

स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना

4010. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान चालू स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ग) उक्त परियोजना के पूर्ण होने के लिए लगभग कितनी राशि बढ़ाई जाएगी; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना (जी क्यू) की प्रगति इस प्रकार है :

कुल लंबाई	:	5846 कि.मी.
पहले ही 4 लेन का बनाया गया	:	1327 कि.मी.

कार्यान्वयन के अंतर्गत : 4383 कि.मी.

सौंपे जाने वाले ठेके : 136 कि.मी.

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए खर्च की गई राशि 5206.78 करोड़ रु. है और वर्ष 2003-04 के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए आबंटित राशि 10,423.26 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई चार महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की अनुमानित लागत 25055 करोड़ रु. (1999 के मूल्य पर) है जिसके अंतर्गत 5846 कि.मी. राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाया जा रहा है।

आयोडिन रहित नमक पर से प्रतिबंध हटाना

4011. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आयोडिन रहित नमक के उत्पादन और बिक्री पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यूनीसेफ ने केन्द्र सरकार के इस निर्णय पर गंभीर चिन्ता जताई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय अधिसूचना के माध्यम से 27-5-1998 से सीधे मानव उपयोग के लिए नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिसे अब 30-9-2000 से उठा लिया गया है। तथापि, इस संबंध में राज्यों को दी गई शक्तियों के अंतर्गत उनके द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के माध्यम से अधिकतर राज्यों/संघ-क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रतिबंध वैध बना रहा।

सीधे मानव उपयोग के लिए गैर-आयोडीकृत नमक की बिक्री पर प्रतिबंध आयोडीन अल्पता से संबंधित विकारों को रोकने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया था तथापि, समाज के कई वर्गों ने विभिन्न कारणों से इस केन्द्रीय अधिसूचना का विरोध किया। अन्ततः इस प्रतिबंध को एक ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए हटा दिया गया जिसमें उन लोगों के लिए पर्याप्त गुंजाईश हो जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि जन स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में कोई जोर-जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और यह कि आयोडिन अल्पता विकारों को रोकने के लिए आयोडीयुक्त नमक के उपयोग को और अधिक जागरूकता उत्पन्न करके, इस उत्पादन की पहुंच उपलब्धता और वहनीयता की मानीटरिंग कर सहजता से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

आयोडीयुक्त नमक की बिक्री के लिए एक सांविधिक आवश्यकता स्थानिक सामाजिक स्थितियों, आहारीय आदतें और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है। इस पहल का बेहतर निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है क्योंकि उन्हें स्थानीय स्थितियों की बेहतर जानकारी होती हैं और वे आवश्यकता वाले क्षेत्रों, में प्रतिबंध लगा सकते हैं। केन्द्र सरकार ने अनुभव किया कि यह निर्णय-गैर आयोडीयुक्त नमक की बिक्री पर रोक लगाई जाए अथवा नहीं और यदि हां, तो किन क्षेत्रों में लगाई जाए-को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अपनी अधिसूचना वापिस ले ली है।

आयोडीन अल्पता विकारों को रोकने के वास्ते आयोडीयुक्त नमक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य आयोडीकरण ही एकमात्र कार्यनीति नहीं है। इस संबंध में सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण के माध्यम से और अधिक जागरूकता उत्पन्न करना और उपलब्धता, वहनीयता तथा पहुंच बढ़ाना इसके मूल घटक हैं और सरकार का इस उद्देश्य को प्राप्त करने के वास्ते इन पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी पर व्यय

4012. श्री महेश्वर सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक मंत्रालय को अपने बजट के तीन प्रतिशत को सूचना प्रौद्योगिकी पर खर्च करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) योजना आयोग ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा गठित "एक्सपर्ट ग्रुप फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ दि इंफोर्मेशन ऑन पर्सोनल एंड सिटीजन सर्विसेस" की सिफारिश के आधार पर अप्रैल, 1988 में विभिन्न

मंत्रालयों/विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित उनकी योजना/कार्यक्रमों के लिए बजट/स्कीमों में 2-3% का प्रावधान करने का अनुरोध किया था।

(ग) विभिन्न मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी पर व्यय कर रहे हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में संगठनात्मक परिवर्तन

4013. श्री रामसिंह राठवा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन लाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार का भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1950 में की गयी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अपने संविधान के अनुसरण में तभी से कार्य कर रहा है। इसके संवैधानिक निकायों ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस नहीं की है।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा उत्पादन की लागत

4014. श्री अनन्त नायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास परमाणु ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करने के लिए वर्तमान प्रौद्योगिकी को सुधारने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे प्राप्त करने के लिए किस आविष्कारी परियोजना प्रबधंन कृत्यों को अपनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में सरकार के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय देश में चौदह परमाणु विद्युत रिएक्टर प्रचालनरत हैं और आठ परमाणु विद्युत रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। प्रचालनरत रिएक्टरों के संबंध में किए जाने वाले सुधार कार्यों में क्षमता का इष्टतम उपयोग करना, यथापेक्षित अपग्रेडेशन करना, संयंत्र की सुरक्षा और कार्य-निष्पादन को बढ़ाने और उसके कार्यकाल में वृद्धि करने के लिए उन्हें नवीनीकृत और आधुनिक बनाना शामिल है। निर्माणाधीन रिएक्टरों के संबंध में किए जाने वाले उपायों में डिजायन के सरलीकरण द्वारा लागत में कटौती करना, स्वदेशी उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, निर्माण संबंधी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके गेस्टेट्शन अवधि को घटाना, परियोजना संबंधी वित्तीय संस्वीकृति के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को समय-पूर्व पूरा करना, बड़े आपूर्ति-व-स्थापना पैकेजों के आधार पर परियोजना को निष्पादित करना तथा योजना और मानीटरन कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाना और रिएक्टर यूनिट के आकार में वृद्धि करना शामिल है।

ए.सी.पी. स्कीम

4015. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा यथा अनुसूचित सुनिश्चित पदोन्नति योजना को दिल्ली और दिल्ली के बाहर सी.जी.एच.एस. औषधालयों में कार्यरत एलोपैथिक भेषजों के संबंध में पूर्णत: कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सुनिश्चित पदोन्नति योजना (ए.सी.पी.) के प्रावधानों के अनुसार सी.जी.एच.एस. के ऐसे फार्मासिस्ट, (एलोपैथिक) जिन्होंने अपनी नियुक्ति की तारीख से 12 या 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, वे क्रमश: 5000-150-8000 रु. के वेतमान में पहला वित्तीय उन्नयन और 6500-200-10500 रु. के वेतनमान में दूसरे वित्तीय उन्नयन के पात्र होते हैं वशर्ते कि संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति अन्यथा उनको उन्नयन के लिए उपयुक्त पाती है।

सुनिश्चित पदोन्नति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। सी.जी.एच.एस. फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) के पात्र होने पर उनके उन्नयन पर विचार किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

मानव विकास सूचकांक

4016. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में पूर्वोत्तर के विकास को तेज करने हेतु प्रधान मंत्री के पैकेज के अन्तर्गत विशेष अभियान को अपनाए जाने से मानव विकास सूचकांक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पैकेज के कार्यान्वयन के बाद से असम और क्षेत्र के अन्य राज्यों में मानव विकास सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इस सूचकांक के संबंध में विकास का आंकलन करने हेतु ध्यान में रखे जाने वाले विभिन्न आयामों के संबंध में विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उन पर कितना अनुमानित व्यय किया गया है और उन पर केन्द्र और राज्यों का योगदान राज्यवार क्या रहा है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) असम में मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के संबंध में 1996-97 में शुरू किए गए और परवर्ती वर्षों में कार्यान्वित किए गए प्रधानमंत्री के पैकेज के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना बहुत ही जल्दी होगा। तथापि, असम के लिए एचडीआई जो 1981 में 0.272 था, बढ़कर 1991 में 0.348 हो गया था और 2001 के लिए 0.386 अनुमानित किया गया है। 2001 के लिए एचडीआई 1981 से संबंधित सूचकांक से 41.9 प्रतिशत और 1991 से संबंधित सूचकांक से 10.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। क्षेत्र के अन्य राज्यों से संबंधित एचडीआई संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) एचडीआई, चरों (वेरियेबल्स) का सम्मिश्रण है जिसमें मानव विकास के तीन आयामों अर्थात् आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य में उपलब्धियां प्राप्त करना है। इन्हें असमानता के लिए समायोजित प्रतिव्यक्ति मासिक व्यय, साक्षरता दर और औपचारिक शिक्षा की मात्रा के सम्मिश्रण, और एक वर्ष की आयु और शिशु मृत्यु दर के सम्मिश्रण द्वारा उपलब्ध किया गया है। प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी), प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय, रोजगार में वृद्धि, साक्षरता और शिशु मृत्युदर संलग्न विवरण-II में दी गई है। योजना आयोग राज्यों को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर निधियां प्रदान करता है। राज्य नौवीं पंचवर्षीय योजना की पांच वार्षिक योजनाओं के दौरान 8140.28 करोड़ रुपये के आबंटन में से केवल 7091.03 करोड़ रुपये ही व्यय कर सका था। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के अन्तर्गत 574.70 करोड़ रुपये की राशि की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, पूर्वोत्तर परिषद और परियोजना विशिष्ट एकबारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत भी निधियां आबंटित की जाती हैं। यह राज्य परियोजना कार्यान्वयन की धीमी गति के कारण तीव्र प्रगति करने में समर्थ नहीं हो पाया है।

विवरण-I

मानव विकास सुचकांक

क्रमांक	राज्य	मूल्य	
		1981	1991
1.	असम	0.272	0.348
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.242	0.328
3.	मणिपुर	0.461	0.536
4.	मेघालय	0.317	0.365
5.	मिजोरम	0.411	0.548
6.	नागालैण्ड	0.328	0.486
7.	सिक्किम	0.342	0.425
8.	त्रिपुरा	0.287	0.389

नोट : मानव विकास सूचकांक 2001 का आकलन कुछ चुने हुए राज्यों के लिए किया गया है, जिनके लिए कुछ आंकड़े जिनमें जनगणना शामिल है, उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में इसका आकलन केवल असम के लिए किया गया है।

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य	प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) (रु.)		प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय (रु./मास)		रोजगार में वृद्धि (प्रतिशत वार्षिक)		साक्षरता (प्रतिशत)		शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार)	
		1993-94	1997-98	1993 94	1999-2000	1983 से 1993-94	1993-94 से 1999-2000	1991	2001	1981	1991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	असम	1592	1675	280.42	473.42	1.6	2.5	52.89	64.28	—	92
2.	अरुणाचल प्रदेश	3267	3571	343.75	672.31	—	—	41.59	54.74	126	91
3.	मणिपुर	1824	1948	305.69	596.36	3.3	2	59.89	68.87	32	28
4.	मेघालय	1650	1804	390.00	639.13	3.5	2.6	49.10	63.31	79	80
5.	मिजोरम	—	—	472.59	935.53	6.3	4	82.27	88.49	83	53
6.	नागालैंड	2164	—	454.48	1005.99	22.4	8.6	61.65	67.11	68	51
7.	सिक्किम	3461	—	321.12	559.97	2.3	3.4	56.94	69.68	127	60
8.	त्रिपुरा	1751	2117	367.43	589.50	4.3	1.4	60.44	73.66	130	82

विवरण-III

नौवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) का योजना निष्पादन

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नौवीं योजना (1997-2002) सहमत परिव्यय (1996-97 के मूल्यों पर)	वार्षिक योजना 1997-98			वार्षिक योजना 1998-99			वार्षिक योजना 1999-2000		
			प्रारंभिक स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	प्रारंभिक स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	प्रारंभिक स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अरुणाचल प्रदेश	3569.89	600.00	517.36	489.38	625.00	471.58	463.02	665.00	503 00	468.4
2.	असम	8983.93	1510.28	1324.08	1283.18	1650.00	1389.37	1293.67	1750.00	1500.00	1404.59
3.	मणिपुर	2426.69	410.00	382.02	345.28	425.00	406.08	388.55	475.00	475.00*	452.61
4.	मेघालय	2500.62	382.00	260.00	248.83	400.00	302.50	299.38	465.00	350.00	343.28
5.	मिजोरम	1618.51	290.00	304.94	295.25	333.00	284.55	272.06	360.00	380.51	378.02
6.	नागालैण्ड	2006.43	291.00	258.00	232.33	300.00	300.00	245.97	315.00	320.50	306.17
7.	सिक्किम	1600.00	220.00	222.00	190.12	237.00	218.00	224.3	250.00	250.00*	193.25
8.	त्रिपुरा	2577.39	439.91	407.18	412.59	440.00	379.00	392.25	475.00	437.00	452.51
	कुल (राज्य)	25283.46	4143.19	3675.58	3496.96	4410.00	3751.08	3579.20	4755.00	4216.01	3998.83

नौवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) का योजना निष्पादन (प्रचालित मूल्यों पर)

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 2000-01			वार्षिक योजना 2001-02			कुल	
		प्रारंभिक स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	प्रारंभिक स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	प्रारंभिक अनुमोदित परिव्यय (अर्थात् 4+7+10+13+16)	प्रत्याशित व्यय (अर्थात् 6+9+12+15+18)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	अरुणाचल प्रदेश	640.00	599.41	510.92	661	660.91	555.41	3191.00	2487.13
2.	असम	1520.00	1520.00*	1481.38	1710	1710*	1628.21	8140.28	7091.03
3.	मणिपुर	451.00	429.57	247.92	520	352.65	352.65**	2281.00	1787.01
4.	मेघालय	480.00	467.00	462.84	487	472.82	470.22	2214.00	1824.55
5.	मिजोरम	401.26	396.71	371.93	410	441.51	402.42	1794.26	1719.68
6.	नागालैण्ड	326.00	326.16	317.70	405	411.47	411.87**	1637.00	1513.64
7.	सिक्किम	250.00	250.22*	218.39	300.22	300.22	281.58	1257.22	1107.64
8.	त्रिपुरा	485.00	422.60	474.12	560	560*	522.67	2399.91	2254.14
	कुल (राज्य)	4553.26	4411.67	4085.20	5053.22	4909.58	4624.63	22914.67	19784.82

*संशोधन नहीं किया गया, अनुमोदित परिव्यय दोहराया गया।

**वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं है, संशोधित परिव्यय दोहराया गया।

निमोनिया का फैलना

4017. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सी. कुप्पुसामी :
श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री कमलनाथ :
श्री कैलाश मेघवाल :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री ए. ब्रह्मनैया :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एशियाई देशों में रहस्यमय तरीके से निमोनिया के फैलने के संबंध में वैश्विक चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी पर कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गंभीर तीव्र श्वसनी लक्षण (एस.ए.आर.एस.) के फैलने के बारे में एक विश्व व्यापी चेतावनी जारी की है।

(ख) और (ग) महामारी संबंधी जटिलताओं को देखते हुए भारत सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- आव्रजन प्राधिकारियों को एस.ए.आर.एस. के लक्षणों के बारे में जानकारी दे दी गई है। भारत में आने वाले सभी यात्रियों द्वारा भरा जाने वाला एक प्रपत्र तैयार किया गया है और उसे नगर विमानन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नौवहन मंत्रालय को उपलब्ध करा दिया गया है ताकि हवाई अड्डों और पत्तनों पर उचित जांच सुनिश्चित की जा सके और यात्रियों को जानकारी दी जा सके।

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को रोगी की मानक परिभाषा, रोगी के उपचार और उसे छुट्टी देने संबंधी विवरण दे दिए गए हैं। उन्हें एस.ए.आर.एस. के संभावित किसी भी मामले के उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार रहने का अनुरोध किया गया है।

- मौजूदा सुविधाओं के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और पत्तनों पर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को आव्रजन प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके भारत में आने वाली उड़ानों और समुद्री जहाजों पर यात्रियों की मॉनीटरिंग करने और किसी भी संदिग्ध रोगी की सूचना संबंधित स्वास्थ्य प्राधिकारियों को देने हेतु सतर्क कर दिया गया है।

- राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली और राष्ट्रीय वायरोलोजी संस्थान, पुणे को किसी भी संदेहास्पद/संभावित रोगी की प्रयोगशाला जांच करने के लिए शीर्ष एजेन्सियों के रूप में आभिज्ञात किया गया है।

- केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में गंभीर तीव्र श्वसनी लक्षण का उपचार पृथक रूप से करने संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था कर ली गई है।

दूरसंचार संबंधी प्रशुल्क

4018. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न निजी संचालकों द्वारा प्रभारित मोबाइल प्रशुल्क की तुलना में प्रशुल्कों में की जाने वाली वृद्धि के पश्चात् बुनियादी टेलीफोनों के दूरसंचार प्रशुल्क किरायों, लोकल कॉल, डब्ल्यू.एल.एल., एस.टी.डी. और आई.एस.डी. कॉल प्रभारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बुनियादी टेलीफोन प्रणाली के संबंध में दूरसंचार प्रशुल्कों में वृद्धि के कारण आम लोगों के बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सेवा प्रदाताओं के बीच पूर्व दिनांकित मूल्य निर्धारण संबंधी प्रतिस्पर्द्धा को रोकने हेतु कतिपय नियम और विनियम निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा बुनियादी सेवाओं, डब्ल्यूएलएल (मोबाइल) और सेल्यूलर मोबाइल के संबंध में हाल ही में निर्धारित किए गए प्रशुल्कों के तुलनात्मक ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन प्रशुल्कों को, जो दिनांक 1.4.2003 से लागू होने थे, दिनांक 1.5.2003 तक आस्थगित किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। टीआरएआई (ट्राई) द्वारा घोषित प्रशुल्कों में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए 29999 लाइनों तक की एक्सचेंज क्षमता के मामलों में किराए में किसी प्रकार की वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी किराए में वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा, टीआरएआई द्वारा घोषित प्रशुल्क केवल एक मानक प्रशुल्क पैकेज है तथा सेवा प्रदाता, उन उपभोक्ताओं को जिन्हें वे सेवा प्रदान कर रहे हैं, की संख्या के अनुसार प्रशुल्क पैकेज की पेशकश कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) टीआरएआई अधिनियम, 1997 के अनुसार दूरसंचार प्रशुल्क निर्धारित करने का अधिकार केवल टीआरएआई को है तथा इस मामले में सरकार की और कोई भूमिका नहीं है। तथापि, विनियामक के रूप में, ट्राई ने सभी सेवा प्रदाताओं के लिए फॉरबीयरेन्स के अंतर्गत वर्गीकृत टैरिफ योजनाओं को छोड़कर अपनी टैरिफ योजनाओं को लागू करने से पूर्व इसके अनुमोदन को प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। उक्त दूसरे मामले में, पेश किए जाने के बाद प्रशुल्क टीआरएआई को प्रस्तुत किए जाते हैं। टीआरएआई द्वारा सेवा प्रदाताओं द्वारा पेश किए गए सभी प्रशुल्कों की जांच की जाती है ताकि मौजूदा विनियमों का अनुपालन और उपभोक्ता संरक्षण संबंधी सिद्धांतों का आनुरूप्य सुनिश्चित किया जा सके। प्रशुल्क योजनाओं को अनुमोदित करते समय टीआरएआई यह सुनिश्चित करता है कि प्रशुल्क योजनाएं लागत-आधारित, गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-पूर्व दिनांकित हों।

विवरण

प्रशुल्कों की मदें	बुनियादी	डब्ल्यूएलएल (एम)	मोबाइल
1	2	3	4
किराया (रुपए में)	ग्रामीण-70 से 280 शहरी-120 से 280	200	फॉरबीयरेन्स
नि:शुल्क कॉलें	ग्रामीण-50 शहरी-30	कोई नि:शुल्क कॉल नहीं	फॉरबीयरेन्स
पल्स दर (सेकेन्ड में)	बुनियादी से बुनियादी-120 बुनियादी से डब्ल्यूएलएल (एम)-120 बुनियादी से मोबाइल मेट्रो-90 सर्किल-60	डब्ल्यूएलएल (एम) से डब्ल्यूएलएल (एम)-120 डब्ल्यूएलएल (एम) से बुनियादी-120 डब्ल्यूएलएल (एम) से मोबाइल-फारबीयरेन्स	फॉरबीयरेन्स
प्रति मापित कॉल प्रशुल्क	ग्रामीण 51 से 200 @ 0.80 > 300 @ 1.20	फॉरबीयरेन्स	फॉरबीयरेन्स

1	2	3	4
	शहरी 31 से 300 @ 1.00 > 300 @ 1.20		
एसटीडी काल प्रभार	**50 की.मी. तक**-लोकल काल के समान **50 कि.मी. के बाद-** फॉरबीयरेन्स 8.40 रुपये प्रति मिनट की अधिकतम सीमा तक	**50 कि.मी. तक**-लोकल काल के समान **50 कि.मी. के बाद-** फॉरबीयरेन्स 8.40 रुपए प्रति मिनट की अधितम सीमा तक	**50 कि.मी. तक**-लोकल काल के समान **50 कि.मी. के बाद-** फॉरबीयरेन्स 8.40 रुपए प्रति मिनट की अधिकतम सीमा तक
आईएसडी प्रभार	फॉरबीयरेन्स	फॉरबीयरेन्स	फॉरबीयरेन्स

विनिवेश नीति

4019. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री सुनील खां :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश नीति का प्रमुख उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का आधुनिकीकरण और उन्नयन है; और

(ख) यदि हां, तो विनिवेश से अर्जित धनराशि में से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर व्यय की जा रही राशि का इकाई-वार ब्यौरा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का आधुनिकीकरण और उन्नयन, विनिवेश नीति के उद्देश्यों में से एक है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से जुटाई गई धनराशि को भारत के संचित कोष में जमा किया गया है, जिसमें से सरकार, अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन्नयन का व्यय भी पूरा करती है।

[हिन्दी]

विदेश यात्राएं

4020. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों/उपक्रमों/अन्य संगठनों के किन-किन अधिकारियों ने विदेश यात्राएं की हैं और उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की है तथा वे वहां कितनी अवधि के लिए ठहरे;

(ख) सरकार द्वारा उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा नकद या 'यात्री चेक' के रूप में दी गई है;

(ग) उन यात्री चेक्स का ब्यौरा क्या है जिन्हें नकदीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है;

(घ) इन अधिकारियों द्वारा सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के क्या कारण हैं और उनसे धनराशि की वसूली में असफलता के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दुर्विनियोजित धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसे कब तक वसूले जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के कई देशों और बहुपक्षीय संगठनों के साथ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सहयोग संबंध हैं। नियमित सहयोग के रूप में, एक-दूसरे के देशों का दौरा करना और वैज्ञानिक/तकनीकी बैठकों में भाग लेना शामिल है। इसके अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिवालय के अधिकारी भी संबंद्ध बैठकों में भाग लेने के लिए विभागीय खर्चे पर विदेशों में जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी यात्राओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) प्रत्येक मामले में अदा की गई विदेशी मुद्रा की राशि संलग्न सूची में दी गई है।

(ग) विभाग के सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 2002 के दौरान किए गए विदेशी दौरों से संबंधित सूचना

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जिस देश का दौरा किया	दौरे की अवधि	नकद भत्ते/आवास के संबंध में अदा की गई विदेशी मुद्रा की राशि
1	2	3	4	5
1.	डा. के. रघुरमन, प्रधान, आईएसडी, परमाणु ऊर्जा विभाग	डलात, वियतनाम	10 जनवरी, 2002	90 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
2.	डा. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	संयुक्त राज्य अमरीका	13 से 16 फरवरी, 2002	300 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
3.	डा. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	वियाना, आस्ट्रिया	5 से 8 मार्च, 2002	352.50 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
4.	श्रीमती सुधा भावे, संयुक्त सचिव (आरएंडडी) परमाणु ऊर्जा विभाग	जेनेवा, स्विटजरलैंड	21 से 26 अप्रैल, 2002	636 अमरीकी डालर (नकद भत्ता/आवास)
5.	डा. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	वियाना, आस्ट्रिया	17 से 19 जून, 2002	262.50 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
6.	श्री आर.एम. प्रेमकुमार, अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	कजाकिस्तान	23 से 27 जून, 2002	281.25 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
7.	डा. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	वियाना, आस्ट्रिया	26 से 28 जून, 2002	300 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
8.	श्री ए.बी. अवार्ती, वैज्ञानिक अधिकारी/एफ, परमाणु ऊर्जा विभाग	वाशिंगटन, अमरीका	24 से 30 अगस्त, 2002	450 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)

1	2	3	4	5
9.	डा. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	जर्मनी तथा इंग्लैंड	3 से 6 सितम्बर, 2002	300 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
10.	डा. अलिन काकोडकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	वियाना, आस्ट्रिया	14 से 21 सितम्बर, 2002	525 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
11.	डा. के. रघुरमन, प्रधान, आईएसडी, परमाणु ऊर्जा विभाग	वियाना, आस्ट्रिया	14 से 22 सितम्बर, 2002	487.50 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
12.	श्रीमती सुधा भावे, संयुक्त सचिव (आरएंडडी), परमाणु ऊर्जा विभाग	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	23 से 26 सितम्बर, 2002	315.35 अमरीकी डालर (नकद भत्ता/आवास)
13.	श्रीमती सुधा भावे, संयुक्त सचिव (आरएंडडी), परमाणु ऊर्जा विभाग	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	19 से 26 अक्तूबर, 2002	770 अमरीकी डालर (नकद भत्ता/आवास)

वर्ष 2001 के दौरान किए गए विदेशी दौरों से संबंधित सूचना

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जिस देश का दौरा किया	दौरे की अवधि	नकद भत्ते/आवास के संबंध में अदा की गई विदेशी मुद्रा की राशि
1	2	3	4	5
1.	डा. अलिन काकोडकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	वियतनाम	6 से 10 जनवरी, 2001	225 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
2.	श्री आर.एम. प्रेमकुमार, अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	मास्को, रूस	16 से 21 जनवरी, 2001	337.50 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
3.	श्रीमती सुधा भावे, संयुक्त सचिव (आरएंडडी), परमाणु ऊर्जा विभाग	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	19 से 25 अप्रैल, 2001	525 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
4.	डा. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	रूस, आस्ट्रिया तथा फ्रांस	25 से 30 जून, 2001	412.50 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
5.	सुश्री सुचित्रा दुरै, उप सचिव (ईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग	आस्ट्रिया	10 से 17 जून, 2001	600 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)

1	2	3	4	5
6.	सुश्री सुचित्रा दुरै, उप सचिव (ईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग	वियाना, आस्ट्रिया	9 से 21 सितम्बर, 2001	975 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
7.	डा. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	वियाना, आस्ट्रिया तथा जेनेवा, स्विट्जरलैंड	15-23 सितम्बर, 2001	652.50 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
8.	श्रीमती सुधा भावे, संयुक्त सचिव (आरएंडडी), परमाणु ऊर्जा विभाग	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	25-27 सितम्बर, 2001	321 अमरीकी डालर (नकद भत्ता/आवास)
9.	श्रीमती सुधा भावे, संयुक्त सचिव (आरएंडडी), परमाणु ऊर्जा विभाग	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	20 से 25 अक्तूबर, 2001	587.50 अमरीकी डालर (नकद भत्ता/आवास)
10.	डा. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	मास्को, रूस	22 से 23 अक्तूबर, 2001	112.50 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
11.	डा. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	मास्को, रूस तथा वियाना, आस्ट्रिया	5 से 9 नवम्बर, 2001	337.50 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)

वर्ष 2000 के दौरान किए गए विदेशी दौरों से संबंधित सूचना

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जिस देश का दौरा किया	दौरे की अवधि	नकद भत्ते/आवास के संबंध में अदा की गई विदेशी मुद्रा की राशि
1	2	3	4	5
1.	डा. आर. चिदम्बरम, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	स्विट्जरलैंड, आस्ट्रिया तथा फ्रांस	23 से 28 जनवरी, 2000	600 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
2.	श्रीमती सुधा भावे, संयुक्त सचिव (आरएंडडी), परमाणु ऊर्जा विभाग	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	13 से 19 अप्रैल, 2000	911 अमरीकी डालर (नकद भत्ता/आवास)
3.	डा. आर. चिदम्बरम, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	आस्ट्रिया, फ्रांस तथा इंग्लैंड	4 से 10 जून, 2000	670 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
4.	श्री आर.एम. प्रेमकुमार, अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	कोरिया गणराज्य	27 जून से 1 जुलाई, 2000	500 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)

1	2	3	4	5
5.	श्री आर.एम. प्रेमकुमार, अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	मास्को, रूस	23 से 25 अगस्त, 2000	225 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
6.	डा. आर. चिदम्बरम, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	रूस, आस्ट्रिया तथा स्विट्जरलैंड	13 से 26 सितम्बर, 2000	1295 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
7.	श्रीमती सुधा भावे, संयुक्त सचिव (आरएंडडी), परमाणु ऊर्जा विभाग	जेनेवा, स्विट्जरलैंड	24 से 28 सितम्बर, 2000	624 अमरीकी डालर (नकद भत्ता/आवास)
8.	सुश्री सुचित्रा दुरै, उप सचिव (ईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग	आस्ट्रिया तथा स्विट्जरलैंड	16 से 26 सितम्बर, 2000	800 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)
9.	श्री आर.एम. प्रेमकुमार, अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	मास्को, रूस	2 से 4 नवम्बर, 2000	168.75 अमरीकी डालर (नकद भत्ता)

[अनुवाद]

हॉकी टीम को मलेशिया भेजना

4021. श्री सदाशिराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्र नाथ सिंह :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने हेतु हॉकी टीम भेजने मे इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार ने मलेशिया में हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायियों को तंग किए जाने की घटनाओं की वजह से, 12वें सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट, जो कि 22 से 30 मार्च, 2003 तक इपोह (मलेशिया) में आयोजित हुए थे, में भारतीय हॉकी टीम की सहभागिता के लिए अनुमति न देने का फैसला किया था।

वैदिक तथा योग अंतरावर्तिता के माध्यम से कैंसर का इलाज

4022. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ए.एम. चेरिटेबल ट्रस्ट एण्ड लक्ष्मी मेमोरियल कैंसर रिसर्च, हैदराबाद, नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल हैल्थ एण्ड न्यूरोलाजिकल साइंस, बंगलौर और एम्स, नई दिल्ली के चिकित्सकों/वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है कि वैदिक तथा योग संबंधी अंतरावर्तिता के माध्यम से कैंसर के कई मामलों का कारगर ढंग से इलाज किया जा सकता है और यह टर्मिनल कैंसर के मामलों में भी इसी प्रकार से कारगर हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके दावों के सत्यापन हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर ने दो अन्य संस्थाओं के सहयोग से "कैंसर के प्रबंधन में योग उपचार का समन्वित दृष्टिकोण" नामक अनुसंधान परियेजना शुरू की है। इस अध्ययन से पता चला है कि योग चिकित्सा से कैंसर रोगियों का जीवन बेहतर हो जाता है, चिंता अथवा अवसाद में और उपचार के

दुष्प्रभावों में कमी आती है और प्रतिरक्षा पैरामीटर बेहतर हो जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने ''सामान्य व्यक्तियों पर तथा ऐसे व्यक्तियों पर जिनमें कैंसर का शमन हो रहा है, श्वसन संबंधी तकनीकों एवं ध्यान का प्रभाव'' नामक दूसरी अनुसंधान परियोजना शुरू की है। इस चल रहे अध्ययन के प्रारंभिक परिणाम काफी उत्साहवर्धक हैं।

(ख) पूर्ववर्ती मामले में रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत कर दी गई है, बाद के मामले में अध्ययन जारी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की समीक्षा

4023. प्रो. ए.के. प्रेमाजम :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए धनराशि जुटाने की योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना ने विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से समझौता किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान एवं एन एच डी पी द्वारा शुरू की गयी परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और वर्ष 2003-04 के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की प्रगति के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-

1. स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना (जी क्यू)

(i)	कुल लंबाई	:	5846 कि.मी.
(ii)	पहले ही 4 लेन का बनाया गया	:	1327 कि.मी.
(iii)	अभी 4 लेन का किया जाना है	:	
	(क) कार्यान्वयन के अंतर्गज	:	4383 कि.मी.
	(ख) सौंपे जाने हैं	:	136 कि.मी

2. उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग परियोजना

(i)	कुल लंबाई	:	7300 कि.मी.
(ii)	पहले ही 4 लेन का बनाया गया	:	616 कि.मी.
(iii)	अभी 4 लेन का किया जाना है	:	
	(क) कार्यान्यवन के अंतर्गत	:	430 कि.मी.
	(ख) सौंपे जाने हैं	:	5812 कि.मी.

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) राष्ट्रीय रामजार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रारंभ की गई परियोजनाओं के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजनाओं की सं.	लंबाई (कि.मी. में)	स्थिति
1.	स्वर्णिम चतुर्भुज	15	480	पूरी हुई
		89	4293	कार्यान्वयन के अंतर्गत
2.	उत्तर-दक्षिण महामार्ग	12	140	पूरी हुई
3.	पूर्व-पश्चिम महामार्ग	2	20	पूरी हुई
		20	355	कार्यान्वयन के अंतर्गत

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) द्वारा प्रारंभ की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्योरे

क्रमांक	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	ऋण की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	वित्तीय संस्थान
1.	ग्रांड ट्रंक रोड सुधार परियोजना	420	589 मिलियन	विश्व बैंक
2.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	477	516 मिलियन	विश्व बैंक
3.	इलाहाबाद बाइपास	84	अभी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं	विश्व बैंक
4.	पश्चिमी ट्रांसपोर्ट महामार्ग, तुमकुर हावेरी, रा.रा.-4 परियोजना	259	240 मिलियन (वर्ष 2002-03 के दौरान 50 मिलियन अभ्यर्पित किए गए)	एशियाई विकास बैंक
5.	सूरत-मनोर टोलवे परियोजना (भा.रा.रा.प्रा. द्वारा प्रत्यक्ष ऋण)	175	180 मिलियन	एशियाई विकास बैंक

कार्गो टर्मिनलों की स्थापना

4024. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का विचार कार्गो टर्मिनलों की स्थापना करने तथा अंतर्देशीय जलमार्गों में पोत सेवा चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कोई कार्गो टर्मिनल निर्माणाधीन है;

(घ) यदि हां, तो उनके पूरा करने की प्रस्तावित तिथि क्या है; और

(ङ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितना निवेश किया गया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) और (ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कार्गो टर्मिनल स्थापित करने का विचार है लेकिन अंतर्देशीय जलमार्गों में जलयान सेवा चलाने का विचार नहीं है। कार्गो टर्मिनलों के लिए अभिज्ञात किए गए स्थान नीचे दिए गए हैं :

राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1, गंगा

हल्दिया, कोलकाता, पाकुर, फरक्का, कारागोला, भागलपुर, मुंगेर, पटना, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चुनार, मिर्जापुर और इलाहाबाद।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2, ब्रह्मपुत्र

धुबरी, जोगीघोपा, पांडु, तेजपुर, नीमती, डिब्रुगढ़, सदिया और सैखोवा।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3, पश्चिम तटीय नहर

कोल्लम, चवरा, कायाकुलुम, त्रिकुनापुझा, अल्पुझा, चेरतला, वैकोम, इर्नाकुलम, कोचीन विशेष आर्थिक जोन (सीएसईजेड), अलुवा, कोट्टापुरम, उपरोक्त में से छोड़कर, राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-1 पर हल्दिया, कोलकाता, कारागोला, भागलपुर, मुंगेर, पटना, वाराणसी,

चुनार और इलाहाबाद पर फ्लोटिंग टर्मिनल स्थित है तथा कोलकाता, पाकुर और फरक्का में स्थायी जेट्टी है। राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 पर धुबरी जोगीघोपा और पांडू पर फ्लोटिंग टर्मिनल स्थित है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) निर्माणधीन कार्गो टर्मिनल, उनके पूरा होने की तिथि और निवेश के बारे में सूचना निम्न तालिका में दी गई है :-

निर्माणाधीन कार्गो टर्मिनल	पूरा होने की तिथि	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-1 पर गायघाट, पटना में स्थायी आर सी सी जेट्टी का निर्माण	मार्च, 2004	25.50
राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-2 पर पांडू में स्थायी आर सी सी जेट्टी का निर्माण	अप्रैल, 2005	30.00
राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-3 के 11 स्थानों पर स्थायी जेट्टी का निर्माण	मार्च, 2005	14.84

दूरसंचार और डाक क्षेत्र में कार्यों का निष्पादन

4025. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषकर चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में दूरसंचार और डाक क्षेत्र में निष्पादित किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में आरंम्भ किए गए कुछ कार्य अभी भी अधूरे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन कार्यों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में उत्तर

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना और चालू वर्ष 2003-2004 के दौरान महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) द्वारा और मुंबई में एमटीएनएल (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यों का ब्यौरा, क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

डाक क्षेत्र के संबंध में उत्तर

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषकर चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में डाक क्षेत्र में निष्पादित किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा जितना उपलब्ध है, संलग्न विवरण-III में दिया गया है। कुछ योजनाओं/परियोजनाओं में लक्ष्यों का वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। अत: ऐसी योजनाओं के विषय में ब्यौरे, इस परिस्थिति में निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में, नेराल में एक डाक घर के भवन की शुरू की गयी निर्माण परियोजना चल रही है।

(ग) नेराल में डाक घर और उप पोस्ट मास्टर के क्वाटरों के लिए भवन निर्माण से संबंधी कार्य नौवीं योजना के अंत में अर्थात् 14.02.2002 को शुरू हो गया था।

(घ) इस परियोजना के 2003-2004 के दौरान पूरी हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

विवरण-I

क्रम सं.	मद	2003-2004	दसवीं पंचवर्षीय योजना
1	2	3	4
1.	एक्सचेंज क्षमता (लाइनें)	682000*	**

1	2	3	4
2.	सीधी एक्सचेंज (लाइनें)	611000	
3.	ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (किलोसर्किट)	86	
4.	ऑप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी.)	4500	
5.	माइक्रोवेव (रूट किलो मीटर)	100	

टिप्पणी :- *लक्ष्य अन्तरिम हैं।

**सर्किल-वार लक्ष्य वार्षिक आधार पर तैयार किए गए हैं, अत: दसवीं योजना अवधि के लिए लक्ष्यों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

विवरण-II

एमटीएनएल में प्रस्तावित कार्य

क्रम सं.	मद	2003-2004	जोड़ (10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए)
1.	सीधी एक्सचेंज लाइनें	247300	1416548
2.	स्विचिंग क्षमता	275000	1565000
3.	ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज	—	20000
4.	एक्सेस नेटवर्क	—	—
	(क) डीएसी (डिजिटल लूप कैरियर)	400	1700
	(ख) केबल प्रतिस्थापन (लाख कन्डेक्टर) (कि.मी.)	16	38
5.	ऑप्टिकल फाइबर केबल (रूट किलो मीटर)	420	2080

विवरण-III

दसवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र सर्किल में विकासीय गतिविधियों का ब्यौरा

I. **डाक :**

(1) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र के छः प्रधान अभिलेख कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव है, जिनमें से मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान दो कार्यालयों में यह कार्य पूरा किए जाने की संभावना है।

(2) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुम्बई में लेखादेय सामग्री के लिए ट्रैक और ट्रेस प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने, और महाराष्ट्र में कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण छंटाई केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

(3) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभाग ने चार महानगरों मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना आरंभ की है। मुम्बई में हवाई डाक केन्द्र के कम्प्यूटरीकरण का कार्य मुम्बई स्थित विदेशी डाक घरों के कम्प्यूटरीकरण सहित परियोजना के एक भाग के रूप में ही किया जाएगा। मौजूदा वर्ष में मुम्बई स्थित हवाई डाक केन्द्र के लिए 21.63 लाख रुपए और विदेशी डाक घरों के लिए 25 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है। यह परियोजना दिसम्बर 2003 तक पूरी की जानी है।

(4) 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पार्सल हब के विकास के लिए एक परियोजना की परिकल्पना की गई है। मुम्बई स्थित इस परियोजना के लिए पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि में 70 लाख रुपए का परिव्यय किया जाना है।

II. **कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग :**

(क) डाकघरों और प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग।

(ख) प्रचालन/कार्य प्रणालियों का आधुनिकीकरण।

(ग) दसवीं योजना के दौरान ई-बिल पोस्ट का विस्तार कार्य भी किया जाना है।

III. भवन :

भवन के निर्माण के प्रस्ताव के लिए व्यय सम्बन्धी वित्त आयोग तथा सीसीईए का अनुमोदन प्रतीक्षित है। इस प्रस्ताव में महाराष्ट्र सर्किल के लिए भी कतिपय प्रक्षेपण शामिल हैं।

IV. सर्किल स्टैंप डिपो :

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, स्कीम के एक भाग के रूप में महाराष्ट्र और मुम्बई के दो सर्किल, स्टैंप डिपो को वार्षिक योजना 2002-2003 में कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

V. डाक नेटवर्क का विस्तार :

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र सहित, देश में 1000 विभागेतर शाखा डाकघर, 100 विभागीय उप-डाकघर तथा 5000 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। तथापि सर्किल वार लक्ष्य केवल वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया इस समय क्रियान्वयनाधीन है। वर्ष 2002-2003 के लिए महाराष्ट्र सर्किल को 30 विभागेतर शाखा डाकघर, 8 विभागीय उप-डाकघर, तथा 150 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य आबंटित किया गया था, और सर्किल ने यह लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है।

VI. वाणिज्य विकास :

स्पीड पोस्ट के लिए बुकिंग/वितरण कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 4 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं।

भारत-नामीबिया संबंध

4026. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नामीबिया ने लघु उद्योग और अन्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय सहयोग बढ़ाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में नामीबिया की किस सीमा तक सहायता करने के लिए भारत सहमत हुआ है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार तथा नामीबिया सरकार ने अगस्त, 1998 में भारत सरकार के भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आई.टी.ई.सी.) कार्यक्रम के तहत ओडनगबा, नामीबिया में प्लास्टिक टेकनालॉजी डिमोन्सट्रेशन एंड कॉमन फेसिलिटी सेन्टर की स्थापना के लिए एक करार किया है। करार में ओडनगबा, नाम्बिया में प्लास्टिक टेकनालॉजी डिमोन्सट्रेशन एंड कॉमन फेसिलिटी सेन्टर, जिसे इण्डिया नाम्बिया टेकनालॉजी सेन्टर (आई.एन.पी.टी.सी.) कहा जाएगा, की परिकल्पना की गई है। आई.एन.पी.टी.सी. की स्थापना टर्नकी आधार पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एन एस आई सी), नई दिल्ली द्वारा 339.51 लाख रुपये की लागत से भारत सरकार की ओर से को गई थी। परियोजना हेतु फण्ड्स विदेश मंत्रालय द्वारा आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम के तहत जुटाए गए थे और इसे जून, 2001 में पूरा किया गया था। विभिन्न प्रौद्योगिकीयों जैसे ब्लो मोल्डिंग, इन्जेकशन मोल्डिंग, थर्मोफोर्मिंग, प्लास्टिक रिसाईकलिंग, इत्यादि की आपूर्ति प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के तहत की जाती है। इसके अलावा, साभान्य सुविधा सेवाएं जैसे ग्रांइडिंग मशीन, मिलिंग मशीन, प्रिसिसियन लेथ, हीट ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रिलिंग मशीन इत्यादि की आपूर्ति भी केन्द्र को की जाती है। केन्द्र की स्थापना करने का मूल उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रदर्शन हेतु सुविधा प्रदान करना है ताकि उद्यमिता संस्कृति को विकसित किया जा सके। सामान्य सुविधा केन्द्र जॉब कार्य के कार्य निष्पादन हेतु सुविधाओं से सुसज्जित हैं तथा प्लास्टिक परियोजनाओं के लिए डाइज और मोल्डस के विनिर्माण हेतु एक मिनी टूल रूम भी है।

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

4027. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के प्रति बुनियादी टेलीफोन संचालकों (पुराने लाइसेंसधारकों) के वापस लिए गए दायित्व (मैन आउट आबलिगेशन) की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन बुनियादी संचालकों के ऐसे दायित्वों को माफ करने का है जो कि एन.टी.पी. 1994 से एन.टी.पी. 1999 में चले गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार छः निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा प्रदान किये

गये ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की संख्या नीचे दी गयी है :-

क्रम सं.	लाइसेंसधारकों का नाम	सेवा क्षेत्र	प्रदान किये गये ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या
1.	मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	1314
2.	मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	गुजरात	3939
3.	मैसर्स एचएफसीएल इन्फोटेल लिमिटेड	पंजाब	831
4.	मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) मिलिटेड	महाराष्ट्र	1894
5.	मैसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	348
6.	मैसर्स श्याम टेलीलिंक लिमिटेड	राजस्थान	1016
	कुल		9342

पंजाब के संबंध में आंकड़े खराब पड़े एमएआरआर प्रणाली आधारित टेलीफोनों के प्रतिस्थापन से संबंधित हैं, क्योंकि निजी प्रचालकों द्वारा सेवा प्रारंभ किये जाने के पहले सभी गांवों को वीपीटी प्रदान कर दिये गये थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सेल्यूलर टेलीफोनों को प्रोत्साहन

4028. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी टेलीफोनों की तुलना में सेल्यूलर टेलीफोन किफायती हैं;

(ख) यदि हां, तो जनशक्ति, अवसंरचनात्मकता और जनता की प्रतिक्रिया के संबंध में प्रत्येक सेलफोन और बुनियादी टेलीफोन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बुनियादी टेलीफोनों की तुलना में सेल्यूलर टेलीफोनों को प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) देश में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) और बुनियादी टेलीफोन सेवा सहित दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। सामान्यत: लैंडलाइन टेलीफोनों की (बुनियादी टेलीफोन सेवा के तहत) यदि सेल्यूलर टेलीफोनों से तुलना की जाए तो भी उनके अभी भी टैरिफ कम है। तथापि, सीएमटीएस का टैरिफ फिलहाल फॉरबियरेंस के तहत है जिसका अर्थ है कि सेल्यूलर प्रचालक सेल्यूलर टेलीफोनों के लिए विभिन्न टैरिफ विकल्प देने के लिए स्वतंत्र हैं और हाल ही में इन्होंने लगातार गिरावट का रुझान दिखाया है। यह मुख्यत: सेल्यूलर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ है। हाल ही में, सेल्यूलर टेलीफोनों की वार्षिक वृद्धि दर 80-90% रही है जबकि लैंडलाइन टेलीफोनों की वृद्धि लगभग 22% थी। सेल्यूलर प्रचालकों के पास मासिक किराए और एअरटाइम प्रभार वाली भिन्न-भिन्न टैरिफ योजनाएं हैं, जिन्हें वह समय-समय पर संशोधित करते रहते हैं। ट्राई द्वारा दी गई सूचना से यह पता चलता है कि इस समय देश भर में सेल्यूलर उपभोक्ताओं के लिए 600 से अधिक विभिन्न प्रकार की टैरिफ योजनाएं हैं। अत: सेल्यूलर टेलीफोनों और लैंडलाइन टेलीफोनों के टैरिफों के बीच सार्थक तुलना करना संभव नहीं है। सरकारी प्रचालकों अर्थात महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड के संबंध में जन शक्ति और अवसंरचना के तुलनात्मक आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे; जहां तक निजी प्रचालकों का संबंध है, सरकार उनके विषय में कोई रिकार्ड नहीं रखती है।

(ग) और (घ) सीएमटीएस जैसी सेवाओं को छोड़कर जिसमें रेडियो स्पैक्ट्रम अड़चन के कारण इस समय लाइसेंसधारकों की संख्या प्रति सेवा क्षेत्र पर सीमित रूप से 4 है, सरकार ने सभी दूरसंचार सेवाओं को अप्रतिबंधित प्रतिस्पर्द्धा के लिए खोल दिया है। सरकार ने सभी प्रकार के सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा के समान अवसर प्रदान करने वाली शर्तें भी तैयार की हैं ताकि सभी दूरसंचार सेवाएं अपनी क्षमता के अनुसार विकास कर सकें।

[हिन्दी]

बिहार में पी.सी.ओ. केन्द्र

4029. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय जिला-वार कितने पी.सी.ओ. कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इनमें से ज्यादातर पी.सी.ओ. खराब पड़े रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार बिहार में कार्यरत एसटीडी/आईएसडी/लोकल पीसीओ के संबंध में दूरसंचार जिला-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	दूरसंचार जिले का नाम	कार्यरत एसटीडी/आईएसडी/ लोकल पीसीओ की संख्या
1	2	3
1.	आरा	948
2.	बेगूसराय	1026
3.	बेतिया	733
4.	भागलपुर	1553
5.	छपरा	5118
6.	दरभंगा	1675
7.	गया	5820
8.	हाजीपुर	2672
9.	कटिहार	2261
10.	किशनगंज	512
11.	खगड़िया	172
12.	मोतिहारी	2910
13.	मुंगेर	1200
14.	मुजफ्फरपुर	3851
15.	पटना	8072
16.	सहरसा	1046
17.	समस्तीपुर	791
18.	सासाराम	2002

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के अन्तर्गत रिक्त पद

4030. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों और उपक्रमों में श्रेणी क, ख, ग और घ के अतंर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) के कर्मचारियों की इस समय श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) आरक्षण कोटा पूरी तरह से भरा जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त वर्गों के लिए आरक्षण कोटे को कब तक भरे जाने की सभावना है;

(च) क्या ओ.बी.सी. के कर्मचारियों को पदोन्नति के समय भी आरक्षण प्रदान किया जाता है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित पदों के लिए ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के न मिलने पर इन पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है; और

(झ) यदि हां, तो इसके कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) कोई भी विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विनिवेश मंत्रालय के अधीन नहीं है। विनिवेश मंत्रालय की स्थापना दिसम्बर, 1999 में की गई थी। इसके अधिकतर पद और कार्मिक अन्य मंत्रालयों/विभागों से स्थानांतरित किए गए थे। अधिकारियों के पदों को केन्द्रीय कर्मचारी योजना की प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाता हे। लिपिकीय संवर्ग में पदों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरा जाता है और ये व्यय विभाग के संवर्ग से सम्बद्ध है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में, आज की तारीख तक विनिवेश आयोग सहित, विनिवेश मंत्रालय द्वारा की गई नई नियुक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है। यह भर्ती निर्धारित मॉडल रोस्टर के अनुसार की गई है।

वर्ष	पद	की गई भर्ती	पिछड़ा वर्ग
2000	चपरासी	2	1
2001	चपरासी	6	1
2002	–	1	–
2003	स्टाफ कार ड्राइवर	1	–

(ख) भारत मरकार के अधीन असैनिक पदों तथा सेवाओं में सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली 27 प्रतिशत रिक्तियों को अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इसके अधीन कार्यालयों सहित, विनिवेश मंत्रालय में अभी तक कोई भी प्रोन्नति नहीं की गई है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में संचार प्रणाली

4031. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में संचार प्रणाली ठीक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य में संचार प्रणाली में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 के दौरान संचार प्रणाली के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तर प्रदेश में संचार प्रणाली में और सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :-

– सभी एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है।

– विश्वसनीय माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं।

– कम दूरी प्रभारण केंद्रों (एसडीसीसी) में इन्टरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम (आई वी आर एस) आधारित केंद्रीकृत दोष की बुकिंग सुविधा शुरू की गई है।

– 5 पेयर केबल बिछाए जा रहे हैं।

– जिन टेलीफोन उपकरणों की मियाद पूरी हो चुकी है उन्हें चरणबद्ध रूप से बदला जा रहा है।

– टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में संचार प्रणाली के विकास पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	वर्ष	व्यय की गई राशि (करोड़ में)
1.	2000-2001	1202.13
2.	2001-2002	958.37
3.	2002-03 (फरवरी 2003 तक)	911.78

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स एंड मैक्सिलो फेसियल सर्जरी की स्थापना

4032. श्री नरेश पुगलिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यक बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सफदरजंग अस्पताल के बर्न वार्ड में दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी जले हुए रोगियों के उचित उपचार की सुविधाएं नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे रोगियों के लिए राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड मैक्सिलो-फेसियल सर्जरी स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संस्थान को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सफदरजंग अस्पाताल के बर्न वार्ड में जले हुए रोगियों के उपचार के वास्ते सभी आधुनिक उपस्कर एवं उपकरण हैं। जले हुए रोगियों के उपचार से संबंधित सुविधाएं डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च) इस समय राष्ट्रीय प्लास्टिक और मैक्सिलो-फेसियल सर्जरी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक में बाई-पास

4033. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के शकलेसपुर, कोप्पल, मुदाबिदरी एवं टुमकुर बाई-पास की परियोजना रिपोर्ट तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन चारों बाई-पासों को पूरा करने पर आने वाला कुल अनुमानित व्यय कितना है;

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान इन बाई-पासों हेतु केंद्र सरकार द्वारा कुल कितनी निधियां आबटित की गई हैं; और

(ङ) ये बाई-पास कब तक तैयार हो जाएंगे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसी कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाना

4034. श्री के.पी. सिंह देव :
श्री अनन्त नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री ने एनडीसी की 50वीं बैठक में एक लिखित प्रति के परिचालन सहित अपने भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ कहा

कि ''उड़ीसा को विशेष श्रेणी राज्य घोषित करने के लिए मैं भारत सरकार से बार-बार अनुरोध करता रहा हूं''।

(ग) कुछ राज्यों को निर्धारित मानदंड के आधार पर विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान किया गया है जिसमें पड़ोसी देशों के साथ सटी सीमा पर सामरिक महत्व की स्थिति, पर्वतीय भू-भाग, अपर्याप्त आर्थिक और सामाजिक आर्थिक संरचना, प्रबल जनजातीय जनसंख्या और विकास आवश्यकताओं की तुलना में सीमित और कमजोर संसाधन शामिल हैं। क्योंकि उड़ीसा में ये सब विशेषताएं नहीं हैं अत: इसे विशेष श्रेणी राज्यों में शामिल करना संभव नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, जबकि राज्य केन्द्रीय सहायता आबंटित करने के मानदंड में संशोधन (नों) का सुझाव दे रहे हैं, इस मुद्दे पर राज्यों की कोई आम सहमति नहीं है। आम सहमति के अभाव में, सरकार का यह सुविचारित मत है कि राज्य की विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के आधार पर वित्तीय सहायता/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) उपलब्ध कराई जाए।

स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार लाने हेतु पैकेज

4035. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत को विश्व स्तर का स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार लाने हेतु कोई पैकेज शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी हां, देश में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में समग्र सुधार हेतु किए गए कार्यों में सामान्य तौर पर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में प्राइवेट सहभागिता को बढ़ावा देना और वित्तीय एवं अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के उपाय शामिल हैं।

(ग) और (घ) लाभ पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ, 100 अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले प्राइवेट अस्पताल को दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराने वाले वित्तीय संस्थानों को आयकर में छूट· कोटि उन्नयन एवम् प्रतिस्थापन करने के लिए जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों के संबंध में अवमूल्यन की दर बढ़ाना; जीवन रक्षक उपकरण और कई जीवन रक्षक औषधियों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कमी करना; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना और लगभग सभी मदों/कार्यकलापों को ऑटोमेटिक रूट पर रखकर उसे और उदार करना और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था से प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा विनियम आय की तुलना में विर्निदिष्ट मदों के कुछ प्रतिशत के आयात की अनुमति देना शामिल हैं।

अति लघु एपर्चर टर्मिनल टेलीफोन सेवाएं

4036. श्री ए. नरेन्द्र : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायली उपकरण विनियोग कंपनी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अति लघु एपर्चर टर्मिनल (वी.एस.ए.टी.) टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कंपनी का दक्षिण एशियाई क्षेत्र हेतु भारत में विनिर्माण बेस स्थापित करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई अन्य टेलीफोन सेवाओं की तुलना में अति लघु एपर्चर टर्मिनल (वी.एस.ए.टी.) के क्या लाभ हैं;

(च) क्या सरकार ने उक्त कंपनी के प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) जी, नहीं। टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग से लाइसेंस प्राप्त केवल कोई भारतीय पंजीकृत कंपनी ही ये सेवाएं प्रचालित कर सकती है। वेरी स्मॉल अपचर टर्मिनल (वीएसएटी) प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने का एक संभव उपाय है। किसी भी इस्राइली कंपनी से वीएसएटी उपस्कर के विनिर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और कोई भी कंपनी इस प्रकार का यूनिट स्थापित कर सकती है।

(ङ) देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपग्रह एकमात्र व्यवहार्य सुझाव है और किसी भी अन्य भू-आधारित प्रौद्योगिकी द्वारा इन क्षेत्रों में ये सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती हैं।

(च) और (छ) उपर्युक्त (क) से (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

लघु उद्योग क्षेत्र की आरक्षित सूची से मदों को हटाना

4037. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :
डा. वी. सरोजा :

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में लघु उद्योग क्षेत्र की आरक्षित सूची से कुछ और मदों को हटाया है जैसा कि दिनांक 1 मार्च, 2003 के दी स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लघु उद्योग क्षेत्र की आरक्षित सूची से मदों को हटाने से देश में लघु उद्योगों के समस्त विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार एवं पुन: जांच करने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) 28 फरवरी, 2003 को संसद में प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजट, 2003-2004 में सरकार ने प्रयोगशाला रसायन एवं प्रतिकर्मकों, चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादनों, प्लास्टिक उत्पादनों, रसायनों एवं रसायन उत्पादनों तथा कागज उत्पादनों की 75 मदों की आरक्षित सूची से हटाए जाने का प्रस्ताव किया है। इन मदों को आरक्षित सूची से प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, निर्यात संवर्धन तथा इकॉनमिज ऑफ स्केल प्राप्त करने के अधिक अवसर स्वीकृत किए जाने के कारण हटाया गया है।

(ग) से (च) केवल लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र में ही विनिर्माण के लिए मदों को आरक्षित/अनारक्षित किए जाने का मामला एक निरन्तर प्रक्रिया है, इसके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन आवधिक तौर पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों से परामर्श करके तथा उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है। इन समीक्षाओं में विभिन्न संगत पहलुओं पर विचार किया जाता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, घरेलू एवं वैश्वी प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार एवं निर्यात की संभाव्यता तथा विनिर्माण की आर्थिक व्यवहार्यता, लघु क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास पर इसका प्रभाव, आदि।

भारत संचार निगम लिमिटेड एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का सेल ऑपरेटरों से लिंक

4038. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने सेल आपरेटरों के साथ अपने लिंक संशोधित करने/समीक्षा करने अथवा उन्हें तोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्यमान संपर्कों का ब्यौरा क्या है और इन संपर्कों के संचालन के नियम एवं शर्तें क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेल आपरेटरों और भारत संचार निगम लिमिटेड तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मोबाइल स्विचन केन्द्रों के बीच अन्तर्संयोजन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी विनियमनों/अवधारणाओं के ढांचे के भीतर लेवल I ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज (टीएएक्स)/लेवल II टीएएक्स पर प्रदान किया जाता है। कुछ स्थानों पर अंतर्संयोजन अभी तक कमतर स्तर अर्थात् शार्ट डिस्टैंसचार्जिंग सेन्टर टैन्डेम एक्सचेंज स्तर पर प्रदान किया जाता रहा है।

[हिन्दी]

अधिकारियों की विदेश यात्राएं

4039. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों, उपक्रमों एवं अन्य संस्थाओं के अधिकारियों ने किन-किन देशों की यात्राएं की और वे वहां कितने दिन ठहरे;

(ख) सरकार द्वारा उन्हें नकदी एवं ट्रेवलर्स चेक के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा दी गई;

(ग) नकदीकरण हेतु प्रस्तुत न किए गए ट्रेवलर्स चेकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किए जाने के क्या कारण हैं, यदि कोई हो, और उनसे धन की वसूली करने में असफल रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) अधिकारियों द्वारा दुर्विनियोजित की धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी वसूली कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सड़क दुर्घटनाएं

4040. कर्नल (सेवानिवृत) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास लगाए गए होर्डिगों एवं बिल बोर्डों के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने इन्हें हटाने हेतु आदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आदेशों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) केवल होर्डिग और बिल बोर्डों के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या के आकलन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि होर्डिग के कारण चालकों का ध्यान भंग होता है, मंत्रालय ने यह निर्धारित किया है कि जनहित के सूचनापरक संकेतों को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि में किसी विज्ञापन होर्डिग की अनुमति न दी जाए।

(घ) मंत्रालय ने अनेक अ.शा. पत्रों जिनमें राज्य मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) के स्तर से मुख्यमंत्रियों को भेजे गए तीन अ.शा. पत्र भी शामिल हैं, के माध्यम से राज्य सरकारों से इन नीतिगत दिशानिर्देशों के कड़ाई से अनुपालन का अनुरोध किया है। उल्लंघन के मामले में राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण परियोजनाएं

4041. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई बिल्ड, आपरेटर एवं ट्रांसफर (बी ओ टी) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी परियोजनाओं को 30 वर्ष की अवधि तक चलाया जा सकेगा;

(ग) यदि हां, तो परियोजना का चयन करने अथवा पहचान करने एवं इसे बी ओ टी परियोजना के रूप में अंतिम रूप देने संबंधी मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिलों में ऐसी बी ओ टी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा आंध्र प्रदेश में ऐसी कोई परियोजना प्रारंभ नहीं की गई है।

(ख) अंतर्देशीय जल परिवहन नीति के अनुसार ऐसी परियोजनाएं 30 वर्ष की अवधि तक प्रचालित की जा सकती हैं।

(ग) मानदंड के विवरण इस प्रकार हैं :-

पहला, जो परियोजनाएं बी ओ टी के आधार पर निजी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित की जा सकती हैं उन्हें चिन्हित कर सूचीबद्ध कर लिया जाएगा। इसके बाद सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाला अभिलेख तैयार किया जाएगा और भावी निवेशकों को बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। भावी निवेशकों से प्राप्त बोली आधार पर किसी विशेष परियोजना के लिए निवेशक का चयन करने के लिए निर्णय लिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

यूरोप के लिए मालभाड़ा दर

4042. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातकों और आयातकों को ई पी आई सी (यूरोपीय, पाकिस्तान, भारत कंसोर्टियम) के तीनों सदस्यों द्वारा विभाजन की सूचना जारी किए जाने से यूरोप के लिए मालभाड़े की निम्न दरों का लाभ प्राप्त हो सकेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विभाजन से मार्ग में कंटेनर सेवाओं के लिए आपूर्ति बढ़ जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान स्तर से भारतीय यूरोप कार्गो व्यापार में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) और (ख) यद्यपि, ई पी आई सी कंसोर्टियम में विभाजन से माल-भाड़ा दरों पर दबाव बढ़ेगा, फिर भी यूरोप के लिए माल-भाड़ा दरों में कोई काफी कमी होने की संभावना नहीं है।

(ग) इस विभाजन के फलस्वरूप मार्ग में कंटेनर सेवा के लिए अधिक क्षमता नहीं होगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डोपिंग पर उच्च स्तरीय सम्मेलन

4043. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलों में डोपिंग के संबंध में कोपेनहेगेन में एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था;

(घ) यदि हां, तो सम्मेलन में किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई और उसका क्या परिणाम रहा; और

(ङ) विश्व भर की किन-किन एजन्सियों ने सम्मेलन में स्वीकार किए गए संकल्पों को अपनाया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) से (ग) विश्व डोप विरोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा 3 से 5 मार्च, 2003 तक कोपेनहेगेन में खेलों में डोप विरोधी विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल में भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के महानिदेशक और कार्यकारी निदेशक, वित्त (एस.ए.आई.) शामिल थे।

(घ) (1) विश्प डोप विरोधी संहिता पाठ 3.0 पर चर्चा की गई थी, उसे अनुमोदित किया गया तथा अपनाया गया।

(2) खेलों में डोप विरोध पर कोपेनहेगन घोषणा के मसौदे पर चर्चा हुई थी तथा अनेक देशों की सरकारों द्वारा उसे अपनाया गया था।

(3) विश्व डोप विरोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा तैयार किए जा रहे जांच के तकनीकी मानदंडों, प्रयोगशाला को मान्यता, प्रतिबंधित सूची तथा चिकित्सीय इस्तेमाल के लिए छूट के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था।

(4) खेलों में डोपिंग पर विश्व सम्मेलन के मसौदा संकल्प पर विचार-विमर्श किया गया था तथा सहभागियों द्वारा दिए गए सुझावों को समाहित करके अंतिम पाठ अपनाया गया था।

(ङ) इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघों, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय ओलम्पिक समितियों तथा अनेक देशों की सरकारों ने अंतिम संकल्प को अपनाया।

[हिन्दी]

आरक्षित रिक्तियां

4044. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों में श्रेणी क, ख, ग और घ के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) का आरक्षण कोटा भरा जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसके कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या ओ.बी.सी. के कर्मचारियों को पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो क्या ओ.बी.सी. श्रेणी का उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर इन पदों को सामान्य श्रेणी के लोगों से भरा जाता है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मुख्य विभाग (डोनर) और इसके संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित समूह क, ख, ग एवं घ श्रेणियों में कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नवत् है :-

श्रेणियां	मुख्यालय	एन.ई.सी.*/एन.ई.एच.एच.डी.सी.**/ एन.ई.आर.ए.एम.ए.सी.***
समूह क	शून्य	1
समूह ख	शून्य	2
समूह ग	1	8
समूह घ	1	13

*एन.ई.सी.—पूर्वोत्तर परिषद।

**एन.ई.एच.एच.डी.सी.—पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम।

***एन.ई.आर.ए.एम.ए.सी.—पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम।

(ख) भारत सरकार के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सिविल पदों और सेवाओं में 27 प्रतिशत रिक्तियां अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करनी होती हैं।

(ग) मुख्य विभाग में "क" और "ख" श्रेणी के पद स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गये हैं न कि सीधी भर्ती द्वारा। समूह "ग" पदों (चालकों को छोड़कर) को संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी होने के नाते गृह मंत्रालय द्वारा भरा गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग ने 3 चालकों (समूह "ग") की भर्ती की है जिनमें से एक अन्य पिछड़े वर्ग से है। मुख्य विभाग द्वारा भरे गये चपरासियों के 5 पदों में से एक चपरासी अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है।

पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.), पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एन.ई.आर.ए.एम.ए.सी.) और पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम (एन.ई.एच.एच.डी.सी.) में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा भरा नहीं गया है।

(घ) इस विभाग के अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रमों, अर्थात् पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम (एन.ई.आर.ए.एम.ए.सी.) और पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम (एन.ई.एच.एच.डी.सी.) में पिछले पांच वर्षो के दौरान कोई रिक्ति नहीं हुई है। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) में कर्मचारियों की संख्या में कटौती के कारण कोई पद रिक्त नहीं हुआ है। इसलिए कोई नई भर्ती नहीं की गई है। इसके अलावा, एन.ई.आर.ए.एम.ए.सी. और एन.ई.एच.एच.डी.सी. में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (वी.आर.एस.) भी चलाई जा रही है।

(ङ) पहले से मौजूद कर्मचारियों की संख्या में कटौती की गई है। जब कभी भी की गई कटौती के प्रति रिक्तियां होंगी, सीधी भर्ती के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियां अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को ध्यान में रखकर की जायेंगी।

(च) नियमानुसार पदोन्नति के लिए अन्य पिछड़े वर्गों को कोई आरक्षण नहीं प्रदान किया जाता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) संगत नियमों के अनुसार, सामान्य अभ्यर्थी की नियुक्ति आरक्षित रिक्ति पर तभी की जायेगी जब आरक्षित अभ्यर्थी या तो सामान्य/बढ़ाए गये/क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है या उनको अनुपयुक्त

पाया जाता है और यदि अनारक्षण अनुमोदित हो जाता है। हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां पर अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण सीधी भर्ती के द्वारा एक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई हो।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वाहनों के लिए नई विशिष्टताएं

4045. श्री नरेश पुगलिया : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऑटोमोबाइल निर्माताओं से स्टीयरिंग व्हीलों, सीटों और ऐंकोरेजों, सीट कवरों और ब्रेकों के मामले में वाहनों का नए रूप में विशिष्टीकरण करने के नियमों को क्रियान्वित करने की बात कही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) इन विशिष्टियों को दिनांक 31.5.2002 के सा.का.नि. 400(अ) और दिनांक 27.12.2002 के सा.का.नि. 845(अ) द्वारा अधिसूचित किया गया है। इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

1.	स्टीयरिंग एफर्ट	—	आईएस : 11948-1999
2.	सीटें, उनकी ऐंकरेज और हेड रिस्ट्रेन्ट	—	ए आई एस : 016-2000
3.	हाई स्पीड ब्रेकिंग आवश्यकता	—	आई एस : 11852-2001-भाग 3

सी-डॉट द्वारा किया गया अनुसंधान

4046. श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी-डॉट एस.डी.एच. ऑप्टीकल सिस्टम, डेन्ज वेव डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग (डी०डब्ल्यू०डी०एम०) उपकरणों और तीसरी पीढ़ी के मोबाइल टेलीफोनों पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर सरकारी क्षेत्र में कई अन्य प्रयोगशालाओं में पहले से ही कोई ऐसा अनुसंधान कार्य किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो अनुसंधान क्षेत्रों और अन्य मामलों में जहां अन्य बड़ी संस्थाओं द्वारा भी समाधान के लिए कार्य किया जा रहा है सी-डॉट के कार्यशील होने के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) सी-डॉट द्वारा अनुसंधान विषयों का सावधानीपूर्वक चयन करने और इन्हें दुबारा न किए जाने और अपव्यय से बचने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सी-डॉट मौजूदा दूरसंचार प्रणाली का उन्नयन करने पर भी ध्यान केन्द्रित करेगा; और

(च) यदि हां, तो उत्पाद विकास के लिए सी-डॉट द्वारा तैयार की गई दीर्घकालिक योजना का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) समझा जाता है कि इस प्रकार का अनुसंधान कुछ हद तक कुछ अन्य प्रयागशालाओं में भी किया जा रहा है।

(ग) इस मामले में वास्तविक उद्देश्य, लागत प्रभावी अत्याधुनिक समाधान प्रदान करना और नई विशिष्टियों और सेवाओं के संदर्भ में इसे क्रमिक उन्नयन प्रदान करने के लिए स्वेदशी बाजार क्षमता युक्त अत्यंत उपयुक्ता भी प्रदान करना है क्योंकि इसे प्रौद्योगिकी तथा रुपांकित प्रणालियों के साफ्टवेयर पर नियंत्रण रखना है। पूर्व में भी जब सी-डॉट ने डिजिटल स्विचिंग प्रौद्योगिकी को विकसित किया, उस समय भी कई अन्य प्रौद्योगिकियां पहले से उपलब्ध थीं, फिर भी अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद देश की 45% से अधिक टेलीफोन लाइनें सी-डॉट के हिस्से में आती हैं। भावी प्रौद्योगिकी उत्कर्ष के लिए दक्षता के विस्तार और विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकियों को विकसित करते समय ऐसी ही सोच और प्रस्ताव को ध्यान में रखा जा रहा है।

(घ) सी-डॉट के पास अनुसंधान संबंधी विषयों के चयन के लिए परिभाषित रचनातंत्र है। इसमें अध्ययन और बाजार विश्लेषण, सेवा प्रदाताओं के साथ आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करना, इसके बोर्ड द्वारा उपर्युक्त आधार पर प्राथमिकता देना, सरकार तथा प्रचालकों के उच्च ओहदे वाले प्रतिनिधियों को मिलाकर बनी स्टीयरिंग कमेटी और गवर्निंग कौंसिल सम्मिलित हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) सी-डॉट ने मौजूदा प्रणालियों के लिए उसके द्वारा स्वयं पहले से विकसित प्रौद्योगिकियों पर लीवरेजिंग और मूल्यवर्धन करके कुछ नई प्रणालियों और समाधानों को विकसित करने के लिए दीर्घ

कालिक योजना बनायी है। सी-डॉट द्वारा विकसित की जा रही अधिकांश नई प्रौद्योगिकियां भी ओपन प्लेटफार्म अप्रोच पर आधारित हैं जो उन्हें अत्यधिक माड्यूलर, साफ्टवेयर बोधक और फ्यूचर प्रूफ बनाते हैं ताकि इस प्रकार के प्लेटफार्मों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के नेटवर्क समाधानों में किया जा सके। इससे बदल रही बाजार आवश्यकताओं के आधार पर भावी अनुप्रयोगों की रीट्रोफिटिंग के लिए इन प्लेटफार्मों को उपयुक्त बनाने के साथ-साथ लागत प्रभावी बनाने में भी मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्गों के रिक्त पद

4047. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित श्रेणी क, ख, ग, घ में कर्मचारियों की कुल संख्या और तत्संबंधी श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रदान किए गए आरक्षण का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या मंत्रालय के अधीन विभागों/उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे को भर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इनके कब तक भर लिए जाने की संभावना है;

(च) क्या अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को प्रोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या अन्य पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को पद के लिए योग्य न पाए जाने पर सामान्य श्रेणी के व्यक्ति की भर्ती की जाती है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) वर्ग 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' श्रेणियों के कुल कर्मचारियों की संख्या नीचे दी जा रही है :

श्रेणीवार ब्यौरा

वर्ग	कर्मचारियों की संख्या
क	324
ख	751
ग	1605
घ	906
कुल	3586

(ख) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के तारीख 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एस सी टी) में विनिर्दिष्ट अनुसार, खुली प्रतिस्पर्द्धा द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती के लिए 27 प्रतिशत।

(ग) से (ङ) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के तारीख 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एस सी टी) के तहत पद आधारित रोस्टर लागू करने के परिणामस्वरूप, सभी संघटक यूनिटों को तदैव ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वे, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कथित कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने के परिणामस्वरूप, यदि रिक्तियों में कोई कमी है तो उसका पता लगाएं और उसे नियमित करें, तथा इस विषय पर जारी किए गए संगत दिशानिर्देशों के रहते कमी को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में पूरा करें।

(च) जी, नहीं। अन्य पिछड़ी जातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए सरकार द्वारा किसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है।

(छ) से (झ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

केंद्रीय सड़क निधि का संग्रहण

4048. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए केंद्रीय सड़क निधि के संग्रहण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों को 50 प्रतिशत का हाई स्पीड डीजल उपकर और 100 प्रतिशत पेट्रोल उपकर क्षेत्रवार किस तरीके से आबंटित किया जाएगा;

(ग) क्या वर्ष 2001-02 के लिए रेल नीचले पुलों/रेल उपरिपुलों और सुरक्षा कार्यों के लिए आबंटित अंश का पूर्णरूपेण उपयोग किया जा चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) केंद्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) का संग्रहण पेट्रोल और डीजल की खपत पर निर्भर करता है और इसलिए निधियों के संग्रहण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार, निधियां निम्न प्रकार से आबंटित की गई है :-

(i) केंद्रीय सड़कों के विकास के लिए हाई स्पीड डीजल पर उपकर का 50%।

(ii) हाई स्पीड डीजल पर उपकर का शेष 50% और पेट्रोल पर 100% उपकर सम्मिलित करके निम्न प्रकार से आबंटित किया गया है :-

(कक) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए 57.5%।

(खख) राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए 30%। इस राशि का 3% 'आर्थिक महत्व' और 'अंतर्राज्यीय संपर्क' योजनाओं के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए राज्यों को आबंटित किए जाने के लिए रखा जाता है।

(गग) रेलवे पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण और मानव रहित रेल-रोड क्रासिंग पर सुरक्षा कार्यों के निर्माण के लिए 12.5%।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-02 के दौरान रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण और सुरक्षा कार्यों के लिए रेलवे को आबंटित संपूर्ण निधियों का उपयोग निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जा सका :-

(i) सरेखण को अंतिम रूप देने, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स का अनुमोदन किए जाने और राज्य सरकारों द्वारा संपर्क खंडों के लिए प्राक्कलनों के प्रस्तुतीकरण में विलंब।

(ii) भूमि अधिगृहीत करने में राज्य सरकारों की ओर से विलंब और संपर्क मार्गों में अतिक्रमण हटाने में विलंब।

(iii) राज्य सरकारों द्वारा अपनी वार्षिक योजना में निधियों को प्राथमिकता न देना और अपर्याप्त आबंटन।

(iv) राज्य सरकारों द्वारा संपर्क कार्यों को प्रारंभ करने में विलंब।

(v) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव को प्रायोजित करने में विलंब।

एड्स रोगियों को बीमे के दायरे में लाना

4049. श्री वाई.वी. राव :
डा. अशोक पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कम्पनियों का विचार देश में एड्स रोगियों को बीमे के दायरे में लाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी बीमा कम्पनियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एड्स रोगियों को नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में एच आई वी/एड्स रोगियों को अवसरवादी संक्रमणों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, राज्य एड्स नियंत्रण समितियों को निधियां जारी करता है जो इन निधियों को अवसरवादी संक्रमणों के लिए दवाइयां खरीदने के वास्ते एच आई वी/एड्स रोगियों का इलाज करने वाले संबंधित सरकारी अस्पतालों को जारी करती हैं। सरकार माता-पिता से बच्चे में एच आई वी के संचरण की रोकथाम के लिए एंटी-रिट्रोवाइरल दवाइयां भी प्रदान करती है। इस कार्यक्रम को इस समय उच्च व्यापतता वाले राज्यों (अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड और तमिलनाडु) के सभी जिलों में तेज किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रशिक्षित विशेषज्ञों के नुस्खों पर एड्स रोगियों को एंटी-रिट्रोवाइरल दवाइयां प्रदान कर रहा है और ये दवाइयां कर्मचारी बीमा निगम के संबंधित औषधालयों द्वारा दी जाती हैं।

तथापि, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में सरकार द्वारा एड्स रोगियों के लिए एंटी-रिट्रोवाइरल चिकित्सा का समर्थन नहीं किया जाता है जिसका कारण उन पर होने वाला निषेधात्मक व्यय, उपचार की अनिश्चित अवधि (सामान्यतया जीवन भर) और अन्य सहायक जांचें (सी डी 4/सी डी 8) काउंट्स, वाइरल लोड इस्टीमेशन, लीवर फंक्शन टेस्ट, हीमोग्राम, आदि) हैं, जो कि दवाइयां लेने पर रोगियों पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत दमन और दीव मोटरयान (पहला संशोधन) नियम, 2002, जो 5 दिसम्बर, 2002 के दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडीटीआर/डीएमएन/एफ. 79/104/2002-03/83 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7277/2003]

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सुमित्रा महाजन की ओर से, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दूरसंचार विवाद निपटान ओर अपीलीय अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2003, जो 7 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन; नियम, 2003, जो 7 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 202(अ) प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7278/2003]

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री ए. राजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटन पर रखती हूं-

(1) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्बों के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7279/2003]

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : अध्यक्ष महोदय, में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003, जो 24 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 118(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अधिकरण-III, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003, जो 24 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 119(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापत्तनम, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003, जो 24 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 120(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऋण वसूली अधिकरण, रांची, समूह 'क' और 'ख'

(राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003, जो 24 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 121(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003, जो फरवरी, 2003 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 122(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003, जो 24 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 123(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजत्रित) पद भर्ती नियम, 2003, जो 24 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 124(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7280/2003]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 'दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007' (खंड 1 से 3) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7281/2003]

(2) (एक) नार्थ इस्टर्न स्पेस अप्लीकेशन सेन्टर, शिलांग के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ इस्टर्न स्पेस अप्लीकेशन सेन्टर, शिलांग के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7282/2003]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 29 आठवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7283/03]

2. विवरण संख्या 32 तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7284/03]

ग्यारहवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या 31 दूसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7285/03]

4. विवरण संख्या 29 तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7286/03]

5. विवरण संख्या 29 चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7287/03]

बारहवीं लोक सभा

6. विवरण संख्या 29 दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7288/03]

7. विवरण संख्या 23 तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7289/03]

तेरहवीं लोक सभा

8 विवरण संख्या 21 दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7290/03]

9 विवरण संख्या 21 तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7291/03]

10. विवरण संख्या 17 चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7292/03]

11. विवरण संख्या 15 पांचवा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7293/03]

12. विवरण संख्या 14 छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7294/03]

13. विवरण संख्या 12 सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7295/03]

14. विवरण संख्या 9 आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7296/03]

15. विवरण संख्या 7 नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7297/03]

16. विवरण संख्या 4 दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7298/03]

17. विवरण संख्या 2 ग्यारहवां सत्र, 2002
(मद संख्या 1 से 58 खंड एक)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7299/03]

18. विवरण संख्या 2 ग्याहरवां सत्र, 2002
(मद संख्या 59 से 73 खंड दो)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7300/03]

19. विवरण संख्या 2 ग्याहरवां सत्र, 2002
(मद संख्या 74 से 96 खंड तीन)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7301/03]

20. विवरण संख्या 1 बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7302/03]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाण पत्र-सह-नाविकों के क्षतिपूर्ति दस्तावेज) संशोधन नियम, 2003 जो 3 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या मा.का.नि. 187(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7303/03]

(2) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन* के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7303ए/03]

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण):-

(एक) सेमीकंडेक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेमीकंडेक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड, एस.ए.एस. नगर का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7304/03]

(3) (एक) सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर), मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर), मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7305/03]

(5) डाक विभाग में डाकघर काउंटरों पर रोकड़ लेनदेन करने और वेतन/बिलों/पेंशन वितरण कार्य में लगे कर्मचारियों को रोकड़ लेनदेन भत्ता देने के बारे में माध्यस्थम बोर्ड द्वारा 1993 के अनिवार्य माध्यस्थम संदर्भ संख्या-5 में दिये गये अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7306/03]

---

*न्यू मंगलौर पत्तन न्याम के वार्षिक लेखाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 18.12.2002 को सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:-

"राज्य की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबंधों के अनुसार, मुझे राज्य सभा द्वारा 8 अप्रैल, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. अध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2003, राज्य सभा द्वारा 8 अप्रैल, 2003 को यथापारित, सभा-पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

[अनुवाद]

प्राक्कलन समिति

सातवां और आठवां प्रतिवेदन

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) 'प्रधान मंत्री रोजगार योजना सहित स्वरोजगार योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका' विषयक वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति (तेरहवीं लोक सभा) का 7वां प्रतिवेदन।

(2) 'ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं' विषयक संचार मंत्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति (तेरहवीं लोक सभा) का 8वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.2¾ बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं 'महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, मैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय—संसद सदस्य स्थानीय लैंड क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव' के बारे

[श्री पी.एच. पांडियन]

में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

महोदय, आपकी अनुमति से इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त विधेयक 25 तारीख को प्रस्तुत किया जा रहा है और इस पर दस धटें की चर्चा होने वाली है। महोदय, आप जानते हैं कि जहां तक 'एम. पी. लैड' योजना का संबंध है, तो सदस्यगण 2 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने के लिए कह रहे हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी सदस्यों में इस पर आम सहमति है।

महोदय, मेरा कहना है कि यदि सरकार को इस सम्बन्ध में सूचना दी जाती है तो वह ऐसा कर सकती है। एक दिन माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि वह आपके आदेशों का पालन करेंगे। आप वित्त मंत्री महोदय को इस राशि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने कर निर्देश दे सकते हैं।

महोदय, दिल्ली में इस योजना के अंतर्गत एक विधायक को 2 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। ऐसे छः विधान सभा क्षेत्र, जो हमारे क्षेत्र में पड़ते हैं। इसलिए, यह राशि लगभग 5 करोड़ रुपए बनती है। परन्तु हम 5 करोड़ रुपए के लिए नहीं कह रहे हैं। हम केवल 3 करोड़ रुपए के लिए कह रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के लोग संसद सदस्यों से बहुत आशा रखते हैं। महोदय, आप सदस्यों और लोगों की भावनाओं की कद्र करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस माह की 25 तारीख को विचार जाने हेतु रखे गये वित्त विधेयक में शामिल करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, श्री पांडियन जी ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह राशि बढ़कर तीन करोड़ रुपए होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं 'शून्य काल' को लेता हूं। पहली सूचना जिसकी मैं अनुमति देने जा रहा हूं वह श्री सुरेश कुरूप की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं एक के बाद एक सबको अनुमति दूंगा। श्री सुरेश कुरूप, प्रो. प्रेमाजम, श्री अजय कुमार, श्री कृष्णदास, श्री राधा कृष्णन और श्री अजय चक्रवर्ती ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। मैंने उन्हें 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति दी है।

मैं श्री सुरेश कुरूप से बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, मेरे विशेषाधिकार के प्रस्ताव का क्या हुआ। विशेषाधिकार प्रस्ताव को पहली प्राथमिकता मिलती है...*(व्यवधान)* यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं आपकी विशेषाधिकार की सूचना पर विचार करूंगा तो आप इस पर बोल सकते हैं।

मैंने राज्य सरकार से रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट आने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : पहले एक मिनट तो मेरी बात बात सुन लीजिए। इनके बाद सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इनके बाद सुन लेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : पूरे देश में व्यापारी वर्ग हड़ताल पर हैं। हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या में समस्त सभा से अनुरोध कर सकता हूं कि मेरे साथ सहयोग करें। मुझे बहुत से महत्वपूर्ण मामले जैसे वस्त्र मामला, सिले-सिलाये वस्त्रों का मामला, बुनकर और तात्कालिक मुद्दे जो माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं, के संबंध में काफी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी महत्वपूर्ण मामलों को लेने जा रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है कि उसके पश्चात लम्बे समय तक छुट्टियां हैं। मैं अधिकांश सदस्यों को अवसर देना चाहता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि केवल वही सदस्य बोलें जिनको मैं बुलाऊं। अन्यथा, अव्यवस्था की स्थिति होगी और सदस्यों को अवसर नहीं मिलेगा।

अब श्री सुरेश कुरूप।

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) केरल पुलिस द्वारा कुछ संसद सदस्यों की कथित पिटाई के बारे में

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के ध्यान में केरल में हुइ बर्बर घटना लाना चाहता हूं। 17 मार्च, को हमारे चार सदस्यों—श्री एन.एन. कृष्णदास, श्री एस. अजय कुमार, श्री टी. गोविन्दन और श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी की केरल पुलिस द्वारा पिटाई की गई। उस दिन वे अपने-अपने जिलों के पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों के लिए केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा अयोजित मार्च का नेतृत्व कर रहे थे।

इन चारों में से श्री कृष्णदास और श्री अब्दुल्लाकुट्टी की निर्दयता-पूर्वक और आमानवीय ढंग से पिटाई की गई। महोदय, कृपया श्री कृष्णदास के हाल को देखिये। उनका हाथ पुलिस ने तोड़ दिया। वे पालकाट जिले में वहां के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय तक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। और यह देखकर कि सत्तर वर्षीय राजनैतिक नेता श्री शिवदास मेनन, जो केरल में पूर्व वित्त मंत्री थे, की पिटाई हो रही है, श्री कृष्णदास उनके पास गए और उन्हें पिटाई से रोका। इसलिए, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। श्री अजय कुमार को जिला अस्पताल में पीटा गया जहां वह उन लोगों से मिलने गए थे जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था। उन्हें जिला अस्पताल के गलियारे में घेरा गया और पीटा गया।

श्री टी. गोविन्दन और श्री अब्दुल्लाकुट्टी को कसरगोड और कन्नानूर में अपने-अपने जिला मुख्यालयों में पीटा गया। महोदय, जैसा आप जानते हैं श्री टी. गोविन्दन एक हृदय रोगी हैं। किसी भी पुलिस अधिकारी से यह स्पष्ट करने के लिए नहीं कहा गया कि उनके जिला मुख्यालयों में क्या हुआ। जिन पुलिस अधिकारियों ने इस पिटाई का नेतृत्व किया वे साफ बचकर निकल रहे हैं। माननीय संसद सदस्यों की बार-बार शिकायतों के बावजूद भी केरल सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की अथवा इस लाठी चार्ज के संबंध में किसी जांच का भी आदेश नहीं दिया।

महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। हम सभी सदस्यों पर पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोप निर्धारित किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 उनके विरुद्ध लगाई गई है। उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 लगाई गई, इसलिए यह बहुत गम्भीर मामला है।

सरकार को इस सभा में आगे आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है। क्या सरकार केरल सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहेगी। महोदय, मेरा अनुरोध है कि...*(व्यवधान)* कृपया आप बैठ जाइयें। ...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, वह सभा को भ्रमित कर रहे हैं। यह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, माननीय सदस्यों की कुछ शिकायतें हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि उनकी बात सुनें और यदि उन्हें कुछ जवाब देना है तो इसके बाद वे ऐसा कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, इस देश के इतिहास में पुलिस द्वारा माननीय सदस्यों की इस तरह बर्बर पिटाई कभी नहीं हुई।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सरेश कुरूप, आपको उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। आप इस मुद्दे पर बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, बैठ जाएं। माननीय सदस्यों से सभा में अनुशासन बनाये रखे जाने की अपेक्षा है। श्री सुरेश कुरूप आपको किसी अन्य सदस्य की बात का संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल घटना के बारे में बोल सकते हैं। यह एक गम्भीर घटना है। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। आप हमेशा इस पर बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी व्यग्रता समझ सकता हू परन्तु सभा में हम एक अनुशासन से कार्य करते हैं। वे मामला उठाना चाहते

हैं। उन्हें कहने दीजिए। यह संसद सदस्य पर हमले का प्रश्न है। उन्हें कहने दीजिए।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, यह एक अभूतपूर्व घटना है। ऐसी घटना इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। आज संसद सदस्यों को उनके अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पीटा गया। मुख्य मंत्री महोदय और केरल सरकार को बार-बार शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। हमारे सदस्यों की रक्षा कौन करेगा? इसलिए, मेरा अनुरोध है कि इस सभा को इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए और केरल सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करे। महोदय, आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, मुझे कहने दीजिए। मैं लोगों द्वारा कार्य का नेतृत्व कर रहा था। केरल में लेफ्टिस्ट डेमोक्रटिक फ्रंट द्वारा इसका निर्णय लिया गया था। वे 17 मार्च की आदिवासियों पर हुई गोलाबारी के संबंध में जांच की मांग कर रहे थे। इसलिए, हमारे पुलिस नाकाबंदी तक पहुंचने से पूर्व ही पुलिस ने हमें पीटना शुरू कर दिया। मैं देख रहा था कि पुलिस हमारे एक बहुत वरिष्ठ राजनैतिक नेता की पिटाई कर रही है। वह केरल के पूर्व वित्त मत्री थे। वे वयोवृद्ध नेता हैं। वह 71 वर्ष के हैं। श्री शिवदास मेनन को बुरी तरह पीटा गया। चूंकि मैं वहां उपस्थित था तो मैंने उस पुलिस अधिकारी से कहा कि ऐसे वरिष्ठ और वयोवृद्ध राजनैतिक नेता को न पीटे। वह पुलिस अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक है। उसने मुझे व्यक्तिगत रूप मे मारा। उसने व्यक्तिगत रूप से मेरी पिटाई की। महोदय, आप देखिए मेरी एक हड्डी टूट गई है। मेरे दांये कंधे की हड्डी अपने स्थान से खिसक गई है। मैं आपको अभी दिखा सकता हूं। मैं समझता हूं कि यहां वस्त्र उतारना ठीक नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति मेरे शरीर पर घाव देख सकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित न करें। यह देश का सर्वोच्च निकाय है। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? कृपया ऐसा न करें।

श्री एन.एन. कृष्णदास : मैं समझता हूं कि इस सम्माननीय सभा में वस्त्र उतारना ठीक नहीं है। यदि कोई देखना चाहता है तो मैं अपने शरीर पर वे घाव दिखा सकता हूं। यह हड्डी टूट गई है। एक अधिकारी ने मुझे पीटा है। यह स्थिति है। इसलिए, हमें कौन बचायेगा। जन आंदोलन में भाग लेना मेरा संसदीय कर्त्तव्य है। यदि नहीं है तो मुझे इस संसद का मदस्य क्यों होना चाहिए? इसलिए, मेरा यह अनुरोध है कि इस सभा को उनसे पूछना चाहिए। यह सभा ऐसा करने के लिए पूर्णतया सक्षम है। इस सभा को केरल सरकार से इस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु कहना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज पाटील को भी बोलने की अनुमति दी जाएगी। श्री राधाकृष्णन कृपया बैठ जाइये।

मुझे इसी मामले पर पुलिस आधीक्षक, कन्नानूर, केरल के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना प्राप्त हुई है। 18, 20 और 27 तारीख को तीन सूचनाएं मुझे दी गई थी। एक श्री अब्दुल्लाकुट्टी का था, दूसरा श्री गोविन्दन का था; और तीसरा श्री अजय कुमार का था। मैंने सूचनाओं को देखा है। मैंने गृह मंत्रालय से भी इस मामले में वास्तविक टिप्पण मांगा है। प्रक्रिया के अनुसार गृह मंत्रालय से वास्तविक सूचना प्राप्त करने के पश्चात् मैं विषय पर निर्णय ले पाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामला गम्भीर प्रकृति का है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, यह मसला संसद सदस्य को पीटने से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले में आप प्रॉसीजर से अलग हटकर, विशेषाधिकार हनन का मामला समझकर, तुरन्त कार्रवाई करने के निर्देश देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, क्या मुझे बोलने की अनुमति दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो प्रभावित सदस्य हैं उन्हे बोलने की अनुमति दी गई है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैंने एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रभावित सदस्य नहीं हैं। आप न तो वहां थे न ही आपको पीटा गया है। इसलिए कृपया बैठ जाइये। केवल प्रभावित सदस्यों को ही अपने भाषण देने हैं।

मैं श्री शिवराज पाटील को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। हम कांग्रेस पार्टी के उपनेता को सुनते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, यदि इस सभा के एक माननीय सदस्य पर हमला होता है तो हम निश्चित ही उनका दर्द समझते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। क्योंकि राज्य में हमारी पार्टी की सरकार है इसलिए अगर आवश्यक हुआ तो हम निश्चय ही सरकार से मामले पर विचार करने और उचित कार्यवाही करने के लिए कहेंगे। यह सही चीज है जो की जा सकती है।

यह कहने के पश्चात् कृपया मुझे यह निवेदन करने की अनुमति दें कि एक तरफ हम उनके साथ हैं और अपनी पीड़ा में उन्होंने जो कहा है उसका समर्थन करते हैं परन्तु दूसरी ओर यदि इस प्रकार की प्रक्रिया की अनुमति दी जाती है तो हमें राज्य सरकारों द्वारा की गई सभी कार्यवाहियों पर भी ध्यान देना पड़ेगा और फिर हमारे पास यह जानकारी नहीं होगी कि जो सभा में कहा गया वह ठीक है या गलत। यह पूछना बहुत कठिन होगा और आपने ठीक ही सरकार से जानकारी मांगी है। यद्यपि हम इस सभा के माननीय सदस्य होने के नाते ऐसी बातों में शामिल होते हैं परन्तु फिर भी पूर्वोदाहरण इस तरह नहीं बनाने चाहिए कि भविष्य में प्रत्येक राज्य में प्रत्येक सरकार के लिए ऐसी चीजों का उत्तर देना कठिन हो जाए। इस बात की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास : आपका क्या मतलब है? मैं आपका सम्पूर्ण आदर करते हुए आपसे जानना चाहता हूं कि आपका क्या अर्थ है...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : हम आपके शोरगुल के सामने नहीं झुकेंगे क्योंकि आप हमारी भावना नहीं समझ रहे हैं कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। हम शोरगुल के सामने नहीं झुकेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शिवराज पाटील को बोलने की अनुमति दी है। श्री शिवराज पाटील की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं बहुत खुश हूं कि श्री शिवराज पाटील ने इस मामले पर उचित दृष्टिकोण अपनाया है।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, किसी भी सदस्य को अन्य सदस्य की आवाज दबाने के लिए तेज आवाज में बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह तरीका नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सभा में प्रत्येक पक्ष सहमत होगा और मुझे विश्वास है कि श्री शिवराज पाटील ने भी यही कहा है कि संसद सदस्यों पर हमले का समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों पर आपत्ति की जानी चाहिए।

मैं उनकी बात की प्रशंसा करता हूं। मैं अपनी पार्टी के सदस्यों, जिनकी बुरी तरह पिटाई की गई है, को दिए गए समर्थन के लिए सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैं अस्पताल में निरंतर उनके सम्पर्क में रहा हूं। वे वहां कष्ट में पड़े हुए थे। मैंने डाक्टरों से भी बात की।

प्रश्न यह है कि ऐसा आभास नहीं देना चाहिए कि इस तरह की बर्बरता अथवा गतिविधि को किसी वर्ग द्वारा माफ किया जा रहा है। यहां यह संकेत पैदा नहीं किया जाना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं और मुझे विश्वास है कि श्री शिवराज पाटील सहमत होंगे कि यदि वे अधिकारी दोषी पाये जाते हैं तो केरल सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध संभव और उचित कदम उठाये।

आपने कहा है कि विशेषाधिकार का मामला विचाराधीन है और आप पूरी अपेक्षित गम्भीरता से इस पर विचार करेंगे। अत: मैं प्रत्येक का आभारी हूं और मुझे आशा है कि ऐसी स्थिति इस देश में दोबारा पैदा नहीं होगी। यदि ऐसी घटना घटती है तो हमें इसे पुन: उठाना पड़ेगा...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा दिए गए बयान और उनके सुझाव की भावना से पूरी तरह सहमत हूं। मैंने पहले ही कहा है कि ऐसा किया जाएगा। अब उनके कहने के पश्चात् इसे लागू किया जाएगा और इसे किया जाएगा। आपको भी मामले की जानकारी है। मैं केवल यही कह रहा था कि इसे इस तरह किया जाना चाहिए कि इससे कोई गलत पूर्वोदाहरण न बने।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं राम विलास पासवान जी के बाद आपको मौका देने वाला हूं। आप दो मिनट में बोलिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान, मैं आपकों बोलने के लिए केवल दो मिनट दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) **:** उन्होंने जो कहा है, मैं उस पर कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : केरल का विषय तो समाप्त हो गया। राम विलास जी, आप जरा बैठिये।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, जो सोमनाथ चटर्जी साहब ने कहा और जो शिवराज पाटिल जी ने कहा, वह बिल्कुल ठीक है, उसे आप देख रहे हैं, यह भी ठीक है। पर शिवराज पाटिल जी ने एक बात बाद में कही कि इसे कोई प्रिसीडेंस न बनाया जाये, यह पूछने के लिए या स्टेट गवर्नमेंट से इन्कवायर करने के लिए।

मेरा कहना है कि अगर हाउस में किसी मैम्बर पर जैसी यह घटना हुई है वैसी घटना हो तो स्टेट गवर्नमैंट से पूछना ही चाहिए और उसके पूछने के बाद आप फैसला करें तो यह स्टेट गवर्नमैंट के पक्ष में बात जाती है। इसलिए मैं इससे एग्री नहीं करता कि इसको प्रीजिडैंट न बनाया जाये।

[अनुवाद]

जब भी इस तरह का मामला हो तो आपको राज्य सरकार से पूछना चाहिए।

[हिन्दी]

तभी तो आप फैसला करेंगे कि प्रिविलेज मोशन बनता है या नहीं बनता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यदि आप अपने मामले सभा में उठाना चाहते हैं तो कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। मैं सभी सदस्यों को सभा का समय नष्ट न करने की चेतावनी दे रहा हूं; अन्यथा उनके मामलों को सभा में नहीं लिया जाएगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.21 बजे

[हिन्दी]

(दो) विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी गुजरात के होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया है। आप जानते हैं कि...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) **:** प्रिविलेज मोशन ऐसे कैसे हो जायेगा? ऐसा कैसे किया जा सकता है। वह इस सभा के सदस्य नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : आप गुजरात का नाम सुनकर भड़क क्यों जाते हैं? गुजरात के सवाल पर, सेकुलरिज्म के सवाल पर हमने इस्तीफा दिया है। गुजरात के होम मिनिस्टर ने श्री राम विलास पासवान के सेकुलरिज्म पर क्वैश्चन मार्क किया है। वहां क्रिश्चियन्स के खिलाफ सर्वे किया जा रहा है जो कि बिल्कुल अनुचित है। जब प्रैस वालों ने पूछा कि आप सर्वे क्यों करवा रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि श्री राम विलास पासवान ने इस संबंध में पार्लियामैंट में क्वैश्चन रेज किया है। वहां के तमाम पेपर्स में इस संबंध में आया है। दिल्ली के हिन्दू पेपर में 11 मार्च को आया था। उस समय पार्लियामैंट चल रही थी। हम उसके दूसरे दिन ही यह मामला उठा सकते थे लेकिन हमने सोचा कि कभी-कभी मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट के नाम से कोई क्वैश्चन आदि कर लेता है। मैंने क्वैश्चन ब्रांच से पता करके पूरा दिखवा लिया है। मैं आपसे भी इस संबंध में मिला था। हमने पूरा रिकार्ड देख लिया, कहीं हमारे नाम से इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहता हूं जो अहमदाबाद की है। वह पी.टी.आई. की रिपोर्ट है।

[अनुवाद]

''आज गुजरात सरकार ने स्वीकार किया है कि इसने राज्य में ईसाई समुदाय पर सर्वेक्षण कराया था परन्तु यह 'स्थानीय स्तर' पर और एक 'संसदीय पूछताछ' के जवाब में कराया गया था।

गृह मंत्री, अमित शाह ने पी टी आई को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान द्वारा धर्म परिवर्तन विरोध विधेयक के संबंध में उठाये गए प्रश्न के बारे में लोक सभा द्वारा मांगे गए एक जवाब के भाग के रूप में 'स्थानीय स्तर' पर सर्वेक्षण कराये गए थे।''

[हिन्दी]

मैंने कन्वर्शन बिल को देखा है। कहीं कुछ नहीं है। हमने क्वैश्चन आदि कुछ नहीं किया। इस तरह से एक मेम्बर ऑफ पार्लियामैंट की इमेज को मीलाइन करना, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा खराब कोई घटना घट नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट का सवाल है, पार्लियामैंट के क्वैश्चन से संबंधित है। पार्लियामैंट में क्वैश्चन रेज किया ही नहीं गया है। विशेपाधिकार प्रस्ताव के लिए यह एक उचित मामला है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप स्टेट गवर्नमैंट से फैक्स मंगवाइये कि पार्लियामैंट के किस क्वैश्चन के तहत हमने कौन सा क्वैशचन रेज किया जिसके तहत वह इंक्वायरी कर रहे हैं। यह माइनोरिटी कम्युनिटी को ह्रास करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट, आपोजिशन के नाम को लेकर इस तरह की कार्यवाही को बंद करना चाहिए और वहां के होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए।...*(व्यवधान)* महोदय आपका विनिर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको रूलिंग दे रहा हूं। आप सुनिये।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान, मुझे गुजरात सरकार के गृह मंत्री द्वारा प्रेस को गुमराह करने से संबंधित तथाकथित बयान के विरुद्ध 7 अप्रैल, 2003 को विशेपाधिकार सूचना प्राप्त हुई है। मैं मामले पर विचार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। मैं एक के बाद एक मैम्बर को बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) **:** अध्यक्ष महोदय, हमारा भी नोटिस है। सब लोग बोल रहे हैं लेकिन हमारा नाम नहीं आ रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम जरूर आयेगा। आप बैठिये।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) **:** अध्यक्ष महोदय, वैट का सवाल है। आज सारे व्यापारी लोग आंदोलन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.24 बजे

[हिन्दी]

(तीन) विद्युत करघा उद्योग पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और मूल्यवर्धित कर के अधिरोपण के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मैं रामजीलाल सुमन को बोलने का मौका दे रहा हूं। उन्होंने मूल्य वर्धित कर (वैट) के विरुद्ध व्यापारियों की हड़ताल के सबंध में नोटिस दिया है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) **:** अध्यक्ष महोदय, मूल्य वर्धन बिक्री कर जिसे वैट कहा जाता है, उस सवाल पर पूरे देश के व्यापारियों ने आंदोलन किया है। 7 तारीख को जो रेडीमेड गारमैंट्स पर उत्पादन शुल्क लगाया गया, उस सिलसिले में दिल्ली में लोगों ने प्रदर्शन किया। कल 8 तारीख को पूरे हिन्दुस्तान के व्यापारियों ने वैट के खिलाफ उस समय प्रदर्शन किया, उस समय दिल्ली में अपनी शक्ति का इजहार किया जब भारत सरकार प्रदेश के वित्त मंत्रियों के साथ वैट के सवाल पर चर्चा कर रही थी।

यह बहुत गंभीर सवाल है और वैट से जो छोटे व्यापारी हैं, उपभोक्ता हैं, वे दोनों ही बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। जितनी जगह माल बिकेगा, उन सब जगह पर टैक्स लगेगा। इससे ज्यादा गंभीर सवाल और कोई नहीं हो सकता। इसके लागू हो जाने से एक तरह से इंस्पेक्टर राज कायम करने की व्यवस्था हमारे देश में हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो परेशान आदमी है, उसे न्याय लेने का हक नहीं होगा। सरकार किसी अधिकारी की अध्यक्षता में कोई कमेटी बना

[श्री रामजीलाल सुमन]

देगी और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, वे ही लोग उसकी सुनवाई करेंगे अब तक सौ चीजें ऐसी थी जो कर मुक्त थीं। अब इसके चलते खाली 36 चीजें ऐसी हैं तो वैट कर से मुक्त हैं। चीनी, कपड़ा, बीड़ी, सिगरेट, गुड, पानी, नमक, रोटी इत्यादि इन सब चीजों पर भी वैट लगेगा। इससे ज्यादा गंभीर सवाल कोई दूसरा नहीं हो सकता। सरकार ने कहा है कि हमने दो महीने के लिए इसे स्थगित कर दिया है और एक जून से फिर लगाएंगे। यह पूरी तरह वापस होना चाहिए। यह बहुत गंभीर सवाल है और फिर सरकार कहती है कि 16 राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया है। दिल्ली, यू.पी. और राजस्थान की सरकारों ने कहा है कि हमें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इन सब विषयों पर दो मिनट में बोलना चाहिए। जीरो ऑवर में भाषण नहीं होना चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन : केवल आधा मिनट लूंगा। केरल की सरकार ने विधान सभा में वैट लागू करने का प्रस्ताव अपनी तरफ से पास किया और फिर केरल की सरकार ने इसको स्थगित कर दिया। यह गंभीर सवाल है। ये जो बीजेपी के लोग बैठे हैं, इनका आचरण दोहरा है। कल मदनलाल खुराना वहां भाषण करने गये थे लेकिन वापस कर दिये गये कि चले जाइए। इनका आचरण भी दोहरा है। जहां तक रेडीमेड गारमेंट्स का सवाल है, ...*(व्यवधान)* 31 मार्च से यह काम पूरी तरह से बंद है, मुझे मालूम है। इस संबंध में कई संगठनों के लोग आपसे भी मिले थे। रेडीमेड गारमेंट्स का उत्पादन शुल्क बढ़ा है, वह वापस होना चाहिए और वैट टैक्स सरकार अविलम्ब वापस ले।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) **:** अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है। सीधी-सीधी बात यह है कि अभी इन्होंने पूरी बात कह दी है कि जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये कपड़े का हिसाब-किताब कैसे दे सकेंगे? हर जगह टैक्स देना पड़ेगा नहीं तो रसीद दिखानी पड़ेगी। इनको कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट रखना पड़ेगा तो इतनी तो इनकी आमदनी भी नहीं है और जिसमें यह बात है कि जो लोग जांच करेंगे, उन्हीं अधिकारियों के यहां सुनवाई होगी तो नेचुरल जस्टिस जो होता है, आपसे में भी कई वकील हैं, आप भी मानते हैं कि नेचुरल जस्टिस भी इनको नहीं मिलेगा। वही कमीशन, वही जांच करने वाले। यह विडम्बना है। आखिर ये लोग कहां देश को ले जाना चाहते हैं? छोटे-छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारियों तक को बर्बाद करने का सरकार का षडयंत्र है, यह हम मानते हैं। इससे लाभ जो होगा कि जो विदेशी माल के स्टोरेज रखे हैं, उनको यहां लाया जाएगा और यहां का व्यापार और छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं। यह देश का सवाल है, केवल एक व्यापारी वर्ग का सवाल नहीं है। इसका आम जनता पर भी असर पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वैट कानून को वापस लें। यह खतरनाक कानून है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे वापस लिया जाए वर्ना मदनलाल खुराना आप निकल नहीं पाएंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) **:** अध्यक्ष महोदय, मूल्य वर्धित कर का मामला न केवल संसद की चिंता है बल्कि यह राज्य सरकारों की भी चिंता है। महोदय, यह सच है कि बार-बार, गत कई वर्षों से राज्यों और केन्द्र के बीच राजस्व के हिस्से के बंटवारे का अनुपात व्यावहारिक नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों को एक-के-बाद एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है और राज्य सरकारें अतिरिक्त राजस्व चालान का सृजन नहीं कर पातीं। इसीलिए, राज्य सरकारों के वित्त मंत्री, दलगत भेदभाव को भूलकर केन्द्रीय वित्त मंत्री की ओर से पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक साथ बैठे, चर्चा की और एक ऐसी नीति खोजी जो राज्य राजकोष को कुछ शक्ति प्रदान कर सकती है।

तदनुसार, चरण-I में, 16 राज्यों के वित्त मंत्री अपने-अपने राज्यों में मूल्य वर्धित कर की अवधारणा को लागू करने के लिए समहत हो गये। यहां समस्या द्विपक्षीय है। पहली, केन्द्र कैसे राज्य के वित्त की अच्छी स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है और उनकी कैसे सहायता कर सकता है? दूसरी, राज्य अपने-अपने वित्त की स्थिरिता को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार राजस्व अर्जित करने के स्रोत सृजित कर सकते हैं? हमें इसके साथ राजनीति नहीं जोड़नी चाहिए। हमें सारे मुद्दे को वस्तुपरक रूप से समझना चाहिए।

इस समय इसके शिकार छोटे व्यापारी, आम व्यापारी हो रहे हैं जिनके पास रिकार्डों और कागजातों के रख-रखाव के वैसे साधन उपलब्ध नहीं हैं जो बड़ी कंपनियों के पास उपलब्ध हैं। इसलिए, मैं यह पूरी तरह महसूस करता हूं कि मूल्य वर्धित कर के सम्पूर्ण मुद्दे को कम-से-कम एक वर्ष के लिए दूर रखना चाहिए जब तक कि उगाही की नीति का औचित्य स्थापन न हो जाए अदि बुनियादी सुविधाएं प्रदान न कर दी जाएं। इस बात का निर्णय किया जाना चाहिए कि राज्य किस प्रकार इस उगाही की व्यवस्था करेंगे। छोटे व्यापारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए।

महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिसकी आप प्रशंसा करेंगे क्योंकि आप सरकार में थे। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज द्वारा तैयार बैड को बेचने वालो फेरीवाले को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बेकरी प्रबंधन रिकार्ड रखता है। लेकिन, राजस्थान का एक छोटा-सा बेकर, बंगाल का एक छोटा-सा बेकर जो सुबह-सुबह अपनी साईकल पर घर-घर जाता है और अपने उत्पाद बेचता है, वह इस प्रकार के समर्थक दस्तावेजों का रख-रखाव कैसे कर सकता है और सरकार की ऐसी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकता हे?

इसलिए, मेरी अपील त्रिपक्षीय है :

(1) वित्त संबंधी स्थायी समिति मामले का गहराई से अध्ययन करे; (2) राज्य सरकारों और व्यापारी समुदाय से उनकी समस्याओं को जानने के लिए उनके साथ बातचीत करने हेतु आपके प्राधिकार में संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाए; (3) तब तक देश भर में मूल्य वर्धित कर की उगाही के सम्पूर्ण मुद्दे पर रोक लगा दी जाए। यह हमारी पहली अपील है।

एक और गंभीर समस्या है। वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित होने चाहिए थे। रा.ज.ग. सरकार ने गरीबों के लिए आंसू बहाने के नाम पर, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उपलब्ध उत्पाद शुल्क में छूट की सुविधा वापस ले ली है। सरकार को इस नीति के परिणामस्वरूप, देश भर में सिलेसिलाए कपड़ों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों को जिसे अधिकांशत: अशिक्षित और गरीब लोग चलाते हैं, उत्पाद कर में 10 प्रतिशत वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। कल मुंवई के लोग आए और मुझसे मिले। मुझे उन्होंने जो आंकड़े दिए उनसे मैं भौचक्का रह गया। आंकड़ों के अनुसार, अकेले महाराष्ट्र में लगभग तीन लाख कपड़ा कारखानों में कार्यरत सभी लोग दो दिन में बेरोजगार कर दिए जाएंगे। इनमें से प्रत्येक कारखाने का स्वामित्व 10 से 20 लोगों के हाथ में है।

इसलिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दोनों मुद्दों पर सिलेसिलाए कपड़ों के उद्योग का मुद्दा और मूल्य वर्धित कर - तत्काल रोक लगा देनी चाहिए यदि छोटे व्यापारियों को राहत प्रदान की जानी चाहिए *...(व्यवधान)* यदि यह कार्य हो जाए तो, निरीक्षक औचित्यस्थापन के नाम पर तबाही मचा देंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जो विषय सदन में चल रहा है, पहले उसको पूरा होने दें। उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : किसान पानी के बिना मर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं किसानों की बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी आप बैठिए। आप अच्छे आदमी हैं। मैं आपको मौका दूंगा।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, रेडिमेड गारमेंट्स पर पहले एक करोड़ रुपए तक एक्साइज ड्यूटी की छूट थी, लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और कहना चाहते हैं कि वह छूट बहाल होनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, तर्क यह दिया गया है कि एक करोड़ वाले बड़े लोग हैं। उदाहरण दिया कि जैसे बाटा-शू-कंपनी 30 प्रतिशत जूते बनाती होगी लेकिन 70 प्रतिशत जूते हमारे जाटव भाई अपने घरों में बनाते हैं। फरीदाबाद में, आगरा में, कानपुर में लम्बी लाइनें शाम को लगती हैं। ठीक इसी प्रकार से एक आदमी घर में दो-चार मशीने लगाकर कपड़ा बनाता है, कपड़ा सिलता है और जाकर फैंटरी को दे आता है, उस पर वैट लगाना बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री रामजीलाल सुमन : आपकी सरकार है, आप इसे वापस कराइये। वापस क्यों नहीं कराते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : आप इसमें राजनीति लाना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रामजीलाल सुमन : महोदस, वह सरकार में भागीदार हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, ये लोग मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए।...*(व्यवधान)* मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूं और आप मुझे ही बोलने नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आप वैट को वापस लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आप कृपया बैठ जाइए। मेरे सामने लिस्ट है। आप ऐसा सोचेंगे कि शोर मचाकर उनको बोलने नहीं देंगे तो जितना अधिकार आपको है उतना ही उनको भी है। हाउस को डिसीप्लेन से चलने देना चाहिए।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) **:** अध्यक्ष जी, माननीय खुराना जी कह रहे हैं कि वे इनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा न हो कि माननीय शांता कुमार जी की तरह इनकी भी छुट्टी हो जाए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं प्रारम्भ से ही वैट के खिलाफ रहा हूं। सेंटर का यह कहना कि यह राज्यों का विषय है क्योंकि बंगाल के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बैठी है और इस विषय में राज्य ही तय करेंगे। माननीय दास मुंशी जी ने एक साल की बात कही लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि चाहे वैट सारे देश में लागू हो जाए लेकिन अगर वैट दिल्ली में लग गया तो दिल्ली का व्यापार चौपट हो जायेगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे देश की बात कीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, उसका कारण है। दिल्ली एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। दिल्ली का 75 प्रतिशत रैवेन्यू सेल-टैक्स से आता है। आस-पास के राज्य चाहते हैं कि दिल्ली का सेल-टैक्स बढ़ाया जाए, जिसमे वह टैक्स इन राज्यों के बराबर आ जाए। लेकिन जिस दिन दिल्ली का सेल-टैक्स इनके बराबर आ गया तो दिल्ली का रैवेन्यू आधा रह जाएगा और दिल्ली के कार्य भी आधे रह जाएंगे। चाहे दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, माननीय जगप्रवेश जी की थी या माननीय विजय कुमार जी की थी या खुराना जी की थी, हमने कभी भी आस-पास के राज्यों के बराबर सेल-टैक्स नहीं रखा, कम रखा, क्योंकि दिल्ली में प्रोडक्शन नहीं होता है। दिल्ली में बाहर का माल आता है, 15-20 प्रतिशत यहां खपत होती है और बाकी का माल बाहर जाता है। चाहे बाकी जगह वैट लागू होगा लेकिन दिल्ली के लोग वैट के लिए कभी राजी नहीं होंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : आप सरकार पर दबाव बनाइये और सरकार से वैट को वापस कराइये।...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) **:** अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हाल के बजट में पावरलूम पर 8 परसैंट उत्पाद शुल्क लगाया गया है। इससे इस धंधे में लगे करीब 3 करोड़ लोग सड़कों पर आ गए हैं। पूरी इंडस्ट्री इससे बंद हो गई है। इसे लेकर जगह-जगह मोर्चे निकल रहे हैं और कई जगह लोगों ने आत्मदाह करने की भी वार्निंग दी है। इस कारण सरकार को इस तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। इससे संबंधित 60 प्रतिशत उद्योग हमारे महाराष्ट्र में हैं– नागपुर, शोलापुर, इचलकरांजी मालेगांव, भिवंड़ी, पंढरपुर, धुलिया में ये उद्योग चलते हैं। इस उद्योग में गरीब लोग जुड़े हैं। यह योजना बड़े लोगों को फायदा पहुंचाएगी। गरीब टाइनी लोग जो इनमें काम करते हैं, उनको इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस कारण ये उद्योग बंद हो जाएंगे। इसे लेकर सब जगह आन्दोलन चल रहे हैं। एक तरफ सरकार टैक्सटाइल उद्योग को बचाने के लिए अलग-अलग तरह आयाम निकाल रही है और नए धोरण बना रही है और जिस उद्योग में तीन करोड़ लोगों के जीवन-मरण का सवाल हो, उसे किल करने का षडयंत्र चल रहा हे। आप इस उद्योग को बचाना चाहते हैं या मारना चाहते हैं? हम एक तरफ नए रोजगार देने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ ऐसे उद्योगों को बंद कर रहे हैं। ऐसे उद्योग एक्साइज ड्यूटी लागू होने से अब काम करने की स्थिति में नहीं हैं। छोटे लोगों को हिसाब-किताब करना नहीं आता है। जो बात वैट के संबंध में व्यापारियों की है, उससे भी खतरनाक स्थिति इन धंधों में काम करने वाले लोगों की है क्योंकि इसमें अनपढ़ किस्म के लोग लगे हैं। जो पावरलूम कारखाने बंद पड़े थे, उन्हें दुरुस्त करके यह उद्योग चलाए जाते हैं। निर्धन और कम लागत वाले ही इन्हें चलाते हैं। इस हाथ से लाओ और उस हाथ से खाओ, इस प्रकार की स्थिति पावरलूम से जुड़े मजदूरों की है। वे उधार लेकर माल लेते हैं तथा उन्हें तैयार करके बेचते हैं। ऐसे लोग अपना हिसाब कैसे रखेंगे? अगर उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गई और उन्हें इस दायरे में लाया गया तो यहां इंसपैक्टर राज आ जाएगा। वे सीधे उनके गले को पकड़ेंगे और उन्हें निचोड़ेंगे। आप इस बारे में कुछ कीजिए। सौभाग्य से मंत्री राणा जी यहां बैठे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि वह कहें कि पावरलूम को संरक्षण दिया जाएगा। वह इस बारे में कुछ प्रकाश डालें क्योंकि तीन करोड़ जनता से जुड़ा यह सवाल है। इस विषय में इसमें दूसरी कोई छोटी रियायत नहीं चलेगी। 8 परसैंट जो एक्साइज ड्यूटी लगायी गई है, उसे एबॉलिश करना ही एकमात्र रास्ता है वरना यह उद्योग समाप्त हो जाएगा और तीन करोड़ जनता का रोजी-रोटी का सवाल आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वस्त्र उद्योग का वस्त्र हरण करने का यह षड्यंत्र है। अध्यक्ष जी, अगर आप कृष्ण की भांति मदद करने नहीं आए तो पुराना महाभारत फिर होगा। आप महाभारत होने से देश को बचा सकते हैं। आप श्रीकृष्ण की भूमिका निभाइए। वित्त मंत्री और वस्त्र मंत्री को समझाइए।

कि वे जल्दी से जल्दी इस निर्णय को वापस लें और इस संदर्भ में अपको विचार करना है। जैसा श्री पीआर दासमुंशी जी ने कहा कि इसे फाइनैंस की स्टैंडिंग कमेटी को रैफर करें, तब तक आप निर्णय को रैफर करिये। इन लोगों को काम शुरू करने की अनुमति दी जाये। यही आपसे आग्रह है और यही आपसे आशा है।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसे नियम 193 के तहत बहस में लिया जाये।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में जो एक करोड़ रुपये का टर्नओवर है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसी विषय पर तीन-चार माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसके बाद माननीय मंत्री जी इस विषय पर बोलेंगे। मैंने मंत्री जी से विनती की है, इसलिये वे यहां बैठे हुये हैं। यह विषय महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य सरकार का सहयोग करें। आपका सहयोग मिलेगा तभी मंत्री जी उत्तर दे सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दे से स्वयं को संबंद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आपका नाम इस मुद्दे से जोड़ा जायेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी : अध्यक्ष महोदय, जब कोई महिला बोल रही हो तो कम से कम इन लोगों को बैठ जाना चाहिये।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक ज्वलंत समस्या रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में बोलने की अनुमति दी है, उसके लिये धन्यवाद। रेडीमेड गारमेंट्स के अभी तक एक करोड रुपये से ऊपर टर्नओवर पर उत्पादन-कर लगता था लेकिन 2003-04 के बजट में प्रस्तावित कर को समाप्त कर जीरो से उत्पादन कर प्रस्तावित किया है जिससे सम्पूर्ण भारत में लघु कुटीर गारमेंट्स उद्योग समाप्त होकर एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के उद्योग घराने के हाथ में यह सारा काम चला जायेगा। एक करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जायेंगे। सारी फैक्टरियां बंद हैं, लोग धरने और आन्दोलन कर रहे हैं। आज भी दिल्ली में कोलकाता, मुम्बई, जबलपुर, कटनी से प्रदर्शन लेकर आये हुये हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक करोड़ रुपये का आश्वासन दिया था। उसी के तहत यह कर लागू नहीं होना चाहिये। उचित होगा कि यह कर उसी तरह से समाप्त कर दिया जाये। मेरा आग्रह है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये और रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्रियां यथावत् रहनी चाहिये और उन्हें पूरा सहयोग दिया जाये, यही मेरा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर विषय है। रेडीमेट्स गारमेंट्स उद्योग को राहत देने के लिये सरकार की तरफ से कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये क्योंकि लोग धरना दे रहे हैं, आन्दोलन कर रहे हैं। जब सारा सदन इस बात से सहमत है तो सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात से मैं खुद को उनसे जोड़ता हूं।

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी खुद को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बारे में बोलना था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में आधा मिनट दूंगा। मैं सभी को एक-दो मिनट दूंगा। आप बैठिये।

[अनुवाद]

***श्री के.के. कलिअप्पन** (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं इस महान सभा का ध्यान इस देश के बुनाई क्षेत्र की अफसोसजनक स्थिति और बुनकरों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र ने अकेले तमिलनाडु के लगभग 25 लाख बुनकरों के अनुरोध की उपेक्षा करते हुए जो 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया है उससे सबसे अधिक प्रभावित विद्युतकरघा हुआ है। बुनकर समुदाय के एक करोड़ से भी अधिक लोगों अर्थात् बुनकर और उनके परिवारों पर इस लघु क्षेत्र पर इस कराधान से सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। गत 10 दिनों से इन बुनकरों ने शांतिपूर्ण तरीकों से आंदोलन करने के तरीके अपनाये हैं लेकिन केन्द्र के सिर पर एक जूं तक नहीं रेंगी। हमारी महान नेता डा. पुराची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र को बुनकरों की समस्याओं पर ध्यान देने के आशय का पत्र लिखा जिनके इस व्यवसाय पर केन्द्र सरकार ने हाल ही में करों के भारी बोझ को लादकर बहुत तीक्ष्ण प्रहार किया है। मेरा

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री के.के. कलिअप्पन]

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह विद्युतीकरघा क्षेत्र के बुनकरों के उचित आग्रह पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उत्पाद शुल्क में हाल ही में घोषित 10 प्रतिशत वृद्धि को वापस लेकर कर भार को हल्का करे। कृषि के बाद बुनाई उद्योग का ही स्थान आता है जो इस देश के हजारों गरीब लोगों को रोजी-रोटी प्रदान करता है। हमारी दृष्टि से यह बात ओझल नहीं होनी चाहिए और इन असहाय बुनकरों के लिए एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए ताकि वे अपने पारंपरिक पेशे को जारी रख सकें। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह अपनी वस्त्र नीति को गंभीरता से ले ताकि विद्युतकरघा क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र में कपड़ों के उत्पादन में बुनाई कार्य को पूरा करने में कोई बाधा उत्पन्न न हों।...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, हम सभी उठाये जा रहे इस मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके नाम इससे संबद्ध किये जाएंगे।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : महोदय, मैं भी स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छी बात है कि आपकी पार्टी भी दूसरी पार्टी के सदस्यों ने सभा में जो बात कही है उससे स्वयं को संबद्ध कर रही है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम) : महोदय, तमिलनाडु का सारा राज्य इससे स्वयं को संबद्ध करता है।

अध्यक्ष महोदय : हां, इससे तमिलनाडु के सारे राज्य को जोड़ा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं इस विषय से स्वयं को जोड़ता हूं।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, मैं इससे अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम इसके साथ एसोसिएट किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले वैट के संबंध में श्री रामजीलाल सुमन और हमारी पार्टी के चीफ व्हिप श्री पी.आर. दासमुंशी जी ने जो कुछ कहा है, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

इसके बाद मेरी मांग है कि छोटे-छोटे बुनकरों पर 11.2 फीसदी की दर से माननीय वित्त मंत्री जी ने एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। भारत में कुल एक हजार स्पिनर्स हैं। भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण यह सरकार उनसे एक्साइज ड्यूटी वसूल नहीं कर पा रही है और जिन बुनकरों पर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, उनकी तादाद दस लाख के करीब है। कहां से ये लोग छोटे-छोटे बुनकरों से एक्साइज ड्यूटी वसूल करेंगे। हालत यह होगी कि एक्साइज ड्यूटी भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह जायेगी। इस देश में करोड़ों लोग बुनकर, वीवर्स के काम में लगे हैं, इससे उनकी रोजी-रोटी समाप्त हो जायेगी। इसलिए मेरी मांग है कि बुनकरों पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, उसे तुरंत समाप्त किया जाए, जिससे हमारे देश में छोटे-छोटे बुनकर जो पावरलूम के माध्यम से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं, उन्हें अपनी रोजी-रोटी चलाने का अवसर प्राप्त हो सके।

मेरी दूसरी मांग यह है कि गारमैन्ट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एक करोड़ रुपये तक की अभी तक रिबेट थी। करोड़ रुपये से नीचे का गारमैन्ट्स मैन्युफैक्चरर्स का काम करने वाले लोगों पर एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, उन्हें इसमें छूट प्राप्त थी। लेकिन इस बार 1.4.2003 से भारत सरकार ने उन पर भी एक्साइज ड्यूटी इम्पोज कर दी है। दो-दो, तीन-तीन और चार-चार सिलाई मशीन रखने वाले छोटे-छोटे गारमैन्ट्स मैन्युफैक्चरर्स कहां से हिसाब-किताब रखेंगे और कहां से एक्साइज ड्यूटी देंगे। नतीजा यह होगा कि सारे के सारे गारमैन्ट्स मैन्युफैक्चरर्स बंद हो जायेंगे। मैं यमझता हूं कि भारत सरकार की यही पालिसी है और जो अंतराष्ट्रीय स्तर की बड़ी-बड़ी फैक्टरीज और कंपनियां हैं, उनके दबाव में इस तरह की व्यवस्था हिंदुस्तान पर लागू की जा रही है, जिसमें छोटे-छोटे व्यापारी, गारमैन्ट उत्पादक और बुनकर सब बेरोजगार हो जाएं और सारा माल मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े-बड़े उद्योगपतियों का बिके। मेरी मांग है कि गारमैन्ट मैन्युफैक्चरर्स पर जो एक करोड़ रुपये तक की छूट लागू थी, उसे कायम रखा जाए और एक करोड़ रुपये से ऊपर का व्यवसाय करने वालों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाए। इससे, नीचे के गारमैन्ट मैन्युफक्चरर्स पर न लगाई जाए। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, माननीय विलासराव मुत्तेमवार जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उससे अपने आपको एसोसिएट करता हूं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पावरलूम में काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं और उनके ऊपर जो आठ परसेन्ट एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, वह बहुत ज्यादा है। आदरणीय मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। पावरलूम में कितने कर्मचारी होते हैं, उनके घरों में उनकी कमाई से खाने वाले तीन-चार लोग होते हैं। आज उनकी हालत बहुत खराब है। महाराष्ट्र में लगभग तीन करोड़ लोग पावरलूम पर निर्भर करते हैं।

महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे, तब आपने एम.एस.ई.बी. को बहुत कंसेशन दिया था। तब सारे बुनकरों का काम बंद हो गया था और बुनकरों ने मोर्चा निकाला था। माननीय बालासाहेब ठाकरे जी ने आपको आदेश दिया था कि आप वहां जाकर उनसे मिलिये।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री को आदेश कैसे दिया था।

श्री चन्द्रकांत खैरे : विनती की थी और उस कारण से आपने उन्हें बिजली में मदद दी थी। अगर आज आठ परसेन्ट...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : पक्ष और विपक्ष दोनों इस मामले में एकजुट हैं। जिस मामले में दोनों पक्ष एक हो जाएं तो उस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) **:** जब पूरा सदन एक है तो मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) **:** अध्यक्ष महोदय, नियम 193 में इस पर डिस्कशन करा लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) **:** मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र अजमेर के अंतर्गत ब्यावर में, किशनगढ़ में 8000 पावरलूम की इकाइयां हैं। एक लाख लोग वहां पर बेकार हो जाएंगे। पावरलूम पर जो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, उसके कारण पावरलूम बंद हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पावरलूम की छोटी-छोटी इकाइयों को बरबाद होने से बचाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप जवाब दीजिए। मैंने मंत्री जी को इस विषय पर जवाब देने के लिए बुलाया है। रामदास आठवले जी, मैं जानता हूं कि आपके क्षेत्र में बुनकर हैं और इसीलिए मैं इस विषय पर आपको असोसियेट करने के लिए कहता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर सभी माननीय सदस्यों से अपने को असोसियेट करता हूं और मांग करता हूं कि गारमैन्ट्स सैक्टर पर जो एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है, उसे वापस लिया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) **:** गारमैन्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी को वापस लिया जाए।...*(व्यवधान)*

[जनाब जी.एम. बनात वाला (पोन्नानी): गारमेंट्स पर एक्साइज ड्यूटी को वापस लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : एक बजा है। मैं हाउस एडजर्न कर दूंगा तो आप सभी का नुकसान होगा। ये क्या चल रहा है? मैं मंत्री जी से कह रहा हूं कि उत्तर दो और मैंने मंत्री जी को खास रिक्वैस्ट करके बुलाया है। आप उनको सुनना नहीं चाहते हैं। मैं एक बजे हाउस एडजर्न कर दूंगा। आपका ही नुकसान होगा। जब तक मंत्री जी का उत्तर पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई नहीं बोलेगा। उनका रिप्लाइ होने दीजिए।

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : माननीय अध्यक्ष जी, सदन के बहुत से सदस्यों ने जो पाइंट यहां पर रखे हैं, जैसे जो स्माल गारमैन्ट मैनुफैक्चरर हैं, जिनको एक करोड़ तक पहले छूट थी, अब उसको एक्साइज में कवर कर लिया है। इसके साथ साथ जो पावरलूम सैक्टर है, उसको भी सैनवैट चेन को पूरा करने के लिए एक्साइज नैट में ले लिया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : उनको तबाह कर दिया है।

[जनाब जी.एम. बनात वाला (पोन्नानी): उस को तबाह कर दिया गया।

श्री काशीराम राणा : सदन के सदस्यों की जो भावनाएं हैं चाहे वे किसी भी दल के हों, कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, एक्रास द पार्टी लाइन्स सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बातें यहां रखी हैं और देश में जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसका चित्र उन्होंने यहां पर रखा है। बजट का मैटर होने के कारण मैं सीरियसली इस मामले को वित्त मंत्री जी से मेकअप करूंगा और उसमें से कैसे वह रास्ता निकाल सकते हैं, इस बारे में मैं उनसे बात करूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह एक्साइज ड्यूटी वापस होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.59 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

[हिन्दी]

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत् हुई।

[श्री पी.एच. पांडियन, *पीठासीन* हुए]

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

कुछ देशों में गंभीर तीव्र श्वसनी लक्षण (सार्स) फैलने के कथित मामले

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति जी, मैं गंभीर तीव्र श्वसनी लक्षण (सार्स) के वैश्विक प्रकोप तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में माननीय सदस्यों को संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहती हूं।

गम्भीर तीव्र श्वसनी लक्षण (सार्स) कुछ देशों में महामारी के रूप में सामने आया है। 7 अप्रैल, 2003 तक की स्थिति के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 17 देशों से कुल 2601 रोगियों और इससे हुई 98 मौतों की सूचना दी गई है। अब तक (8 अप्रैल, 2003 तक) भारत से किसी रोगी की सूचना नहीं मिली है। तथापि, देश में इस रोग के प्रवेश को रोकने तथा यदि किसी रोगी की सूचना मिलती है, तो उसे पृथक करके उसका उपचार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।

यह संक्रमण बिन्दुकों/ऐरोसोल के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों में फैल रहा है जो रोगियों के निकट संपर्क में आते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य परिचर्या कर्मी और परिवार के सदस्य। यह भी सम्भव है कि गंभीर तीव्र श्वसनी लक्षण (सार्स) अन्य अज्ञात माध्यमों से संचरित हो रहा हो।

एक बार कोई व्यक्ति इस संक्रमण की चपेट में आ जाता है, तो रुग्णता विकसित होने में 2-10 दिन (उदभवन काल) लग सकते हैं। गम्भीर तीव्र श्वसनी लक्षण (सार्स) के मुख्य लक्षण तीव्र ज्वर (38 डिग्री सेल्सियस अथवा 100.4 फारेनहाइट से ज्यादा), सूखी खांसी, सांस रुकना अथवा सांस लेने में कठिनाई होना है। एक्स-रे में भी परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं जो न्यूमोनिया होने का संकेत देते हैं। 10 से 20 प्रतिशत मामलों में रोग इतना गम्भीर हो सकता है कि वैन्टिलेटर की सहायता की जरूरत पड़े। इस रोग सम्बन्धी मृत्युदर लगभग 3 प्रतिशत है। यानी यदि सौ लोगों को सार्स होता है तो उनमें से तीन लोगों की मौत भी हो सकती है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे को किसी भी संदिग्ध संभावित रोगी को प्रयोगशाला जांच करने के लिए नोडल अभिकरणों के रूप में हमने नामजद किया है। सार्स के लिए रोगी को पृथक करके उसका उपचार करने की व्यवस्था सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों और अन्य संक्रामक रोग अस्पतालों में की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सम्बन्धित मामलों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ समन्वयक बैठकें की हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सार्स के कारक वायरस के निदान के लिए रिएजेण्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित प्राइमर भी प्राप्त कर लिए हैं। सार्स को देश में आने से रोकने और सार्वजनिक जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों के बारे में मीडिया को अवगत रखा जा रहा है।

अब मैं उन केसेज के बारे में जानकारी देना चाहूंगी, जो मीडिया में सार्स के केसेज कहकर बताये गये हैं और जिनके बारे में ज्यादा चिन्ता हमारे सांसदों में है। दो मामले मीडिया में आये, पहला श्री पुरुषोत्तम 18 वर्ष की उम्र के पुरुष का है, जिसे चिरायु अस्पताल भोपाल में दाखिल किया गया था। मैं बताना चाहूंगी कि उसकी जांच की जा चुकी है और यह मामला सार्स का नहीं पाया गया। दूसरा मामला एक अमेरिकी नागरिक सुश्री रिबेका रेलिव्ह 23 वर्ष की महिला का है, जिसने प्रभावी देशों की यात्रा की थी. को 7.4.2003 को

---

*(ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 7307/2003)

मुम्बई स्थित कस्तूरबा संक्रामक रोग अस्पताल में ज्वर और खांसी की शिकायत पर दाखिल कराया गया था। इस रोगी की सामान्य स्थिति में सुधार हो रहा है। इस मामले की छानबीन राष्ट्रीय वायरस विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा की जा रही है। मैं हमारे सांसदों को बताना चाहूंगी, खास तौर से मुम्बई से आने वाले सांसद कल काफी ज्यादा चिन्तित थे कि थ्रोट स्वैप यानि स्फुटक और नेजल स्वैप, नाक और गले से जो बलगम का सैम्पल लिया गया था, वह निगेटिव पाया गया है, नकारात्मक पाया गया है और रक्त की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हम स्थिति की दिन-प्रतिदिन आधार पर मोनिटरिंग कर रहे हैं।

आज सुबह, जिस समय मैं यह स्टेटमेंट पढ़ रही हूं, तब तक एक और केस आपको पता लगा होगा, कहा गया कि आस्ट्रेलिया से कोई व्यक्ति आ रहे थे और उनको मुम्बई पहुंचना था, लेकिन उन्हें हैदराबाद में उतार लिया गया। उन्हें कल हैदराबाद में दाखिल कराया गया। सुबह ही मेरी वहां के स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई है, उनकी स्थिति में भी सुधार हो रहा है। सबसे ज्यादा खुशी की जो बात है, उनकी चेस्ट बिल्कुल क्लियर है, एक्स-रे में किसी तरह की रिपोर्ट नहीं आई है, वह अपर रैस्पीरेटरी ट्रैक्स इन्फैक्शन का मामला लगता है, लेकिन उनका भी हम लोगों ने सैम्पल लेकर पुणे भेज दिया है और एन. आई.सी. में भी भेज दिया है। ये दो हमारी बड़ी लैब्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीसेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एन.आई.सी.डी., दिल्ली और एन.आई.वी., पुणे में दोनों सैम्पल को भेज दिया है।

खास तौर से मुम्बई के सांसदों को मैं यह भी बताना चाहूंगी क्योंकि रिबैका के बारे में आप चिन्तित थे, हमने इनकी यह चिन्ता और मिटा दी। रिबेका अकेली नहीं थीं, उनके साथ उनकी दो सहेलियां भी आई थीं, एक एमी और एक कैली। कैली आस्ट्रेलियन थी और एमी अमेरिकन थी। वे वहां से आगरा और जयपुर के लिए चली गई थीं, हमने पहले आगरा में पता किया और फिर जयपुर में। जयपुर में हमारा उनसे सम्पर्क भी हो गया। हमने एमी और कैली को दिल्ली बुला लिया है और उन दोनों को आर.एम.एल. में हमने भर्ती करा दिया है, ताकि उन्हें थोड़ा अलग रखें। उन्हें कोई शिकायत नहीं है, किसी तरह की उन्हें इलाज की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की, लेकिन जिसे ज्यादा एहतियात, ज्यादा सावधानी कहते हैं, वह बरतने के लिए उनकी उन दोनों सहेलियों को भी हमने यहां उतार लिया। एक केस मिस मारिया का है, वे नेपाल में थीं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री जी को यह याद दिला दूं कि यदि वह वक्तव्य पढ़ेंगी तो मैं माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान नहीं करूंगा। लेकिन यदि आप एक आशु वक्तव्य देना चाहें, तो उन्हें स्पष्टीकरण की मांग करनी होगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, लोक सभा में, अनुपूरक प्रश्न पूछने का प्रावधान नहीं है। मैं तो केवल कुछ अतिरिक्त जानकारी देना चाहती थी।

सभापति महोदय : यदि यह वक्तव्य है तो मैं माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं समझती हूं कि मंत्रियों को यदि कोई अन्य जानकारी मिली है तो वे वक्तव्य में मौखिक रूप से भी जानकारी जोड़ सकते हैं। मैं समझती हूं कि मुझे सभा को अद्यतन जानकारी देनी चाहिए।

[हिन्दी]

जितना पेनिक और जितनी चिन्ता इन लोगों को हो रही है, अगर मैं यह बताऊं कि हम इतना आगे बढ़कर एहतियात बरत रहे हैं कि उनकी सखियों को भी टटोल रहे हैं, सम्पर्क करके उनको यहां ले आए हैं। हमें कहीं से पता लगा कि एक मारिया नाम की महिला कांफ्रेंस अटेंड करके नेपाल से आई थी, उस कांफ्रेंस में भी उन देशों के लोग थे। उनको भी हम दिल्ली ले आये हैं और यहां आर.एम. एल. अस्पताल में भर्ती कर दिया है। कम से कम इससे यह पता चल जायेगा कि हम ज्यादा एलर्ट हैं और जितनी एतिहयात की आवश्यकता है, आपकी अपेक्षाओं से ज्यादा हम सावधानी बरतकर इस केस में लगे हैं। लेकिन खुशी की बात है कि सार्स का एक भी केस हिन्दुस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति प्रदान करूंगा। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) **:** सभापति जी, क्या मुम्बई एयरपोर्ट पर माननीय मंत्री जी या सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की गई है क्योंकि वहां बाहर से प्रवासी आते हैं। आप इसकी भी जानकारी दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सामान्यत: नियमों के अनुसार स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं होती लेकिन एक असाधारण मामले के रूप में मैं एक-दो सदस्यों को अब स्पष्टीकरण की अनुमति दे रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, क्योंकि आप अनुमति दे रहे हैं, मैं उनके स्पष्टीकरणों का उत्तर दे रही हूं।

[हिन्दी]

अभी किरीट जो ने पूछा है कि मुम्बई एयरपोर्ट पर कोई व्यवस्था की है, मैं बताना चाहूंगी कि केवल मुम्बई एयरपोर्ट पर नहीं, इंटरनैशनल फ्लाइट जिस-जिस एयरपोर्ट पर आती है, वहां हमने यह व्यवस्था की है। हमने एक कार्ड छापकर वहां के इमीग्रेशन आफिसर को दे दिया है। इंटरनैशनल फ्लाइट से जो भी व्यक्ति उतरता है, वह उस कार्ड को भरे और यह बताये कि उसे इस तरह के लक्षण तो नहीं हैं। वह यह भी बताये कि वह कहां-कहां और किन-किन देशों में से होकर आया है और क्या उसने उन देशों की यात्रा की है जहां इस तरह की बीमारी सामने आयी है? जैसा मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि इसमें दो से दस दिन का समय लगता है जिसे इन्कुबेंशन पीरियड कहते हैं। इस बीच अगर ऐसा कोई लक्षण आता है तो वह हमें सम्पर्क करे। हमने वहां अपनी ओर से मेडिकल आफिसर भी स्ट्रैंदन कर दिये हैं जो उनको स्क्रीनिग करवायेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) **:** सभापति जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सार्स रोग के बारे में चिंता व्यक्त की है तथा उस संबंध में सरकार की भावना से भी अवगत कराया। मैं कहना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में जो खबरें छप रही हैं, जैसा उन्होंने कहा कि सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के निरंतर सम्पर्क में है, अभी अखबार की कतरन मेरे पास है, उसमें लिखा है कि यह रोग विदेशों में बहुत लोगों की जान लेने के बाद अभी भी पहेली बना हुआ है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बीमारी के मूल कारण और निवारण के संबंध में हाथ खड़े कर दिये हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक डॉ. ग्रो हालम ने भी कहा कि उन्हें इस रोग की जांच पड़ताल या इलाज संबंधी ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं ज्यादा नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि रोगों की शक्लें कभी-कभी बदलती हैं। यह एक विशेष प्रकार का रोग है और दुनिया के 14 देशों में यह रोग फैल चुका है। हिन्दुस्तान जैसी घनी आबादी वाले देश में अगर किसी प्रकार से यह रोग प्रवेश कर गया तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डा. वालिया ने कहा कि जब ऐसे लक्षण दिखाई दें तब आप अस्पताल में जाकर सम्पर्क कर सकते हैं। लेकिन रोग का पता 2 से 7 दिन के भीतर ही लग पायेगा।

अभी हमारे मित्र ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि जिस तरह की चीजें पैदा हो रही हैं और जिस तरह से इस रोग की खबरें समाचार पत्रों में आ रही हैं, उससे और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। जब तक आप आईडेंटिफाई नहीं करेंगे, इस रोग के लक्षण के बारे में जानकारी नहीं देंगे, इस पर एक्सपर्ट को नहीं लगायेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा परिणाम निकलने वाला है।

मेरा विनम्र आग्रह है कि सरकार को ज्यादा सजग और जागरुक रहने की आवश्यकता है क्योंकि यह रोग नये प्रकार का रोग है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैं माननीय सांसद को यह बताना चाहूंगी कि जहां तक सजगता और जागरुकता का सुझाव है, वह सुझाव हमेशा सरकार को रखना चाहिए। उसे सजग प्रहरी और जागरुक रहकर चलना चाहिए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि समाचार पत्र में छपा हुआ व्यक्ति और आपकी अपने देश की स्वास्थ्य मंत्री संसद के फर्श पर क्या बोल रही है, उन दोनों की कभी तुलना करनी है तो अपने देश की स्वास्थ्य मंत्री पर विश्वास करिये। मैं जो भी बात कह रही हूं, एक-एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं। मैं कहीं बाहर नहीं बोल रही, सदन के फर्श पर खड़ी होकर बोल रही हूं। इसमें एक भी बात ऐसी नहीं हो सकती जिसका खण्डन कोई समाचार पत्र कर सके।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) **:** मैडम, आपके ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास है। सीवीयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति जी, अविश्वास हमारा भी नहीं है।

श्री मोहन रावले : महोदय, सीवेयर एक्यूट रैस्पीरेट्री साइनड्रोम का प्रमुख कारण क्लाइमेइडिया नाम का एक वैक्टीरिया है और इस बीमारी से हमारी जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में 16 देशों में 84 लोगों की जानें गई हैं और 2353 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। मैं मैडम से पूछना चाहता हूं क्योंकि इसके वैक्टीरिया का फैलाव ईजीली हो सकता है। डाक्टर्स अभी जांच करने के लिए जा रहे हैं।

मेरे क्षेत्र में कस्तूरबा हॉस्पिटल है, वहां डाक्टर भी सिक्योर नहीं हैं, नर्सेज भी सिक्योर नहीं हैं, वहां वार्ड-ब्यॉय तथा वर्कर्स भी सिक्योर नहीं हैं और आजू-बाजू के पेशेंट्स भी सिक्योर नहीं हैं। हमें ठाकरे जी ने इस बारे में कहा था कि यह मामला पार्लियामेंट में उठाओ। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र से हमारे दीपक गर्ग जी वहां गये थे और उन्होंने इंक्वायरी की। जो सात लेयर्स के मास्क होते हैं, उसमें विषाणु अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है। अभी जो जांच कर रहे हैं, उसमें जो तीन लेयर का मास्क था, उसमें धोखा हो सकता था। इसलिए मैं विनती करता हूं कि हमने सरकार से इंक्वायरी की तो हमें पता चला कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ मास्क मांगे हैं जो डब्ल्यूएचओ के अनुसार आप देने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप महाराष्ट्र सरकार को देंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : पहले तो मैं बता दूं कि इन्होंने कहा है कि डाक्टर्स और नर्सेज भी सिक्योर नहीं हैं। इस बीमारी के लिए खास तौर से जो इंफैक्शियस डिजीज हॉस्पिटल्स हैं, वहीं इसके लिए आइडेंटिफाइ किये गये हैं और कस्तूरबा हॉस्पिटल जो आपके क्षेत्र में है, वह भी इंफैक्शियस डिजीज हॉस्पिटल है और इंफैक्शियस डिसीज हॉस्पिटल में ही इस तरह के मास्क रखे जाते हैं क्योंकि हमने खास तौर से वे हॉस्पिटल आइडेंटिफाइ किये क्योंकि वहां के लोगों के पास इस तरह के मास्क उपलब्ध रहते हैं क्योंकि वे इस तरह की सारी इंफैक्शियस डिसीजेज का इलाज वे लोग करते हैं। इसलिए कम से कम जो डाक्टर इसके सीधे सम्पर्क में आता है, उसको यह न आ जाए, इसके लिए इंफैक्शियस डिसीज हॉस्पिटल रखे हैं। जहां तक सात लेयर्स और तीन लेयर्स मास्क की बात है, मैं फिर कहना चाहूंगी कि तीन-लेयर मास्क बहुत इफैक्टिव मास्क हैं और इन नार्म्स में से आप बॉटल्ड वाटर में देखा होगा कि ई.यू. के नार्म्स और डब्ल्यूएचओ के नार्म्स बदलते रहते हैं लेकिन भारतीय परिवेश में तीन लेयर मास्क बहुत इफैक्टिव हैं। जब यहां सिंगापुर के प्रधान मंत्री और उनके स्वास्थ्य मंत्री आए हुए हैं तो उनके साथ भी हमारे अधिकारियों की बैठक हुई है। वहां भी उन्होंने कहा कि तीन लेयर मास्क बहुत ज्यादा इफैक्टिव हैं। वैसे यहां तक होता है कि तीन लेयर मास्क न भी हो तो आपके पास जो आम मास्क है, उस पर भी यदि तीन लेयर चढ़ा लें तो भी वह उतना ही इफैक्ट करता है जितना कि तीन लेयर मास्क करता है। फिर भी हम लोग तीन लेयर मास्क जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मोहन रावले : महाराष्ट्र सरकार मांग रही है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम दे रहे हैं।

श्री मोहन रावले : दे रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) **:** यह सार्स का रोग खतरनाक रोग है और पहले दिन से ही मंत्री साहिबा इस बारे में एलर्ट रही हैं, यह काबिले-मुबारकवाद है और इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन हमें चंद बातों की फिक्र होती है, जैसे वह बयान करती हैं और अभी आपने कहा कि इस रोग के सिम्टम्स के जाहिर होने में भी दो से दस दिन का वक्त लग सकता है। तब तो यह बड़ी फिक्र की बात हो जाती है कि दो से दस दिन के दरम्यान अगर कोई हमारे मुल्क में आ रहा है तो उसके सिम्टम्स पता नहीं चलेंगे और एक खतरा हमारे मुल्क के अंदर आएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सिलसिले में कुछ सोचा गया है? दूसरी बात यह है कि अभी बहुत सारे लोग इस रोग के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि अभी कितनी बातें मालूम नहीं हो पाई हैं। क्या इस सूरत के अंदर हुकूमत कोई एक्सपर्ट कमेटी बिठाकर उनसे मजीद सिफारिश करेगी कि किस तरह से मुल्क को इससे मेहफूज रखा जाए। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि एयरपोर्ट के बारे में बहुत बातें आई हैं कि वहां पर इतनी सहूलियतें नहीं हैं।

क्या इस पर तवज्जह देकर मजीद कोई कार्यवाही की जाएगी, यह मैं जानना चाहता हूं?

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): یہ سارس کی بیماری خطرناک بیماری ہے اور پہلے دن سے ہی منتری صاحبہ اس بارے میں الرٹ رہی ہیں۔ یہ قابلِ مبارکباد ہے اور اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن ہمیں چند باتوں کی فکر ہوتی ہے۔ جیسے وہ بیان کرتی ہیں اور ابھی آپ نے کہا کہ اس بیماری کے سمٹمس کے ظاہر ہونے میں بھی دو سے دس دن کا وقت لگ سکتا ہے۔ تب تو یہ بڑی فکر کی بات ہو جاتی ہے کہ دو سے دس دن کے درمیان اگر کوئی ہمارے ملک میں آ رہا ہے تو اس کے سمٹمس پتہ نہیں چلیں گے اور ایک خطرہ ہمارے ملک کے اندر آئے گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس سلسلے میں کچھ سوچا گیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ اس بیماری کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ ابھی کتنی باتیں معلوم نہیں ہو پائی ہیں۔ کیا اس صورت کے اندر حکومت کوئی ایکسپرٹ کمیٹی بٹھا کر ان سے مزید سفارش کرے گی کہ کس طرح سے ملک کو اس سے محفوظ رکھا جائے۔ تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ائیر پورٹ کے بارے میں بہت باتیں آئی ہیں کہ وہاں پر اتنی سہولیتیں نہیں ہیں۔ کیا اس پر توجہ دیکر مزید کوئی کاروائی کی جائے گی، یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, शायद मोहतरम जनाब बनातवाला जी उस समय सदन में मौजूद नहीं थे, जब मैंने पहले सवाल का जवाब दिया था। वह जवाब यही दिया था कि दो से दस दिन का इंकुबेशन पीरियड है। उसके बीच में कोई व्यक्ति निकल नहीं जाए और दो से दस दिन के बाद हमें पता चले उसी के लिए हमने यह

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

परफारमा बनाया है। वह डुप्लीकेट बनाया है। जिसका एक पन्ना फाड़ कर उसको दे देते हैं। उसको कहते हैं कि इस बीच में कोई सिम्पटम हो जाए तो वह हमसे कांटेक्ट करे।

श्री जी.एम. बनातवाला : वह मुमकिन है, कांटेक्ट न करे। उसकी मर्जी पर ही छोड़ दिया गया है।

جسلب جی۔ایم۔ بنات والا (پوننانی): وہ ممکن ہے کانٹیکٹ نہ کرے۔اس کی مرضی پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔

श्रीमती सुषमा स्वराज : जो टोटल व्यक्ति आ रहे हैं, उनसे आप कहेंगे कि आप बताएं कि आपको बीमारी हुई या नहीं। जो व्यक्ति बीमार होगा, तो किसी अस्पताल में जाएगा। इतनी खतरनाक बीमारी की बात हो रही है, वह घर में नहीं सह सकता। जब वह व्यक्ति किसी अस्पताल में जाएगा ही, उसको रैसपिरेट्री ट्रबल होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, 80 डिग्री सेल्सियस बुखार होगा, तो वह घर में रहकर इलाज नहीं करेगा। अगर घर में रहकर इलाज करेगा तो किसी से कांटेक्ट नहीं करेगा। इसलिए कहीं न कहीं जाएगा। हमने बड़ा अलर्ट किया है। साथ में हम कह रहे हैं, उसको भी कह दिया है। यह तो हमने एक ज्यादा बड़ा एहतियात कदम उठाया है, एक एक्स्ट्रा अलर्ट जिसे कहते हैं, वह हम बरत रहे हैं। इस तरह की बीमारी में व्यक्ति घर नहीं रुकेगा, वह कहीं न कहीं जाएगा, वह किसी न किसी से कांटेक्ट करेगा। जो एक्सपर्ट कमेटी की बात आपने कही, मैं कहना चाहती हूं कि जिस दिन पहली बार डब्ल्यू.एच.ओ. का रेड अलर्ट आया, उसी दिन हमने मीटिंग की। उसमें डब्ल्यू.एच.ओ. के विशेषज्ञ थे और एम्स के मेडिसन के हैड डा. पांडे भी थे। सबके साथ बैठकर हम बात कर रहे थे। सुमन जी ने भी एक्सपर्ट्स की बात कही। उसको कोई राजनेता नहीं कर सकता, उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है। इसलिए डीजीआईसीएमआर, डीजी हैल्थ सर्विसेज रोज मिल रहे हैं। जो डाक्टर हमने एयरपोर्ट पर लगाए हैं, वे मेडिकल आफिसर्स हैं। बिना एक्सपर्ट्स के इस बीमारी पर कोई बात नहीं की जा सकती। मैं जितनी बात यहां बोल रही हूं, वह विशेषज्ञों से बात करने के बाद ही बोल रही हूं।

[अनुवाद]

डा. रंजीत कुमार पांजा (बारासाट) : मैडम, फैफड़ों के संक्रमण को एच.आई.वी. मामलों से जोड़ा जाता है। मैं समझता हूं, सभी संदिग्ध मामलों में एच.आई.वी. परीक्षण से कुछ उपयोगी आंकड़े मिल सकते हैं। क्या इन सभी संदिग्ध मामलों में यह परीक्षण कराया गया है। मैं यही जानना चाहता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या आप अपना प्रश्न दोहराने की कृपा करेंगे? मैं आपकी बात नहीं सुन सकी क्योंकि आपकी आवाज बहुत धीमी थी।

डा. रंजीत कुमार पांजा : फैंफड़ों के असामान्य संक्रमण को प्राय: एच.आई.वी./एड्स के पोजिटिव मामलों से जोड़ा जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन मामलों में, यह परीक्षण कराया गया है। यदि यह नहीं कराया गया है तो यह कराया जाना चाहिए क्योंकि इससे कुछ उपयोगी चिकित्सा आंकड़े मिल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : डा. पांजा खुद मेडिसन के डाक्टर हैं। उनको मालूम होगा कि एचआईवी एड्स का टैस्ट करने के पहले बहुत बड़ा ह्यूमन राइट एंगल आया हुआ है। जब तक कौंसिल नहीं कहे तब तक आप एचआईवी का टैस्ट नहीं कर सकते। इस मसले को हम अलग से सुलझा रहे हैं। ये जो सैम्पल जा रहे हैं, वे चाहे सिप्यूटम के हों, चाहे नेजल, श्वास के हों या ब्लड के हों, वे अभी सार्स के लिए जा रहे हैं, एचआईवी का टैस्ट उसमें नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : सभापति महोदय, सार्स रोग चिकित्सक समुदाय को इस रोग का निदान करने, इसके निदान को क्लिच करने और इसका इलाज करने के लिए इसका उचित एंटीबायोटिक खोजने में बड़ी समस्या आ रही है।

मैं डा. रंजीत कुमार पांजा से स्वयं को जोड़ती हूं कि इसके लक्षण बहुत अस्पष्ट हैं। प्रारंभिक अवस्था में पुराने श्वशन रोग तथा एच.आई.वी. और इस सार्स रोग में भेद करना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसके निदान को क्लिच करने के लिए विषाणु-विज्ञान भी कोई तत्काल परिणाम नहीं दे पा रहा है। अत: इस मामले में इलाज से परहेज अच्छा है।

रोगियों को मिलने वाली सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन अस्पतालों में अधिक बिस्तर उपलब्ध कराएं और अधिक अस्पताल बनाए जाएं। मीडिया के माध्यम से आम जनता को जानकारी दी जाए।

दूसरे, इस रोग से चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारी-वर्ग भी अछूती नहीं रहा है। उन्हें अधिक सुरक्षात्मक मास्क देने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए। हम इस रोग के लिए केवल यही एक कार्य कर सकते हैं। महंगे होने के बावजूद आप अतिरिक्त मास्क देने में विशेष सावधानी बरत सकते हैं। लागत वाला कारक अवरोध नहीं बनना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, जहां तक वायरल को क्लिच करने का सवाल है, मैंने खुद ही कहा कि यह इस तरह का टैस्ट है जो केवल दो ही लेबोरेट्रीज में अभी हो सकता है। हम लोगों ने प्राइमर बाहर से मंगाए और अपने रि-एजेंट खुद तैयार किए। अब हम पूर्णत: सुसज्जित हैं। हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरलॉजी और एनआईसीडी देहली, दोनों यह टैस्ट कर रही हैं। इसलिए यह कहना कि इसका टैस्ट हो ही नहीं सकता, यह अपने आप में गलत हैं। हमारे यहां रि-एजेंट्स तैयार हो गये हैं, प्राइमर्स आ गये हैं, यहां तक कि पोजीटिव और नैगेटिव कंट्रोल भी हमने बाहर से मंगवा लिये हैं। एक तरह का डाग्नोस्टिक-किट हमारे यहां तैयार है जो एनआईसीडी और एनआईवी अपने आप केयर कर रहे हैं और वहां पर बाकायदा इनके टैस्ट हो रहे हैं।

जहां तक मास्क और प्रीवेंशन का सवाल है, यदि आप मेरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो मैंने साफ लिखा है कि प्रीवेंशन और क्योर-एक अलग से ट्रीटमेंट इन आइसोलेशन के लिए हमने अस्पताल चिन्हित किए हैं और वे संक्रामक बीमारियों के लिए अस्पताल हैं। इनमें आम अस्पताल से ज्यादा एहतियात बरतने की बात होती है और वहां मास्क्स उपलब्ध होते हैं। संक्रामक बीमारी के लिए अस्पताल चिन्हित किये गये हैं जो लगभग हिंदुस्तान की हर मैट्रोपोलिटन सिटी में हैं। एयरपोर्ट पर भी हम एहतियात बरत रहे हैं। प्रीवेंशन और क्योर के बारे में मेरा स्टेटमेंट बहुत ही कंप्रीहैंसिव है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. राम चन्द्र डोम (बीरभूम) **:** पहले मैं आपातकालीन उपाय आरंभ करने के लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह एक बहुत विशेष और असाधारण महामारी है जो दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में फैल रही है। पूरे-पूरे आसार हैं कि इस प्रकार का रोग हमारे देश में भी आ सकता है। मौलिक रूप से यह विषाणुजनित रोग है। अत: जैसा कि मंत्री जी ने कहा है, इस बीमारी को रोकने का कोई टीका नहीं है। यहां तक कि इसका कोई खास एंटीबायोटिक नहीं है। इसीलिए, प्राथमिक रूप से इस प्रकार के रोग को रोकने का मुख्य तरीका निरोधात्मक उपाय करना है।

सभापति महोदय : आपको यहां पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी गयी थी न कि वाद-विवाद आरंभ करने की।

डा. राम चन्द्र डोम : महोदय, सुझाव के रूप में, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जहां तक मेरा तकनीकी ज्ञान का संबंध है कई भ्रातियां उत्पन्न की गयी हैं। लोग डरे हुए हैं। इस महामारी के कारण अनुचित भय उत्पन्न हुआ है। लेकिन हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अभी तक यहां ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया है। मीडिया ने कहा है कि यह सार्स का मामला है, और वह सार्स का मामला है। अत:, एक बात जो नोट करने लायक है वह यह है कि मीडिया पर, विशेषकर इस मामले में रोक लगा देनी चाहिए लोग भयग्रस्त हैं। असाधारण भय उत्पन्न नहीं करने देना चाहिए। अत: मीडिया को इस विशेष अभियान में उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार को इसकी जानकारी है अथवा नहीं।

दूसरे, इसकी रोकथाम में लिए न तो कोई औषधि है और न ही टीका। अत: इस बीमारी को रोकने का मुख्य तरीका उचित जागरुकता पैदा करना है। इसका एक महत्वपूर्ण घटक सूचना शिक्षा प्रणाली (आई. ई.एस.) कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को उचित जानकारी प्रदान करना है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसको बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि लोगों के बीच इस बीमारी के उचित वैज्ञानिक कारण के बारे में उचित जागरुकता पैदा करने और लोगों के बीच घर कर गए असामान्य भय को दूर करने में क्या वह अपने मीडिया, डी.ए.वी.पी. की सहायता ले रही है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कदम उठा रही है या नहीं।

सभापति महोदय : मुझे सदस्यों की अनुमति देने में उदार होना पड़ा क्योंकि यह एक भयावह रोग है। यह बाव-विवाद नहीं है। यह एक चर्चा है।

डा. राम चन्द्र डोम : माननीय मंत्री जी से मेरा यह छोटा सा प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, उनके ब्रीफ क्वैश्चन का जवाब मैं बहुत ब्रीफली देना चाहूंगी। माननीय सांसद ने सही कहा कि यह एक वायरल डीसिज है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

दूं कि इसे प्राइमरी तौर पर करोना वायरस कहा जा रहा है। जहां तक प्रीवैंशन का सवाल है, प्रीवैंट करने में हम कामयाब हुए हैं। इस कारण कोई केस इसमें रिपोर्ट नहीं हुआ है। जहां तक उन्होंने मीडिया की बात कही है मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि व्यक्तिगत तौर पर मैंने एक प्रेस कान्फ्रेंस की और मीडिया को एक ही बात कही कि जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती उसे सार्स का केस मत कहिए क्योंकि इससे इर्द-गिर्द में पैनिक फैलता है और लोगों को लगता है कि यह बीमारी यहां आ गई। हम उनसे बार-बार यह कह रहे हैं कि आप सार्स का केस मत कहिए, पहले हमें देखने दीजिए कि वह साधारण निमोनिया का केस है, रेसपिरेटरी अपरट्रैक के इनफैक्शन का केस है या साधारण बुखार का केस है। हमने बार-बार अपनी ओर से यह बात कही है कि वह संयम रखें और जब तक पुष्टि न हो जाए तब तक उसे सार्स का केस न कहें।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : माननीय मंत्री जी से मेरा एक विशेष प्रश्न है। आयुर्वेद और होम्यापेथी के चिकित्सकों का यह दावा है कि उनके पास इसकी दवा है। क्या उन्होंने इस दावे की जांच की है? यह सच्चाई है अथवा नहीं?

मैं केवल यह जानना चाहता हू कि क्या उन्होंने इस क्षेत्र की भी पड़ताल की है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अभी रैमीडी का सवाल ही नहीं आया है। अभी आयुर्वेद वालों का यह कहना है कि अगर हम तुलसी, अदरक, काली मिर्च और लौंग की चाय लें तो इस इनफैक्शन से बच सकते हैं जिसे हिन्दुस्तान की दादी, नानी जरूर जानती हैं। जब भी ऐसी कोई चीज होने लगती है तो वह बच्चों को तुलसी का काढ़ा पिला देती हैं। अब आपके माध्यम से यह बात कही जाए कि तुलसी, काली मिर्च और लौंग की चाय पिओ तो सार्स से बचा जा सकेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री प्रियरंजन दासमुंशी के अंतिम प्रश्न पूछे जाने के साथ ही प्रश्नों और स्पष्टीकरणों का समय समाप्त हो जायेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, सबसे पहले मैं दैनिक आधार पर इस सम्पूर्ण प्रकरण पर अपनी चिंता व्यक्त करने और इस पर ध्यान देने के लिए माननीय मंत्री महोदया के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने सहकर्मियों की इस चिंता से सहमत हूं कि हमें डर पैदा नहीं करना चाहिए।

मेरा एक ही प्रश्न है और मैं उसी पर बोलूंगा। थाई एयरवेज का संचालन बैंकांक से होता है, सिंगापुर एयरवेज का संचालन सिंगापुर से होता है और कैथे पेसीफिक का संचालन हांग-कांग से होता है। ये तीन एयरवेज हैं जिनका मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया है क्योंकि उन्होंने अपने चालक दल और कर्मचारी वर्ग पर विशेष ध्यान दिया है जो विमान में कार्यरत हैं एवं जिन्हें यात्रियों से संपर्क बनाना होता है। मैं जानता हूं, इंडियन एयरलाइन्स की थाइलैंड से सिंगापुर के लिए कैथे पेसीफिक को आपस में जोड़ने वाली उड़ाने हैं। अतः, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे ही पूर्व- सावधानी उपाय हमारे चालक सदस्यों के लिए भी उठाये गये हैं। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बी.बी.सी. ने कल ऐसे नौ मामलों की सूचना दी है जिनमें हांगकांग में कुछ चालक दल उस वक्त सार्स से प्रभावित हो गए जब यात्रियों के साथ सावधानी नहीं बरती गयी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, एक बहुत ही वैलिड और सही सवाल दासमुंशी जी ने उठाया है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे अपने स्तर पर जो दो मीटिंग्स हुई, उनमें हमने चेयरमैन, एअरपोर्टस एथॉरिटी को बुलाया था और कहा था कि क्रू और इम्मिगरेशन ऑफिशियल के लिए कम से कम मास्क का प्रबन्ध जरूर किया जाए। हमने उनको यहां तक कहा था कि तुरन्त वह इसको शुरू कर दें। हमने शुरू में अपनी तरफ से मास्क सप्लाई कर दिए थे और उतने मास्क हमने शुरू के एक दिन के लिए सप्लाई भी कर दिए थे। अब एक्चुअली क्रू में इसे दे रहे हैं या नहीं, यह हम उनसे निश्चित तौर पर पता करना चाहेंगे क्योंकि हमने यह चाहा भी था। हमने वहां कल सरप्राइज इनसपैक्शन करवाया। कल हैल्थ सैक्रेटरी और सैक्रेटरी, सिविल एविएशन रात को 12 बजे से ढ़ाई बजे तक दिल्ली एअरपोर्ट पर यह देखने के लिए गए थे कि इम्मिगरेशन ऑफिशियल ने मास्क पहन रखा है या नहीं? वह मास्क पहने थे। अब अन्दर का क्रू यह मास्क पहन रहा है या नहीं, निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि चेयरमैन, एअरपोर्टस एथॉरिटी से पूछा जाए। अगर वे नहीं पहन रहे हैं तो उनको पहनाया जाए। मैं यह बता सकती हूं कि सेम डे हमने अपनी तरफ से कुछ मास्क उनको सप्लाई कर दिए थे।

अपराह्न 2.35 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

(एक) गुजरात में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों से मानदेय का भुगतान करने के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : आंगनवाड़ी कर्मचारी मानदेय कर्मचारी हैं और वे निचले स्तर पर समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) को कार्यान्वित कर रहे हैं। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए नाममात्र का मानदेय मिलता है। पिछले केन्द्रीय बजट में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गयी थी लेकिन गुजरात राज्य सरकार ने इसे अभी तक जारी नहीं किया है।

मैं केन्द्र सरकार से गुजरात राज्य को बढ़ी हुई मानदेय राशि को शीघ्र जारी करने का अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

(दो) झारखंड में चक्रधरपुर में लोकोमोटिव शेड्स का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : सभापति महोदय, दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय राजस्व हासिल करता है, परन्तु रेलवे की ओर से यहां के लोगों को विशेष फायदा नहीं हो रहा है। यहां पर लोकोमोटिव का एक शैड था, परन्तु न जाने क्यों इसको बंद कर दिया है जबकि यहां पर इसकी अत्यंत जरूरत है क्योंकि माल ढोने में रेल का अधिक प्रयोग इस क्षेत्र में होने के कारण यहां पर मरम्मत का कार्य अति आवश्यक है। इस प्रकार से शैड के बनने से यहां के खनिज पदार्थों के परिवहन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और यहां के स्थानीय और आदिवासी लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि चक्रधरपुर में एक लोकोमोटिव शैड पुन: स्थापित करना अति आवश्यक है।

[अनुवाद]

(तीन) कर्नाटक में बीड़ी कामगारों की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : मैं कर्नाटक राज्य में लगभग आठ लाख बीड़ी मजदूरों की दयनीय दशा को उजागर करना चाहूंगा। इसमें से आधे दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के हैं और अकेले बेलथंगाडी के तालुक टाउन के 50,000 से भी अधिक कामगार हैं। बीड़ी उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां कार्यरत थीं और वे इसे एक पारिवारिक उद्यम का रूप देती थीं जिससे परिवारों के लिए अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो जाती थी।

वहां कच्चे माल की कमी के कारण, कार्यदिवसों को घटाकर सप्ताह में दो या तीन दिन कर दिया गया है जिससे वे शेष सप्ताह के लिए बेकार और गैर-उत्पादक हो जाते हैं। केरल राज्य सरकार ने अपने बीड़ी कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाये हैं। यहां की तुलना में कर्नाटक में दिहाड़ी कम है। कर्नाटक बीड़ी कर्मचारियों को बोनस, भविष्य निधि सहित पेंशन अथवा अन्य कल्याणकारी/चिकित्सा लाभ नहीं मिलता। तेंदु पत्तियों का ठेका अब सहकारिताओं को दिए जाने से मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात से कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा पड़ रही है।

मैं केन्द्र से कर्नाटक में बीड़ी कामगारों की दशा सुधारने और दिहाड़ी के समान भुगतान सुनिश्चत करने और उन्हें अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने और सप्ताह भर उनके काम के लिए बीड़ी पत्तों की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

(चार) बिहार में मानव संसाधनों के समुचित विकास के लिए राज्य में और अधिक शिक्षा संस्थाएं खोले जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार का मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रत्यायोजित योजनाओं को बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहिये। उदाहरण के लिये जिला प्राथमिक कार्यक्रम का विस्तार सम्पूर्ण बिहार में किया जाना चाहिये। इस अभाव को पूरा करने तथा बिहार की असीम मानव संसाधन सम्पदा को विकसित करने के लिये यह जरूरी है कि कुछ नये संस्थान स्थापित किये जायें और कुछ मौजूदा शैक्षणिक, तकनीकी संस्थानों का दर्जा बढ़ाये जाने

[श्री राजो सिंह]

की आवश्यकता है जो निम्न प्रकार है : 1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नालाजी की स्थापना। 2. बिहार कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना को आई.आई.टी. का दर्जा प्रदान करना। 3. एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना। 4. पॉलिटैक्नीक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। 5. पैरा मैडिकल ट्रेनिंग कालेज का विस्तार। 6. इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तौर पर विकास। 7. पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना। 8. बिहार में एक नेशनल बॉयो-टैक्नालौजी इंस्टीट्यूट की स्थापना। 9. एक सॉफ्टवेयर टैक्नौलोजी पार्क की स्थापना। 10. कांउसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग केन्द्र की स्थापना। 11. राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। 12. सैनिक स्कूलों की स्थापना एवं 13. नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जरूरत है।

[अनुवाद]

(पांच) ढाका-अगरतला बस सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, त्रिपुरा के आर्थिक विकास के लिए त्रिपुरा को देश के शेष भागों से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता से पहले, त्रिपुरा सुविधाजनक रूप से रेल, सड़क और जलमार्ग से देश के अन्य भागों से बांग्लादेश के माध्यम से जुड़ा हुआ था। बंटवारे के बाद, कलकता (अब कोलकाता) जो बांग्लादेश के माध्यम से अगरतला से केवल 350 कि.मी. दूर था वह 1800 कि.मी. दूर हो गया। इसके अलावा, त्रिपुरा देश के अन्य भागों से सड़क रेल और वायु सेवाओं से जुड़ा हुआ है इन सबकी स्थिति खराब है। प्रति वर्ष कई महीनों तक त्रिपुरा के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल संपर्क भूस्खलन के कारण टूट जाता है। इसमें सुधार करने के अलावा, त्रिपुरा के लिए बांग्लादेश से होते हुए रेल/सड़क संपर्क आवश्यक है। दिनांक 10 जुलाई, 2001 को भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे जिससे ढाका और अगरतला के बीच बस सेवा आंरभ की जा सके। त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम (टी.आर.टी.सी) और बांग्लादेश सड़क परिवहन निगम (बी.आर.टी.सी.) ने बस सेवा आरंभ करने के लिए दिनांक 1 मार्च, 2002 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। दिनांक 12 जुलाई, 2002 को टी.आर.टी.सी. और बी.आर.टी.सी. की बसें परीक्षण तौर पर चलायी गयीं। फिर भी, तब से कोई प्रगति नहीं हुई है। यह मामला त्रिपरा की आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार से ढाका-अगरतला बस सेवा यथाशीघ्र आरंभ करने के लिए सभी संभव कदम उठाने का आग्रह किया जाता है।

(छह) कृषि क्षेत्र को नि:शुल्क बिजली प्रदान करने के लिए समन्वित योजना बनाए जाने की आवश्यकता

***श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरुपत्तूर) : महोदय, हमारी राष्ट्रीय कृषि नीति से किसानों की आवश्यकताओं जैसे सिंचाई सुविधाओं, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक और प्रौद्योगिकी आदि को पूरा करने में अवश्य मदद मिलनी चाहिए। किसानों की पहुंच में जल संसाधन, जल प्रबंधन तकनीक, मृदा परीक्षण सुविधाएं और भूमि की उर्वरता को बढ़ाने वाले भूमि विकास तरीके होने चाहिए। भूमंडलीकरण से कृषि क्षेत्र के लिए राजसहायता में कमी आई है। पानी के बिना संसार जीवित नहीं रह सकता। यही हाल वुनियादी सिंचाई सुविधाओं के बिना कृषि का होगा। ऐसे समय में जब सूखी भूमि का चारों ओर आधिक्य है, सरकार को मौलिक कर्तव्यों के रूप में सिंचाई पंपों को नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध करानी चाहिए।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से देशभर में सिंचाई पंप के लिए नि:शुल्क विद्युत प्रदान करने की एक समान नीति कार्यान्वित करने की मांग करता हूं जिसे वह यह कहकर नजरअंदाज न करे कि कृषि और विद्युत पारेषण राज्य सूची में हैं।

मैं केन्द्र सरकार के मंत्रालयों जिसे वित्त, विद्युत, कृषि, और ग्रामीण विकास से प्रधान मंत्री जी के साथ मिलकर एक समन्वित योजना बनाने का आग्रह करता हूं ताकि कृषि के लिए तमिलनाडु और देश के सभी राज्यों को नि:शुल्क विद्युत प्रदान की जा सके और वे इससे काफी लाभ प्राप्त कर सकें।

(सात) महाराष्ट्र में कोल्हापुर में पंचगंगा नदी के किनारे रह रहे लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करना सुनिश्चित किए जाने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र कोल्हापुर पंचगंगा नदी के तट पर बसा है। पंचगंगा नदी का पानी कोल्हापुर और नदी तट पर बसे विभिन्न गांवों की जनता द्वारा पीने और सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है फिर भी अपर्याप्त जलमल अवशोधन संयंत्र के कारण नदी जल के प्रदूषित होने से नदी की धारा की दिशा में बसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी गम्भीर समस्याएं

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

उत्पन्न हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी कार्य योजना हेतु सलाहकार नियुक्त करने संबंधी योजना केन्द्र सरकार को भेज दी है। फिर भी स्वीकृति और धनराशि के आबंटन संबंधी कार्यवाही अभी तक नहीं हो पायी है।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर यह सुनिश्चित करे कि पंचगंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से वंचित न रहना पड़े।

[हिन्दी]

(आठ) बिहार के भोजपुर जिले में आरा में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : सभापति महोदय, बिहार राज्य के भोजपुर जिला का मुख्यालय आरा है। इस जिले की आबादी लगभग 25 लाख है। यह जिला बिहार के पुराने जिलों में से एक है। यहां वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है। जिला के मुख्यालय में अनेक शिक्षण-संस्थान और महाविद्यालय जैसे, हर प्रसाद जैन महाविद्यालय, महाराजा महाविद्यालय, पं. महादेव नन्द मगध महाविद्यालय, जगजीवन राम महाविद्यालय, ब्रहमर्षि महाविद्यालय और कई एक उच्च विद्यालय हैं। व्यावसायिक दृष्टि से यह बिहार राज्य का अग्रणी व्यावसायिक शहर है और छोटे-छोटे उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। यहां की अधिकतर आबादी गांवों में रहती है। यह शहर मुख्य रेलवे लाइन पर बसा हुआ है। यहां से अनेक बसें सासाराम, बनारस, पटना, बक्सर, बलिया, रांची और टाटा और कोलकाता जाती हैं। कृषि की दृष्टि से यह काफी उपयोगी है। यहां चावल की कई बड़ी मिलें हैं।

इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी इस जिले में अभी केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी है। फलस्वरूप इस जिले के गरीब मेधावी छात्रों को अच्छी पढ़ाई से वंचित रहना पड़ता है। निजी विद्यालयों में ये आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं।

अत: मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस जिले में अविलंब एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए।

(नौ) हिमाचल प्रदेश में शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'खड़ा पत्थर' में उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य (शिमला) : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शिमला-दूरदर्शन केन्द्र का आधुनिकीकरण हुआ तो है, परंतु इसका लाभ स्थानीय जनता तक ही सीमित रहा है। वस्तु-स्थिति इस प्रकार है कि शिमला केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रम का अवलोकन दुर्गम क्षेत्रों में संभव नहीं है क्योंकि जब तक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ज्यादा शक्ति के ट्रांसमिटर व डिश-एंटीना स्थापित नहीं किये जाते, तब तक शिमला केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रम दूर-दराज के क्षेत्रों में संभव नहीं होंगे। इस स्थिति का दुष्प्रभाव इन क्षेत्रों की भली-भाली जनता, कृषक व बागवानों पर पड़ रहा है। मैं इस समस्या को इस सदन में पहले भी उठाता आया हूं।

मान्यवर, मेरा केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री से अनुरोध है कि शिमला जिले में स्थित ''खड़ा पत्थर'' नामक ऊंचे स्थान पर अधिक शक्ति का डिश एंटीना लगाया जाए जहां पहले ही माइक्रो वेव का टावर लगा है। इसी प्रकार रोहड़ू क्षेत्र में ''सीमा बडियारा'' व अर्की क्षेत्र में ''कठपोल टिब्बा'' पर ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से वहां के वंचित कृषक व बागवान वर्ग टी.वी. अवलोकन का पूरा लाभ उठा सकेंगे।

(दस) गुजरात में अंकलेश्वर और राजपिपला तथा भरूच और दहेज के बीच रेल सेवाएं पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र अंकलेश्वर से राजपिपला और भरूच से दहेज के बीच नैरोगेज रेलवे लाइन को ब्राडगेज रेलवे लाइन में बदलने की मांग की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन दोनों शहरों के बीच कोई रेल सेवा नहीं है जिसके कारण इन आदिवासी बाहुल्य के स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क यातायात से एक तरफ तो लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है और समय की बरबादी होती है। 1968 से पहले यहां पर रेल सेवा चलती थी, परन्तु 1968 की बाढ़ के बाद पटरियों में कई कमियां होने के कारण रेल सेवा स्थगित कर दी गई और आज तक रेल सेवा नहीं चली, जबकि इस रेल सेवा को पुन: चलाने हेतु दस साल से लगातार मांग की जा रही है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन रेल सेवाओं को लोकहित में पुन: शुरू किया जाए एवं भरूच और दहेज के बीच नैरोगेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदला जाए।

(ग्यारह) महाराष्ट्र में जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरदर्शन द्वारा मैट्रो चैनल शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री वाई.जी. महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जलगांव महाराष्ट्र का एक प्रमुख औद्योगिकी शहर है। जलगांव शहर की आबादी लगभग 5 लाख के आसपास होगी। इस क्षेत्र में गन्ना और केले की काफी पैदावार होती है और देश में गन्ना तथा केला उत्पादन में यह क्षेत्र अपना प्रपुख स्थान रखता है।

जलगांव शहर में वर्तमान में दूरदर्शन का लघु ट्रान्समीटर कार्यरत है, लेकिन इससे इस क्षेत्र की जनता मैट्रो चैनल का लाभ नहीं उठा पाती है। इस क्षेत्र के विकास के लिए दूरदर्शन का मैट्रो चैनल शुरू किया जाना अति आवश्यक है। जलगांव में एच.पी.टी. का कार्य प्रगति पर है। यदि इसके साथ-साथ ही मैट्रो चैलन भी शुरू कर दिया जाए, तो मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता इसका लाभ उठा सकेगी।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में अविलम्ब मैटो चैनल शुरू करने के लिए आदेश पारित करने का कष्ट करें।

अपराह्न 2.51 बजे

[अनुवाद]

विद्युत विधेयक*–पारित–*जारी*

सभापति महोदय : सभा में अब विद्युत विधेयक, 2002 पर चर्चा होगी। श्री संतोष मोहन देव।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदय, विधेयक 2001 ऊर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति को परीक्षा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु 31 अगस्त, 2001 को भेज दिया गया था।

इस विधेयक के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस इलेक्ट्रानिक मीडिया और राष्ट्रीय प्रेस में प्रसारित कर दिया गया है। समिति ने पूरे देश में घूमकर विभिन्न मर्चेन्ट चैम्बर्स आफ कामर्स और राज्य सरकारों से साक्ष्य प्राप्त किये और दिल्ली में ऊर्जा सचिवों को बुलाकर विचार-विमर्श किये। हमने ऊर्जा मंत्रालय, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य विभिन्न संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया।

विद्युत न केवल आधारभूत ढांचे का प्रमुख घटक है अपितु आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अत्यावश्यक विद्युत घटक हैं। बेशक यह सभी उद्योगों की जीवन रेखा है। माननीय ऊर्जा मंत्री ने स्वयं कल इस तथ्य के बावजूद की वह ऊर्जा मंत्री हैं देश की कुल मिलाकर बदहाल ऊर्जा स्थिति का आलोचनात्मक वर्णन किया। मंत्रीजी के लिए यह असामान्य है कि वह वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें और स्वयं को इसके सुधार के लिए कहें।

इस विधेयक की सिफारिश समिति द्वारा की गयी थी। समिति ने 112 सिफारिशें की थी। इनमें से 58 सिफारिशें सरकार की ओर से संशोधन के रूप में रखी गयी और 31 सिफारिशों पर नियमों और नीतियों को बनाते समय विचार किया जाएगा। इस पर मैं बाद में बात करूंगा।

ऊर्जा समवर्ती सूची का विषय है। इस विषय पर नियमों को बनाने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार दोनों को ही शक्ति प्राप्त है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुछ राज्यों ने जैसे हरियाणा और उडीसा ने ऊर्जा क्षेत्र में कुछ कदम उठाये है। कल ही, असम सरकार ने विद्युत विधेयक पारित किया जो कि इसी तरह का विधेयक है जिस पर हम विचार कर रहे हैं।

स्वतंत्रता के समय विद्युत विभाग ही देश में बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए उत्तरदायी एजेंसी थी। उसके बाद सरकार ने कदम उठाए और एनटीपीसी, एनएचपीसी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की। आज विद्युत उत्पादन का 70 प्रतिशत और वितरण का 100 प्रतिशत नियंत्रण सरकार के अधीन है। भारत सरकार विशेषकर वर्तमान सरकार को यह क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोलने में कोई झिझक नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश का स्वागत करने के लिए इसने नीतियां बनायी।

हमारे देश में 5 लाख गांव हैं। सरकार द्वारा दिये गये इस अनुमान को कल माननीय मंत्रीजी ने बताया था कि अभी भी 80 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है। मुझे खेद है परन्तु मंत्रीजी के इस आंकड़े से मैं सहमत नहीं हूं। वास्तविक आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। आप झारखंड जाइए, आप बिहार जाइए– मैं वहां अपनी समिति के

---

*विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव 8 अप्रैल, 2003 को श्री अनंत गंगाराम गीते द्वारा प्रस्तुत किया गया।

साथ गया था—आप सुंदरवन क्षेत्र में जाइए; आप छत्तीसगढ़ और देहरादून क्षेत्रों के पहाड़ी प्रदेश में जाइए। यह आंकड़े आप ज्यादा ही पाएंगे।

परन्तु आज तक उन गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। एक गांव में एक बिजली का खम्बा वह मापदण्ड है जिससे वे मानते हैं कि उन्होंने विद्युतीकरण कर दिया है। मैं माननीय मंत्रीजी को दोष नहीं दे रहा हूं। उन्होंने वह आंकड़ा लिया है जो कि एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा पहले जांचा गया था। मैं यह बताना चाहूंगा कि अब इसे अभिपुष्ट किए जाने की आवश्यकता है। उनका जोर इस बात पर होना चाहिए कि उन गांवों को न सिर्फ पनबिजली बल्कि ताप विद्युत भी प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें गैर-परम्परागत ऊर्जा पर भी विचार करना चाहिए। इस कार्य हेतु आपके मंत्रालय और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय जिसकी की अपार संभावनायें हैं। के बीच और अधिक सहयोग होना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारी समिति के दक्षिण के दौरे के दौरान यह जानकर हमें प्रसन्नता हुई कि इस क्षेत्र में विभिन्न गैर-सरकारी संगठन गहरी रुचि ले रहे हैं और आगे आ रहे हैं। यदि आप सुंदरवन क्षेत्र में जाते हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है। लक्षद्वीप में भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है। इसलिए, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जिसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

महोदय, अत्यधिक उपयोग की अवधि के दौरान विद्युत का अभाव होता है आज ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनके नगरों में आवश्यकता के अनुसार बिजली उपलब्ध नहीं होती है। यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में भी मांग के अनुसार बिजली प्राप्त करपाना कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति क्यों बनी? इस स्थिति का प्रमुख कारण देश में पनबिजली और ताप विद्युत के बीच संतुलन नहीं है। जहां कई जलविद्युत ज्यादा है वहां ताप विद्युत कम है, और जहां कहीं जल विद्युत अधिक है वहां ताप विद्युत कम है। अधिकांश परियोजनाएं राजनीतिक फायदे के लिए चलायी जाती हैं। उनमें से कुछ ही परियोजनाएं कोयले की खानों के पास स्थित हैं। इसके परिणामस्वरूप कोयला 200 कि.मी. से 300 कि.मी. की दूरी तक ले जाया जा रहा है। इससे कोयले की बर्बादी होती है, कोयले की चोरी होती है। इससे विद्युत उत्पादन की प्रति इकाई दर में बढ़ोतरी होती है। यहां तक कि कोयले की किस्म भी उतनी अच्छी नहीं है, जैसीकि सामान्यत: ऊर्जा क्षेत्र में प्रयोग किए जाने के लिए होनी चाहिए। मात्र यही नहीं, ऊर्जा और विद्युत को अभाव की भी सूचनायें है। इसके आंकड़े मेरे पास हैं। यह उनके मंत्रालय द्वारा प्रदान किये गये हैं। यह क्रमश: 8 से 12 प्रतिशत के स्तर के हैं।

महोदय, स्वतंत्रता पूर्व हमारी विद्युत क्षमता 1,362 मेगावाट थी। अब हमने इसमें सुधार कर 1 लाख मेगावाट कर लिया है। यह अच्छी उपलब्धि है। इसके लिए मैं सर्वाजनिक क्षेत्र की विद्युत कम्पनियों के इंजिनियरों को बधाई देता हूं क्योंकि अधिकांश कार्य उनके द्वारा किया गया है। कुछ कार्य निजी क्षेत्र द्वारा भी किया गया है। यह सब करने के लिए मैं एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनईसी और अन्य संगठनों को भी बधाई देता हूं।

एक और तथ्य भी है। आज सरकार के पास विद्युत क्षेत्र के 60 प्रतिशत का नियंत्रण है विद्युत उत्पादन भी राज्य के अधीन इसलिए हमें सरकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। अहलुवालिया समिति द्वारा दी गयी प्रतिभूतिकरण नीति को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। यह राज्य सरकारों द्वारा भी स्वीकृत की जा चुकी है। यह अच्छा उद्यम है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। परन्तु उन पांच लाख गांवों का क्या किया जाये जिनका आंशिक विद्युतीकरण किया गया है? ऊर्जा की स्थायी समिति की ओर से हमने सिफारिश की थी कि 60 प्रतिशत गांवों में उदार गांवों में विद्युत वितरण केन्द सरकार द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य सरकारों के पास विद्युतीकरण के लिए धनराशि और क्षमता नहीं है।

महोदय, मैं जानता हूं कि भारत सरकार राज्य सरकारों को विद्युत वित्त निगम से ऋण लेने को कह रही है। वे अत्यंत उदार है। उनकी ब्याज दर भी ज्यादा नहीं है। परन्तु क्या होगा यदि वे अगले वर्ष धनराशि ले? वे उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दे सकते हैं और इसी कारण वे धनराशि लेने के लाभक नहीं रह जाते हैं।

महोदय, एपीडीपीआर योजना प्रारंभ हो चुकी है। मंत्रीजी मैंने आपकी प्रेस विज्ञप्ति देखी है। अधिक और अधिक गांव, नगर और जिलों को जोड़ना चाहिए। इसलिए, मैं सुझाव दूंगा कि यह एपीडीपीआर योजना सम्पूर्ण देश में प्रमुखता से लागू की जानी चाहिए।

अब, राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यनिष्पादन पर मैं कहना चाहूंगा कि वहां गुणवत्ता का अभाव है, विश्वसनीयता का अभाव है, निष्ठा का अभाव है, और वहां जिसे तकनीकी रूप से पारेषण और वितरण (टी औ डी) कहते हैं, में भी भारी घाटा है।

अपराह्न 3.00 बजे

अब, हमने सुझाव दिया है कि एक कानून बनाना चाहिए। बिजली कर्मियों द्वारा हुई हानि को संज्ञेय अपराध बनाया जाना चाहिए। आपने इसे स्वीकार कर लिया है। प. बंगाल की तरह कुछ राज्य सरकारों

[श्री संतोष मोहन देव]

ने इसे पहले ही प्रारंभ कर दिया है; हरियाणा ने भी प्रारंभ कर दिया है और वे सब सफल रहे हैं। इस क्षेत्र को और महत्व दिया जाना चाहिए। एक गंभीर सर्वेक्षण के अनुसार उत्पादित विद्युत को चोरी से 35 प्रतिशत की औसतन हानि होती है। यह राष्ट्रीय हानि है। मैंने, मेरे संसदीय क्षेत्र में ट्रांसफार्मर को जलता हुआ देखा है। जब मैं राज्य विद्युत बोर्ड गया, तो पता चला कि उपभोक्ता 100 है, परन्तु वास्तव में इस ऊर्जा का प्रयोग 200 लोग कर रहे हैं। शेष 100 लोग विद्युत का प्रयोग गैरकानूनी ढ़ंग से कर रहे हैं। इसलिए इन नियमों को सम्पूर्ण देश में अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और हमें देखना होगा कि इनका पालन उचित ढंग से हो।

अब, हमारी सरकार और हमारी पहले की सरकारें, सभी इस एक बिन्दु पर सहमत हैं कि 2012 तक 1,40,000 मेगावाट उत्पादन हों। परंतु यह करने के लिए हमें 6,00,000 करोड़ रु. की आवश्यकता है और इसके लिए आपको निजी क्षेत्र की आवश्यकता है।

अब, निजी क्षेत्र की क्या स्थिति है? यदि आप समिति को दिए गए अपने रिकार्ड को देखें तो प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों की संख्या 150 से अधिक है। इनमें से 51 को अनुमति दी गयी है और कुछ ही अस्तित्व में आए हैं। ऐसा क्यों है? यह सीइए और इस प्रकार के संगठनों की बहुलता के कारण है। हम लोग एक ही खिड़की से स्वीकृति पर जोर दे रहे हैं। जब बाहर से उद्यमी आए थे तब मैंने दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने कहा जिस समय वे प्रस्ताव जमा करते हैं जब तक उसे स्वीकृति मिलती है तब तक लागत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तब तक विभिन्न राज्यों के बजट बढ़ जाते हैं। रेल भाड़ा बढ़ जाता है। कोयले की कीमत बढ़ जाती है। प्रत्येक चीज की कीमत बढ़ जाती है और इससे विद्युत परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है और यह अव्यवहारिक परियोजना बन जाती है। इसलिए, इस उद्देश्य हेतु निजी क्षेत्र को तुरंत स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कुछ सीमा तक जल विद्युत का उत्पादन करने वाली जल विद्युत परियोजनाओं और कुछ ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए आपको सी ई ए के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे और अधिक उदार बनाया जाना चाहिए। इसके लिए एक ऐसा समूह होना चाहिए जो कि इस पर विचार करे। मैं विधेयक की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं विधेयक का स्वागत कर रहा हूं। परन्तु, मैं सम्पूर्ण देश के भ्रमण के अपने अनुभव के आधार पर कुछ अतिरिक्त परिवर्तनों के लिए कह रहा हूं। सामान्यत: स्थायी समिति के अध्यक्ष के नाते मुझे नहीं बोलना चाहिए परन्तु मैं विधेयक को मेरे समर्थन के कारण बोल रहा हूं।

प्रर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं की पर्याप्त संभावनायें हैं। परन्तु विशेषकर जल विद्युत परियोजनाओं सी इ ए द्वारा की त्वरित स्वीकृति में कई बाधायें हैं पर्यावरण और वन मंत्रालय भी बाधाएं खड़ी करता है।

मुझे इस बात का खेद है। मैंने स्वयं इस्पात मंत्री के तौर पर ऐसा देखा है वे न तो आपको यह करने की अनुमति देते हैं और न ही आपकी परियोजना को स्वीकृति देते हैं। परन्तु अब, उन्हें विदेश जाने का अवसर दीजिए। मैंने रूस में गहन वन के भीतर ऊर्जा संयंत्र देखा है और उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरती हैं। यह अब संभव है। त्रिपुरा में एक बन्दर के लिए एक गैस प्लान को तीन वर्ष इन्तजार करना पड़ा। अन्तत: उस बन्दर को उस वन से खदेड़ना पड़ा। तब त्रिपुरा सरकार ने अनुमति दी।

अब, पुनर्वास एक अन्य क्षेत्र है। जब आप एक जल विद्युत परियोजना या ताप विद्युत परियोजना बनाते हैं तो उस घर या व्यक्ति का जिसकी भूमि ली जाती है, ठीक से पुनर्वास नहीं किया जाता है।

पहले यह प्रोत्साहन था कि उन्हें न सिर्फ पुनर्वास ही दिया जाता था, बल्कि उनमें से प्रत्येक के लिए नौकरी का भी प्रोत्साहन दिया जाता था। आजकल ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं नहीं जानता, मैं समझता हूं कि सरकार ने एक निर्णय ले लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

अब मैं तिपरमुख जल विद्युत परियोजना के बारे में बताना चाहूंगा। माननीय विद्युत राज्य मंत्री जी यहां बैठी हैं; उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया है, वह जानती हैं कि क्यों वह अव्यवहारिक बन गया। क्योंकि सुरक्षा पर होने वाला व्यय, बाढ़ प्रबंधन की लागत, बाईपास का निर्माण या दिशा बदला जाना इत्यादि सारा भार परियोजना पर लादा जा रहा है। यदि यह सब परियोजना पर लादा जायेगा तो स्वत: ही इसकी लागत बढ़ेगी। यह सब परियोजना पर 12 वर्ष की परियोजना पूर्ण होने की अवधि के आधार पर लादा जा रहा है। इसे 6-7 वर्ष नीचे लाया जाना चाहिए; और स्वत: ही इसकी प्रति इकाई लागत कम हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अव्यवस्था के कारण सुरक्षा व्यवस्था भी की जानी चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाना होगा। ब्रहमपुत्र और बरक द्वारा आने वाली बाढ़ों के कारण के व्यय को भी जल संसाधन मंत्रालय द्वारा भुगतान किया जाए। इसे परियोजना पर नहीं लादना चाहिए। यदि यह किया जाता है, तो यह गलत है।

देश में उत्पादन और पारेषण के बीच सामंजस्य नहीं है। उत्पादन और पारेषण के 1:1 के स्थापित नियम के विरुद्ध, विनिवेश को एकतरफा कर दिया गया है और इससे बढ़ाकर उसे 2:1 कर दिया गया है। यह सही नहीं है। हमने सिफारिश की थी कि उत्पादन को पहले ही मुक्त बाजार के लिए खोल दिया गया है। इसे अब आपने विनियामक आयोग पर छोड़ दिया है। यह ठीक नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मुझे आपको यह बताने दीजिए। श्री पोन्नुस्वामी मेरे पुराने मित्र हैं। कृपया उन्हें मत डांटिए। वे अच्छे व्यक्ति हैं।

सभापति महोदय : वे सब बातें कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैंने सब सुन लिया है।

श्री संतोष मोहन देव : कृपया बुरा न मानिए।

विनायमक आयोग को भी संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। आपको अधिकारियों द्वारा यह बताया गया है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संसद के सभापटल पर रखी गयी है और इसलिए वे स्वत: ही उत्तरदायी हैं। नहीं। यदि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी रखी गई है तो उसकी जांच की प्रथम जिम्मेवारी लोक लेखा समिति की है। लोक लेखा समिति भी सभी बातों पर एक समय पर विचार नहीं कर सकती है वे एक-एक विषय पर विचार करते हैं और इस प्रकार रिपोर्ट आने में एक से तीन साल तक लग जाते हैं। जबतक की वे उत्तरदायी नहीं होंगे यह नहीं किया जा सकता है। आप इस मंत्रालय में हाल ही में आए हैं। एक समय ऐसा था जब विनियामक आयोगों के अध्यक्ष राज्यों के विद्युत मंत्रालयों से एक मायने में लड़ाई ही कर रहे थे। मंत्रालय के हस्तक्षेप से उसका निपटारा हो गया है।

आपने पांच वर्ष की समयावधि दी है यह ठीक भी है। मेरी पार्टी भी विधेयक का समर्थन कर रही है। हम कोई संशोधन नहीं ला रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस विशेष पहलू पर ध्यान दिया जाए। जब आप उत्तर देंगे तो हम आपकी तरफ से यह आवश्वासन चाहेंगे कि इस विशेष पहलू पर ध्यान दिया जाएगा, और राज्य सभा में इस विधेयक को रखने से पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। अन्यथा, हमें राज्यसभा में संशोधन लाना होगा।

दूसरी बात जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं वे ग्रामीण विद्युतीकरण है। हमें ग्रामीण विद्युतीकरण पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण विलासिता नहीं है यह आवश्यक है। यहां तक की एक कृषक भी विद्युत पम्प का प्रयोग करता है। यह विलासिता न होकर आवश्यकता है। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण पर और अधिक जोर दिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अब पी एम जी आई प्रारम्भ हो गयी है और प्रत्येक व्यक्ति धन दे रहा है। आपको प्रयास कर इसे सफल बनाना चाहिए। मैं जानता हूं कि इस कार्य को यह विभाग नहीं कर सकता है परन्तु ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अधिक धनराशि देने को कहा जाना चाहिए उसे धनराशि से अधिक जितनी की वे इस समय दे रहे हैं।

हम भी राजसहायता के विरुद्ध नहीं हैं। प्रति राजसहायता के बारे में देय के कुछ भागों में शोर-शराबा है। हमारी समिति ने देखा है कि राजसहायता का दुरुपयोग हो रहा है। क्यों?

मान लीजिए, यदि आप एक कृषक को कुछ मात्रा में बिजली नि:शुल्क दे रहे हैं। तो क्या होगा? नियंत्रण के अभाव में वह आवश्यकता से ज्यादा का उपयोग करेगा। बिजली कृषि कार्यों के लिए दी जाती है, परन्तु वह उसका प्रयोग रेफ्रिजरेशन, वातानुकूलन यहां तक की प्रत्येक बिजली की चीज को इस राजसहायता पर प्राप्त बिजली पर चलाएगा। इसलिए, पहली बात जो हमने कही की राजसहायता दी जानी चाहिए परन्तु उसकी क्षतिपूर्ति विद्युत बोर्ड को की जानी चाहिए। इस समय विद्युत बोर्ड बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और सरकार कृषि और अन्य लघु उद्योगों को नि:शुल्क राजसहायता और नि:शुल्क बिजली प्रदान कर रही है। इसमें कुछ गलत नहीं है परन्तु बिजली बोर्डों को इसकी क्षतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान होना चाहिए।

दूसरे, दी जाने वाली बिजली मीटर द्वारा दी जानी चाहिए। यह निर्धारण होना चाहिए कि प्रति बीघा भूमि के लिए इतनी बिजली नि:शुल्क दी जायेगी और शेष उपभोग के लिए विद्युत बोर्ड को भुगतान करना होगा। आज, एक व्यक्ति बिजली लेता है और उसका दुरुपयोग करता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा नहीं हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समय प्रति-राजसहायता को युक्ति-संगत बनाया जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।

विद्युत बोर्ड कर्ज में दबे हैं। वे अपने कर्मचारियों को वेतन देने में समर्थ नहीं हैं। राज्य विद्युत बोर्डों का प्रतिभूतिकरण इस दिशा में उचित कदम है परन्तु सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये फिर से कर्ज के तले दबें नहीं। उन्हें आपको ऐसी योजना भी देनी होगी कि प्रतिभूतिकरण स्थायित्व में सहायता प्रदान करेगा। मैंने कुछ राज्यों में देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले एक वर्ष से बिल बनाकर नहीं भेजे गए हैं। कुछ क्षेत्रों में संग्रहण पंचायत द्वारा हुआ होगा, जो

[श्री संतोष मोहन देव]

उनके अनुसार बेहतर है। एक व्यक्ति को बिल बनाने और संग्रहण को शक्ति प्रदान की गयी परन्तु उसमें कई चूककर्त्ता थे। इसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

अंतिम परन्तु कम महत्वपूर्ण यह बात नहीं है कि सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को बेहतर बनाए जाने हेतु कुछ किया जाना चाहिए। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं की इसमें काफी सुधार हुआ है। एक नये अध्यक्ष आये हैं। वह अत्यन्त व्यावहारिक और तार्किक है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, यह अत्यंत कठिन है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। बनाना जल परियोजना नामक एक जल परियोजना तीन वर्ष में पूर्ण हुई है। उड़ीसा की इन्द्रावती परियोजना को पूर्ण होने में 23 वर्ष का समय लगा है। यदि एक परियोजना को पूर्ण होने में 23 वर्ष का समय लगता है तो क्या होगा? हमने चार मंत्रियों और तीन सचिवों को आते और जाते देखा है। अब भी आपके पास एक निजी क्षेत्र से है। मैं नहीं जानता की अब क्या होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे कार्यकाल के दौरान टीपइमुख परियोजना पूरी हो जायेगी। अब ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मणिपुर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। असम और मिजोरम सरकारों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी। इसलिए, इसे पूरा किया जाना चाहिए और इसकी लागत को भी समायोजित किया जाना चाहिए।

अधिकारियों से हुई चर्चा से मैं यह समझ सकता हूं कि सरकार द्वारा 110 में से 93 सिफारिशें स्वीकार की गयी हैं जिनमें से 58 पर सरकार द्वारा सरकारी संशोधनों के रूप में संशोधन लाए जा रहे हैं और 31 सिफारिशों को नियम और विनियम बनाते समय समाविष्ट किया जाएगा।

मेरी पार्टी के पूर्व मंत्रियों जो कि अत्यंत अनुभवी भी हैं का कहना है बीतियों में बदलाब के जो आश्वासन दिये गये हैं उनकी कुछ विधिक मान्यता होनी चाहिए यदि ऐसा किया जाता है तो उन्हें कानून मंत्रालय मंत्रिमण्डलीय समिति और अन्यों विभागों द्वारा स्वीकृत करवाया जाना आसान होगा। इसे अभी स्वीकार किया जाना आपके लिए संभव नहीं होगा। आपको राज्यसभा में पारित कराने के लिए जाना होगा। हमने एक वर्ष की अधिकतम समय-सीमा की सिफारिश की है। परन्तु यदि आप इसे डेढ़ वर्ष अवधि में बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। परन्तु बाद में चाहे कोई भी मंत्री या सचिव बने उनके लिए इसे पारित करवाना अनिवार्य होना चाहिए। अन्यथा, यह बात ध्यान से निकल जाएगी।

इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है और मैं कामना करता हूं कि आप सभी को सफलता मिले। हम आशा करें कि इससे सम्पूर्ण देश और ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनतम व्यक्तियों को भी प्रकाश मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि इससे शहरों के अधिकतम बिजली के उपयोग के समय में बिजली की समस्या का समाधान होगा। अब हम आशा करें कि बिजली भविष्य में बिजली मुख्य अवसंरचाना का घटक होगी। मैं आशा करता हूं कि जैसे आज हम मांग पर टेलीफोन प्राप्त कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार हम मांग पर बिजली को प्राप्त कर सकेंगे।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं विद्युत विधेयक 2001 के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त समर्थन से भी अत्यंत प्रसन्न हूं। परन्तु मुझे इससे वाकई आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि सचिव ने यह आश्वासन दिया है कि 112 सिफारिशों में से कई स्वीकार कर ली गई हैं कई नीतियों में, नियमों में, विनियमों में और इस प्रकार समाविष्ट की जाएगी। यह हमारा कर्त्तव्य है कि यह पता लगाए कि कितनी सिफारिशें वास्तव में स्वीकार कर ली गई हैं और कितनी सिफारिशों को हम मानते हैं कि उन्हें वास्तव में स्वीकार किया गया है। हमें सचिव के पास जाकर यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कार्य किया जा चुका है।

सबसे पहले हमारी सरकार और हमारे मंत्रीजी को अन्ततः बहु-प्रतीक्षित और विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु अत्यावश्यक विद्युत विधेयक को ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हेतु लाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं जो कि काफी समय से रुग्ण है। यद्यपि, पूर्व ऊर्जा मंत्री (स्वर्गीय) श्री रंगराजन कुमारमंगलम को श्रद्धांजलि दिये बिना विधेयक पर कोई भी चर्चा अधूरी रहेगी और मैं मानता हूं कि हम इस विधेयक के साथ न्याय नहीं करेंगे। क्योंकि यह उन्हीं की दृष्टि और समर्पण के कारण यह संभव हो सका है। मुझे याद है कि 2000 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस क्षेत्र में सुधार हेतु उन्होंने एक पेपर रखा था और कहा था कि हमें व्यापक विधेयक लाना होगा। उस समय तक, सुधार की प्रक्रिया 1910, 1948 के विद्युत अधिनियमों और स्वर्गीय रंगराजन कुमारमंगलम द्वारा लाए गए विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 में संशोधन करके चलायी जा रही थी।

महोदय, इसका श्रेय मैं श्री सुरेश प्रभु को देना चाहूंगा। यही वे मंत्री हैं जिन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया और जब वे मंत्रालय में थे तो उन्होंने हमारे साथ इस पर विचार किया क्योंकि मैं भी उनके मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य था। उनके पास इस पर पर्याप्त दृष्टि और विचार था और इसी कारण इस विधेयक के लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा।

महोदय, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र अत्यंत जटिल और उलझा हुआ है। परन्तु हमारे माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र की बारीकियों और जटिलताओं को अल्प समय में ही समझ लिया है इसलिए मैं इन्हें भी बधाई देना चाहूंगा। ऐसा जताया जा रहा है कि स्थायी समिति की अधिकांश सिफारिशों, जैसाकि ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सभापति द्वारा उल्लेख किया गया था, को स्वीकार कर लिया गया है। परंतु मैं इस विषय पर उनसे पूरी तरह मतभेद है। मैंने प्रत्येक सिफारिश का गहन अध्ययन किया है। मैंने पाया कि महत्वपूर्ण सिफारिशें—यदि 112 सिफारिशें हैं तो सभी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है, ऐसी सिफारिशें जोकि महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें बिल में रखा गया है और कुछेक शेष सिफारिशों को जब कभी नियम और विनियम बनाए जाएंगे तब समाविष्ट किए जाएंगे—स्वीकृत नहीं की गई है। यह सिफारिश की गई है कि यदि बनाए जाने वाले नियमों और विनियमों में समिति की सिफारिशों को समाविष्ट करने का सरकार का प्रस्ताव है तो उन नियमों और विनियमों को कब बनाया जाएगा? यह हमारी पहली सिफारिश थी। यह सिफारिश संख्या 1.21 थी। उसमें समिति ने सिफारिश की थी कि नियम और विनियमों को बनाए जाने के लिए समय-सीमा नियत की जाने की सिफारिश की गई थी। परन्तु मंत्रालय ने इसे स्वीकार नहीं किया। महोदय विशिष्टताओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विषय पर बोलने दीजिए जिन पर सिफारिशें अत्यंत विशिष्ट थी और मैं मंत्री महोदय से कुछ अच्छे उत्तर की अपेक्षा रखता हूं। अन्यथा मैं मानूंगा कि उन्हें गुमराह किया गया है। हमारे बीच किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं हमारे माननीय मंत्री महोदय का अत्यधिक सम्मान करता हूं। मेरा उनमें पूर्ण विश्वास है।

महोदय, हमारे लोगों के लिए विद्युत के अत्यधिक महत्व को देखते हुए, मैं अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में असफल रहूंगा यदि मैं इस विधेयक में कुछ गंभीर त्रुटियों की ओर ध्यान नहीं दिलाता हूं जोकि सुधार, जिन्हें लाया जाना है, के उद्देश्यों को ही समाप्त कर रही है। इस विधेयक के माध्यम से नई दिशा दिखायी जानी है। यह स्वर्गीय कुमारमंगलम और श्री सुरेश प्रभु की दृष्टि है।

महोदय, मैं कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहता हूं। विनियमों की अधिसूचनाएं एक वर्ष में लायी जानी है। यह हमारी सिफारिश संख्या 1.22 और 10.38 है और मैं हमारी समिति के माननीय सभापति को फिर से याद दिलाना चाहता हूं। विद्युत क्षेत्र में पूर्वानुमान में पारदर्शिता लाने के लिए, विशेषकर निजी निवेशकों के लिए, समिति ने सुझाव दिया था कि बिल में यह संशोधन किया जाए कि एक वर्ष में सभी विनियमों को जारी करना विनियामक आयोगों के लिए अनिवार्य बनाया जाए। इससे एक मामले से दूसरे मामले के संबंध में विवेकानुसार दृष्टिकोण से बचने में मदद मिलेगी। समिति की सिफारिश अस्वीकृत हो गई है।

दूसरी बात, वितरण व्यवस्था के उदारीकरण की है। यह सिफारिश संख्या 6.35 है। समिति ने सिफारिश की थी कि प्रतियोगिता की शर्त के अध्यधीन वितरण की व्यवस्था संबंधी कार्य शुरू किया जाये। प्रतियोगिता के बगैर इस क्षेत्र में कोई सुधार नहीं होंगे और बिजली क्षेत्र के हित में प्रतियोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। समिति ने यह कहा था और मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं, 'यह अनिवार्य है कि पारेषण और वितरण को प्रतिबंधित उपयोग से मुक्त किया जाए।' समिति ने सिफारिश की थी कि एक समय-सीमा के भीतर बिना किसी भेदभाव के वितरण की व्यवस्था की जाये ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके।

दुर्भाग्यवश, इस सिफारिश को भी स्वीकार नहीं किया गया है। इसके विपरीत, वितरण हेतु एक दूसरा लाइसेंस जारी करने संबंधी व्यवस्था को और अधिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। 1910 के विधेयक में भी ऐसा प्रतिबंध नहीं था। आप इसे और अधिक प्रतिबंधित बना रहे हैं। उनका कहना है कि इसी क्षेत्र में वितरण हेतु दूसरा लाइसेंस दिए जाने की बात अनुज्ञेय है। क्रम संख्या 22 पर किए गए संशोधन के द्वारा कई नई शर्तों का सुझाव दिया जा रहा है। अब किसी भी क्षेत्र में दूसरा लाइसेंस जारी किये जाने के संबंध में पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं को केन्द्र सरकार विहित करेगी। ऐसा मामला मेरे क्षेत्र में भी हो सकता है अथवा आपके क्षेत्र में भी हो सकता है अथवा सभापति महोदय के क्षेत्र में भी हो सकता है। इससे एकाधिकारों के बने रहने में मदद मिलेगी और उपभोक्ता हित प्रभावित होंगे।

समिति की तीसरी सिफारिश पारेषण की मुक्त पहुंच वाली व्यवस्था के संबंध में है। यह समिति की रिपोर्ट के पैरा 7.55 में अंतर्विहित है। इस रिपोर्ट में समिति ने कहा था कि उसकी अपनी राय में विशेषकर विद्युत क्षेत्र में सुधार शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी काफी हद तक पारेषण व्यवस्था के प्रति बिना भेदभाव वाला मुक्त रवैया रामबाण है। लेकिन इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी काफी हद तक मददगार साबित हो सकती है। आप भी तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सरकार ने इस सिफारिश को भी स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इस पर भी कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं किया गया था।

हमारा चौथा मुद्दा निजी पारेषण कंपनियों के स्वामित्व के बारे में था। इस संबंध में समिति ने सिफारिश की थी कि निजी पारेषण

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर]

कंपनियों को विद्युत के उत्पादन और वितरण का स्वामित्व प्रदान न किया जाये क्योंकि हितों के टकराव से बचने के लिए यह अनिवार्य भी है। सरकार इस सिफारिश को भी नामंजूर कर चुकी प्रतीत होती है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है जिसमें हम फंस सकते हैं क्योंकि हम पर राज्य विद्युत बोर्डों की सरकार के एकाधिकार हावी हैं। यदि इसे स्वीकार नहीं किया गया तो शायद निजी क्षेत्र के एकाधिकार हम पर हावी हो रहे हैं।

पैरा 8.68 में हमारा पांचवा मुद्दा एक निश्चित समय-सीमा के भीतर मुक्त पहुंचने वाली व्यवस्था से संबंधित है। समिति ने यह महसूस किया है कि मुक्त पहुंच वाली व्यवस्था विद्युत क्षेत्र के सुधारों विशेषकर वितरण संबंधी सुधारों की कुंजी है। इसलिए समिति ने यह सिफारिश की थी कि चरणबद्ध तरीके से एक निश्चित समय-सीमा के भीतर मुक्त पहुंच की प्रक्रिया शुरू की जाये। सरकार ने इस महत्वपूर्ण सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है और उसने इसे पूर्णत: अपनी इच्छा से मुक्त बाजार को लागू करने वाले संबंधित राज्य आयोगों की इच्छा पर छोड़ दिया है। प्रत्येक व्यक्ति मुक्त पहुंच वाली व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। यदि आप इसे लागू नहीं करते और यदि राज्य इसे लागू नहीं करते, तो आप विद्युत को वास्तव में एक क्षेत्र से दूसरे स्थान तक कैसे ले जा सकेंगे? क्या आप इसके लिए अगले दस वर्षों तक इन्तजार करेंगे?

इसके विपरीत, मैं यह भी बता दूं कि एक नयी धारा लायी गयी है। यह खंड 42(4) है और इससे पारेषण की मुक्त पहुंच वाली व्यवस्था पर एक नया शुल्क लग जायेगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी उपबंधों से एकाधिकारों को ही मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं के हित प्रभावित होंगे।

हमारा छठा मुद्दा आयोग के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित है। जो कुछ स्थायी समिति के सभापति ने पहले कहा है, मैं उसे ही दोहरा रहा हूं। पैरा 13.36 में समिति ने सिफारिश की थी कि विनियामक आयोगों के सदस्य अपने-अपने राज्यों में पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वर्ष 1998 के ई.आर.सी. अधिनियम में भी यह उपबंध है और उन आठ राज्यों ने भी यह उपबंध किया है जिनके सुधारों की आप बात कर रहे हैं। हमें कुछ नया मिला है। यदि सरकार उसी राज्य में पुनर्नियुक्ति की अनुमति देना चाहती है तो इसे उनकी स्वाधीनता के साथ समझौता करना पड़ेगा। राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस. ई.आर.सी.) के पास कोई स्वायत्तता नहीं रह पायेगी।

हमारा सातवां मुद्दा पैरा 13.38 से हटाने की शक्ति के बारे में था। यह बहुत खतरनाक है। समिति ने यह सिफारिश की थी कि शायद ई.आर.सी. अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हटाने की शक्ति जारी रहे। एक ऐसा ही उपबंध आठ राज्यों में है। आप उन सुधारों से परिचित हैं जो उन्होंने आठ राज्यों में किये हैं जहां पर एक निष्पक्ष जांच के पश्चात् राष्ट्रपति अथवा, राज्यपाल द्वारा किसी सदस्य को हटाया जाना संभव है। नया अधिनियम किसी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच कराने के पश्चात् मंत्री अथवा मुख्य मंत्री द्वारा किसी सदस्य को हटाने की अनुमति प्रदान करता है। इससे सदस्यों को आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा। जब राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल यह कर रहा है तो आप इस में क्यों पड़ रहे हैं। इससे स्वायत्तता समाप्त हो जायेगी और उन्हें सरकार का जी-हजूरिया बनना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने समिति की इस विषय में दी गयी सिफारिशों को भी अस्वीकार कर दिया है।

पैरा 13.46 में हमारा आठवां मुद्दा आयोग के लिए एक पृथक कोष का निर्माण करने से संबंधित था।

हमने इस विषय पर काफी सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा की थी और यह हमारी सिफारिश संख्या 13.46 थी। ई.आर.सी. अधिनियम, 1998 और आठ राज्यों के सुधार अधिनियमों में यह आयोग के खर्चों का भुगतान संचित निधि में से किये जाने की अपेक्षा की गई है। इसका अर्थ है–विधानमंडल अथवा संसद की स्वीकृति। कतिपय राज्यों ने यह सुझाव दिया है कि एक पृथक कोष के निर्माण से पारदर्शिता लुप्त हो जायेगी और आयोग की वित्तीय सत्यनिष्ठा अथवा व्यवहार के संबंध में संदेह उत्पन्न होगा जिससे उस पर विश्वास समाप्त हो जायेगा और वह जनता की आलोचना का पात्र बन जायेगा। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संचित निधि पर निर्भर होकर कार्य करते हैं। ये लोग अपना अलग बजट बनाने वाले हैं। समिति ने यह महसूस किया कि विनियामक आयोग आवश्यक रूप से सरकारी कार्यों को अंजाम देगा। इसने सिफारिश की कि ई.आर.सी. अधिनियम के उपबंध संचित निधि में बने रहने चाहिए। मौजूदा नौ कानूनों और स्थायी समिति के बावजूद सरकार ने इसके विपरीत इसे अस्वीकार करने का निर्णय लिया है।

मेरा अगला मुद्दा विधानमंडल के दृष्टिभ्रम से है। ये सिफारिश संख्याएं हैं–13.47 और 13.48 समिति ने यह महसूस किया कि आयोग विद्युत क्षेत्र के विकास और नियंत्रण से संबंधित उन महत्वपूर्ण कार्यों को करेगा जिनका प्रभाव आम आदमी पर पड़ता है, इसलिए उन्हें संसद अथवा राज्य विधानमंडलों के प्रति जबावदेह बनाया जाना चाहिए। हम

यह कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप नहीं चाहते कि हम यह कार्य करें। इसने सिफारिश की थी कि उनकी वार्षिक रिपोर्टों और कार्रवाई कार्यक्रमों को संबंधित सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह राज्य विधानमंडल भी हो सकते हैं और संसद भी। संसदीय समितियों के समक्ष उनके उपस्थित होने को सिफारिश भी की गयी थी। इसे भी अस्वीकार कर दिया गया है।

अगला मुद्दा आयोगों पर नियन्त्रण को लेकर है। यह सिफारिश संख्या 14.22 है। विधेयक में यह उपबंध है कि अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा जो केन्द्र और राज्यों के सभी आयोगों पर नियन्त्रण रखेगा और उनका पर्यवेक्षण करेगा। यह एक अजीबोगरी उपबंध है। ऐसा उपबंध विश्व में अथवा किसी संघीय क्षेत्र में अन्यत्र नहीं है। दिल्ली में बैठा एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश असम अथवा बिहार अथवा अन्यत्र स्थार पर स्थित एस.ई.आर.सी. का नियन्त्रण क्यों रखेगा और उसका पयवेक्षण क्यों करेगा। वह राज्य आयोगों के अध्यक्षों के गैर-न्यायिक कार्यो का पर्यवेक्षण क्यों करे? वह कहेगा, यह करो वह करो। क्यों? आप उन्हें स्वायत्तता वाला बनाना चाहते हैं। राज्य इसे पसंद नहीं करेंगे। इससे वे आसानी से निशाना बन जाएंगे और उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो जायेगी। समिति ने इस उपबंध को हटाने की सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने बहुत बुद्धिमानी का कार्य किया और इसे स्वीकार नहीं किया।

मैं संक्षेप में अपनी बात कहते हुए यह कहूंगा कि नये ढांचे का दिल मुक्त पहुंच वाली व्यवस्था और प्रतियोगिता आरंभ करने में है। इसका मुख्य आधार निष्पक्ष, स्वतन्त्र और पारदर्शी विनियमन है। चूंकि इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित समिति की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया है इसलिए मेरे विचार से विद्युत सुधार के संबंध में समझौता धरा रह जायेगा। अर्सालिए, इन सिफारिशों पर पुन: विचार करने की सर्वथा जरूरत है और सरकार से यह कार्य करने का मेरा अनुरोध है। यदि ऐसा करे तो मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, यह कहा गया है कि यह नया विधेयक है, अपने आप में एक पूर्ण विधेयक है और यह एक व्यापक विधेयक है।

अपराह्न 3.34 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

इस विधेयक के कई उपबंधों विशेषकर स्थायी समिति द्वारा की गयी महत्वपूर्ण सिफारिशों को अस्वीकृत करने पर मेरी गंभीर आपत्तियां हैं। मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक का विरोध करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि यह विधेयक देश के विद्युत क्षेत्र को रुग्ण बनाने वाली समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा है। आरंभ में ही मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। मीडिया द्वारा एक गलत अवधारणा का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और इच्छुक दल इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सुधारों के विरोध में हैं और ऐसे भी लोग हैं जो इन सुधारों के समर्थन में हैं।

वाम-पंथियों को सुधार विरोधियों के रूप में जाना जाता है। यह एक गलत धारणा है। सुधारों का अर्थ है– प्रौद्योगिकी का उन्नयन। इसका अर्थ प्रगति है और सभ्यता केवल सुधारों के माध्यम से विकास कर सकती है। सुधारों का अर्थ जो भी पुराना और गैर-निष्पादक है उसे त्यागना है चाहे वह प्रौद्योगिकी हो, चाहे वह विचारधारा हो, चाहे व्यवहार हो अथवा कुछ और हो। लेकिन हमारा प्रश्न है : सुधार किसके हित में? हम यह जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह के सुधारों का प्रस्ताव किया जा रहा है, उनसे राष्ट्र के हितों की पूर्ति हो सकेगी क्या इससे देश की करोड़ों आम जनता के, किसानों के, ग्रामीण लोगों के, छोटे और कुटीर उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के हितों की पूर्ति हो सकेगी। मुद्दा यह है। जब हम यह कहते हैं कि सुधार देश विशेष को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए, तो हम पर लोग हंसते हैं। अब जब नोबेल पुरुस्कार विजेता, विश्व बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष और अमरीकी सरकार की आर्थिक परामर्शदात्री समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री जोसफ स्टिगलिट्ज ने अपनी पुस्तक 'ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स' में यही बात लिखी है और आप भी इस पर विचार कर रहे हैं।

महोदय, असमान विकास वाले हमारे जैसे देश में आप पूर्वोत्तर में विद्युत क्षेत्र में किए गए विकास की तुलना महाराष्ट्र में किए गए विकास के साथ नहीं कर सकते और आप उड़ीसा की तुलना कुछ विकसित राज्यों के साथ नहीं कर सकते। हम विकास के विभिन्न चरणों में हैं। विद्युत क्षेत्र में, 60 प्रतिशत से अधिक उत्पादन से संबंधित तथा पारेषण और वितरण घाटे से संबंधित 100 प्रतिशत उत्तरदायित्व केवल राज्यों का है और विद्युत समवर्ती सूची में है। विद्युत अधिनियम, 1910 और 1948 के अधिनियम के परिणामस्वरूप हम इस देश में विद्युत का उत्पादन करने में सफल रहे हैं। नि:सन्देह, यह सच नहीं है कि देश के छ: लाख गांवों में से केवल 80,000 गांवों में अभी विद्युत की आपूर्ति किया जाना शेष है। कई स्थानों पर नाममात्र का ही काम हुआ है। कतिपय गांवों में, केवल एक खंभा है और एक ही लाइट है और सरकार यह मान लेती है कि उन गांवों का

[श्री रूपचन्द पाल]

विद्युतीकरण हो गया है। यह सही नहीं है। विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत में, हमारा स्थान सबसे नीचे है, यह कई विकासशील देशों से भी कम है।

इसलिए, हमें सुधारों की आवश्यकता है। लेकिन समस्या यह है– जहां भी सुधारों का प्रश्न आता है, इसे निजीकरण से पूरा कर दिया जाता है मानो निजीकरण ही इसका एकमात्र उपाय हो। यह बात नहीं है। विश्व भर में यदि आप अनुभवों पर दृष्टिपात करें तो आप पायेंगे कि विद्युत अन्य किसी वस्तु की तरह नहीं है। यह जीवन, उद्योग की गुणवत्ता को सुधारने वाली और कृषि के विकास की एक आदान बन चुकी है। ऐसी स्थिति में, हमें विद्युत के उत्पादन और हानि के संदर्भ में राज्य विद्युत बोर्डों के समक्ष आ रही समस्याओं का उचित समाधान खोजना ही होगा। लेकिन यहां हम देखते हैं कि विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्या वे आगे आयेंगे? उन्हें क्यों आना चाहिए? यदि वे जरा से भी आयेंगे तो वे केवल लाभार्जन के लिए आयेंगे। यदि विद्युत को उन लोगों के लिए छोड़ दिया जाए जिनका एकमात्र लक्ष्य मुनाफा कमाना है तो हमारे उद्योगों कृषि, छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों का विकास कभी नहीं हो पायेगा विशेषकर पहले से पिछड़े हुए क्षेत्रों को सबसे अधिक क्षति होगी। क्या किसी भी तरह से आज देश में स्थित विद्युत बंटवारे में कोई सुधार नजर आता है?

इस स्थिति में, शहरी-ग्रामीण बंटवारे के संबंध में जो स्थिति है, क्या उसमें सुधार होने वाला है? नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र को उसके भाग्य के सहारे छोड़ दिया गया है। यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार है। दो प्रकार के उपभोक्ता होंगे। एक शहरी क्षेत्रों का अमीर वर्ग है और दूसरा गरीब वर्ग है जो दूरवर्ती गांवों में रहता है। उनका ध्यान कौन रखेगा?

कुछ मुद्दे राजसहायता से भी संबंधित हैं। मैं यह नहीं कहता कि राज्य सरकारें अपनी राजसहायताएं जारी रखेंगी और राज्य विद्युत बोर्डों को भार वहन करना पड़ेगा। अंततः, कभी-न-कभी हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। यदि राज्य सरकारों का सामाजिक उत्तरदायित्व किसानों की जरूरतों को पूरा करना, कृषि की देखभाल करना, उन्हें प्रोत्साहित करना है तो मैं यह नहीं कहता कि उन्हें लक्ष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं पूरी तरह से इस विचारधारा का समर्थन करता हूं कि राजसहायता का कुछ दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राजसहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अमरीका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में वे किसी-न-किसी रूप में राजसहायता प्रदान करते हैं। वे कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं। उनके पास छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग हैं। हमारे देश में भी, राजसहायता के मुद्दे पर न केवल तकनीकी फार्मूले के रूप में बल्कि देश के वृहत हितों में, विचार करना होगा। आई.एम.एफ. और विश्व बैंक ने इसे हटाने के लिए कहा है। तो फिर अन्य विकसित देश राजसहायता क्यों नहीं हटा रहे हैं? लेकिन इसका औचित्य होना चाहिए। इसका बेहतर लक्ष्य होना चाहिए। गुण-दोषों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिए और ये प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में अलग-अलग हो सकती है।

यहीं पर राज्यों की भूमिका का महत्व है। यदि आप राज्यों की भूमिका को समाप्त कर देंगे, यदि आप विधानमंडलों की भूमिका को समाप्त कर देंगे, यदि सुधारों के नाम पर एकमात्र उपाय के रूप में सरकार राजसहायता को वापस ले लेगी तो विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके प्रति हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमारे सामने एनरॉन का अनुभव है। हम ऐसी कई बातें कह रहे हैं कि 16 प्रतिशत की काउन्टर गारन्टी देने के बावजूद कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है क्योंकि लक्ष्य मुनाफा कमाना है। यदि विद्युत खरीद का ठेका ऐसे ढंग से किया जाता है कि उपभोक्ताओं पर भार पड़े तो वे कभी भी उसे खरीद नहीं पायेंगे।

उड़ीसा का क्या अनुभव रहा है? हमारे देश में, आप अमरीकी आदर्श को अपना रहे हैं। कैलीफोर्निया का क्या अनुभव रहा है? ब्रिटेन में, सुश्री मार्ग्रेट थैचर अपनी सुधार प्रक्रियां के प्रति लापरवाह थीं। आज, वे सुधारों के कारण अपनी ऊर्जा नीति, अपनी गैस नीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं। कतिपय क्षेत्रों में इनके औचित्य पर विचार किया जा रहा है। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सुधारों की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में चलते रहेंगे। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह कार्य किया जा सकता था और इस कार्य को 1948 के अधिनियम के उपबंधों के भीतर रहकर किया जा सकता था। भूल कहीं और हुई है। अधिकार जो भी दिए गए हों, लेकिन उन्होंने 1948 के अधिनियम के कई उपबंधों को कार्यान्वित नहीं किया। वे राजनैतिक लाभों के लिए उदार रहे और कतिपय बातें नजरअंदाज कर दी गयीं। उन्होंने इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि इससे ऐसी भी स्थिति आ सकती है जिसमें राज्य विद्युत बोर्ड स्वयं व्यापारिक मंदी का शिकार बन जाएंगे।

सुधारों का अर्थ पुनर्गठन भी है। सुधारों का अर्थ मौजूदा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करना भी है। सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन भी सुधार प्रक्रिया के बड़े पहलुओं में एक है। हमने अपने देशवासियों के खून, पसीने, और श्रम से ईंट-ईंट जोड़कर इन संस्थाओं को बनाया है। हमने 15,00,000 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति अर्जित की है। क्या इन परिसम्पत्तियों को गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथों में दे दिया जायेगा?

क्या वे हमें यह गारन्टी दे सकते हैं कि वे हमारी विद्युत की आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे? नहीं। इसी पर मेरी आपत्ति है। हम निजी क्षेत्र की भागीदारी के विरोध में नहीं हैं। इस कार्य को राज्यों के अधिकारों को छीने बिना न्यायिक रूप से किये जाने की आवश्यकता है। सी.ई.ए. भी तो थी। इन सारे वर्षों में, वे अपनी भूमिका निभा रहे थे। इसे बिना किसी प्राधिकार वाली एक महाशक्ति क्यों बनाया जाए? योजना और समन्वय के संबंध में उन्हें भूमिका निभानी होगी।

मेरे सम्माननीय सहकर्मी ने अभी-अभी ठीक ही कहा है कि संसद और राज्य विधानसभा ही लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। विद्युत क्षेत्र में जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है। समिति का मत यह है कि धारा 107 और 108 के अंतर्गत नीति निर्देश जारी करने के केन्द्र और राज्य सरकारों को दिये गये अधिकार पवित्र हैं और उनका उपयोग किफायत से होना चाहिए। समिति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांतों को राज्य विधानमंडल के पास पटल पर रखा जाना चाहिए। क्या इसे स्वीकार कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

83 सिफारिशों में से 60 सिफारिशों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जो विद्युत क्षेत्र को सुदृढ़ करती हैं और उन्होंने सुधार प्रक्रिया को अधिक अर्थपूर्ण और भागीदारीपूर्ण बनाया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने स्थायी समिति की उन महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। नहीं। एक आई.ए.एस. अधिकारी, एक नौकरशाह सभी बातों का निर्णय करेगा।

समिति ने यह टिप्पणी की थी कि धारा 121 के अंतर्गत, अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को उचित आयोग के अधीक्षण और उस पर नियंत्रण का सामान्य अधिकार प्रदान किया गया हे और वह समय समय पर अधिसूचना जारी करके खंडपीठों का गठन कर सकता है और खंडपीठों के बीच कार्य-वितरण कर सकता है। क्यों? मैं नहीं सोचता कि एक आदमी अथवा एक सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा नौकरशाह विद्युत क्षेत्र के भाग्य को निर्धारित करे। 21वीं सदी में, विद्युत क्षेत्र में हमें सुधारों की बहुत आवश्यकता है। नि:सन्देह, यह सच है कि कतिपय कठोर उपाय आवश्यक हैं। हमने पश्चिम बंगाल में ऐसा किया है। हम ऐसा करने से एक क्षेत्र में उस समय नहीं चूके जब एक बड़े क्षेत्र में 34 अथवा 35 प्रतिशत का घाटा हुआ। इसे कठोर बनाया जाना चाहिए। हम पहले ही एक अधिनियम बना चुके हैं और पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे कठोर उपाय के प्रति तत्परता से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यदि आवश्यक होगा तो हम भी ऐसे कठोर उपायों को अपनायेंगे लेकिन यह कार्य हम राज्यों के अधिकारों के छीने बिना करेंगे।

वास्तव में, वर्ष 1998 में, जब प्रशुल्क के निर्धारण के मामले में नये विधायी उपायों का प्रस्ताव किया गया था तो उस समय राज्यों के अधिकार छीन लिये गये थे। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। राज्यों की भागीदारीपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और यह विद्युत क्षेत्र की सुधार प्रक्रिया में भी जारी रहनी चाहिए, इस मामले में राज्यों को भी अपनी बात कहने की छूट होनी चाहिए और उन्हें कोई विकल्प का प्रस्ताव देने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं यह कह रहा हूं कि सुधारों को निर्जीकरण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बहुराष्ट्रीय निगमों के निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए सुधारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सुधार आई.एम.एफ. और विश्व बैंक के आदेश पर भी नहीं किए जाने चाहिए। भारत का अपना अलग सुधार कार्यक्रम होना चाहिए जो स्थिति की आवश्यकताओं, विकास के स्तर, लोगों की मनोदशा और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के अनुरूप होना चाहिए। हम काफी प्रगति कर चुके हैं। योजना आयोग ने यह बात स्वीकार की है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य विद्युत बोर्डों ने अच्छा काम किया है।

लेकिन यदि हमने ठीक समय पर प्रक्रिया के पुनर्गठन में हस्तक्षेप किया होता तो हम जिस स्थिति पर पहुंच चुके हैं उस पर न पहुंचे होते। इसलिए मैं विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र की मौजूदा वास्तविकताओं का समाधान करने में बहुत विफल रहा है।

उपभोक्ताओं के संबंध में मैं यह सोचता हूं कि उपभोक्ता का ध्यान सबसे अंत में रखा जाता है। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र में 'उपभोक्ता' की क्या परिभाषा है? क्या यह वैसी ही है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दी गयी है? उपभोक्ता कौन है? परिभाषा ठीक और स्पष्ट तरीके से निर्धारित की जानी चाहिए।

[श्री रूपचन्द पाल]

मान लीजिए कि गैर-सरकारी क्षेत्र उचित मूल्य पर विद्युत प्रदान कर रहा है लेकिन विद्युत की अधिक आवश्यकता के समय आपके पास विद्युत नहीं है और केवल धनी लोग जो वसूल किये जा रहे अलग-अलग प्रशुल्क का भुगतान करने में सक्षम हैं, की विद्युत मिलती है, अथवा इसे समाज के अलग-अलग तबकों की जरूरतों के हिसाब से दिया जाता है तो इससे पहले से ही विभाजित भारतीय समाज में और अधिक विभाजन होगा। यह विभाजन न केवल अमीर और गरीब के बीच उत्पन्न होगा बल्कि यह एक ही परिवार के बीच उत्पन्न हो जायेगा। यदि दो भाई हैं और उनमें से एक बेरोजगार है क्योंकि उसे बंद हो चुके एक सरकारी क्षेत्र द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया है और एक काला धन खूब एकत्र कर रहा है तो ऐसे में हमारे पास क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्या आपके पास प्रौद्योगिकी है? ये वास्तविक मुद्दे हैं। इसके बाद हम भारतीय समाज के विकास के विभिन्न स्तरों के लिए कैसे समाधान करेंगे?

किसानों को होने वाली समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जायेगा? उन्हें पर्याप्त और समय पर ऋण नहीं मिल पा रहा है और वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। हम आये दिन किसानों की समस्या पर चर्चा करते रहते हैं। समस्या सूखे और प्राकृतिक आपदा की है। ऐसी स्थिति में आप कृषक समुदायों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को किस सर्वोत्तम ढंग से पूरा कर सकते हैं? बजटीय प्रस्तावों के माध्यम से अब छोटे और कुटीर क्षेत्र को मिलने वाली छूट को भी वापस लिया जा रहा है। अब आप यह कहते हैं कि कुटीर उद्योग को जो भी थोड़ी-बहुत राजसहायता मिलती है उसे वापस ले लिया जाना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए? इस छोटे उद्योग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा जा रहा है। पहले, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, विदेशी माल आ रहा है और बाजार में उनकी भरमार होती जा रही है। उन्हें उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बड़े स्तर का क्षेत्र उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए आ चुका है। अब आप यह कह रहे हैं कि उन्हें कोई भी राजसहायता नहीं दी जायेगी। यदि कोई राज्य सरकार इसे प्रदान करती है तो उसे ऐसा अग्रिम रूप से करना होगा।

समिति की क्या सिफारिश थी? समिति ने यह सिफारिश की थी कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के विद्युत क्षेत्र की तत्काल आवश्यकता वाली राजसहायता के मामले में पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या आपने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है? यह कहा जाता है कि स्थायी समिति एक लघु संसद है। इसके प्रतिवेदनों को आम सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। आप यह कह रहे हैं कि 83 सिफारिशों में से आपने 60 से अधिक सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। क्या आपने इस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया है? समिति कहती है, "राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण का भार नहीं उठा सकतीं।" सिफारिश संख्या 4.25 क्या कहती है? "समिति यह महसूस करती है कि विधेयक में यह सुनिश्चित करने के लिए एक पर्याप्त उपबंध होना चाहिए कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के पूरे वित्तपोषण का भार केन्द्र सरकार वहन करे।" समिति की सिफारिश यही है। आप साफ-साफ बतायें कि आप इसे स्वीकार करते हैं अथवा नहीं। हां, हम इस मामले को देख रहे हैं, ऐसा कहकर कोई भ्रम उत्पन्न करने का कोई लाभ नहीं है। क्या आपने राज्यों की मांग, वित्त की उपलब्धता, वित्तीय सहायता, राजसहायता के मुद्दे, किसानों के हितों तथा कुटीर और लघु उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशों पर कार्य किया है? इसका संबंध समग्र आर्थिक स्थिति से है।

यह एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है। आप अवसंरचना की बात कर रहे हैं, आप अवसंरचना विकास के लिए दिए जाने वाले धन और छूट की बात कर रहे हैं लेकिन विद्युत के बारे में इस वर्ष के बजट में कोई बात नहीं की गयी है। इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। क्या इसका यह अर्थ है कि एक ओर एनरॉन एक नये नाम से अस्तित्व में आयेगी और इन सब बातों की ओर ध्यान देगी?

हमारे पास विद्युत क्षेत्र के सुधारों का अपना अलग मॉडल होना चाहिए जैसा कि अन्य क्षेत्रों के लिए है। व्यावसाइयों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास सैकड़ो-हजारों इंजीनियर हैं जो विश्व में सबसे अच्छे इंजीनियर हैं। विद्युत क्षेत्र में हमारे पास प्रोफेशनल हैं और वे भी विश्व में सबसे अच्छे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र उनकी सेवाओं की प्रतीक्षा मे हैं और उनसे पेशकश कर रहा है, "आप सरकारी क्षेत्र को छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ; मैं तुम्हें इस समय मिल रहे वेतन से दुगुना वेतन दूंगा।" वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या हम उनके ज्ञान और जानकारी को मौजूदा राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के लिए नहीं जुटा सकते जो वर्ष 1948 के अधिनियम के मौजूदा उपबंध के अनुरूप हों और नये निकायों का निर्माण करने और नौकर-शाहों और कुछ सेवानिवृत्त व्यक्तियों के हाथों को मजबूत करने, जिनका इस देश के आम लोगों के हितों से किसी भी तरह कोई सरोकार नहीं है, के स्थान पर हम इस प्रकार सरकारी क्षेत्र और स्वायत्त निकायों के हाथों को मजबूत करें? इस सारी प्रक्रिया में विधानसभा, संसद और राज्य सरकारों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

मुझे इस विधेयक का समर्थन करने में प्रसन्नता होती लेकिन यह बहुत अपर्याप्त है। यह इस देश के विद्युत क्षेत्र को रुग्ण बनाने वाले वास्तविक मुद्दों का समाधान करने में बुरी तरह विफल रहा है। इसलिए, मैं इसका विरोध करता हूं।

मेरी पार्टी के दो और सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। अत: इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे मेरे दिए गए सुझावों और विषयों पर विचार करेंगे और पुनर्विचार करने के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो एक नया विधेयक बनाएंगे।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का तहेदिल से स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए नहीं करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी पार्टी से हैं। मैं खुले मन से यहां यह बताना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो बिल बनाया है, वह बड़े खुले दिल से बनाया है। मैंने पूरे बिल के एक-एक शब्द को पढ़ा है। इस बिल की जो थीम है, वह आम कन्ज्यूमर है। कंज्यूमर को पूरी तरह से प्राथमिकता दी गई है। स्वागत इसलिए भी करता हूं कि यह जो मंत्री महोदय हैं, इन्होंने चैलेंज के रूप में इस बिल को स्वीकार किया है। अभी तक के लोक सभा के टैन्योर में आज तक जितने भी बिलों की चर्चा में मैंने पार्टिसिपेट किया है, किसी मंत्री ने अपने जवाब में यह नहीं बोला कि इस बिल को चैलेंज के रूप में स्वीकार करता हूं। मंत्री जी की कल की स्पीच में उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि बिजली की पूर्ति मेरे लिए चैलेंज है और इसे मैं ओपनली स्वीकार करता हूं। ओपनली चैलेंज स्वीकार करने वाला मंत्री आज तक कोई नहीं दिखा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का यहां पर स्वागत करता हूं। उन्होंने कोई भी बात नहीं छुपाई। मैं आपको एक-एक बिल का उदाहरण दे सकता हूं। एक माइन्स का बिल आया था। उस बिल पर चर्चा में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। मैं बिल या मंत्री जी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन मंत्री जी ने बोला कि हमारा पब्लिक सैक्टर बहुत फायदे में है और इस साल 600 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है और हमारी बहुत प्रोग्रेस हो रही है। मिनिस्ट्री का एनुअल रिपोर्ट मैं अपने साथ में ले आया था। मैं एनडीए का पार्टनर हूं। इसलिए मेरे भी कुछ रैस्ट्रिक्शंस हैं। जब मैंने देखा कि एक मंत्री बोल रहा है कि 600 करोड़ रुपये का हमारा फायदा हुआ है लेकिन पिछले तीन साल का डॉटा देखा तो उसके पहले हजार करोड़ का था और उसके पहले 1500 करोड़ का था और इस साल 600 करोड़ का था।

अपराह्न 4.00 बजे

कहने का मतलब फायदा तो हुआ है, लेकिन ट्रैंड आफ प्रॅफिट घटता जा रहा है। मंत्री जी ने जो खुली भूमिका रखी है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा है कि हम अभी तक पूरे देश में 50 फीसदी हाउसेज को कनेक्शन नहीं दे पाए हैं। यह सच्चाई है, जो उन्होंने यहां रखी है। उन्होंने यह भी कहा है कि पूरे देश के करीब 80,000 गांवों में हम बिजली नहीं दे पाए हैं। एक बात यहां बार-बार उठती है, अभी मेरे से पूर्व जो दो सदस्य बोले हैं, उनके भाषणों को मैंने सुना है। एक बात की आलोचना हो रही है। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जितने बिल आए, उनमें जो संयुक्त समितियों ने रिकमंडेशन दीं, आप किसी भी बिल को उठाकर देख लीजिए, कोई भी बिल ऐसा नहीं, जिसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा रिकमंडेशन स्वीकार की गई हों। यह पहला ऐसा बिल है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। एक मुद्दा यह भी उठाया गया कि जो महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं, उनको स्वीकार नहीं किया और महत्वहीन सिफारिशों को स्वीकार किया गया। स्थायी समिति सर्वोच्च निकाय है। मैं तो यह नहीं मान सकता कि दस में पांच रिकमंडेशंस यूजलैस हैं और पांच इम्पोर्टेंट हैं। मैं तो मानता हूं कि दस की दस महत्वपूर्ण हैं। यह क्रिटिसिज्म फार दि सेक आफ क्रिटिसिज्म हो सकता है, क्रिटिसिज्म आफ दि मैरिट नहीं हो सकता। दोनों सदस्यों की बातों से एक बात और मैंने मार्क की है। उन्होंने कहा है कि इससे मोनोपली हो जाएगी, वह हो जाएगा या यह हो जाएगा। यह जो सरकार की पालिसी है। सरकार को निजी क्षेत्र और निजी कारोबारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। जब हमारा नेशनल एजेंडा बनाया गया है तो मोनोपली का सवाल ही कहां उठता है।

[अनुवाद]

इस विधेयक का मूल विषय नीति निर्माण और शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना है। इस विधेयक का मूल विषय यही है।

[हिन्दी]

दूसरी विद्युत नीति जो मंत्री जी ने बनाई है, मैं तारीफ मुद्दों के साथ कर रहा हूं, ग्रैमैटिकली तारीफ नहीं कर रहा हूं। विद्युत मंत्री जी ने जो नीति बनाई है, सभी फैक्टर्स को, सभी अंगों को टच किया गया है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन पर ध्यान दिया गया है। ओपननैस एंड पावर ट्रेडिंग पर भी ध्यान दिया गया है। रूरल एंड रिमोट डिवाइस का नया कांसेप्ट दिया है, पंचायत स्तर पर प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण। पंचायत के स्तर पर हमारा कोई बिल नहीं गया

[श्री सुबोध मोहिते]

इलेक्ट्रिकसिटी के माध्यम से, यह भी दिया गया है। उपभोक्ता और विद्युत उत्पादक कम्पनियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यहां पर रोजगार के प्रोटेक्शन की भी बात की गई है। सब्सिडी के नाम पर जो विरोधाभास पैदा होता है, जो राज्य देना चाहते हैं, वह भी देने का मौका उनको दिया गया है। नेशनल टैरिफ की भी बात की गई है। इस बिल में सभी अंगों को टच करने से मैं समझता हूं कि यह एक प्रोग्रेसिव बिल है। मैं इस बिल में तीन बातें मुख्य रूप से देखी हैं। विद्युत प्रमुख कारक है। केपटिव जेनरेशन को बढ़ावा दिया है। इंडिपेंडेंट आटोनोमी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों और सीआरसी को दी है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग कांसेप्ट को बढ़ावा दिया है। कल मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रधान मंत्री जी ने आठ प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ की बात कही है। उसको बढ़ाने के लिए सब जानते हैं, लेकिन जब मैंने सब बातों का विश्लेषण किया तो मुझे लगा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इकोनॉमी में जब तक सीधे रिलेशनशिप नहीं होगी, तब तक हम जो बात विकास और आठ प्रतिशत जीडीपी की कर रहे हैं, उसको व्यावहारिक स्वरूप नहीं दे पाएंगे। इकोनॉमी को हमने उदार किया है। जब हम कहते हैं विद्युत और अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष संबंध है, तो इकोनॉमी का इंजन, यह बात मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि इकोनॉमी का इंजन एनर्जी है और उसका मेन सोर्स बिजली है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि पहले के जमाने में जो रेलगाड़ी चलती थी, वह कोयले से चलती थी। बाद में डीजल से चलने लगी और अब विद्युत मे चल रही है। कोई भी कांसेप्ट लें, कोई भी एरिया लें, कोई भी सेक्टर लें, ट्रांसपोर्ट हो या इरीगेशन हो, मशीन हो या उद्योग हों, सबके लिए इंजन इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : आपने ऐसी चुनौती दी कि सदन के अंदर बिजली ही आंख-मिचौली का खेल खेलने लग गई है।

श्री सुबोध मोहिते : कहने का मतलब है कि प्रगति और विकास का विद्युत से प्रत्यक्ष संबंध है।

जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूं उजाला भी हमारा साथ दे रहा है। सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता है। अब और भी चमक आ रही है। जब मैं कहता हूं कि इकानोमी लिब्रलाइज हो गयी है तो इसका सीधा-सीधा मतलब यह है कि इकोनामी का जो प्रोफाइल है यह मार्किट डिसाइड करता है और इकानोमी और इलैक्ट्रिसिटी का सीधा संबंध है, तो इकानोमी को भी इलैक्ट्रिसिटी के साथ मैच करना होगा, तभी डैवलपमेंट के फ्रूट हमारे सामने आयेंगे। इकॉनोमी लिब्रलाइज हो गयी है लेकिन इलैक्ट्रिसिटी उसके साथ मैच नहीं कर रही है उसके दो कारण हमने खोजे हैं। मंत्री जी ने कल अपने भाषण में भी खुले दिल से बताया है कि पहली बात क्रॉस-सब्सिडी है। स्टेट इलैक्ट्रिसिटी, अपने बिल में भी उन्होंने कोट किया है कि आल सस्टेनेबल कंडीशन में सब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आये हैं। फिर हमारा मिस-मैच जो सिंचाई, डिफेंस, डौमैस्टिक और इंडस्ट्री में भी है। दूसरा, सिस्टम की डैफिशिएंसी है। सबसे बड़ी कमी जो हम यहां पर देख रहे हैं वह बिजली जैनरेशन की डैफिशिएंसी है। जैनरेशन की एफीशिएंसी जो 35 प्रतिशत होनी चाहिए वह केवल 28 प्रतिशत है। दूसरी डैफिशिएंसी टी एंड डी लौसेज की है। टी एंड डी लौसेज जो 7 से 8 प्रतिशत होना चाहिए वह 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस डैफिशिएंसी के कारण हमारी इकॉनोमी मैच नहीं कर रही है। इसलिए हमारे को इलैक्ट्रिसिटी एट द रीयल प्राइस—मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि सिंचाई के लिए, डौमैस्टिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लेकिन रीयल प्राइस मीन्स सिस्टम की डैफिशिएंसी को हमें दूर करना पड़ेगा, एफीशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, टी एंड डी लौसेज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और हमारे खेतों की ओर ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बार-बार बोला कि मैं इसको चैलेंज करके स्वीकारता हूं। सर, उन्होंने चैलेंज इसलिए स्वीकारा क्योंकि मैं भी यह मानता हूं कि बिल पास करना, इलैक्ट्रिसिटी सबको पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। विधेयक पास करना प्रौग्रेस करना नहीं है। विधेयक पास करना और इम्प्लीमेंटेशन दो अलग-अलग बात हैं। पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने जब पहली पंचवर्षीय योजना बनाई थी तो उन्होंने इकानोमी और एफीशिएंसी की बहुत बात की थी, इलैक्ट्रिसिटी की भी बात की थी, लेकिन वह प्लांन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और जो सबकी एकाउंटिबिलिटी थी वह हम पूरी नहीं कर पाए, यह अलग बात है। इसलिए मैं एक नया कंसैप्ट यहां मंत्री जी को देना चाहूंगा। हमारे चेयरमैन साहब ने भी बोला कि हमारा इलैक्ट्रिक सैक्टर जो है यह बड़ा कंपलैक्स सैक्टर है। इसलिए किसी एक आदमी को इतना बड़ा रिनोवेशन, रैवोल्यूशन या सिस्टम को एनहान्स करना सीमित समय में मुमकिन नहीं है। इसलिए एक आदमी की आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। पांच साल का समय बहुत ही कम समय है। मैं एक कंसैप्ट देना चाहता हूं "मौडैस्ट टार्गेट कंसैप्ट"। हम पांच साल में, दस साल में क्या करेंगे। शॉर्ट-टर्म और लांग-टर्म प्रोजैक्ट क्या रहेगा? यह तो चर्चा का विषय है लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को एक टार्गेट बनाना चाहिए कि एक साल में मेरा टार्गेट है कि जैनरेशन की एफीशिएंसी में एक प्रतिशत से

बढाऊंगा। एक साल में टी एंड डी लौसेज एक प्रतिशत घटाऊंगा और जैनरेशन की एफीशिएंसीएक प्रतिशत बढ़ाऊंगा। यह कंसैप्ट जब तक हम यहां नहीं लाएंगे तब तक इतने कम समय में प्रभावी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जो संबंधित आफिसर है उसको उत्तरदायी बनाना पड़ेगा। एक फौलो-अप डाक्युमेंट बनाने के बाद एक टार्गेट एक्शन का प्लान भी बनाना पड़ेगा। एकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी तभी हम इलैक्ट्रिसिटी के मामले में कुछ अच्छा कदम उठा सकेंगे।

गीते साहब जी, मैं आपको धन्यवाद के लिए धन्यवाद बिल्कुल नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं इलैक्ट्रिक के हर स्टैप को अच्छी तरह से समझता हूं। आपके मंत्रालय में आने से पहले तीन-चार बार ग्रिड फैल्योर हुआ लेकिन आपके मंत्रालय में आने के बाद एक बार भी मेजर-ग्रिड फैल्योर नहीं हुआ है। और प्रोजैक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेलरेशन मिला है।

मैं उदाहरण के तौर पर दिल्ली का उदाहरण दे सकता हूं, दिल्ली में प्रोसीजर काफी समूथ हो गया है।

अंतिम बात, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। आप मेरी पार्टी से ऊर्जा मंत्री हैं, आपसे मुझे कुछ आशायें हैं और मैं विदर्भ में रामटेक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं, तो वहां की जनता को मुझ से कुछ आशायें हैं। आप एनडीए सरकार के पहले मंत्री हैं, जिन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक हजार मेगावाट का प्रोजैक्ट एनाउन्स किया है। लोगों ने वहां पर कांग्रेस के 13 मंत्रियों को देखा है, कई पावर मंत्री देखे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक केवल पावर का सपना ही देखा है। हमारे यहां भी बिहार जैसी ही स्थिति है। मैं उस क्षेत्र से संसद सदस्य हूं, इसलिए वहां की जनता को मुझ से भी आशायें हैं। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारा यह सपना पूरा होना चाहिए। मैं पुन: कहना चाहता हूं कि क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर है, लेकिन यह बिल बहुत अच्छा है।

अंत में, आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत विधेयक, 2001 पर सदन में हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की।

देश की 55 वर्षों की आजादी के बाद भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आज भी आधे से अधिक गांवों की आबादी विद्युत की सुविधाओं से वंचित है। यह निश्चित ही तौर पर हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। आज जितनी भी विद्युत परिषदें हैं, वे सभी सफेद हाथी का रूप ले चुकी हैं। करोड़ों रुपयों का घाटा राज्य विद्युत बोर्डों के द्वारा हो रहा है। अभी तक उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का घाटा राज्य विद्युत बोर्डों का है। निश्चित ही तौर पर यह घाटा देश की जनता को वहन करना पड़ रहा हे, देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। आज बिजली की चोरी एक प्रमुख समस्या हो गई है। हमारा अपना अनुभव यह है कि राज्य विद्युत बोर्ड के जो अधिकारीगण हैं, उनकी निश्चित ही तौर पर मिली-भगत के द्वारा उन उद्योग धन्धों को बिजली की आपूर्ति कराई जाती है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। विद्युत हानियों के नाम पर हजारों-करोड़ों रुपयों की चोरी जारी है। इन विद्युत हानियों को कैसे रोका जाए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। देश की आजादी के 55 वर्षों के बाद भी कोई ऐसा रास्ता नहीं तलाश पाए हैं। जब तक कभी हम इस पर विचार करते हैं, तो हमको लगता है कि राज्य विद्युत बोर्ड विद्युत हानि के नाम पर लीपापोती करने का कार्य करते हैं। यदि आप भौतिक सत्यापन करें, तो पता चलेगा कि गांवों के अन्दर जो विद्युत चोरी की जा रही हैं और विभिन्न उद्योगों द्वारा जो चोरी की जाती है, इसका प्रतिशत कहीं अधिक हैं। अगर उन उद्योगों को बिजली की चोरी बन्द कर दी जाए, तो अधिकांश उद्योग बन्द हो जायेंगे। मैं उत्तर प्रदेश में 1993 से 1995 तक उ.प्र. विधान सभा का सदस्य होने के कारण उत्तर प्रदेश बिजली परामर्शदात्री समिति का सदस्य रहा हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमने विद्युत चोरी को इंगित किया, लेकिन उस समस्या का निराकरण करने में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कहीं भी सक्षम नहीं हैं। आज सबसे बड़ी समस्या मांग और आपूर्ति के समन्वय की है। हम आधे से भी अधिक गांवों में बिजली का आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जब इस समस्या का निदान करेंगे, तो स्वत: ही बिजली की मांग दुगुनी हो जाएगी।

हम आज औसतन 12 घंटे देश के गांवों को बिजली नहीं दे रहे हैं। यदि 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे तो यह मांग चार गुनी बढ़ जाएगी। विद्युत उत्पादन जिस गति से हो रहा है और जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है तथा मांग जिस गति से बढ़ रही है, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए निश्चित तौर पर इस स्थिति में बदलाव करके रास्ता तलाशना होगा। आज राज्य विद्युत बोर्डों में कार्य संस्कृति का पूर्णत: अभाव आ चुका है। गांवों में जब ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो कई महीनों तक विद्युत बोर्डों के अधिकारियों द्वारा ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति नहीं की जाती है। जिन गांवों में सक्षम और सबल लोग हैं, उनके द्वारा रिश्वत की धनराशि जुटायी जाती है और उसकी अदायगी संबंधित अभियंताओं को जब की जाती है, तभी वहां

[कुंवर अखिलेश सिंह]

ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति होती है। उसका एक दूसरा पक्ष देखिए। विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है लेकिन उपभोक्ताओं को विद्युत के बिल जरूर प्रेषित कर दिए जाते हैं और बाध्य किया जाता है कि वे उनकी अदायगी का प्रबन्ध करें। आप बिजली नहीं देंगे और विद्युत बिल प्रस्तुत कर देंगे, यह कैसी नई परिपाटी कायम हुई है। जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तो लम्बे विद्युत बिलों के भुगतान की कोई रसीद लेकर आता है तो उन बिलों को ठीक कराने में हम अपने आप को अक्षम और लाचार पाते हैं। मैंने देखा है कि दलाल प्रवृत्ति के लोग उन विद्युत कार्यालयों में जाते हैं तो एक घंटे में पांच हजार रुपए का बिल एक हजार रुपए में परिवर्तित करा देते हैं। यह आम प्रचलन हो चुका है। अगर इस बारे में एक विजिलैंस कमेटी गठित कर दी जाए तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विद्युत उपखंडों के कार्यालयों में यह चीज आए दिन आम दिनचर्या में प्राप्त होगी।

आज विद्युत की आपूर्ति न होने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है। आज दुनिया से जो चुनौतियां प्राप्त हो रही है, उनका मुकाबला करने के लिए विद्युत को जीवन रेखा बनाना होगा। विद्युत हमारे जीवन का अनिवार्य अंग होगा तभी हम देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। मैं अभी साईंस टैक्नालोजी एंड फारेस्ट एनवायरनमैंट कमेटी के सदस्य के रूप में हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में गया। वहां कुछ विद्युत उत्पादन इकाइयों ने जब विद्युत उत्पादन के लिए आगे कदम बढ़ाए तो राज्यों ने जल पर सैस लगाने की बात कही जबकि हमने देखा कि राज्यों से किए गए अनुबंधों के अन्तर्गत वे उन्हें कुछ विद्युत आपूर्ति मुफ्त देते हैं और कुछ लागत मूल्य पर देते हैं। जो पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, उसे संतुलित करने की उन पर जो जिम्मेदारी है, वह उसे भी निर्वहन करते हैं। मैंने देखा है कि विद्युत की आपूर्ति और उत्पादन में कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं। यदि इस मंशा के साथ बिल लाएंगे, सस्ती दर पर ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध कराएंगे और उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्युत की सुविधा प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें कवर करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस विधेयक का स्वागत करेंगे। यदि आप सस्ती दर पर गांव के लोगों को बिजली उपलब्ध कराते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। इसके लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हानी चाहिए। हम इस बात से कतई सहमत नहीं हैं कि इसका निजीकरण न हो। यदि प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर इसके लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित करना चाहिए। दूरभाष का क्षेत्र हमारे सामने उदाहरण है। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया तो उसका सर्वाधिक लाभ उपभोक्ताओं को हुआ। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। आज जिस तरह से पर्यावरण परिवर्तित और असंतुलित हो रहा है, उसमें निश्चित तौर पर बिजली हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। आज गांवों और शहरों में 3-4 घंटे तक विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही हैं। खास तौर पर गांवों में प्रधान मंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक सभी जन प्रतिनिधियों को इसके लिए गाली सुननी पड़ रही है और जनता का कोपभाजन बनना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर उस तंत्र को विकसित करना चाहिए जिससे जन भावनाओं का आदर हो सकें और लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध करा सकें। यदि इस भाव से आप यह बिल लेकर आए हैं तो हम इस कदम का स्वागत करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, मैं विद्युत विधेयक 2001 लाने हेतु माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं तथा मैं हृदय से इसका समर्थन करता हूं। इस सरकार, माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वालपेयी के नेतृत्ववाली राजग सरकार के पास भारत के विकास और इसे तीव्र विकास के पथ पर आगे ले जाने की दूरदर्शी दृष्टि है। माननीय प्रधान मंत्री ने देश में अवसंरचना जैसे सड़कों, नदियों को आपस में जोड़ने और विद्युत जो कि विकास में बहुत ही महंगी भूमिका निभाते हैं, के महत्व पर बल दिया है। विकास को गति प्रदान करने हेतु विद्युत आवश्यक है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय ने एक व्यापक विधेयक लाया है और मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं।

1948 के विद्युत अधिनियम के लागू होने के समय से हमने पांच लाख गांवों में बिजली पहुंचाई है और विद्युत उत्पादन को 1300 मेगावाट से बढ़ाकर एक लाख मेगावाट किया है। हमारी योजना वर्ष 2012 तक और एक लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के समतुल्य हो सके तथा हमारा औद्योगिक वातावरण सुधर सके। यह विधेयक लाया जाना आवश्यक था। चूंकि विद्युत का विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है, इसके कुछ भाग प्रबंधन राज्य विद्युत बोर्ड और कुछ भाग का प्रबंधन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण करता है। ऐसा पाया गया है कि राज्य विद्युत बोर्ड को प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। मैं समाचार पत्रों में हाल ही में दिए गए मंत्री महोदय के बयान को पढ़ रहा था जिसमें कहा गया है कि यह घाटा बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम देश के उन 31 प्रतिशत गांवों और 41 प्रतिशत शहरी केन्द्रों में जहां कि बिजली नहीं पहुंच

सकी है, विद्युत उपलब्ध कराने के लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं? हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम 80,000 गांवों का विद्युतीकरण करने की बात कैसे सोच सकते हैं जहां कि बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। विद्युत के वगैर कृषि में सुधार नहीं हो सकता, ग्रामीण उद्योगों में सुधार नहीं हो सकता तथा देश के प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने हेतु औद्योगिकरण में सुधार नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता हूं। जब उड़ीसा में सुधार प्रक्रिया चल रही थी–उड़ीसा विनियामक परिषद का गठन करने वाले देश के प्रथम राज्यों में से एक था–हमने जी जान से इसकी खिलाफत की थी। उस समय में भाजपा विधायक था और भाजपा विधायक दल का नेतृत्व कर रहा था। हमने जी जान से इसकी खिलाफत की थी। आज जब मैं विद्युत क्षेत्र की रूप रेखा (ब्लूप्रिंट) का अध्ययन कर रहा था तो यह देखकर स्तंभित रह गया कि पारेषण और वितरण हानियों जो सुधारों के पहले 23 प्रतिशत थी, आज 51 प्रतिशत हो गयी हैं। मैं समझता हूं कि यह स्थिति पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं होगी। यह विद्युत क्षेत्र का ब्लूप्रिंट है। मैं इसके लिए श्री सुरेश प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जब वह विद्युत मंत्री थे तब उन्होंने विद्युत क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने हेतु पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी संसद सदस्यों की एक बैठक बुलायी थी। उसका उल्लेख करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि इसे सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। हम तलवार की धार पर चल रहे हैं क्योंकि हमने विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जब हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि विकसित देश क्योटो प्रस्ताव पर हस्तक्षर करने से इनकार कर रहे हैं। वे कृषि के बारे में समझौता करने से इनकार कर रहे हैं। इस नयी चुनौती के साथ जो कि हमारे सामने है, हम आवश्यकताओं को पूरा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए, हमने विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु 1910 के अधिनियम जो कि स्वतंत्रता के पहले से चला आ रहा है तथा 1948 के विद्युत प्रदाय अधिनियम को समामेलित करके इस विद्युत विधेयक के माध्यम से एक गंभीर शुरुआत की है। मैं 1998 में एक विनियामक आयोग के गठन हेतु कानून लाने के लिए स्वर्गीय कुमारमंगलम को धन्यवाद देता हूं। वे हमारे बीच नहीं रहे। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने हेतु इस प्रकार का कानून लाने का विचार रखा था।

मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूं। आज, वर्ष 2000-2001 के दौरान विद्युत की कुल कमी 39.816 मिलियन यूनिट है जो 7.8 प्रतिशत है तथा अधिकतम जरूरत के वक्त यह कमी 10,157 मेगावाट की है जो अधिकतम मांग (पीक डिमांड) का 13 प्रतिशत है।

इस प्रकार हमारी विद्युत आपूर्ति अधिकतम मांग से सदैव कम है। आज लोगों को विद्युत आपूर्ति करने में हमारे पास 10,000 मेगावाट की कमी है। इसलिए, सोलहवें विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण ने वर्ष 2012 तक एक लाख मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने की सिफारिश की है जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं।

महोदय, 10वीं और 11वीं योजना के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु प्रयोगात्मक रूप में 46,500 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत क्षमता योग का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, राज्य स्तरीय राज्य विद्युत बोर्ड और निजी क्षेत्र अन्य 41,800 मेगावाट बिजली का प्रबंध करेंगे। क्षमता को बढ़ाने के बारे में वर्ष 2012 के लिए ऊर्जा से 66,400 मेगावाट और गैर-पारपंरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से 10,700 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। परन्तु क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन है? वर्ष 2020 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने अनेक मंचों से यह बात कही है, हमें इसके लिए यथावांछित धन जुटाना है और सभी प्रकार के निवेश करने हैं।

तत्पश्चात्, जहां तक ताप विद्युत का सवाल है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यह कम 'बेस्ड लूप' विद्युत उत्पादक है। यह चरम मांग के घंटे उपभोग को पूरा करने के लिए नहीं है। परन्तु 1948 के अधिनियम में दोष की वजह से हम विद्युत की चरम मांग वाले समय में इसकी आपूर्ति अपने ताप विद्युत संयंत्रों के माध्यम से कर रहे हैं। इसी प्रकार, जल विद्युत क्षेत्र में भी हम अपनी कुल क्षमता का केवल 17 प्रतिशत विद्युत ही उत्पादित कर रहे हैं।

महोदय, जल विद्युत उत्पादन हेतु हमारे पास काफी क्षमता हैं। उदाहरणार्थ अरुणाचल प्रदेश को लें। वहां आकलित क्षमता 50,328 मेगावाट है, परन्तु हम मात्र 10 मेगावाट प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इन 52 वर्षों में, हम अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 10 मेगावाट विद्युत उत्पादित करने में सफल रहे हैं। यदि स्थिति ऐसी है तो बगावत क्यों नहीं होगी, सामाजिक असंतोष क्यों नहीं होगा, आतंकवाद क्यों नहीं होगा तथा साम्प्रदायिक समस्याएं क्यों नहीं होंगी। महोदय, लोगों को विकास का लाभ नहीं मिल रहा है। वे विकास के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में विद्युत उत्पादन की क्षमता 18,000 मेगावाट की है परन्तु वे सिर्फ 1,600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने

[श्री बिक्रम केशरी देव]

में ही सफल रहे हैं। परन्तु मेरे राज्य उड़ीसा का इस क्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा रहा है। हमारी उत्पादन क्षमता 2,999 मेगावाट की है और हमने इस क्षमता का 50 प्रतिशत हासिल कर लिया है।

महोदय, यद्यपि कि पूर्वी क्षेत्र विद्युत अधिकता वाला क्षेत्र है, हमारे पास समुचित उसे अन्य क्षेत्रों में भेजने की सुविधाएं नहीं हैं। परिणामत: काफी विद्युत बेकार पड़ी है। भारत के विद्युत का प्रति व्यक्ति खर्च और उपयोग पूरे विश्व में सबसे कम है। यह सिर्फ 350 किलोवाट है। यदि उड़ीसा में जो कि देश का निर्धनतम राज्य माना जाता है, समुचित अन्य क्षेत्रों में भेजने की सुविधाएं मुहैय्या करायी जाती हैं तो उड़ीसा और पूरे देश के लिए काफी लाभदायक होगा।

महोदय, अद्यतन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 47.7 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात पर बल देता हूं कि यह विधेयक समय की मांग था। 1948 का अधिनियम देश को विद्युत मुहैय्या कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णत: विफल रहा है। अधिकांश विद्युत बोर्ड जिन पर हमारा विश्वास था कि राज्यों की विद्युत मांग को पूरा करेंगे, रुग्ण हो गए हैं।

परन्तु इसके साथ ही मैं यहां कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जब इन ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा रही है तो पुनर्वास पैकेजों की चर्चा भी होनी चाहिए। उदहरणार्थ, ब्रिजराज नगर को लें। विधानसभा में मेरे एक कम्युनिस्ट मित्र, श्री एम. प्रसन्न पाण्डा थे। वह हमेशा पुनर्वास पैकेजों हेतु धरने पर बैठा करते थे। उस समय भी मैं भाजपा में था। ताप संयंत्रों के पुनर्वास पैकेज कभी भी समुचित नहीं होते हैं। आज तक काफी विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हो सका है। यह स्थिति जल विद्युत परियोजनाओं की है।

इसलिए प्रधान मंत्री जी ने ठीक ही घोषणा की है कि किसी भी बड़ी परियोजना को शुरू करने के पहले पुनर्वास पैकेज को कार्यान्वित किया जाएगा। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि पुनर्वास पैकेज की घोषणा पहले करने में प्रधान मंत्री महोदय ने जो उत्साह दिखाया है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और फिर हमें विकास की बात करनी चाहिए। क्योंकि मानव विकास अथवा आम जन का विकास किसी भी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य होता है।

परन्तु अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2012 तक विकास हेतु अतिरिक्त 1,00,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने के लिए हमें 8,00,000 करोड़ की आवश्यकता है। इसलिए, मेरा विश्वास है कि सरकार इसके विकास हेतु भविष्य में पर्याप्त धन रखेगी। महोदय, जल विद्युत परियोजनाओं पर बल दिया जाना चाहिए। कारण कि मैं एक जल विद्युत क्षेत्र से आता हूं जहां 'अपर इन्द्रावती' जैसी परियोजना को पूरा होने में, जैसा कि श्री संतोष मोहन देव ने शुरू में ही उल्लेख किया है, 23 वर्ष लगे हैं। यह इसलिए है क्योंकि किसी भी परियोजना के लिए समय कारक काफी महत्वपूर्ण है। उस परियोजना को 200 करोड़ रुपये के व्यय से 5 वर्षों में पूरा होना था। जब यह पूरा हुआ तब इस पर हुआ व्यय 2,300 करोड़ रुपये रहा। आज यह कुछ विद्युत उत्पादन कर रही है। परन्तु क्या आपको पता है कि जल विद्युत पूर्णत: मानसून और पानी के बहाव पर निर्भर करता है? इस वर्ष हमारे यहां सूखे का काफी बुरा प्रकोप है। इसलिए समुचित योजना बनायी जानी चाहिए। नर्मदा जैसी परियोजनाएं आगे भी आनी चाहिए। परन्तु विस्थापितों की स्थिति का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। उन लोगों के हितों की, जो देश के विकास हेतु अपनी भूमि और घर छोड़ रहे हैं, सुरक्षा की जानी चाहिए।

महोदय, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको समय देने हेतु धन्यवाद देता हूं और सच्चे मन से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इतना कहने के पश्चात् मैं कुछ मुद्दों के महत्व को दर्शाना चाहता हूं जिनपर सरकार को विचार करना चाहिए तथा जिसके संबंध में सरकार द्वारा संसद सदस्यों और जनता को आश्वासन दिया जाना चाहिए।

यह विधेयक तीन विधेयकों को समेकित करने का प्रयास करता है तथा देश में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिनमें और अधिक विद्युत का उत्पादन, उत्पादक केन्द्रों से उपभोक्ताओं तक विद्युत का पारेषण तथा एक ऐसे तंत्र का निर्माण संभव होगा जो उपभोक्ताओं में समुचित रूप से विद्युत का वितरण कर सकेगा।

महोदय, मेरी आशंका यह है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने प्रारंभिक रूप से 48,000 मेगावाट विद्युत के उत्पादन का निर्णय लिया था। परन्तु इस लक्ष्य को घटाकर 28,000 मेगावाट विद्युत कर दिया गया। पुन: इस लक्ष्य को घटाकर 20,000 मेगावाट विद्युत कर दिया गया। इस प्रकार, यह बात यह सिद्ध करती है कि सरकार के लिए स्वयं अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं था।

अब यहां सरकार यह कहने की कोशिश कर रही है कि निजीकरण के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव होगा। इस बात पर संसद में बैठे हम सभी लोगों को विचार करना है कि क्या यह किया जा सकता है।

मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि यदि निजी क्षेत्र इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहता है, विद्युत उत्पादन के लिए इच्छुक है और विद्युत का पारेषण और वितरण करना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्योग व कृपि के विकास, अन्य अनेक उत्पादक क्रियाकलापों के विकास तथा घरेलू उद्देश्यों के लिए विद्युत आवश्यक है।

इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र से भी काफी निवेश आकर्षित करना संभव नहीं रहा है। उदाहरणों में से एक जिसे इस सभा पटल पर उद्धृत किया जा सकता है राजस्थान में विद्युत उत्पादन है। राजस्थान में, सरकार ने निर्णय लिया था कि विद्युत उत्पादन का कार्य निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा और वे 15 वर्षों से निजी निवेश का इंतजार करते रहे कि कोई निजी निवेशक आकर विद्युत उत्पादन करे। तब से राजस्थान सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि निजी निवेश की मदद से विद्युत उत्पादन किया जाएगा। सरकार भी विद्युत उत्पादन हेतु कोई निवेश नहीं कर रही थी और इसका परिणाम यह हुआ कि यहां तक कि एक मेगावाट बिजली का उत्पादन भी बढ़ाया नहीं जा सका।

यदि यही स्थिति पूरे देश में विकसित होती है तो क्या इससे हमें मदद मिलेगी? यह ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। महाराष्ट्र में भी एक निर्णय लिया गया कि हम सिर्फ निजी क्षेत्र को ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देंगे। हमने महाराष्ट्र में निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित विद्युत पर मुनाफे की गारंटी की घोषणा तक की। परिणाम यह है कि आज विदेशी कम्पनी विद्युत उत्पादन नहीं कर रही है और महाराष्ट्र सरकार ने भी इसमें निवेश नहीं किया है तथा महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां कि औद्योगिक विकास दिन दुना रात चौगुना प्रगति कर रहा है, विद्युत की मांग और विद्युत उत्पादन में अंतर है।

मान लीजिए देश में यह स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत सरकार क्या करेगी? यदि निजी क्षेत्र इस क्षेत्र में आना चाहता है और निवेश करना चाहता है तो हमें उनका खुले बांहों से स्वागत करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। परन्तु यदि वे सोचते हैं कि उनके पास पर्याप्त निधियां नहीं है अथवा विद्युत उत्पादन शुरू होने तक का समय काफी लम्बा है अथवा उनके पास मुनाफा पाने की कोई गारंटी नहीं है तथा जब तक भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार गारंटी नहीं देती तब तक वे निवेश नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेरे दिमाग में यह वास्तविक शंका है। मैं समझता हूं कि देश में यदि यह परिस्थिति विकसित होती है तो विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर हो जाएगा। औद्योगिक विकास हो रहा है, कृषि के लिए और अधिक विद्युत की आवश्यकता है तथा जनता अपने घरेलू उपभोग हेतु और अधिक विद्युत की मांग कर रही है। यदि निजी क्षेत्र की मदद से अथवा सरकार की मदद से अथवा किसी अन्य स्रोत की मदद विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है तो वांछित विद्युत कहां से आएगी। मेरे दिमाग में यही शंका है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी भावनाओं की कद्र करे, हमारी शंकाओं को दूर करे तथा सभा के अंदर और बाहर हमें आश्वासन दें कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतेंगे कि देश में इस प्रकार की परिस्थिति विकसित न हो पाए।

हमारे पास एक नये मंत्री, युवा मंत्री हैं, हम उन्हें अपनी शुभ-कामनाएं देते हैं। विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण हेतु उन्हें जिस किसी भी सहयोग की जरूरत होगी हम हर प्रकार से उनका सहयोग करेंगे। उनके पूर्ववर्ती मंत्रियों जैसे श्री कुमारमंगलम ने भी इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। हमने पूर्व मंत्री, श्री कुमारमंगलम के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त की थी और हम इस मंत्री महोदय के लिए भी वही भावना रखते हैं। वर्तमान मंत्री महोदय को इस वास्तविक समस्या पर अपने दिमाग का प्रयोग करना होगा। इसके लिए उन्हें एक नीति या योजना बनानी होगी। सौभाग्यवश हमारे लिए उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्रीय विद्युत नीति होगी। हम एक राष्ट्रीय विद्युत नीति चाहते हैं। परन्तु क्या वह नीति सभा के सदस्यों और जनता की राय से तैयार न होकर एक या दो मंत्रियों की राय से कुछ अधिकारियों द्वारा तैयार की जाएगी? यहां तक पंचवर्षीय योजनाओं पर भी सभा के पटल पर चर्चा नहीं हो रही है।

दीर्घावधि नीतियों पर भी चर्चा नहीं हो रही है। यदि आप राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाते हैं तो क्या आप उस नीति पर अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे सदस्यों के विचारार्थ सभा में प्रस्तुत करेंगे? विशेषज्ञों और अधिकारियों को हमारी मदद करनी है। उनकी मदद के बगैर हम नीति तैयार नहीं कर सकते परंतु साथ ही साथ उस नीति को एक परिणामोत्पादक नीति बनने से पहले गांव, तालुका, जिला, राज्य अथवा राष्ट्र के स्तर पर कार्य कर रहे जनप्रतिनिधियों की राय भी ली जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय विद्युत नीति पर अंतिम फैसला लेने से पहले उसे जनता के विचारार्थ सदन में प्रस्तुत करेगी। यह संसद सदस्यों की उचित मांग है। यदि सरकार ऐसा करती है तो हम इसका स्वागत करेंगे। यदि वह ऐसा नहीं करती

[श्री शिवराज वि. पाटील]

है, तो हम इसकी मांग करेंगे। यदि सरकार को इसे प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है तो हम सभा के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह आंदोलन करेंगे। अंतत: वे शांत हो जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को नुकसान होगा। देश में इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए।

सरकार एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करना चाहती है। मैं आशा करता हूं कि इस योजना को भी सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कम से कम यह सभा में प्रस्तुत हो ताकि जो इस योजना पर विचार करना चाहते हैं, विचार करें तथा यदि कोई अपना सुझाव देना चाहता है तो वह दे सकता है।

मैं समझता हूं कि श्री संतोष मोहन देव ने भी ठीक ही कहा है कि हमारा बल जल विद्युत उत्पादन पर न होकर ताप विद्युत उत्पादन पर है। सौभाग्यवश हमारे लिए हिमालय, पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों में ऐसे स्थान हैं जहां पर विद्युत उत्पादन हेतु जल का प्रयोग किया जा सकता है। हमें उन स्थानों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। यह सच है कि ताप विद्युत केन्द्र की अपेक्षा जल विद्युत केन्द्र से विद्युत उत्पादन शुरू होने में अधिक समय लगता है। संभवत: इसके लिए अपेक्षाकृत अधिक धनराशि की भी जरूरत पड़ती है। परंतु जल विद्युत ताप विद्युत की अपेक्षा सस्ता होता है। हमें यह रास्ता क्यों नहीं अपनाना चाहिए। यदि हम यह रास्ता अपनाते हैं तो हम औद्योगिक विकास हेतु वांछित विद्युत मात्र का ही उत्पादन नहीं करेंगे बल्कि हम सिंचाई और पीने का पानी भी उपलब्ध करा सकेंगे। इसलिए जल विद्युत के उत्पादन संबंधी योजना और नीति पर एक व्यापक दृष्टि डालने की जरूरत है।

हम विद्युत उत्पादन के पारम्परिक तरीकों पर निर्भर क्यों कर रहे हैं? कभी-कभी लोग चर्चा करते रहे हैं कि इराक में क्या हो रहा है। कुछ लोगों द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं कि विश्व में ऊर्जा उत्पादन के स्रोत सीमित हैं अर्थात् कोयला, तेल और गैस सीमित है और 100 अथवा 200 वर्षों के बाद लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए ये स्रोत पर्याप्त नहीं होंगे। मेरी राय में यह गलत सिद्धांत है। उन्होंने कहा है कि औद्योगिक विकास भूमण्डल पर उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों के आनुपातिक होगा। मेरी राय में यह सिद्धांत गलत है। पदार्थ ऊर्जा है और ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। इस संबंध में एकमात्र चीज जो हमें करनी है वह है ऐसा करने वाले के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना। हाइड्रोजन का प्रयोग किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा अथवा पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा सिर्फ यह दर्शाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए कि हम भी ऊर्जा के इस स्रोत का प्रयोग करने में सक्षम हैं। देश में सौर ऊर्जा का उपयोग करने हेतु पर्याप्त योगदान हो। सूर्य ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। यह कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इसका प्रयोग लाखों-करोड़ों वर्ष तक किया जा सकता है। यह कभी भी खत्म नहीं होगी। इसे हम सहस्त्राब्दियों तक प्रयोग में ला सकते हैं। यदि हम अभी शुरू नहीं करते हैं तो हम 15 अथवा 20 वर्षों के पश्चात् इसे शुरू कर रहे होंगे परंतु तब तक देर हो चुकी होगी। यदि भारत किसी क्षेत्र में आगे निकल सकता है जिसमें प्रौद्योगिकी विकसित की जा सके और जिसे अपने लोगों के साथ-साथ विदेशियों को भी दिया जा सके तो वह क्षेत्र सौर ऊर्जा का क्षेत्र है।

इराक में युद्ध हो रहा है। मैंने अमरीका के राष्ट्रपति का भाषण सुना। उनके भाषण का प्रथम अनुच्छेद उस धनराशि से संबंधित था जो ऊर्जा उत्पादन हेतु हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु अनुसंधान केन्द्रों को अनेक अरब रुपये दिए जाएंगे। संभवत:, वह यह कहना चाहते थे कि वे तेल के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे हैं बल्कि उन्हें अन्य चीजें विकसित करनी हैं जिन्हें वे कर रहे हैं। इस बात को छोड़ें, प्रश्न यह है कि हमारे लिए गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना जरूरी हो गया है। मैं नहीं समझता हूं कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकारें इस पर पूरा ध्यान दे रही हैं। भारत सरकार कुछ ध्यान दे रही है। कम से कम, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के लिए एक विभाग है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित भी एक विभाग है। परंतु राज्य सरकारे गैर-पारम्परिक ऊर्जा के विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। केन्द्र सरकार इस क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। हमारे पास ऊर्जा उत्पादन के स्रोत हैं और फिर भी हम उनका दोहन नहीं कर रहे हैं। हम इस सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं कि ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, इसलिए औद्योगिक विकास सीमित होने जा रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम असहाय हैं। इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं कि विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के बारे में श्री देव मुझे जानकारी दे सकते हैं क्योंकि वह मंत्री थे और वह मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ऊर्जा विभाग अनुसंधान और विकास पर पर्याप्त धनराशि खर्च कर रहा है। यदि विभाग इसे नहीं कर रहा है, सरकार इसे नहीं कर रही है तो इसे कौन करेगा?

अब वर्तमान परिस्थितियों में आप इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं।

विदेशों में निजी कंपनियां ऊर्जा विकास हेतु प्रौद्योगिकी के विकास पर धन खर्च रही है। किंतु हमारे देश में, हम इस क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त धन खर्च नहीं कर रहे हैं। अब क्या हमारे लिए यह कहना आवश्यक नहीं है कि आप प्रौद्योगिकी के विकास पर धन खर्च करें?

मेरी राय में, यह इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक बनने जा रहा है। यह विद्युत उत्पादन और उद्योग, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाला सबसे महत्वपूर्ण विधेयक बनने जा रहा है। किंतु ऐसे मौके पर जब आप यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाए हैं, कम-से-कम हम भारत सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि यह निजीकरण नहीं है—जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है—जो इस समस्या से निपटने की रामबाण औषधि है। इस समस्या से निपटने की रामबाण औषधि नई प्रौद्योगिकी और प्रबंधन की नई विधियां हैं। यदि इस विधेयक में किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है तो कम-से-कम हम मंत्री जी से यह आश्वासन चाहते हैं कि जहां तक विद्युत के वितरण और पारेषण का संबंध है, ऐसा किया जाएगा।

मेरे दिमाग में यह आशंका है कि जब एक ही स्थान से विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण किया जाता है तो उत्पादन और पारेषण के बीच के बेमेल को दूर करना बहुत कठिन है। अब आपके पास विद्युत उत्पादन करने वाली सरकार और निजी कंपनियां हैं और इसका पारेषण कुछ अन्य कंपनियों द्वारा किया जाएगा। आप इसके साथ किस प्रकार तालमेल बिठायेंगे? आपने तालमेल और सहयोग के लिए कतिपय प्राधिकरण जैसे—नेशनल लोड डिस्पेच सेन्टर, रीजनल लोड डिस्पेच सेन्टर और अन्य सेन्टर सृजित किए हैं। किंतु मुझे आशंका है कि विद्युत उत्पादन उसका पारेषण और वितरण करने वाली कंपनियों के बीच मैत्रीपूर्ण कार्यशैली सृजित करने में कम से कम 5 से 10 वर्ष लग जाएंगे।

न केवल आपके लिए अपितु राज्य सरकारों के लिए भी अंतरिम अवधि की व्यवस्था करना काफी कठिन होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे विभिन्न जगहों पर काम रही और वे एक प्राधिकरण के आदेशों के अध्यधीन नहीं हैं। इस बात की संभावना है कि उनके भिन्न-भिन्न हित हों। हितों के बीच भी टकराव हो सकता है। यह वह क्षेत्र है जिसे माननीय मंत्री को उचित प्रकार से संभालना होगा।

तीसरी बात वितरण के बारे में है। मेरा ख्याल है कि वितरण सबसे सरल चीज है और इस विधेयक को पारित करके सरकार के स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियां कंपनियों को दे दी जाएंगी। मैं यह नहीं जानता हूं कि यह किस कीमत पर दी जाएंगी। हमारे दिमाग में इस बारे में शंका है। यह सरकार की संपत्ति नहीं है, भाजपा की संपत्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संपत्ति नहीं है। यह लोगों की संपत्ति है। यदि सरकार इस संपत्ति का अंतरण निजी कंपनियों को करना चाहती है तो कृपया इस संपत्ति से उचित लाभ प्राप्त कर लें। अन्यथा, आप अपने हित के विरुद्ध जा रहे हैं। हम अपने तथा हमारे लोगों के हितों के विरुद्ध जा रहे हैं। हम अपने तथा हमारे लागों के हितों के विरुद्ध जा रहे हैं। यह संपत्ति कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की जेब के पैसों से नहीं बनी है। यह संपत्ति पूर्व कांग्रेस सरकार ने लोगों द्वारा प्रदत्त धन से बनाई है। कृपया इस संपत्ति को उचित लाभ कमाए बिना कंपनी को अंतरित मत कीजिए। निजीकरण राम बाण औषधि नहीं है। यदि आवश्यक है तो सरकार सभी प्रकार से निजीकरण करे। हम इसका विरोध नहीं करेंगे। इसलिए बोलते समय शुरू में ही मैंने कहा था कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। किंतु फिर भी मेरे मन में डर है। यदि मैं इस संबंध में अपने विचार व्यक्त नहीं करता हूं तो मैं अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में विफल हो जाऊंगा। यह आपकी संपत्ति नहीं है। यह मेरी संपत्ति नहीं है। यह इस सरकार की भी संपत्ति नहीं है। यह संपत्ति इस सरकार ने नहीं बनाई है। यह संपत्ति पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाई थी। यह उनकी भी संपत्ति नहीं है। उन्होंने इसे नहीं बनाया है। यह लोगों की संपत्ति है। कृपया आप जो संपत्ति कंपनियों को देने जा रहे हैं उससे उचित लाभ कमा लीजिए। इस मुद्दे पर हमारा संदेह स्पष्ट है। कृपया हमें गलत मत समझिए। हम किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम उस प्रणाली और नीति के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं जिन्हें आपने अपनाया है। यह हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम किसी की भावना का आदर किए बिना किंतु किसी के प्रति बैर रखे बिना सभा में निर्भय होकर अपने विचार व्यक्त करें। किंतु इस मुद्दे पर हमारे मन में शंका है।

महोदय, जहां तक विद्युत वितरण का संबंध है, मुझे यह शंका है कि इन कंपनियों को, जो विद्युत का वितरण करेंगी, उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण करने में मुश्किल होगी। ऐसा इसलिए है कि वे उपलब्ध विद्युत का ही वितरण कर सकती हैं। यदि विद्युत का उत्पादन और उसका पारेषण नहीं किया जाता है तो उन्हें उसका वितरण करने में मुश्किल होगी।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

महोदय, शुल्क के बारे में मेरी शंका यह है कि इस कानून और प्रणाली के जरिये प्राप्त होने जाने वाला शुल्क इस समय वसूल किए जा रहे शुल्क से कम नहीं होगा। कुछ वर्षों में एक यूनिट विद्युत की कीमत 10 रुपये तक हो जाएगी। एनरॉन के मामले में कीमत बढ़ गई और कम नहीं हुई। आप यह कल्पना करके चल रहे हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था से कीमतें कम हो जाएंगी। इस मुद्दे पर मेरे मन में संदेह है। माननीय मंत्री मुझे विश्वास दिला सकते हैं और मेरे संदेहों को दूर कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी यदि आप मुझे यह विश्वास दिला दें कि मेरे संदेह गलत हैं और मैं गलती पर हूं। किंतु मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से शुल्क बढ़ता ही जाएगा और उपभोक्ताओं को अधिक विद्युत शुल्क देना पड़ेगा।

मेरी दूसरी शंका यह है कि यदि आपके पास नए विद्युत उत्पादन केन्द्र नहीं हैं और यदि 50 प्रतिशत से अधिक विद्युत का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा–जो कि 10 वर्षों तक नहीं हो पाएगा और इसमें कुछ और समय लगेगा तो आपका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। वे ही विद्युत शुल्क का निर्णय करेंगे। यदि कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो कीमत कम हो सकती है। दूरसंचार क्षेत्र का कोई मुकाबला नहीं है। कृपया इसकी दूरसंचार क्षेत्र से तुलना मत कीजिए। दूरसंचार से अच्छे परिणाम निकले हैं। इसकी विद्युत उत्पादन से तुलना मत कीजिए। विद्युत उत्पादन का परिणाम तुरंत नहीं अपितु 15 या 20 वर्षों के बाद दिखाई देगा। विद्युत शुल्क कम होने नहीं जा रहा है। यह लोगों की मांग के अनुरूप नहीं होगा। पारेषण की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। किंतु इसके बीच में भी कुछ बात है। अत: मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर आपको सभा को विश्वास दिलाना होगा।

अगला मुद्दा ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करना है। हम ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण किस प्रकार करेंगे? हमारी संपत्ति हिमाचल क्षेत्र और अविकसित क्षेत्रों में पड़ी हुई है। वहां खनिज जैसी काफी चीजें उपलब्ध हैं। किंतु वहां विद्युत अभी पहुंचनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत नहीं पहुंच रही है, यह शहरी क्षेत्रों में पहुंच रही है। शहरी क्षेत्रों में बिजली होनी चाहिए। हम उद्योग चाहते हैं। बिजली वहां पहुंचनी चाहिए। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों का क्या होगा? केवल यह मत समझिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली केवल यह देखने के लिए पहुंचानी है कि उनकी झोंपड़ियों और छोटे मकानों में बिजली हो। हमें वहां भी बिजली चाहिए। हमें कृषि के लिए बिजली चाहिए। वनों के विकास के लिए भी हमें बिजली की जरूरत है।

मुझे यह डर है कि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा किए गए अधिक कार्यकलापों और सरकार द्वारा इस ओर कम ध्यान देने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कम बिजली दी जाएगी और इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों को हानि उठानी पड़ेगी।

अंत में मैं सुधारों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम सुधार चाहते हैं। किंतु सुधारों संबंधी आपकी और हमारी परिभाषा अलग-अलग है। यदि हमने आपको सही समझा है तो आपकी सुधार संबंधी परिभाषा का अर्थ है–निजीकरण और सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करना है। हमारी परिभाषा न केवल निजीकरण और सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करना है अपितु देश के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों, संगठनों के पास उपलब्ध क्षमता का प्रयोग भी करना है। सुधार संबंधी हमारी परिभाषा का अर्थ न केवल निजीकरण है अपितु नई प्रौद्योगिकी हेतु खोज करना भी है और यदि यह उपलब्ध नहीं है तो नई प्रौद्योगिकी को विकसित करना और उसका प्रयोग करना है। आपकी सुधारों संबंधी परिभाषा का अर्थ निजीकरण करना और उन्हें उत्पाद या कार्यकलाप देना और फिर लोगों को धीरे-धीरे इसका लाभ पहुंचाना है। अमरीका में भी ऐसी नीति को स्वीकार नहीं किया गया है। आप कहते हैं कि उन्हें उत्पादन करने दें और फिर उत्पाद जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आप यह नहीं कह रहे हैं कि आप इसकी अनुमति देंगे साथ ही आप कुछ अन्य कार्य भी करेंगे। आप ऐसा नहीं कह रहे हैं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं और यदि आप सभा में ऐसा कहना चाहते हैं तो फिर हमें खुशी होगी और हम आपके इस प्रकार के वक्तव्य का स्वागत करेंगे। यह हमारी परिभाषा नहीं है। सुधारों संबंधी हमारी परिभाषा कर्मचारियों की संख्या को कम करना या रोजगार वाले लोगों को बेरोजगार बनाना नहीं है अपितु सुधारों संबंधी हमारी परिभाषा वर्तमान संगठनों में उपलब्ध कर्मचारियों का उनके कार्यकलाप बढ़ाकर उनका उपयोग करना और उन्हें रोजगार देना जारी रखना है ताकि इसका समुचित उपयोग हो सके।

श्री अनन्त गीते यह आपकी और आपकी पार्टी की नीति हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस संबंध में कुछ वक्तव्य सुने हैं। हम इस बात पर झगड़ा नहीं करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर हमारे विचार आपसे भिन्न नहीं हैं। निजीकरण के नाम पर यदि आप आम आदमी की उपेक्षा करेंगे, यदि हम समाज के सबसे निचले तबके के आदमी की उपेक्षा करेंगे तो इसे सुधार नहीं कहा जाएगा। हम सुधार चाहते हैं। आपने कहा कि आप भी सुधार चाहते हैं। यदि आप सुधारों संबंधी अपनी परिभाषा का विस्तार करें और इसमें सुधार संबंधी हमारी परिभाषा को शामिल कर लें तो और फिर आप यह कहें कि आपने इन सुधारों को शुरू कर दिया है तो फिर हम उसे अपना लेंगे, हम 'हां' कहेंगे।

अपराह्न 5.00 बजे

किंतु यदि आप अपने सुधारों को केवल निजीकरण करने और कर्मचारियों की संख्या कम करने तक सीमित कर रहे हैं तो हमारा यह कहना है कि आपका सुधार हमारे सुधार से भिन्न है। हमने ऐसे सुधार को शुरू नहीं किया है।

महोदय, यह एक अच्छा विधेयक है किन्तु इसमें अनेक खामियां हैं। श्री संतोष मोहन देव ऊर्जा संबंधी समिति के सभापति हैं और इससे पहले वे मंत्री भी थे। उन्होंने कहा था कि समिति ने अधिकारियों और उपभोक्ताओं की बातें सुनी और अनेक सिफारिशें की। सरकार ने उनमें से लगभग 80 सिफारिशों को स्वीकार किया और मुझे यह बताया गया कि कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। कुछ अधिकारियों ने सरकार की ओर से यह बताया—और उनकी बातों को स्वीकार किया जा सकता है—कि उन सिफारिशों को नियमों में भी शामिल किया जाएगा। यदि आप यह कहते हैं कि उस प्रकार के सुधारों, सारे सुधारों को नहीं, बल्कि जो स्वीकार्य हैं, को नियमों में शामिल किया जाएगा तो हमें निश्चित तौर पर खुशी होगी। हम मंत्रीजी को शुभकामनाएं देते हैं और यह आशा करते हैं कि हमें इस विधेयक से सहायता मिलेगी।

श्री सी० कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : माननीय सभापति महोदय, द्रमुक पार्टी की ओर से विद्युत विधेयक, 2001 पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन का प्रावधान करना है जिसको अब लाइसेंस मुक्त किया जा रहा है और उसके रक्षित उत्पादन की खुली अनुमति दी जा रही है। इसी प्रकार, निजी पारेषण लाइसेंस की भी व्यवस्था है यद्यपि केन्द्र और राज्य के स्तर पर पारेषण सुविधाओं की भी व्यवस्था होगी। इसी प्रकार, विधेयक में विद्युत उत्पादन कंपनियों को विद्युत का वितरण अपने हाथ में लेने की भी व्यवस्था है।

जहां तक विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण का संबंध है, ये तीनों कार्य सरकारी उपक्रमों अर्थात् राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा किए जा रहे हैं। विधेयक का लक्ष्य लाइसेंस मुक्त करने के नाम पर सारे क्षेत्र का धीरे-धीरे निजीकरण करना है जोकि एक कल्याणकारी राज्य के सामाजिक उद्देश्यों के विरुद्ध हैं। हमारी द्रमुक पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम गरीब और पददलितों के सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के कार्य में लगे हुए क्षेत्रों के निजीकरण के विरुद्ध हैं।

जैसा कि सभा को यह पता है कि 60 वर्ष से भी अधिक के लंबे समय से विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों ने काफी परिसंपत्तियां संचित कर ली हैं जिस पर देश को गर्व है। ये स्वतंत्रता बाद की अवधि में आधुनिक भारत के विकास और निर्माण में साझीदार रहे हैं। इस से राज्य विद्युत बोर्डों को इन वर्षों में कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा है और ये समाज के विभिन्न वर्गों अर्थात् मुख्य उद्योगों से लेकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और मौसम की अनिश्चितता पर निर्भर रहने वाले किसानों की सेवा कर रहे हैं। अत: मैं यह अनुरोध करता हूं कि धनराशि की कमी वाले राज्य विद्युत बोर्डों का अप्रत्यक्ष रूप से निजीकरण करने की बजाय उन्हें अधिक धनराशि देकर तथा पूरी प्रणाली का आधुनिकीकरण करके उनका पुनर्गठन किया जाए। चूंकि हमें यह आशंका है इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि ढांचागत सुधार के नाम पर राज्य और केन्द्र सरकारों को कर्मचारियों की संख्या में कटौती, अनिवार्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जैसे कर्मचारी विरोधी उपाय नहीं अपनाने चाहियें।

इसके अतिरिक्त हमारे 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। किसान हमारे देश की रीढ़ हैं और 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि कार्य करते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि किसानों को 'अन्नदाता' कहा जाता है क्योंकि वे हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं। एक समय था जब हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी और हम खाद्यान्न के आयात हेतु पश्चिमी देशों में भीख का कटोरा लेकर जाते थे। हरित क्रांति और हमारे किसानों के कठोर परिश्रम के कारण भारत एक अतिरिक्त खाद्यान्न वाला देश बन गया है और हम दूसरे देशों तक को खाद्यान्न का निर्यात कर रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिये। तमिलनाडु में किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना को जारी रखा जाना चाहिये।

तमिलनाडु सरकार किसानों को विभिन्न श्रेणियों के अर्थात् 3 एचपी, 5 एचपी अथवा 10 एचपी पम्पसेट होने के आधार पर उन्हें मुफ्त बिजली देने के एवज में एकमुश्त राशि देने की एक योजना शुरू करना चाहती है।

महोदय, आप जानते हैं कि तमिलनाडु में किसानों को तंजाबूर डेल्टा में कावेरी नदी का पानी नहीं मिल रहा है। भू-जल स्तर नीचे चला गया है और किसानों को सिंचाई हेतु पानी प्राप्त करने के लिए सात एचपी से अधिक के केन्द्रापसारी अथवा निमज्जनी पंपों का प्रयोग करना पड़ता है। अत: यह विभेदीकरण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अनेक छोटे तथा सीमांत किसानों के पास भी उच्च शक्ति वाले विद्युत पम्पसेट हैं और इस विभेदीकरण से किसानों के हितों को भारी नुकसान

[श्री सी० कुप्पुसामी]

होगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करना भी कठिन काम है और इससे किसानों का अनावश्यक उत्पीड़न होगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। पारदर्शिता लाने के लिए मैं यह सुझाव देता हूं कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली एकमुश्त राशि विद्युत बोर्ड को दी जाए और उन्हें मुफ्त बिजली दी जाए।

एक मकानों, झुग्गी झोंपड़ी में, जहां सिंगल लाइट प्वाइंट है और जहां मुफ्त बिजली दी जाती है, रहने वाले लोगों के लिए एक अन्य योजना है। इन लोगों को मुफ्त बिजली देना जारी रखा जाना चाहिए। किसानों और सिंगल लाइट प्वाइंट वाले लोगों को एकमुश्त भुगतान दिए जाने का एक प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने यह सुझाव दिया है कि उनसे बिजली के लिए विद्युत शुल्क के अनुसार प्रभार लिया जाएगा और सरकार अन्य एजेंसियों के माध्यम से उन्हें एकमुश्त राशि का भुगतान करेगी। किंतु यह प्रस्ताव लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि विद्युत प्रभार इतना अधिक है कि गरीब लोग उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे।

दूसरे, गरीबों को दी जाने वाली एकमुश्त प्रतिपूर्ति केवल आंशिक होगी न कि 100 प्रतिशत और इसमें कदाचार होगा तथा भ्रष्टाचार पनपेगा। अंतत: गरीब लोगों को नुकसान होगा और बिचौलिये फले-फूलेंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पैसा गरीबों और किसानों तक पहुंच जाएगी। इसमें इतनी मध्यवर्तियां हैं कि पैसा लोगों तक पहुंचते-पहुंचते समाप्त हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में पहले ही आंदोलन चल रहा है और किसान संगठनों तथा हमारे नेता डा. के. करुणानिधि के नेतृत्व वाले द्रमुक सहित विभिन्न राजनैतिक दलों ने किसानों को मुफ्त बिजली देने की प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। जब तक उनके लिए समान सेवा अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाते और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर नहीं लाया जाता तब तक मैं यह महसूस करता हूं कि उन्हें मुफ्त बिजली देना जारी रखा जाना चाहिए चूंकि वे उदारीकरण, निजीकरण के इस युग में उच्च विद्युत शुल्क नहीं दे पाएंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करें और राज्य सरकारों को किसानों, गरीबों तथा पददलितों को मुफ्त बिजली देने की नीति को भी जारी रखें। कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिये और माननीय मंत्री जी को सभा में यह आश्वासन देना चाहिए कि इस विधेयक के अधिनियमित होने के फलस्वरूप एक भी कर्मचारी की छटंनी नहीं की जाएगी और उनके हितों के प्रतिकूल उनकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम) : धन्यवाद, महोदय। महोदय, मैं इस सुविधा प्रक्रिया के संबंध में अपना मत व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे सरकार द्वारा इस विद्युत विधेयक, 2001 के माध्यम से शुरू किया जाना है। इस विधेयक का समर्थन करने से पूर्व हमें इस क्षेत्र में विद्यमान स्थिति पर ध्यान देना होगा। सुधार प्रक्रिया आज ही शुरू नहीं की गई है। यह वर्ष 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हाराव के शासनकाल में ही शुरू हो गई थी।

हम सभी को यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र में गंभीर संकट है। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करते समय यह बात स्वीकार की है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्युत हमारे आर्थिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है जिसका इस देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर पड़े प्रभाव से पता चलता है, हमें इस पर विभिन्न दृष्टिकोणों और सुधार प्रक्रिया में प्राप्त अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर विचार करना होगा। देश में 80,000 गांव हैं और चार लाख झुग्गी बस्तियां हैं इनमें अभी बिजली दी जानी है। वर्ष 2012 तक सभी को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें 6 लाख करोड़ रुपये की लागत से 1,42,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की आवश्यकता है। इतना भारी निवेश हम कैसे कर पाएंगे? यह कौन करेगा? अत: संभवतया सुधार की आवश्यकता होगी।

महोदय, इस तथ्य को देखते हुए विद्युत क्षेत्र की स्थिति दयनीय है कि इस देश में समग्र वाणिज्यिक हानि 25,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की है और राज्य विद्युत बोर्ड करो या मरो की स्थिति में हैं। इन बोर्डों में घोर वित्तीय अव्यवस्था है और केन्द्रीय उपयोगिता के कारण 40,000 करोड़ रुपये का बकाया है। अत: सुधार आवश्यक है। मांग और आपूर्ति के बीच भारी अन्तर है जैसा कि माननीय और विद्वान श्री शिवराज वि. पाटील ने विस्तार से बताया है। 12 प्रतिशत विद्युत घाटा है। हम मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है। अत: सुधार अनिवार्य हैं। हमारी चिंता यह है कि वर्तमान सरकार जो विधान सामने ला रही है वह केवल कागजों पर ही दिखावा मात्र है। इस विधान से यह उद्देश्य अवश्य पूरा होना चाहिए।

अपराह्न 5.12 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए]*

1990 के दशक में जब सुधार शुरू किये गये हमें इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश होने की उम्मीद थी, लेकिन यह नहीं आया। हमने उत्पादन पर ध्यान दिया। यह मूलभूत गलती थी जो की गई। यह प्रक्रिया उत्पादन के क्षेत्र में की गई लेकिन हमने पारेषण और वितरण पर कभी ध्यान नहीं दिया। अत: उस समय समूची सुधार प्रक्रिया विफल हो गयी। इस प्रकार पूरी प्रकिया जैसी अपेक्षा थी, उस तरीके से शुरू नहीं हुई। उस समय जैसी प्रतिस्पर्धा सोची गई थी, कहीं नहीं थी और जो आगे आये उनके लिये दर काफी उंची थी। श्री शिवराज पाटील ने एनरॉन का मामला स्पष्ट किया है। यह लागत से चार पांच गुना अधिक था। अंतत: महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, जहां से माननीय मंत्री जी प्रतिनिधि हैं, को नुकसान उठाना पड़ा बकायी धनराशि इतनी अधिक थी कि वे इसका भुगतान नहीं कर सके। अत: हमें इस ओर संपूर्वतावादी दृष्टिकोण अपनाना होगा।

हालांकि सुधार प्रक्रिया स्वागतयोग्य कदम है, फिर भी कुछ आशंकायें हैं। मेरा मानना है कि विधेयक भारत सरकार को काफी अधिकार दे रहा है जिससे राज्य के पास नगण्य अधिकार बचेंगे। विद्युत समवर्ती सूची में है जबकि विधेयक का प्रारूप इस तरह तैयार किया गया है, मानो बिजली संघसूची में हो। हमारा मानना है कि यह केन्द्र का दस्तावेज जो समूचे देश पर लागू होगा। और चाहे यह राष्ट्रीय विद्युतनीति हो या ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अलग प्रणालियों की राष्ट्रीय नीति हो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय वितरण हेतु विद्युतीकरण संबंधी प्रशुल्क नीति या राष्ट्रीय नीति हो और कई अन्य नीतियां वे निश्चित तौर पर राज्य सरकार के साथ सलाह-मशविरा करके केन्द्र और केन्द्र सरकार द्वारा बनायी जाती हैं।

यह कैसे काम करेगी? यह प्रश्न पूछे जाने की जरूरत है। समस्या के विविध रूप और देश के विशाल आकार के कारण क्या विधेयक में इस तरह के प्रावधान रखना संभव या उचित है? यहां तक कि जैसा कि विधेयक में प्रावधान है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में 14 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते विधेयक के प्रावधान के मुताबिक ये सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रह सकते हैं। धारा 70 की उपधारा 6 में यह वर्णित है।

एनरॉन का मामला लीजिये। इस प्रावधान के गंभीर निहितार्थ का प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि एनरॉन जैसी कंपनी को किस तरीके से स्वीकृतियां दी गई। जब तक सी.ई.ए. स्वायत्त निकाय नहीं बनाया जाता, अपेक्षित परिणाम नहीं हासिल किये जा सकते। यदि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण स्वायत्त निकाय नहीं रहेगा तो सरकार जो करना चाहती है, वह नहीं हो पायेगा। अत: इस स्थिति को हमें इस दृष्टिकोण से देखना होगा जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। इस बता पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करने की जरूरत है कि क्या हमें स्वायत्तता विहीन इस तरह के सांविधिक प्राधिकरण की जरूरत है भी।

विद्युत अपील अधिकरण के संबंध में एक अन्य प्रावधान है। धारा 121 के अनुसार ए.टी.ई. यानि विद्युत अपील अधिकरण के अध्यक्ष को आयोग के अधीक्षक और नियंत्रण रखने संबंधी सामान्य अधिकार होंगे यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या ऐसे अधिकार ए.टी.ई. को दिये जाने की जरूरत है भी। इस तथ्य के मद्देनजर यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि समुचित आयोग के समक्ष सभी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जायेगी। अत: ए.टी.ई. को दी जाने वाली शक्तियां निश्चित रूप से केन्द्र और राज्यों में विनियामक आयोगों की स्वायत्तता और प्राधिकार में कटौती करेंगी।

एक अन्य प्रावधान, धारा 113 की उपधारा 3 काफी संदर्भ देखा जाना चाहिये जिसमें कहा गया है कि धारा 78 में उल्लिखित चयन समितियों की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ए.टी.ई. के सदस्यों की नियुक्ति करेगी। हम स्वायत्तता की आशा कहां से करें? इसके अलावा आयोग के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ संबंधित मंत्री द्वारा दिलायी जायेगी। हालांकि उन्हें न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं लेकिन संबंधित विभाग के मंत्री उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे। इन सब पर विचार किये जाने की जरूरत है।

एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। प्रत्येक संदाय की अधिवर्षिता से पूर्व, चयन तीन महीने की अवधि में कर लिया जायेगा। समिति सूची को अंतिम रूप देगी और मंत्री या सरकार को अग्रेषित करेगी और सरकार के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इससे क्या हुआ? पहले के अवसर पर भारत सरकार को अध्यक्ष की नियुक्ति करने में 15 महीने लग गये। ऐसे में सुधारों पर जोर देने का हमें क्या अधिकार है? ऐसा कुछ राज्यों में भी हुआ। इसमें काफी देरी हुयी। यदि सरकार का रवैया ऐसा है तो जैसे सुधार सोचे गये थे वे कैसे किये जा सकेंगे?

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : इसलिये सभी प्रावधानों पर ध्यान देकर हमें इस विधेयक पर एक अलग कोण से देखने की जरूरत है।

[श्री टी.एम. सेल्वागनपति]

मेरे विद्वान मित्र श्री कुप्पुसामी ने अपना भाषण देते वक्त तमिलनाडु राज्य का हवाला दिया।

अपने भाषण में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में किसानों को दी जा रही मुफ्त बिजली जारी रहनी चाहिये। मेरा साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार द्वारा राजसहायता का बोझ उठाने और विद्युत व्यय के लिये लघु और सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष दी जा रही 1,250 रुपये की राशि के बावजूद किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाना जारी है। इसके लिये उत्तरदायी माननीय सदस्य से मैं पूछना चाहूंगा। आज हम सुधार की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में निवेश हो और आज की स्थिति के अनुकूल बने लेकिन डी.एम.के. सरकार और और तब के मुख्यमंत्री विनियामक प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिये उत्तरदायी हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : अधिकारियों ने इस पर हस्ताक्षर किये...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सेल्वागनपति के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जायेगा।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : उनके तबके मंत्री तमिलनाडु विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के आरोप का सामना कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने स्थिति को स्पष्ट तौर पर समझा है और किसानों को 1250 रुपये की राजसहायता दे रही है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सेल्वागनपति, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैंने अभी अपना भाषण शुरू किया है और चार या पांच मिनट बोला हूं। आपकी अनुमति से में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा हूं। कृपया मुझे दो मिनट का समय और दीजिये। चूंकि अन्य माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है उसका जवाब देना मेरा उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य है।

सरकार 1,250 रुपये देती है, जबकि लघु और सीमांत किसानों को केवल 1000 रुपये का प्रसार या बिल दिया जाता है...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : लघु और सीमांत किसान अपना जल नहीं ले सकते...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मेरा अनुरोध केवल यह है कि माननीय सदस्यों को इस मुद्दे पर सभा को गुमराह नहीं करना चाहिये। मुफ्त बिजली अब भी दी जा रही है और किसानों को राजसहायता दी जाती है, जबकि राज्य सरकार के सामने गंभीर आर्थिक संकट है। डा. पुरतची थालमवी के गतिशील नेतृत्व में सरकार किसानों को 1,250 रुपये दे रही है। आज राज्य सरकार लघु और सीमांत किसानों का ध्यान रख रही है। फिर वे आज किससे अनुरोध कर रहे हैं? क्या वे बड़े भूमि मालिकों के भोंपू बन गये हैं? राज्य विधान सभा का इरादा बड़े किसानों से पैसा लेना और लघु किसानों को राजसहायता देना था...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : उनके पास हजारों एकड़ जमीन है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या वे भूस्वामियों के प्रवक्ता बन गये हैं?...*(व्यवधान)* उन्होंने आंदोलनों का संदर्भ दिया है और कहा कि इस संबंध में डी.एम. के पार्टी का आंदोलन चल रहा है।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : महोदय, आपत्तिजनक शब्दों को हटा देना चाहिये। उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र किया जो आपत्तिजनक हैं...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : तमिलनाडु में यह स्थिति है। तमिलनाडु सरकार को स्थिति की जानकारी है और लघु और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिये सभी जरूरी कदम उठा रही है।

एक अन्य मूलभूत प्रश्न है। भारत सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों को घाटे से उबारने के लिये 34,500 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। 80 प्रतिशत बकाया राशि बीमार राज्यों यानि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की होती है। उन्होंने त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं। यदि हालात ऐसे हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछता हूं। इससे किन राज्यों को लाभ होगा? अच्छा प्रदर्शन करने वाले विशेषकर दक्षिण भारत के राज्य दण्डित हो रहे हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के मामले में क्या हुआ? तमिलनाडु में

अब तक केवल एक इकाई शुरू हुई है। एन.टी.पी.सी. की रामागुंडम में केवल एक इकाई है एक तरफ भारत सरकार बीमार राज्यों के 80 प्रतिशत बकाया राशि पर कुछ नहीं कह रही है, वहीं तमिलनाडु में एन.एच.पी.सी. की एक भी इकाई नहीं शुरू की गई।

हो क्या रहा है? हमारी सभी सेवायें और प्रयासों का उपयोग प्रदर्शन न करने वाले चार उत्तरी राज्यों को राजसहायता देने में हो रहा है।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि किसानों को राजसहायता देने के अलावा सरकार का सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, जो वह राज्य बिजली बोर्डों को घाटे से उबारकर और राज्य को आर्थिक संकट से निकालकर कर सकती है।

महोदय, इन थोड़े से शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र गीते जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज जो बिल पावर सैक्टर रिफोर्म्स के लिए आया है, यह बिल भारत के पावर सेक्टर में एक मोबाइल स्टोन साबित होगा।

भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग में पावर रिफोर्म्स के बारे में गहरी चिन्ता प्रकट की थी और उन्होंने कहा था कि आज वक्त आ गया है कि जिस तरह से हमने सड़कों का जाल बिछाया है, जिस तरह से हम टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में क्रान्ति लाये हैं, जिस तरह से ओ.एन.जी.सी. के क्षेत्र में क्रान्ति लाये हैं, इसी तरह की क्रान्ति पावर सैक्टर में लाये जाने की जरूरत है। इसीलिए एक त्रिपक्षीय एमओयू साइन हुआ, जिस पर आर.बी.आई., एन.टी.पी.सी. एवं राज्य के बिजली बोर्डों की दशा को सुधारने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का एक पैकेज तैयार किया गया।

भारत का पावर सैक्टर देश के आर्थिक विकास के लिए रीढ़ की हड्डी है और आज इस क्षेत्र में रिफोर्म्स की अति आवश्यकता है। 55 साल की आजादी के बाद भी 2001 तक जो पावर जनरेशन हो रहा है, वह 1,01,660 मैगावाट हो रहा है, जिसमें सेंटर का कंट्रीब्यूशन 30.4 परसेंट है, राज्य बिजली बोर्डों का 59.9 परसेंट है और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मात्र 9.7 परसेंट है। यह चिंता का विषय है कि प्राइवेट सेक्टर बिजली के उत्पादन में आगे क्यों नही आया। इसी तरह से यह भी एक चिन्ता का विषय है कि बिजली के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां या एफ.डी.आई. आज तक क्यों नहीं आये। इसका मुख्य कारण यही रहा है कि आज से पहले इस क्षेत्र में चाहे 1910 का एक्ट था, 1948 का एक्ट था या 1998 का एक्ट था, ये सब इस प्रकार के एक्ट थे, जिनके कारण हमारे देश के अन्दर प्राइवेट सेक्टर और एफ.डी.आई. आगे नहीं आये।

आज जब हम देखते हैं कि अब से पहले जो ट्रांसमिशन लॉस हैं, वह स्टेट टू स्टेट हालांकि वैरी करते हैं, लेकिन 20 परसेंट से लेकर 40 परसेंट तक यह आज भी हमारे देश में है, जो एक चिन्ता का विषय है। इसी तरह से बिजली की चोरी एक आम बात है। आज इसे बढ़ावा क्यों मिला? यद्यपि देश के अंदर आज भी बहुत से ईमानदार उद्योगपति हैं जो बिजली का पूरा बिल देते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पाये जाते हैं जो आज भी बिजली चोरी करते हैं। जब बड़े आदमी को चोरी करते हुए देखा जाता है तो छोटा आदमी प्रोत्साहित होता है। वह कोशिश करता है कि मैं भी बिजली की तार के ऊपर कुंडी लगाऊं क्योंकि जब बड़े-बड़े मगरमच्छ को देखा जाता है तो मछली के मुंह में पानी आता है कि मैं भी कोई गलती करूं। आज इस बिल के आने से उस क्षेत्र के अंदर सुधार होगा क्योंकि जो बिल आज पास होने जा रहा है, उसमें थेफ्ट को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किये गये हैं।

आज ग्रामीण विद्युतीकरण की अति आवश्यकता है। 55 साल की आजादी के बाद भी आज 80 हजार गांव इस प्रतीक्षा में हैं कि हमारे घर में कब रोशनी आयेगी। मैं एन.डी.ए. सरकार और श्री गीते जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने एक प्रपोजल बनाया है कि 2007 तक हिन्दुस्तान के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें एक सिंगल बल्ब न जले। इस योजना के कार्यान्वित होने से देश का हर नागरिक बिजली की रोशनी को देख सकेगा।

आज जिस तरह का यह बिल हमारे सामने आया है, इसमें कई कमेटियों ने अपनी रिकमेंडेशन दी हैं। श्री दीपक पारिख कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि सेबी को पुरानी देनदारियों का वहन करते हुए अपने क्षेत्र के अंदर इम्प्रूवमैंट करनी चाहिए। इसी तरह से कोहली पैनल ने एक रिकमेंडेशन दी कि हम 2012 तक देश में 1 लाख मेगावाट पावर जनरेट करेंगे, जिसके लिए 9 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी भारी राशि के प्रबंधन के लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये थे—उपकर लगाया जाना, विशेष विद्युत बांड, कर छूट और बहुपक्षीय बांड। इसी प्रकार के उन्होंने सुझाव दिये थे।

[श्री रतन लाल कटारिया]

मैं कहना चाहूंगा कि अगर पावर मिनिस्ट्री इस प्रकार का संकल्प ले लें तो यह कोई दु:स्वप्न नहीं बल्कि यह काम किया जा सकता है। जब देश के अंदर माननीय प्रधान मंत्री जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मुंबई से लेकर गुवाहटी तक वर्ल्ड लैवल की सड़कें बनाने का संकल्प किया और कहा कि इस पर 60 हजार करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा तब हमारे विरोधियों ने हमारा मजाक उड़ाया था कि कहां से ये साधन इकट्ठे करेंगे, कहां से 60 हजार करोड़ रुपया आयेगा। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वह कार्य जो 2004 तक पूरा होना था, वह 2003 में ही एन.डी.ए. सरकार पूरा करने जा रही है।

इसी तरह से हमने जो यह सपना देखा है कि हम 2012 तक देश के अंदर एक लाख मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करेंगे, मैं चाहूंगा कि हमारा वह सपना भी पूरा हो। मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज से 12 साल पहले पूर्व प्रधान मंत्री श्री नरसिंहराव जी युमना नगर के अंदर आये थे। उन्होंने एक हजार मेगावाट के पावर स्टेशन का दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से शिलान्यास किया था लेकिन आज उस बात को 12 साल हो गये। 14 सौ एकड़ जमीन को एक्वायर किया हुआ है। वह सारी फटाईल लैंड है लेकिन वहां आज तक एक टके का काम नहीं हुआ। वहां इतने उपजाऊ खेत थे।...*(व्यवधान)* उसके लिए आईजनबर्ग हैडीनबर कम्पनी के साथ एक समझौता हुआ था लेकिन न जाने किन कारणों से वह कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वह हरियाणा सरकार पर दबाव बनायें। यदि आपके क्षेत्र का कार्य है तो आप यमुना नगर थर्मल पॉवर को बनाने का जोखिम उठाएं क्योंकि उससे हमारे क्षेत्र के करोड़ों लोगों का जीवन जुड़ा है। इसी तरह से हमारे पानीपत जिले के अंदर जो थर्मल प्लांट है, उसकी कार्य क्षमता को पूरे लैवल पर लाने के लिए आज कम से कम सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के पानीपत थर्मल पॉवर को आधुनिक बनाने के लिए सौ करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाए। आज जो हम पॉवर सेक्टर के अंदर रिफार्म्स करने जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि इसका केन्द्र बिन्दु हमारे कन्ज्यूमर हैं। हम उपभोक्ता को सस्ती दरों पर बिजली प्रदान करना चाहते हैं। अभी हमारे मित्र शिवराज पाटिल जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। इनको हमारे हर काम के अंदर अड़ंगा लाना है कि यह होगा कि नहीं होगा। टेलीफोन और रोड़ क्षेत्र के अंदर क्रान्ति आ गई और हमने कीमतों को घटाया है। इस बिल के आने से बिजली के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी कदम लाएंगे और लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का जो सपना है, वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पूरा होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री कटारिया, कृपया पीठ को संबोधित कीजिये। आप अन्य सदस्यों को जवाब देने में रुचि क्यों ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : आज इस बिल के माध्यम से दो महत्वपूर्ण चीजें होने जा रही हैं। सर्वप्रथम, उपभोक्ताओं के सामने प्रत्यक्षदर्शिता और दूसरा, हम पॉवर जनरेशन करें। उन्हें उपभोक्ताओं के चयन की स्वतंत्रता होगी इस बारे में कई तरह की आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। यह सरकार प्राइवेट कंपनियों को लाकर बिजली के दाम बढ़ाएगी लेकिन यूनाईटेड किंगडम का उदाहरण ले लें, चाहे और दूसरे देशों का उदाहरण ले लें, चाहे लैटिन अमरीका का ले लें और चाहे आस्ट्रेलिया का उदाहरण ले लें। इन सब देशों ने प्राइवेट पॉवर सेक्टर में जाकर बहुत उन्नति की है और वहां की जनता को काफी राहत प्रदान की है। इसी तरह की राहत इस बिल के माध्यम से हमें प्रदान होने जा रही है और अंत में मैं चाहूंगा कि हाईडल पॉवर जो हमारे देश के अंदर है, उसका दोहन अभी तक बहुत कम हुआ है। केवल 25 प्रतिशत ही हम हाईडल क्षेत्र का दोहन कर पाए हैं। इस क्षेत्र के अंदर बड़ी भारी क्षमताएं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरा लोक सभा क्षेत्र अम्बाला पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल के साथ लगता है। अगर कोई बड़ा कारखाना हाईडल के क्षेत्र में लगेगा तो उससे बाकी क्षेत्र में बिजली सप्लाई करने में मदद मिलेगी और हिमाचल के साथ कई डैम बन रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में पंचकुला में कोई हाईडल प्रोजेक्ट लगाएं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, इस विद्युत विधेयक का बड़ा भारी हल्ला देश भर में था कि विधेयक आ रहा है और इससे देश का बिजली संकट हल हो जाएगा, इस तरह का प्रचार किया गया लेकिन बहस हो रही है। विधेयक जब आया और जब उसी विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया और गहन छानबीन हुई। स्टैंडिंग कमेटी ने 150 सिफारिशें की हैं। कुछ लागू हुई हैं, कुछ सरकार ने मान भी ली हैं और कुछ बाद में मानेगी, ऐसा सरकार

बता रही है। माननीय मंत्री की तरफ से 130 संशोधन आ गये हैं और हम लोगों के तो अलग से हैं। विधेयक का क्या होने वाला है, यह हम नहीं जानते हैं।

अभी यह पेश भी नहीं हुआ था कि इसमें संशोधन आने शुरू हो गए। इससे पता चलता है कि प्रयत्न हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमें ठीक प्रकार से बिल लाना चाहिए। 1910 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, 1948 का भारतीय विद्युत कानून और 1998 का जो रेगुलेट्री कमीशन एक्ट है, इन तीनों कानूनों के मिलाकर, हलवा बनाकर, यह विधेयक पेश किया गया है। बिहार का बिजली संकट इस विधेयक से कैसे हल होगा, यह हमें समझ में नहीं आता। सामान्यत: बिजली के चार हिस्से होते हैं, जेनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिफिकेशन। इन पर खर्चा होना चाहिए 4:2:1:1 के हिसाब से। हमारा लक्ष्य है कि 2012 तक देश में एक लाख मेगावाट अतिरिक्त बिजली की केपेसिटी होनी चाहिए। एक मेगावाट पर अगर चार करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो एक लाख मेगावाट पर चार लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। जेनरेशन पर दो लाख करोड़ रुपए, ट्रांसमिशन पर एक लाख करोड़ रुपए और डिस्ट्रीब्यूशन तथा इलेक्ट्रिफिकेशन पर एक लाख करोड़ रुपए। इस तरह कुल आठ लाख करोड़ रुपए होते हैं, तो यह पैसा कहां से आएगा? हम सुन रहे थे कि निजीकरण होगा तो यह रुपया भी कहीं से आ जाएगा। एनरॉन भी पता नहीं विदेशी निवेश था या निजीकरण था, पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट था।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उससे क्या हुआ, उससे भी हमें सीखना होगा। अगर निजीकरण होगा तो वह लूटने के लिए आएगा या रोशनी देने आएगा। निजोकरण से बिजली संकट हल हो जाएगा, भारी पूंजी निवेश हो जाएगा, मैं समझता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। उड़ीसा में सबसे पहले बिजली में रिफार्म्स हुए और कहा गया कि सुधार हो रहा है। लेकिन हम सबको पता है कि वहां क्या हुआ। पहले से खराब स्थिति वहां हो गई है। आप जो यह फार्मूला ला रहे हैं, जब देश के एक हिस्से में आपको विफलता हाथ लगी तो बाकी राज्यों में कैसे बिजली की प्रगति हो जाएगी, यह आशा नहीं करनी चाहिए। जब बीमारी घटे तो दवा भी घटनी चाहिए। लेकिन बिमारी बढ़ रही है दवा देने से, तो उस दवा को रोकना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। आठ लाख करोड़ रुपया चाहिए। सड़क बनाने के लिए बड़ा हल्ला हुआ कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत रोड़ बनाई जाएंगी और उसके लिए अलग से कोष का निर्धारण हुआ। इसी तरह से रेल के विकास के लिए भी फंड बनाया गया है तो बिजली के विकास के लिए फंड कब बनाया जाएगा, यह हम जानना चाहते हैं? बिजली के बिना कोई विकास नहीं हो सकता। जैसे सांस लेना शरीर के लिए आवश्यक है, जिंदगी के लिए रैसपिरेट्री सिस्टम जरूरी है, उसी तरह से विकास के लिए बिजली की आवश्यकता है। सारे कम्प्यूटर, संचार व्यवस्था में जो क्रांति हो रही है, वह धरी रह जाएगी। इस तरह से ट्रेनें वहीं रुक जाएंगी और लोग अंधकार में चले जाएंगे। इसलिए बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हम लोग आपकी पीठ पर हैं, आप आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग सरकार में ऐसे हैं जो यह नहीं होने देंगे और इस काम में अड़चन डालने की कोशिश करेंगे। जेनरेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर बिजली उत्पादन नहीं होगा तो देश का विकास रुक जाएगा। जैसा पाटिल जी कह रहे थे कि सूरज भगवान से बिजली लें, आइंस्टाइन ने थ्यौरी बताई थी कि मास से एनर्जी होती है और ई=एमसी2 का फार्मूला है, उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वह सब हो। लेकिन इसमें पूंजी निवेश होना चाहिए। बिजली विकास योजना और राष्ट्रीय विद्युत कोष के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी क्या स्थिति है? अगर कोई कमजोरी होगी, तो हम लोग आपका साथ देंगे।

सभापति जी, पन-बिजली की बहुत भारी उपेक्षा हुई है। इसमें रेशो कम से कम 60-40 का होना चाहिए। पन-बिजली स्वयं ही जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर बिजली की इतनी पोटैंशियलिटी न हो तो कम से कम 100 में 40 प्रतिशत पन-बिजली होनी चाहिए। हमारे देश में प्रकृति ने पन-बिजली की पर्याप्त पोटैंशियलिटी दी है। नार्थ-ईस्ट में हिमालय से आने वाली नदियां, फिर बिहार में कोसी नदी के ऊपर 3800 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। इसी तरह से नुनथर में बागमती के ऊपर, नरायणाघाट में गंडक के ऊपर, करनाली में सरयू नदी पर कुछ स्कीम बना रहे हैं। भारत-नेपाल समझौता कर रहे हैं। इसी तरह से केरल में, उड़ीसा में और देश के तमाम हिस्सों में पन-बिजली की पर्याप्त पोटैंशियलिटी है। इसलिए बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और उसमें भी पन-बिजली को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य विकास योजनाओं को दो-चार साल के लिए अगर रोक भी दिया जाए तो हम सह लेंगे लेकिन पन-बिजली के विकास को नहीं रोकना चाहिए। अन्य विकास कुछ पीछे होगा तो कोई हर्ज नहीं है। पानी से बिजली पैदा करना और कोयले से बिजली पैदा करना, इन दोनों में कितना अंतर है। अब तक पता नहीं कितना पानी हमारा बेकार बह गया है, वह पानी अब बेकार न बहे, इस बारे में कोई ठोस योजना बननी चाहिए। अर्थशास्त्रियों ने देश के साधनों के देखते हुए कोई दूरदृष्टि वाली योजनाएं नहीं बनाईं। इसीलिए पन-बिजली की उपेक्षा

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हुई। अगर पन-बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तो हम आपके साथ हैं। माननीय भावना चीखलिया जी यहां बैठी हुई हैं वही जाकर माननीय प्रधान मंत्री जी को बताएं कि देश में इस तरह की भावना प्रकट की जा रही है। नार्थ-ईस्ट में वैसे भी विकास के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, उसी प्रावधान में पन-बिजली के लिए तमाम पैसा लगा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। सारे विद्वान आदमी समझ कर बताएं कि पन-बिजली को पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है और उसके बिना आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। थर्मल पावर और न्यूक्लीयर पावर की बहस में बड़ा समय लगेगा। उसमें जो राख होती है उससे पर्यावरण खराब होगा। थर्मल पावर से, गैस से, तेल से बिजली पैदा करते हैं और उसके बाद ट्रांसमिशन का भी राष्ट्रीय पावर ग्रिड बनना चाहिए, जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बिजली पहुंचा सके। देश के पूर्वी हिस्से में ज्यादा बिजली है और तीन हिस्सों में बिजली कम है, जितनी जरूरत है उससे कम है। पावर ग्रिड रहता तो बिजली एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचा सकते थे। इसलिए नेशनल पावर ग्रिड होना चाहिए। नदियों को जोड़ने वाली योजना होनी चाहिए जिससे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। बिजली तो तार से जाएगी, इसलिए राष्ट्रीय पावर ग्रिड को प्राथमिकता देनी चाहिए। ट्रांसमीशन और इलैक्ट्रिफिकेशन पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है।

बिजली चोरी का भी संकट है। अभी लोगों ने कहा कि तीनों एक्ट निरस्त कर दिये गये। बिजली सप्लाई एक्ट खत्म हो गया। बिजली बोर्ड उसी एक्ट के तहत था, वह आपने खत्म किया। इलैक्ट्रिसिटी एक्ट खत्म किया, रैगूलेटरी कमीशन निरस्त किया। पता नहीं कैसे आप इसको ठीक-ठाक करेंगे। हम सब क्लॉज देखी हैं। बिजली बोर्ड का फिर पुनर्गठन होगा। बिजली बोर्ड को तीन हिस्सों में बांट दिया जाए।

सभापति महोदय : अब आप कृपया समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जिससे देश का लाभ हो, फायदा हो, उसी बात को मैं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : इलैक्ट्रिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो ही बिन्दू हैं। आप अब समाप्त करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, डिस्ट्रीब्यूशन लास, बिजली की चोरी हो रही है। बिजली की तार, लोह की हो या तांबे की, बिजली घट जाती है। कोई भी धातु हो, बिजली घट जाती है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन हुआ है। उपभोक्ता की हालत खराब है। माननीय सदस्यों से पूछिए कि प्राइवेटाइजेशन होने से क्या-क्या तकलीफ हो रही है। इससे तो किसान और गरीब आदमी मर जाएगा। सरकार द्वारा कहा गया है कि सन् 2012 तक घर-घर में बिजली होगी, 24 घंटे बिजली होगी। यह एक सपना है। साकार हो, इसके हम पक्षधर हैं। मैं पूछता हूं, अब तक कितने लोगों को बिजली मिली है। वास्तव में बिजली का संकट है। इसलिए ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन लास को ठीक करना चाहिए। सरकार की एक कुटीर ज्योति योजना है। इस योजना के द्वारा एससी, आदिवासी लोगों को बिजली देने की योजना है। सरकार बताए, कितने आदिवासियों के घरों में बिजली दी गई है...*(व्यवधान)* इस योजना की मोनिटरिंग होनी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को घरों में बिजली गई है या नहीं। जिस दिन उनके घर में बिजली चली जाएगी, दुनिया में हिन्दुस्तान का एक स्थान एक नम्बर पर आ जाएगा। बिजली के मामले में हम पीछे चल रहे हैं। जिस बिहार में बिजली पहुंच जाएगी बिहार भी हिन्दुस्तान में एक नम्बर पर आ जाएगा। मुजफ्फरपुर में 220 मेगावाट का थर्मल पावर यूनिट बराबर बन्द रहता है। राज्य सरकार बिजली बोर्ड इससे सहमत है कि इसको एनटीपीसी को दे दिया जाए। एनटीपीसी उसको ले ले। बिहार में 400 मेगावाट के प्रोजैक्ट्स के लिए 2000 करोड़ रुपए निवेश करने चाहिए। इस राशि को खर्च करने के लिए बिहार और बिजली बोर्ड के बस की बात नहीं है। इसलिए एनटीपीसी को देकर जनरेशन की समस्या में सुधार करना चाहिए। राज्य सरकार और बिजली बोर्ड सहमत हो गई हैं। ट्रांसमीशन भी गोरखपुर से मुजफ्फरपुर होते हुए गोवाहाटी तक 400 केवी का प्रस्ताव मन्जूर है। इस काम को करने में समय लगेगा, लेकिन इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी प्रकार फरक्का से बिहारशरीफ होते हुए 400 केवी की लाइन भी मंजूर है।

सब-डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम होना था और उस पर खर्चा होना था लेकिन यह काम अभी तक नहीं हुआ। फाइनान्स डिपार्टमैंट और योजना आयोग ने कहा था कि इस पर 375 करोड़ रुपए खर्च होने थे लेकिन यह काम अभी तक नहीं हुआ। इससे संबंधित योजना के बारे में मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से भी कहा था। उन्होंने कहा कि वह कैबिनेट में जाएगा। यह मामला यदि जून में जाएगा तो बरसात शुरू हो जाएगी। इससे एक साल खराब हो जाएगा। माननीय वित्त मंत्री इसमें विशेष रुचि लेकर सब-ट्रांसमिशन योजना का कार्यान्वयन जल्दी करें।

दूसरी बात यह है कि तेलूघाट परियोजना का निगम बना लेकिन उसका ऑफिस पटना में है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से बिहार की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, वह उसे नहीं मिली। गृह विभाग के निर्देश पर एकतरफा फैसला हुआ। बिजली विभाग ने इसे कैसे मंजूरी दे दी, मुझे मालूम नहीं। ऐसा करके बिहार के साथ अन्याय हुआ। तेलूघाट निगम और डीवीसी में हमारी पूंजी लगी है। कैसे बिहार को इससे वंचित कर दिया गया?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण खत्म करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबू लाल मरांडी का बयान आया कि वहां के मंत्री ने तेलूघाट निगम का अध्यक्ष बन कर अपने चहेतों को ठेकेदारी दिलाने के लिए अवैध कार्य किया। मैं इन सब का भंडाफोड़ कर दूंगा। जनता के हितों की अनदेखी हो रही है। तेलूघाट निगम और डीवीसी में बिहार की हिस्सेदारी होनी चाहिए क्योंकि उसमें हमारी पूंजी लगी है। जिस किसी जगह हमारी पूंजी लगेगी, उसमें हम अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। इस बात पर अवश्य विचार होना चाहिए। डैवलपमैंट रिफॉर्म प्रोग्राम के अंतर्गत क्या काम हो रहे हैं? उसमें हमें कितना हिस्सा मिला? मीनिमम नीड प्रोग्राम पर एक बार में 37 करोड़ रुपए मिले। उसमें से 28 करोड़ रुपए झारखंड को और बिहार को केवल 9 करोड़ रुपए मिले। यह कैसी नीति है? जब तक बिहार ऊपर नहीं उठेगा तब तक हिन्दुस्तान तरक्की नहीं कर सकता।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य की कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : सभापति महोदय, मुझे रघुवंश बाबू ने कहा कि हम लोग हाउस में जो कुछ कह रहे हैं, उसके बारे में अटल जी को मैसेज दिया जाए। मैं रघुवंश बाबू से कहना चाहती हूं कि उन्होंने जिस तरह इस बिल का समर्थन किया, उसी तरीके से वह सभी बिलों का समर्थन करेंगे तो यह काम बहुत जल्दी हो जाएगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम सभी बढ़िया बिलों का समर्थन करेंगे।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 5.59 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, विद्युत विधेयक 2001 निर्भीक और समग्र पहल है। मेरी पार्टी पूरे मत से विधेयक का समर्थन करती है। विद्युत क्षेत्र में, हमने आन्ध्र प्रदेश में भी सुधार शुरू किये हैं।

महोदय, बिजली, आर्थिक विकास का क्षेत्र है। बिजली, उद्योगों की जननी है। औद्योगिक विकास के बिना आर्थिक विकास नहीं होता, गरीबी में कमी नहीं आती और रोजगार नहीं सृजित होता।

सायं 6.00 बजे

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1995-96 में विद्युत सुधार शुरू किये हैं। विद्युत क्षेत्र में सुधार शुरू होने के बाद राज्य सरकार के समक्ष कई समस्यायें आयी हैं। देश भर में विद्युत क्षेत्र को बेहतर हेतु सुधार समय की आवश्यकता है। इसीलिए हम विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार को निजी निवेश को भी प्रोत्साहन देना चाहिये।

बिजली बोर्डों पर केन्द्र सरकार के उपक्रमों का 40,000 करोड़ रुपये बकाया है। पिछले वर्ष बिजली बोर्डों को 25,000 करोड़ रुपये वाणिज्यिक घाटा हुआ। मैं रेलवे की स्थायी समिति का अध्यक्ष हूं। भारत में कई बिजली बोर्डों ने खराब वित्तीय व्यवस्था के कारण पिछले प्रन्द्रह वर्षों से अपने बकाये का भुगतान नहीं किया है। उस विशेष राज्य में और उत्पादन हेतु निवेश नहीं हुआ है। अत: निजी निवेश समय की आवश्यकता है। भारत सरकार को निजी क्षेत्र के निवेश को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। उम्मीद है कि जब विधेयक पारित हो जायेगा, हमारे देश में निजी क्षेत्र से निवेश आयेगा। मैं सभी राजैतिक दलो से अनुरोध कर रहा हूं। सभी जानते हैं कि किसी अन्य वस्तु की तरह विद्युत का भंडारण नहीं किया जा सकता।

उत्पादन और उपयोग बराबर होना चाहिये। यह हमारे देश की आवश्यकता क्या है। कितना उत्पादन किया जाना है? हमें उसी अनुसार योजना बनानी है। बिजली का विषय समवर्ती सूची में शामिल है। आज तक भारत सरकार विद्युत क्षेत्र के बारे में कानून बना रही है और यहां तक कि राज्य सरकारें भी कुछ विधेयक पारित कर रही हैं। आज तक विद्युत क्षेत्र तीन विधानों से प्रशासित होते हैं। इस विधेयक के पारित होने के बाद केवल एक स्वीकृत विधेयक विद्युत अधिनियम, 2001 होगा, जिसे पारित करने पर हम विचार कर रहे हैं।

[श्री के. येरननायडू]

यहां तक राजनीतिक दल भी इसे अपने घोषणापत्र में शामिल कर रहे हैं। वर्ष 1991 में कांग्रेस पार्टी द्वारा सुधार प्रक्रिया शुरू करने के बाद, वर्ष 1992 में हमने विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति दी। अब भी अपने राजनैतिक लाभ के लिये पार्टियां अपने घोषणापत्र में किसानों को मुफ्त बिजली की घोषणा करती है। स्वाधीनता के 54 वर्ष बाद घोषणापत्र में किसानों को मुफ्त बिजली की बात कहने से पहले हमें सोचना है कि यह महत्वपूर्ण है या नहीं।

उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की एक राष्ट्रीय नीति है। मैं इसकी सराहना करता हूं। उसमें किसानों के लिये मुफ्त बिजली की बात नहीं है। लेकिन राज्य स्तरीय पार्टियां, अपनी नीतियां अपना रही हैं। यह कैसे हो? हर राजनीतिक दल की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ठोस नीति होनी चाहिये।

तमिलनाडु सरकार ने भी हाल में मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना के बाद उन्होंने किसानों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली बिजली हेतु दर निर्धारित किया है। अंततः सरकार किसानों को राजसहायता दे रही है। यदि सरकार संपन्न है कृषक समुदाय में उसकी खर्च है तो वह निर्धनतम लोगों को राजसहायता दे सकती है लेकिन उसे राज्य बिजली बोर्डों पर बोझ नहीं डालना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सभा की सहमति से, बिल की मंजूरी और उसे पारित किये जाने तक मैं सभा का समय बढ़ा रहा हूं।

[हिन्दी]

बिल पास होने तक मैं टाइम बढ़ा रहा हूं।

श्री के. येरननायडू : हमें इस बारे मे विशेष रूप से चर्चा करनी है; हमें वैट जैसी चीजों को अपनाना होगा। राजनैतिक दलों को कुछ मानदण्ड या नीतियों का पालन करना होगा। हम सबकी एक समान नीति हो, इससे देश को विद्युत में विकास करने में सहायता मिलेगी। इसीलिये मैं विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

चोरी और पारेषण संबंधी हानियां भी चौकाने वाली हैं। इस अधिनियम से हम चोटी और पारेषण हानियों को रोक सकते हैं। कुछ राज्यों में चोरी और पारेषण हानियां 40 प्रतिशत तक पहुंच चुकी हैं जो चौकाने वाली बात है। इतनी भारी क्षति का सामना कोई बिजली बोर्ड या राज्य सरकार नहीं कर सकती। निवेश न होने के कारण बिजली बोर्ड का कार्य करना और भी कठिन हो जायेगा। कुछ राज्यों में 40 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं है। इस परिदृश्य में हमे पारेषण हानि और चोरी को कम करना होगा।

इस विधेयक में चोरी में कमी करने हेतु कई स्पष्ट प्रावधान हैं। राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना राज्य सरकारों के लिये जरूरी है। मामलों के निपटान के लिये अपीलीय अधिकरण भी है। यह विधेयक एक नई पहल है और विद्युत क्षेत्र में उठाया गया निर्भीक कदम है। अतः मैं पूरे मन से इसका समर्थन करता हूं।

कई राज्यों में सुधार चल रहे हैं। उनके सामने समस्याएं आयी हैं। भारत सरकार को सामान्य कोष बनाना चाहिये, उसमे से जो राज्य अधिक पहल करें, उन्हें अधिक राशि दी जाये। हमें विद्युत क्षेत्र में पहल करनी होगी, अन्यथा राज्यों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार को सुधार का कार्य कर रहे राज्यों को पर्याप्त सहायता देनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पलानीमनिक्कम ने एक स्पष्टीकरण देने का मुझसे अनुरोध किया है। उन्हें स्पष्टीकरण देने तक बोलने की अनुमति है।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य, श्री सेल्वागनपति ने तमिलनाडु की पिछली डी.एम. के सरकार पर आरोप लगाया है कि हम किसानों को मुफ्त बिजली न देने के लिये इस विद्युत विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने सभा को गुमराह किया है। बिना पर्याप्त सबूत के उन्होंने सभा में यह बयान दिया है। मैं इस पर आपत्ति जताता हूं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने किसानों से मुफ्त बिजली की योजना वापस लेने के लिये भारत सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं दिया था।

सायं 6.07 बजे

[हिन्दी]

कार्य मंत्रणा समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 48वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

सायं 6.08 बजे

[अनुवाद]

विद्युत विधेयक–पारित–*जारी*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अवसर नहीं, बल्कि प्राथमिकता देने के लिए।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : धन्यवाद, महोदय। मैं वर्ष 2000 से ही इस विधेयक से जुड़ा रहा हूं। मुझे यह उल्लेख करने दें कि हमने क्या प्राप्त किया क्योंकि पहल विधेयक भारत सरकार के लिए नहीं था बल्कि वह विधेयक फिलीपिन्स सरकार के संबंध में था। अत: हम जो कर रहे हैं, वह यह है कि हम किसी अन्य राष्ट्र के लिए तैयार किए गए विधेयक की नकल कर रहे हैं।

समिति की ढाई वर्ष से अधिक समय लेने और विधेयक के संबंध में बैठक को लेकर आलोचना की गई थी। लेकिन समिति विधेयक का भारतीयकरण करने का प्रयास कर रही थी। कुछ उपबंध राष्ट्र के पक्ष में नहीं थे। उक्त उपबंध मूलत: कैलिफोर्निया की परिस्थितियों के आधार पर तैयार किये जाने थे, और उक्त परिस्थितियां इस नए विधेयक में लाई जाने वाली थी। समिति ने यह ध्यान रखा कि हम कुछ उपबंधों को हटा दें। हमनें उसमें कुछ परिवर्तन किए और उनमें से कुछ परिवर्तन स्वीकार कर लिए गए थे तथा वे उपबंध नए विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

महोदय, मुझे यह उल्लेख करने दें कि समिति द्वारा सुझाए गए मुख्य उपबंधों को बिलकुल भी स्वीकार नहीं किया गया है और मैं केवल उन प्रमुख उपबंधों की बात करने जा रहा हूं जो हमें प्रभावित करने वाले हैं। मेरी अपनी शंका है कि यदि यह विधेयक यथारूप पारित होता है और यथारूप स्वीकार किया जाता है, तो इसका पहला शिकार ग्रामीण क्षेत्र होगा। मैं सिर्फ मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई तुलना का जिक्र करूंगा। वह चार प्रमुख आपत्तियों में से एक थी। हमें 1948 के विधेयक और मौजूदा विधेयक के बीच की तुलना प्रदान की गई थी, और यह तुलना यही कहना चाहती है।

> "इस खंड का उद्देश्य ग्रिड से संयोजन के बिना ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता का पता लगाना तथा उन्हें पूरा करना है।"

यदि ग्रामीण क्षेत्रों की ग्रिड से कोई संयोजन होगा तो, ग्रामीण क्षेत्र विद्युत कहां से प्राप्त करेगा? मंत्रालय को यही कहना है: "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने की यह प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युत का स्रोत बनेगी।"

महोदय, गैर-पारंपरिक क्षेत्र में उत्पादन कितना होता है? यह उत्पादन कुल आवश्यकता का एक प्रतिशत भी नहीं है। आज हम जितना एक लाख मेगावाट का उत्पादन करते हैं, वह एक प्रतिशत भी नहीं है और वर्ष 2012 तक अतिरिक्त एक लाख मेगावाट को आवश्यकता होगी। मैं श्री येरननायडू जो कि इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि यदि ग्रामीण क्षेत्र को नेशनल ग्रिड से नहीं जोड़ा जा रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र विद्युत कहां से प्राप्त करेगा? क्या वे उन्हें अंधेरे में रखने जा रहे हैं?

महोदय, राज्य विद्युत बोर्डों को अलग-अलग करने का कार्य पहले से ही प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार उनके सामने लगभग 30,000 करोड़ रु. एक पैकेज के रूप में बांटकर उन पर जोर दे रही है। लेकिन मैं केवल पारेषण पक्ष से चिंतित हूं। मैं वितरण चर्चा करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि नेशनल ग्रिड एक बार शहरों के क्षेत्रों तक सीमित हो जाता है तो समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। शहरों में भी कुछ शहरी क्षेत्र ऐसे हैं जिन में वाणिज्यिक क्षेत्र अधिक हैं और कुछ में वाणिज्यिक क्षेत्र कम हैं। वितरण के कार्य का निजीकरण होने जा रहा है। इस विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह कहता है कि ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्र जिनका निजीकरण किया जाएगा तथा वे ग्रामीण क्षेत्र जो छोड़े जाएंगे, उनके बीच कोई सह संबंध बनने जा रहा है।

समिति ने सुझाव दिया कि उन वाणिज्यिक क्षेत्रों में कोई सह संबंध होना चाहिए जिनका वितरण अथवा निजीकरण होने जा रहा है। विधेयक मौन है, समिति की सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। मैं मंत्री महोदय से एक विशिष्ट रूप से एक मुद्दे को स्पष्ट करना चाहूंगा कि क्या वह ग्रामीण क्षेत्रों को राष्ट्रीय ग्रिड से अलग करने के वक्तव्य पर कायम रहते हैं जैसा कि मंत्रालय द्वारा कहा गया है, अथवा वह सभा को आश्वासन देते हैं कि सारे ग्रामीण क्षेत्रों को नेशनल ग्रिड से जोड़ा जाएगा।

मैं मंत्रालय से जो दूसरा स्पष्टीकरण चाहूंगा वह यह है कि यदि आप उन क्षेत्रों का जो वाणिज्यिक हैं, वे क्षेत्र जो वाणिज्यिक नहीं हैं, और वे क्षेत्र जो वाणिज्यिक क्षेत्र बनने जा रहे हैं, का निजीकरण करने जा रहे हैं तो शेष क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी? क्या वे राज्य विद्युत बोर्डों पर बोझ बनने जा रहे हैं? पहले ही रक्षित (कैप्टिव) क्षेत्र को आरंभ किया जा चुका है। रज्ञित (कैप्टिव) क्षेत्र को केवल भारी उद्योग क्षेत्र में आरंभ किया गया है। वे राज्य विद्युत बोर्डों के लिए सबसे बड़े भुगतानकर्ता हैं और यदि सबसे बड़े भुगतानकर्ता कैप्टिव उत्पादक बनने

[श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर]

वाले हैं तो राज्य विद्युत बोर्डों को सबसे अधिक नुकसान होगा। राष्ट्रीय नीति बनाकर, जो कि समवर्ती विषय है, तो मैं नहीं जानता कि हममें से कितनों ने इस विधेयक में यह महसूस किया है कि जहां तक उत्पादन, पारेषण, और वितरण का संबंध है तो यह संसद अप्रासंगिक हो गई है। अधिनियम और उपबंधों में ऐसा कुछ नहीं है जहां यह संसद कम से कम, उत्पादन क्षेत्र को नियंत्रित कर सके। यदि आप राज्य विधानसभाओं पर आएं, तो अनावश्यक बना दी गई हैं। जहां तक उत्पादन और वितरण का संबंध है, तो आपको केवल यह करना है कि आप इसे निजी क्षेत्र को सौंप दे और आपके लिए कोई भूमिका शेष नहीं रह जाती है।

महोदय, समिति ने समवर्ती सूची में दिए गए विषयों से निपटने के लिए मंत्रालय को राज्य विधानमंडल और मंत्रालय के बीच कुछ प्रकार के संबंध विकसित करने का सुझाव दिया है। मैं इस महान सभा को सूचित करना चाहूंगा कि केरल सरकार शुरू से ही इस विधेयक के विरुद्ध रही है। उसने अनेकों बार कहा है कि वे इस विधेयक के उपबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे तथा वह अपना राज्य विद्युत विधेयक लाने वाली है। मैं इस महान सभा को यह और सूचित करना चाहूंगा कि उसके विद्युत विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंध यहां इस विधेयक में रखे गए उपबंधों से अधिक बेहतर है। वह इस विधेयक को पारित कराकर दी जाने वाली दर की बिजली से काफी कम दर पर बिजली देने पर विचार कर रही है। अब, इस प्रकार के विरोध की स्थिति में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? मैं जानता हूं कि विरोध की स्थिति में राज्य विधानसभाओं के अधिकारों की अवहेलना के संवैधानिक उपबंध हैं। लेकिन यह स्थिति है जहां विरोध का प्रश्न नहीं है। यह समवर्ती सूची के विषय से निपटने का मामला है। यह विद्युत के वितरण का प्रश्न है। 1948 के अधिनियम की धारा 64 और 65 के अनुसार 10 लाख रु. से ऊपर की स्वीकृति के मामले में राज्य विधान सभा की स्वीकृति आवश्यक थी। आज, सरकार का इसके बिना कम चलाने का विचार है। कुछ राज्य विधान सभाएं उस अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि मंत्रालय की ऐसी स्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी।

महोदय, कुछ सदस्यों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात कही है। उन सदस्यों में से मैं भी एक सदस्य रहा था जो आरंभ से ही यह कह रहे थे कि निजी क्षेत्र इस क्षेत्र में नहीं आएगा। मैं आंकड़े देता हूं। प्रत्येक 500 मेगावाट क्षमता की 18 परियोजनाएं थी। इनमें से केवल तीन आरंभ हुई, और तीन में से केवल एक परियोजना चल रही है, और दो बंद हो गई हैं। उन लाभों का क्या जो इन 18 परियोजनाओं के लिए दिए गए थे? उन्हें बिक्री कर संबंधी लाभ दिए गए थे। उन्हें आयकर संबंधी लाभ दिए गए थे और उन्हें गारंटियां भी दी गई थीं। लेकिन तब भी इनमें से अधिकांश परियोजनाएं आरंभ नहीं हो पाई हैं। इनमें से कुछ परियोजनाएं वर्ष 1994-95 में यथाशीघ्र घोषित की गई थीं, लेकिन वे अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई हैं। यदि सरकार अभी भी यह विश्वास करती है कि निजी भागीदार विद्युत क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए आएंगे, तो मैं नहीं सोचता कि ऐसा करना सही होगा। कम से कम योजनाबद्ध व्यवस्था में हमारे पास ऐसी स्थिति होती है जहां राज्य विद्युत के लिए अपनी मांगों को उठा सकेंगे। इसलिए, योजना आयोग उत्पादन क्षेत्र के लिए कुछ धनराशि देता रहा है। लेकिन गत दस वर्षों में, सरकारी पक्ष की ओर से बहुत थोड़ा योगदान रहा है। जहां तक गत तीन वर्षों के बजटीय प्रावधानों का संबंध है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र के लिए कोई उपबंध बनाए जा रहे हैं।

महोदय, ऐसा कहा जा रहा है कि देश में चरमसीमा अवधि के 12 प्रतिशत की कमी है। हां। अवश्य ही हमारे पास उसकी कमी है। इस देश में विद्युत की स्थिति क्या है? पूर्वी क्षेत्र में 42 प्रतिशत अतिरेक है और गत दा वर्षों से इस क्षेत्र में इस परिमाण का अतिरेक है। हमने इसका दोहन नहीं किया है। हम केवल इसकी कमी की बात कर रहे हैं। यदि यह 42 प्रतिशत अतिरेक विद्युत पूर्वी क्षेत्र से लाई जाए तो चरमसीमा मांग छह प्रतिशत तक नीचे आ जाएगी। यह कार्य नहीं किया गया है क्योंकि हमारे पास पारेषण नहीं है। मैं माननीय मंत्री से बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि वह पूर्वी क्षेत्र में 42 प्रतिशत विद्युत का दोहन करना चाहेंगे या नहीं।

विद्युत प्रशुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास किस प्रकार का मिश्रण है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 40 प्रतिशत जल विद्युत और 60 प्रतिशत ताप विद्युत का मिश्रण था। दसवीं पंचवर्षीय योजना में क्या स्थिति है? यह मिश्रण कम हुआ है। यह मिश्रण 27 प्रतिशत जल और शेष ताप और परमाणु विद्युत का है। हमेशा यह कहा गया है कि परियोजनाओं को स्थापित कराने में लंबा समय लगता है। अवश्य ही मैं इससे सहमत हूं। लेकिन अड़चन कहां पर है? अड़चन सी.ई.ए. है। मैं समझ सकता हूं कि पर्यावरण और वन मंत्रालय परियोजना को स्वीकृति देने में समय ले रहा है। लेकिन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने के बाद भी वे परियोजनाएं सी.ई.ए., में अटक जाती हैं। इसलिए, समिति ने सुझाव दिया है कि सी.ई.ए. के अधिकार कम किए जाएं।

मैं यह जिक्र नहीं करूंगा कि एनरोन के मामले में क्या हुआ। हमारे विद्वान मित्र श्री शिवराज पाटील ने जरूर इसका जिक्र किया। लेकिन श्री अभय मेहता की पुस्तक में इसके बारे में केवल उल्लेख नहीं है, बल्कि उन्होंने वित्त मंत्रालय से सी.ई.ए. द्वारा प्राप्त की गई टिप्पणी को भी प्रस्तुत किया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या डाभोल परियोजना को अंतिम रूप से सी.ई.ए. अथवा विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था या अंतिम स्वीकृति वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई थी। यदि टिप्पणी पर विश्वास किया जाए, डाभोल परियोजना को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई थी और न कि विद्युत मंत्रालय या सी.ई.ए. द्वारा दी गई थी जैसा कि होना चाहिए।

मैं एक परियोजना का उदाहरण देता हूं क्योंकि जल विद्युत परियोजना की लागत का यह प्रश्न काफी लंबे समय से बार-बार हमारे दिमाग मैं आ रहा है। हमने एक सुझाव दिया है कि समग्र घटक की जांच की जाए। प्रश्न के रूप में परियोजना, अर्थात, मलावा प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट, पूरी करने के लिए निजी क्षेत्र को सौंप दी गई थी। यह सुझाव दिया गया था कि परियोजना के पूरा होने में लगभग साढ़े आठ वर्ष लगेंगे। लेकिन निजी फर्म ने इसे तीन वर्षों में पूरा कर दिया और वह भी सही लागत पर।

एक अन्य घटक है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। यदि पूर्वोत्तर राज्यों से विद्युत, जोकि सबसे सस्ती दर की विद्युत होने वाली है, उसे संबंधित राज्यों तथा अन्य राज्यों में उपयोग के लिए काम में लाया जाता है, तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने का लागत घटक उक्त परियोजनाओं में अंतर्निहित नहीं होना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू हो रही अब सभी परियोजनाओं में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की लागत को उक्त परियोजनाओं में शामिल कर दिया जाता है, और इसीलिए वे परियोजनाएं अक्षम हो रही हैं।

अंत में, हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव अंतरारष्ट्रीय सीमा पर हमारे पड़ोसी देशों के संबंध में था जिनके लिए बिजली सबसे अधिक राजस्व जुटाने वाली बनने जा रही है। कुछ मामलों में, विदेश मंत्रालय ने पहल की है। लेकिन इस विधेयक में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जहां स्वतंत्र देशों से व्यापार किया जा सके और कुछ खरीदा जा सके। हम पहले ही ऐसी स्थिति में जा चुके हैं जहां नदियों को एक दूसरे से जोड़ा गया है क्योंकि कुछ विकास हुआ है। यदि यह विधेयक पूर्णत: प्रशासन के हाथों में जा रहा है जैसा कि सुझाव दिया गया है, तो जो निकाय और अधिकार हमने बनाए हैं उनकी विविधता ना सिर्फ डिस्पैच लोड सेंटरों में बल्कि बनाए गए प्राधिकरणों में भी आपका कार्य अधिक कठिन होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी यह बताएं कि क्या वे इस विधेयक को वास्तव में कार्यात्मक कानून बनाना चाहते हैं?

एक बड़ा प्रश्न जो हमसे पूछा गया था ना कि एक आम आदमी द्वारा बल्कि यह प्रश्न चैम्बर आफ इंडस्ट्री द्वारा पूछा गया था।

उसने कहा कि 1910 और 1948 के दो अधिनियमों द्वारा निजी क्षेत्र को सम्मिलित करना संभव था। तब नए विधेयक की क्या आवश्यकता है? मैं आपको बताता हूं कि हम उसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। हमने वही प्रश्न मंत्रालय के भी समक्ष रखा। उन्होंने केवल जो संतोषजनक उत्तर दिया था वह सी ई बी के विखंडन के लिए है। अन्य उत्तर जो उन्होंने दिया था वह यह था कि जब उत्पादन अधिक होने वाला हो, तो आप विद्युत का लोडिंग तथा ऑफ लोडिंग की प्रणाली अपना सकते हैं। विधेयक के लिए दिया गया कोई अन्य औचित्य नहीं है। संभव है कि मंत्री जी हमें यह विश्वास दिला पाएंगे कि विधेयक को पुर:स्थापित करने की जरूरत क्या है।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि अगला सदस्य बोलना आरंभ करें मैं इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि अधिकांश राजनीतिक दलों में अपने लिए आबंटित समय का उपयोग कर लिया है। लेकिन चूंकि विधेयक महत्वपूर्ण है तो मैं सदस्यों को बोलने की अनुमति देने जा रहा हूं। मैं उनसे अपनी बात यथासंभव संक्षिप्त रूप में रखने का अनुरोध करूंगा। उन्हें अपने भाषण पांच से दस मिनट के भीतर समाप्त कर लेने चाहिए।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस विधेयक पर कुछ आपत्तियां हैं। मैं इस विधेयक के कुछ खंडों का विरोध करता हूं। मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए भाषण को सुना है। मैंने प्रमुख विपक्षी दल के उपनेता श्री शिवराज पाटील द्वारा दिए गए भाषण को भी ध्यानपूर्वक सुना।

सायं 6.27 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

सबसे पहले मैं यह अवश्य कहूंगा कि मैं माननीय श्री शिवराज पाटील के भाषण में दिए गए समर्थन का तर्क नहीं समझ सका। वह अच्छा बोले। उन्होंने विश्लेषणात्मक बात कही। लेकिन मैं उसमें समर्थन का कोई तर्क नहीं देख पाया।

[श्री प्रबोध पण्डा]

महोदय, वर्ष 2001 में पूरी वाणिज्यिक मांग के 3.5 प्रतिशत के हिसाब से भारत ऊर्जा की मांग के संबंध में छठे स्थान पर आता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आठ प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि के साथ ही ऊर्जा की मांग 5.2 प्रतिशत तक बढ़ने की आशा है। यद्यपि वाणिज्यिक ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ी है, तथापि हमारे देश की जनसंख्या के बड़े भाग को ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। बावजूद इसके कि हमारे देश में संसाधनों में बढ़ोतरी हो रही है, हमें इस बात से सहमत होना चाहिए तथा यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे देश के बड़े वर्ग के पास बिजली सुलभ नहीं है। देश में ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं है। इसलिए, पर्याप्त विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण तथा आपूर्ति की आवश्यकता है। आजकल हम विद्युत उत्पादन रहित तथा उचित वितरण अथवा पारेषण रहित सभ्यता के बारे में नहीं सोच सकते। हम ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि इस विधेयक का मूल विचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना नहीं है। इस विधेयक का मूल विचार बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मदद करना तथा वैश्वीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों को बढ़ावा देना है।

यह प्रश्न इस विचार के आधार पर बनाया गया है। इसलिए, इस विधेयक के पीछे यही दार्शनिकता है और इस विधेयक से मुझे प्रमुख आपत्ति इस दार्शनिकता के कारण है। इस विधेयक की धारणा क्या है इसकी धारणा बाजार, प्रयोक्ता और कंपनियां बनाना तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा बड़ी कंपनियों के लिए क्षेत्र खोलना है। उसके बाद की धारणा बड़ी संख्या में लोगों को विद्युत उपलब्ध कराना के मूल उत्तरदायित्व से बचना है।

महोदय, विद्युत के केप्टिव उत्पादन को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्वतंत्र रूप से अनुमति दी जाती है। तब निजी पारेषण लाइसेंस देने तथा क्रास-सब्सिडाइजेशन के वर्तमान स्तर का ध्यान रखने के लिए अधिभार लगाने के लिए उपबंध हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने शुल्क के बारे में उल्लेख किया था। श्री शिवराज पाटील ने सही जिक्र किया था कि यदि विधेयक पारित किया जाता है तो यह शंका है कि एक या दो वर्षों के भीतर विद्युत का शुल्क कम से कम 10 रु. प्रति यूनिट तक बढ़ जाएगा। क्या इससे सामान्य रूप से उभोक्ताओं को मदद मिलेगी? इससे उनको मदद नहीं मिलेगी। इसलिए, मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं।

महोदय, इस विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और लोगों के प्रति कैसा रवैया दर्शाया गया है। बहुत से माननीय सदस्यों ने पूर्व सोवियत संघ में मौजूद उस स्थिति का उल्लेख किया मैं पूर्व सोवियत संघ के संस्थापक लेनिन का सदर्भ से खुश हूं। उन्होंने टिप्पणी की कि मजदूर-वर्ग के राज्य के हाथों में ग्रामीण विद्युतीकरण समाजवाद है या साम्यवाद है। लेकिन हमारा राज्य श्रमजीवी वर्ग नहीं है। यहां आज की सरकार बहुराष्ट्रीय निगमों को सुविधा प्रदान के लिए काफी कुछ कर रही है। अत: इस विधेयक से मेरा मुख्य विरोध यही है।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह सही पूछा है कि इस विधेयक को अब लाने की तत्काल आवश्यकता क्या है? मेरा विचार है कि तत्काल आवश्यकता गैट तथा विश्व व्यापार संगठन को दिए गए वचन के कारण है। हम निजी कंपनियों की सुविधा प्रदान कर रहे हैं और यहां एनरॉन के मामले से हटने के लिए पर्याप्त अनुभव है। यदि विद्युत क्षेत्र के सारे तीनों पहलू नामत: उत्पादन, पारेषण और वितरण निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए जाते हैं तो उनका नियंत्रण कौन करेगा? पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। देश के विकास के लिए सबसे अधिक हानिकारक बात यह है कि विद्युत क्षेत्र विभिन्न रंगों और रूपों में निजी कंपनियों के नियंत्रणाधीन रहेगा। यह कल्याणकारी राज्य की भूमिका नहीं है। मेरा प्रश्न है : क्या हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारा कमजोर तबके के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व है? हम क्राम सब्सिडी को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने जा रहे हैं। क्या इससे कृषि में लगे लोगों को सहयता मिलेगी? क्या इससे मध्यम वर्गीय लोगों को सहायता मिलेगी? क्या इससे गरीब लोगों को सहायता मिलेगी? मेरा विचार है, कि इस सबकी समीक्षा की जानी चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में सबसे पहले यह बताया है स्थायी समिति की अधिकांश सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है। जिस पर विचार नहीं किया गया था वह नीति से संबंधित था। नीति क्या थी?

मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मेरे विचार से सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सरकार को इस पर पुन: विचार करना चाहिए। यह समवर्ती विषय है।

अंत में, माननीय मंत्री जी ने विद्युत संबंधी राष्ट्रीय नीति का जिक्र किया है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि इसकी घोषणा सभा में चर्चा करने के बाद की जानी चाहिए और सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : सभापति महोदय, विद्युत विधेयक 2001 सदन में आया है, बहस हो रही है और मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने अच्छी तरह से बहस की है। मैं तो इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बिजली का विषय महत्वपूर्ण है। आज बिजली खाली प्रकाश देने वाली चीज नहीं रह गयी है। देश के विकास का काम बिजली करती है। दाभोल का एक उदाहरण मैं देता हूं। एनरॉन बिजली कंपनी ने ठीक से काम नहीं किया। आज महाराष्ट्र में 110 रुपये महीने में भरने पड़ते हैं। इसके बारे में भी केन्द्र को सहयोग देना चाहिए। केन्द्र सरकार ने एनरॉन कंपनी को सदन गिरवी दे दिया है, राष्ट्रपति भवन भी गिरवी दे दिया है। इतना बड़ा काम केन्द्र सरकार ने किया है, यह बहुत खराब बात है। आज निजीकरण पर सरकार चल रही है लेकिन सरकार को निजीकरण के बारे में आश्वासन देना चाहिए कि इतनी यूनिट इतने दामों में लोगों को मिलेगी–ऐसा आश्वासन सरकार को लोगों को देना चाहिए। सरकार को यह भी देखना होगा कि ग्रामीण इलाकों में भी बिजली पहुंच रही है या नहीं। आज किसान और उद्योगों को बिजली नहीं मिल रही है। वहां बिजली का पहुंचना बहुत जरूरी है। केन्द्र और राज्य सरकारों का जो अलग-अलग सवाल बताया जा रहा है उस पर भी संयुक्त रूप से विचार करके बिजली के बारे में कोई योजना बनाने की जरूरत है। हमें बिजली बोर्डों को सक्षम बनाना चाहिए। आज 40 प्रतिशत बिजली की चोरी होती है इसलिए बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। इस चोरी को रोकना भी जरूरी है। गीता हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है और माननीय गीते साहब ने भी बिजली के बारे में जो ग्रंथ खोला है वह बहुत बड़ा है। माननीय बहनजी भी उनके साथ हैं। मेरी प्रार्थना है कि माननीय गीते जी महाराष्ट्र के हैं, बिजली में सुधार होगा तो महाराष्ट्र की ऊंचाई बढ़ जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : सभापति महोदय, यह व्यापक विधेयक लगभग 90 वर्षों के अनुभव के बाद आया है। पहले 38 वर्ष वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ थे और वर्ष 1948 से बाद के 52 वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आधुनिक भारत के विकास सम्पूर्ण सामाजिक प्रयोजनार्थ थे। हमें इस इतिहास की जानकारी है कि जब लेकिन यू.एस.एस.आर. का सामाजीकरण करना चाहते थे तो उन्होंने महसूस किया था कि बिजली उन प्रमुख साधनों में से एक है, जिनसे समूचे समाज में समाजवाद लाया जा सकता है। इसी तरह कल्याणकारी राज्यों ने भी इस बात को ध्यान में रखा था कि विद्युत संसाधन लोगों अर्थात् राज्य के हाथ में होने चाहिये और जरूरत के अनुसार इसे लोगों को समान रूप से बांटे जा सकते हैं।

पहले चार दशकों में हम सफल रहे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा बिजली का उत्पादन किया। उन्होंने पनबिजली परियोजनाओं को उन्नत मशीनरी कहा जिससे आधुनिक भारत विश्व परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा कर सका है। उसके बाद भारत की कुशल प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तापविद्युत परियोजनाओं और परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास किया जो भारत के लिए बिजली उत्पादक क्षेत्र बना। इसमें कोई शक नहीं कि श्रीमती इन्दिरागांधी के कार्यकाल के दौरान शांतिपूर्ण प्रयोजनों और भारत के विकास में परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर विश्व अचंभित हुआ।

अब हमारे पास क्षमता है, संसाधन है, हमारे पास गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत हैं, हमारे पास ज्वारीय ऊर्जा है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं; हमारे यहां पवन ऊर्जा है, हमारे यहां पानी है, कोयला और अन्य ऐसी सामग्री हैं जिनका उपयोग बिजली उत्पादन में हो सकता है। बिजली उत्पादन के लिये हमारे यहां कार्बन उत्पाद भी उपलब्ध है।

निजीकरण की क्या जरूरत है? यह गैर-नियोजन और नीतियों के समुचित क्रियान्वयन के अभाव के कारण हुआ है। इस विधेयक में भी हमने आपके पूर्ववर्ती श्री सुरेश प्रभु का सम्मान करने की सोची जो इस विधेयक को लाये थे। वे उस समय बहुत उत्साही युवा थे। उनका मानना था कि भारतीयों की जरूरत हेतु बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच हमने इस विधेयक को पढ़ा और पाया कि खंड 7, 8, 9, में उन क्षेत्रों में बिजली उत्पादन का उल्लेख है जहां बिजली उत्पादन और विद्युत उत्पादन संबंधी परियोजनायें निजी क्षेत्र के लिये खोली जायेंगी। यह अच्छी बात नहीं है कि यदि आप पनबिजली परियोजना शुरू करते हैं तो आप सरकार के पास जाइये और मंजूरी लीजिये। अन्य परियोजनाओं का क्या हुआ। हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है। अधिक मांग के कारण बिजली उत्पादन महत्वपूर्ण है। कृषिविद बिजली उपयोग के लिये प्रशीक्षित हैं। लघु उद्योग, मझौले उद्योग और भारी उद्योग की बिजली उपयोग के लिये प्रशीक्षित हैं। हर घर में बिजली का उपयोग होता है। लोगों ने खाना बनाने के लिये बिजली का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। लोग एयरकंडीशन और अन्य चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बिजली की इस प्रकार की मांग है। हम कितना उत्पादन करते हैं? इस विशेष विधान में फोकस अनुपस्थित है। हमारा मानना है कि इस ओर ध्यान

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

केन्द्रित किया जाना चाहिये। केवल तब ही निजी निवेश विशेषकर विदेशी निवेश भारत में आ सकता है।

यह उपभोक्ता उत्पाद है और इसकी काफी मांग है जिसे विकासशील भारत में आसानी से बेचा जा सकता है। लोग पैसा देकर बिजली खरीदने को तैयार हैं, बशर्ते कि इसे हर समय उपलब्ध कराया जाये। यहां तक कि किसान को, यदि आप तुरन्त देने के लिए तैयार हैं तो वह बिजली खरीदने को तैयार हैं।

भारत में क्या स्थिति है? एक छोटे से पंपसैट हेतु बिजली के लिये हमें कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं कि बिजली काफी दूर तक पहुंची है। इसके पारेषण में हानि होती है। अनावश्यक खर्च भी होता है। साथ ही प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग हम कैसे करें ताकि पारेषण हानि को कम किया जा सके और किसानों हेतु उस बिजली का उपयोग किया जा सके? उस तरह की मांग अब सामने आ रही है। लोग भुगतान करने को तैयार हैं। तमिलनाडु में कनेक्शन लेने के लिये 25,000 रुपये जमा करने होते हैं। लोग तैयार हैं परन्तु सरकार और बिजली बोर्ड कनेक्शन देने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास वितरण के लिये बिजली नहीं है। प्रत्येक राज्य में यही स्थिति है...*(व्यवधान)* मुझे कुछ और मिनट बोलने की अनुमति दी जाये।

अत: इस क्षेत्र की प्राथमिकता को देखते हुये हमें वह तरीका खोजना होगा जिससे अधिक बिजली का उत्पादन होता कि वह विधान इस क्षेत्र में नये विदेशी निवेश के लिये नया रास्ता दिखाए।

दूसरी बात, मैं पारेषण में हानि पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा पारेषण क्षति केवल कुप्रबंधन की वजह से होती है। अब आप रक्षित बिजली उत्पादन कर रहे हैं। रक्षित उत्पादन की यहां अनुमति है। यहां तक कि छोटी चीनी मिल भी बिजली उत्पादन कर सकती हैं। वे इसे ऊंची लागत पर बेच रहे हैं। वे किसानों को नहीं बेचते, बल्कि राज्य बिजली बोर्डों को बेचते हैं जो इस पर राजसहायता देने के उपरांत किसानों को बेचते हैं। अब ऐसा ही हो रहा है। इसलिए यहां संसाधन उपलब्ध है। हम चीनी के सीरे से बिजली बना सकते हैं। अब यह कच्चामाल उपलब्ध है। लेकिन उस बिजली से कृषि उत्पादों का मूल्य वर्धन नहीं हो रहा है। साथ ही उचित तरीकों से उस बिजली का सही मूल्य देकर किसानों द्वारा उसका सीधे प्रयोग भी नहीं किया जाता। वे बिजली बोर्डों को बेचते हैं और बिजली बोर्ड राजसहायता देकर फिर उसे बेचते हैं। अत: इस पहलू को नोट किया जाना चाहिये। स्पष्ट रेखा खींची जानी चाहिये ताकि किसानों को लाभ मिले। पूरे भारत में किसानों को सस्ते मूल्य पर बिजली प्राप्त करने का लाभ मिलना चाहिये।

हम सरकारी नीति के विरुद्ध तमिलनाडु में आंदोलन कर रहे हैं। वे किसानों को की गई बिजली आपूर्ति के लिये पैसा मांग रहे हैं। लेकिन साथ ही हमें पता है कि यदि खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि होती है, यदि कृषि उत्पादों के बदले किसानों को सही पैसा मिलता है, तो किसानों द्वारा बिजली बिल के भुगतान की हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये। लेकिन यदि खाद्यान्न के मूल्यों में कमी की जाती है और साथ ही उन्हें बिजली का भुगतान करने के लिये कहा जाता है इसका मतलब है कि किसान ऋण जाल में फंसते जा रहे हैं। अत: उन्हें ऋण के जाल से निकलना है। इसी प्रयोजनार्थ हम इसकी मांग कर रहे रहे हैं। यहां आपने एक प्रावधान किया है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदय, क्या मेरे विद्वान मित्र सभा को स्पष्ट करेंगे कि कांगेस शासित किस राज्य में मुफ्त बिजली दी जाती है?

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : मैं अपने विद्वान मित्र से अपने राज्य के मुख्य मंत्री को यह सलाह देने का अनुरोध करूंगा कि वे खाद्यान्नों अर्थात् धान के मूल्य में वृद्धि करें, चीनी के दाम बढ़ने चाहिये और कपास के मूल्य में वृद्धि होनी चाहिये। यदि हर कृषि उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होती है तो हम कांग्रेस शासित राज्यों में बिजली दरों की समय-सारणी के पालन के लिये तैयार हैं...*(व्यवधान)* कृपया अपने मुख्यमंत्री को यह करने के लिये कहिये और तब आप मुझसे पूछ सकते हैं।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैंने एक सीधा सवाल पूछा है कि कांग्रेस शासित कौन सी राज्य सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देती है। वह जवाब नहीं दे रहे हैं। किसी भी कांग्रेस राज्य सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दी है। तब वे किस अधिकार से तमिलनाडु सरकार से प्रश्न कर रहे हैं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैंने पहले ही जवाब दे दिया है।

अत: उस प्रश्न के लिये मैं उनसे सहमत होना नहीं चाहता। अब खंड 98 के अन्तर्गत अनुदान दी जाती है। सरकार किस प्रयोजनार्थ अनुदान देने जा रही है?

इस संबंध में संसद द्वारा उचित विनियोग किये जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार जितना आवश्यक समझती है, उतनी धनराशि ऋण तथा सेन्ट्रल कमीशन अनुदान के रूप में दे सकती है। चूंकि वह केन्द्रीय अनुदान है, अत: किसानों कों मुफ्त बिजली देने वाले राज्यों को राजसहायता देनी चाहिये।

अत: मैं यह कहते हुये अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि इस व्यापक विधेयक की सराहना हुई है लेकिन साथ ही कुछ और समय की जरूरत है ताकि यह बाजार में आ सके। विधेयक की प्रस्तावना में व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि कैसे यह प्रतिस्पर्धी होगा और निजी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में कैसे आयेगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, मैं विद्युत विधेयक, 2001 का अपनी और अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से पुरजोर समर्थन करता हूं।

कल इसी समय पावर मिनिस्टर ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था और आज उन्होंने कई माननीय सांसदों के भाषण सुने होंगे। उन्होंने पावर मिनिस्ट्री की भूमिका को कल ही स्पष्ट कर दिया था, उस समय मैंने उन्हें बधाई दी थी। मेरे ख्याल से इस बिल का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे मित्र, श्री प्रबोध पाण्डा को इस बिल में कुछ अच्छा दिखाई देता है या नहीं, मुझे मालूम नहीं। उन्होंने यहां तीन बातों का जिक्र किया। एक, बिल में उपभोक्ताओं के संरक्षण का ख्याल नहीं किया गया है और दूसरे, ग्रामीण विद्युतीकरण के संदर्भ में ग्रमीणों के लिये क्या प्रावधान हैं और तीसरे, इस बिल को इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत थी? माननीय पॉवर मिनिस्टर इस बात का जवाब देंगे लेकिन यदि श्री पाण्डा ने बिल पढ़ने के बाद अपनी बात रखी होती तो अच्छा होता।

सभापति जी, माननीय पावर मिनिस्टर ने कुछ मुख्य विशेषताओं को लेकर यह बिल इस सदन में रखा है और सरकार ने स्वयं अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है। जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने की बात है, पावर मिनिस्टर को इसका बहुत एक्सपीरिएंस है। वे महानगर मुम्बई के पार्षद रहे हैं। उनका निर्वाचन क्षेत्र जिला रत्नागिरी है जो छोटे-छोटे गांवों तथा कस्बों का क्षेत्र है। इस प्रकार उनके पास महानगर मुम्बई और छोटे-छोटे गांवों का अनुभव है। उनके इस तरह के अनुभवों का दर्शन मुझे इस बिल में दिखाई दे रहा है। पॉवर मिनिस्टर ने इस बिल में विद्युत के बारे में चार मुख्य उद्देश्य रखे हैं। इनमें जैनेरेशन, बिजली का जल्दी उत्पादन करने के लिये प्रावधान रखा गया है। हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा की जनता रहती है और हमारा कितना बड़ा भू-भाग है।

सभी को विद्युत प्रदान करना कोई आसान बात नहीं है। हम यहां पर चाहें कितने भी भाषण दे दें। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि अब तक हम 80 हजार गांवों में बिजली नहीं दे सके हैं। पचास प्रतिशत लोगों के घरों में बिजली नहीं दे सके हैं। भविष्य में घर-घर में बिजली पहुंचाने का प्रयास करने के लिए पावर मिनिस्टर ने यह बिल सदन में रखा है।

सभापति महोदय, इसमें जनरेशन की बात कही गई है। जनरेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। इन सब बातों को इस बिल में उन्होंने अच्छी तरह से रखा है। पारेषण, ट्रांसमीशन में जो लॉसेज होते हैं, यह ठीक है कि हम बिजली का उत्पादन करते हैं। लेकिन जब बिजली का ट्रांसमीशन होता है तो उसमें गड़गड़ी होती है। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए इस बिल में बहुत सारे प्रावधान किये गये हैं। बिजली का वितरण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब बिजली का उत्पादन होता है तो जो उसका उपभोक्ता होता है, उसके घर-घर में तथा किसानों के खेतों में बिजली पहुंचाने कि लिए इस बिल में बहुत अच्छी बातें रखी गई हैं। श्री प्रबोध पांडा जी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने इसमें उपभोक्ता के संरक्षण का ख्याल नहीं रखा है। उसका जवाब बिजली मंत्री अपने उत्तर में देंगे। लेकिन खंड 43(1) और 56(2) में जब मंत्री जी ने बिल इंट्रोड्यूस किया था, तब उन्होंने इसकी मंशा जाहिर की है। इसमें उपभोक्ता को सर्वोपरि रखते हुए, उपभोक्ता को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उन्होंने यह बिल हाउस में रखा है। उपभोक्ता के हित सर्वोपरि हैं, यह पावर मिनिस्टर ने इंट्रोडक्शन के वक्त अपने भाषण में कहा है।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। टैरिफ सिद्धांत के बारे में इस बिल में विचार किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत चोरी को कैसे रोका जाए, इसका विचार किया गया है। बीस हजार करोड़ रुपये की बिजली की चोरी होती है। इस बिल के माध्यम से अगर हम इस बिजली चोरी को रोकने में कामयाब हुए तो बिजली का संकट हल होने में काफी मदद मिलेगी।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों विद्युत मंत्री महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में बिजली की बहुत किल्लत है। वहां 1800 से 2000 मेगावाट बिजली की कमी है। महाराष्ट्र का किसान बिजली के लिए परेशान है। लोड शैडिंग के कारण किसानों को आठ-आठ, दस-दस घंटे बिजली नहीं मिलती है। एक हफ्ते में दो-दो, तीन-तीन दिन लोड

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

शैडिंग होती है।...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र में अभी शिन्दे साहब मुख्य मंत्री हैं। मैं आपके माध्यम से दोनों बिजली मंत्रियों को प्रार्थना करूंगा कि महाराष्ट्र के किसानों की बिजली की हालत को सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाके हैं, छोटे-छोटे कस्बे हैं, वहां घर-घर में बिजली मिल सके, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

सायं 7.00 बजे

सभापति जी, अभी बहुत से साथियों ने चिन्ता जताई। इस सौ करोड़ के देश में घर-घर में बिजली पहुंचाने के लिए हमारे दोनों मंत्री सक्षम हैं। भविष्य में बिजली का संकट दूर करने के लिए इस विधेयक से फायदा होगा और यह विधेयक उसमें असरकारक होगा। इस बिल पर सही मायने में अमल किया जाए तो इस देश का बिजली संकट हल करने के लिए निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, यही बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विकास चौधरी (आसनसोल) : सभापति महोदय, विद्युत विधेयक 2001 पर बोलते समय मैं कतिपय बिन्दुओं विरोध करना चाहूंगा क्योंकि वे विरोध किये जाने लायक ही हैं। मेरे विचार से जब यह विधेयक तैयार किया गया था तो यह बाजार की छत्र-छाया में तैयार किया गया था और उन्होंने यह कहा था कि विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिये और इसीलिए निजी कंपनियों को विद्युत क्षेत्र में आना चाहिये। अभी भी विद्युत क्षेत्र मे निजी कंपनियों के आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और निजी कंपनियां विद्युत क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस विधेयक का ध्यान राज्य विद्युत व्यवस्था को खोलने और विखंडित करने पर केन्द्रित है। क्यों? निजी कंपनियां तब तक विद्युत क्षेत्र में नहीं आयेंगी जब तक उनकी संतुष्टि के अनुसार शुल्क में वृद्धि नहीं कर दी जाती। निजी कंपनियां नहीं आ रही हैं। इसी कारण वे शुल्क में वृद्धि करने के लिये जोर डाल रहे हैं। तब वे आयेंगी। उड़ीसा और अन्य राज्यों का अनुभव यही है।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य में आप कोई उदाहरण नहीं दे सकते जहां वे सुधार और विद्युत क्षेत्र मे पुनर्संरचना के मामले में वे सफल रहे हों। फ्रांस और नार्वे पूंजीवादी देश हैं लेकिन उन्हें अब भी सुधार और विद्युत क्षेत्र में पुनर्संरचना की आवश्यकता नहीं है। दुनिया बाजारवादियों को उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि इससे जटिल, परिस्थिति बनेगी और राज्य पर बोझ होगा। इसीलिये उन्होंने सुधार या पुनर्संरचना स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। विद्युत क्षेत्र में आप इसे जो कुछ कहें। यहां तक कि नार्वे ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

इसी कारण मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य में सुधार क्षेत्र में सुधार करके सफल होना संभव हो सकेगा। उन्होंने अभी शुल्क में वृद्धि की है। शुल्क वृद्धि के संबंध में विशेषज्ञों की क्या सिफारिश है? मैं कुछ उद्धृत कर सकता हूं लेकिन समय बहुत सीमित है।

उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक ने मैसर्स पुटनाम नामक कम्पनी को परामर्शदाता नियुक्त किया है। उन्होंने वृद्धि के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की हैं परन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। परन्तु रूझान क्या है? रूझान लोगों और उपभोक्ताओं के लिए बहुत खतरनाक है। वृद्धि कितनी है? कृषि क्षेत्र में वृद्धि 612.8 प्रतिशत है। यहां तक कि सार्वजनिक निर्माण को भी नहीं छोड़ा गया है। सार्वजनिक निर्माण में वृद्धि 254.7 प्रतिशत है। दूसरी ओर खाद्य उद्योग में वृद्धि का प्रतिशत अधिक नहीं है। यह केवल 16.5 प्रतिशत के करीब है। एकसमान प्रशुल्क क्या है? बड़े उद्योग उसी कीमत पर बिजली का उपभोग करेंगे जिस पर कृषकों द्वारा उपभोग किया जाएगा। इसीलिए, मैं समझता हूं कि इस विधेयक की समीक्षा की जानी चाहिए। जैसा कि विपक्ष के उप नेता ने कहा है कि राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाये बिना यह विधेयक कारगर सिद्ध नहीं होगा। यदि राष्ट्रीय विद्युत नीति के आधार पर यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया होता तो यह कहना बेहतर होता कि वे 'सब लोगों को बिजली' द्वारा 2012 तक वे उन्नति करेंगे। यदि ऐसा हुआ होता तो इस विधेयक का स्वागत हुआ होता परन्तु इस तरह यह सम्भव नहीं होगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार इसकी समीक्षा करें। राज्य विद्युत प्रणालियों को अलग-अलग करने और तोड़ने का कार्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि यह समवर्ती विषय है, फिर भी इसे रोका जाना चाहिए।

***श्री आदि शंकर** (कुड्डालोर) : माननीय सभापति महोदय, मैं विद्युत विधेयक, 2001 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। विधेयक को इस सम्माननीय सभा में विचारार्थ पेश करते हुए माननीय मंत्री श्री अनन्त गीते ने अपनी

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

प्रारम्भिक टिप्पणी में कहा था कि 4 लाख से अधिक दूरस्थ गांवों में अभी तक बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। लगभग 80 हजार गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक बिजली नहीं है। जहां तक घरेलू उद्देश्य हेतु बिजली की आपूर्ति का संबंध है तो लगभग 50 प्रतिशत घर हैं जहां अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। मंत्री ने अपने प्रारम्भिक भाषण में आगे विद्युत चोरी को समाप्त करने और विद्युत उत्पादन को और बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उपभोक्ताओं में कुछ वर्गों को राजसहायता मिलती रहनी चाहिए और न ही व्यवस्था में जरूरतमंदों को राजसहायता प्रदान करने हेतु कदम उठाये जाने चाहिएं। जो सुधार प्रक्रिया अब चलाई जा रही है उसका लाभ उपभोक्ताओं को अवश्य मिलना चाहिए। विद्युत क्षेत्र में रोजगार सृजन का ध्यान रखा जाना चाहिए। निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बिजली की पर्याप्त आपूर्ति मिलनी चाहिए। माननीय मंत्री ने यह चर्चा शुरू करते हुए प्रभावी रूप में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत पर बल दिया था।

किसी देश का आर्थिक विकास अथवा औद्योगिक विकास विद्युत क्षेत्र में उपलब्धियों तथा उपयोग से नापा जाता है। जहां तक हमारे देश का प्रश्न है तो बहुत से राज्यों के विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। बहुत सी राज्य सरकारें यह दलील देकर कि उनके पास धन की कमी है, विद्युत उत्पादन स्थापित करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंप देती है। उसके पश्चात राज्य विद्युत बोर्ड ऊंची दरों पर ऐसे निजी क्षेत्र के संचालकों से विद्युत खरीदने पर मध्य होते हैं। विद्युत उत्पादन के अलावा दिल्ली और उड़ीसा जैसे राज्यों में विद्युत वितरण भी निजी क्षेत्र के हाथों में दे दिया गया है। श्री गोविंद्रस्वामी और श्री रत्नासभापति, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड वर्कर्स प्रोग्रेसिव यूनियन के प्रेजीडेंट और जनरल सेक्रेटरी ने हमारे नेता डा० कलइंगर करूणानिधि के माध्यम से लिखा है कि इस विद्युत विधेयक पर विचार करते हुए सावधानी बरती जानी चाहिए। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सभी विद्युत बोर्डों तथा इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए इन उचित सुझावों पर ध्यान दें।

मैं इस विद्युत अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात पड़ने वाले प्रभावों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सभी विद्युत बोर्डों को एक साल के भीतर अपनी परिसम्पत्तियां अपनी-अपनी राज्य सरकारों को सौंप देनी चाहिएं। तत्पश्चात, राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन करना और उनके कार्यों को सुचारू बनाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी।

विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण तीनों को अलग-अलग करके राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण को सुचारू बनाया जा सकता है। अभी कुछ राज्यों द्वारा अपने विद्युत बोर्डों में ऐसा किया गया है। जिन निजी क्षेत्रों को विद्युत उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी दी गई है वे किसी को किसी भी कीमत पर विद्युत बेच सकते हैं। उस पर कोई सरकारी निमंत्रण नहीं है। आजकल कुछ निजी क्षेत्र की इकाइयां तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन करती हैं परन्तु वे इसे केवल तमिलनाडु विद्युत को ही बेच सकती हैं क्योंकि उनके पास अपनी पारेषण लाइनें नहीं हैं। संचार उद्योग में निजी कंपनियां अपने अलग केबल कनेक्शन रख सकती है क्योंकि उनकी सीमित सेवाएं होती हैं। परन्तु विद्युत की बात अलग है। यदि निजी क्षेत्र की कंपनियां चाहे तो कानून में व्यवस्था है कि अलग पारेषण लाइन स्थापित की जा सकती है। यदि ऐसे अलग-अलग नेटवर्क बनाये जाते हैं तो इससे अनुचित प्रतिस्पर्धा, अनावश्यक प्रतिबंदिता, अवांछनीय व्यवधान, चकित करने वाले भ्रम और भारी पारेषण हानि तथा विद्युत चोरी को बढ़ावा मिल सकता है।

निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों के विद्युत शुल्क का निर्धारण करने हेतु अलग-अलग पैमाना है। इससे समाज में सम्पन्न और विपन्न के बीच के ऊर्ध्वाधर अंतर में बढ़ोतरी होगी। विद्युत उत्पादन और वितरण एक अनिवार्य सेवा है। बाहर वाले तथा विदेशी भी लाभ के उद्देश्य से इस क्षेत्र में आ सकते हैं। विशाल-ठोस विद्युत क्षेत्र जो कि हाल ही तक सरकार के हाथ में था अब निजी क्षेत्र के हाथों में चला जाएगा। लम्बे समय तक इससे उपभोक्ताओं विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। यह बिजली को दूरदराज के गांवों में जहां हमारे अभावग्रस्त भाई रहते हैं ले जाने में बाधक होगा। एक दिन बिजली विलासिता की वस्तु बन सकती है और समाज के निर्धन और अभावग्रस्त वर्गों की पहुंच से बाहर हो सकती है। इस तरह वैश्वीकरण के नाम पर निजीकरण से आरक्षण प्रणाली प्रभावित हुई है। नौकरियों में कमी तथा नौकरियों में आरक्षण से इंकार करने से समाज के वंचित वर्ग पर और अधिक असर पड़ेगा। नौकरियों में आरक्षण में कटौती से एक विशेष समूह अपना विद्युत व्यवसाय स्वयं चला रहा होगा। केवल उनके लोगों को ही वहां जगह मिलेगी। इससे पहले से स्थापित और कार्यरत जल और ताप विद्युत परियोजनाओं का आगे निजीकरण होगा। यदि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्र को बेचना होगा तो उनके संचालन में घाटा प्रदर्शित किया जा सकता है। विद्युत बोर्डों के इंजीनियरों सहित लगभग 9 लाख कर्मचारी अपने रोजगार गंवा देंगे और रोजगार सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। मैं केंद्रीय विद्युत मंत्री से अपील करता हूं कि इन पहलुओं पर विचार करें और जिस प्रणाली का पुनर्गठन करने की मांग की गई है उसमें कमियों को दूर करें।

[श्री आदि शंकर]

तमिलनाडु में हमारे नेता डा० कलइंगर करूणानिधि के शासन के दौरान कृषि पंप सेटों के लिए विद्युत आपूर्ति निशुल्क थी। तमिलनाडु में लगभग 16 लाख कृषकों के लिए के लिए 1.9.90 से भूतलक्षी प्रभाव से कृषि उद्देश्यों के लिए निशुल्क विद्युत प्रदान करने हेतु 17.11.1990 को एक आदेश जारी किया गया था। तमिलनाडु के गन्ना उत्पादकों को गन्ने की पिराई के लिए निशुल्क विद्युत प्रदान की गई थी। तमिलनाडु में हमारे नेता के शासन में ताप विद्युत इकाइयों का कार्यकरण प्रंशसनीय था और इसके लिए वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान पुरस्कार भी मिले थे। करूणानिधि के शासनकाल काल के दौरान प्रतिवर्ष 60 सब-स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इसलिए हमारी सरकार द्वारा 1720 करोड़ रुपए की लागत और 3245 मेगावाट की क्षमता वाले 233 सब-स्टेशन स्थापित किए गए।

तमिलनाडु में जब डा० करूणानिधि के नेतृत्व में हमारी डी एम के सरकार सत्ता में थी तो 7.1.2000 की स्थिति के अनुसार घरेलू उपभोग हेतु विद्युत शुल्क 134 पैसे प्रति यूनिट था। इसके साथ ही 4.6.2000 की स्थिति के अनुसार यह आंध्र प्रदेश के 350 पैसे प्रति यूनिट था। कर्नाटक में 16.7.1998 की स्थिति के अनुसार यह 183 पैसे प्रति यूनिट था और महराष्ट्र में 1.5.2000 की स्थिति के अनुसार यह 215 पैसे प्रति यूनिट था। उसी अवधि के दौरान औद्योगिक प्रयोजन के लिए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर हेतु विद्युत शुल्क तमिलनाडु में 460 पैसे प्रति यूनिट, आध्रं प्रदेश में 518 पैसे, कर्नाटक में 527 पैसे, महाराष्ट्र में 444 पैसे प्रति यूनिट और उसी अवधि के दौरान व्यावसायिक प्रयोजन हेतु कम शक्ति ट्रांसमीटर विद्युत शुल्क तमिलनाडु में 383 पैसे, आंध्र में 502 पैसे, कर्नाटक में 460 पैसे, महाराष्ट्र में 440 पैसे प्रति यूनिट रहा।

तमिलनाडु में जो हो रहा है वह इसके विपरीत है। पूर्व की उपलब्धियों पर कालिख पोती जा रही है। माननीय सदस्य श्री सेल्वागनपति ने अपने भाषण में बताया कि तमिलनाडु में कृषि प्रयोजनों हेतु विद्युत की निशुल्क आपूर्ति जारी है। निशुल्क आपूर्ति अलग होती है और राजसहायता अलग होती है।...*(व्यवधान)*

हम कृषकों के प्रवक्ता बनकर बहुत प्रसन्नता महसूस करते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आप बड़े पूंजीपतियों और जो विद्युत का व्यापार करते हैं उनके हाथों में तुरही, कठपुतली और औजार बने हुए हैं। और इस पर अपना दर्द व्यक्त करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री आदि शंकर, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : महोदय, स्पष्टीकरण का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे नाम का जिक्र किया है। मुझे स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणियां हों तो उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

डा० वी० सरोजा (रासीपुरम) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक महिला सदस्य को इस विधेयक पर अपने विचार रखने का अवसर देने हेतु आपका धन्यवाद करती हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

मैं माननीय मंत्र से कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए इस विधेयक का समर्थन करने के लिए यहां खड़ी हुई हूं। निसंदेह विद्युत विधेयक, 200 एक साहसिक और व्यापक पहल है। कुल मिलाकर विद्युत विधेयक में विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार से संबंधित कानूनों को समेकित करने का प्रस्ताव है। इसमें विद्युत उपयोग के विकास, विद्युत शुल्क के युक्तीकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विनियामक आयोग इत्यादि के गठन के लिए उपयुक्त उपाय करने की बात की गई है।

महोदय, समय की कमी के कारण मैं पूरा भाषण देने के बजाय कुछ प्रश्न और स्पष्टीकरण रखूंगी।

महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित "माइलस्टोंस ऑफ सक्सेस" नामक एक पुस्तक है। मैं माननीय मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील करती हूं कि उसमें उल्लिखित योजनाओं का बारीकी से विश्लेषण करें। इस पुस्तक के पृष्ठ 46 पर एक शीर्षक है–'पावर'। इसके पहले पैराग्राफ में कहा गया है:

> "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के लागू होने के पश्चात् मार्च, 2002 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी का गठन किया गया।"

बहुत से पैराग्राफ हैं और सभी का बारीकी से विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।

विधेयक पर अब विचार हो रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 4110 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता को अंतिम रूप दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या वे इस विधेयक से 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हासिल करने वाले हैं? अवश्य ही मैं पूर्व विद्युत मंत्री और वर्तमान माननीय मंत्री को यह ध्यान लाने के लिए बधाई देती हूं। परन्तु क्या उल्लिखित सभी बातों को लागू करना व्यवहारिक रूप में संभव है?

परन्तु सबसे महत्वपूर्ण और सूक्ष्म मूल्यांकन अपारंपरिक ऊर्जा के संबंध में करने की आवश्यकता है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री शिवराज वि० पाटील ने ठीक ही कहा है कि हमने प्राकृतिक संसाधनों – कोयला और तेल का लगभग पूरा दोहन कर लिया है। हम सब जानते हैं कि आज की तिथि के अनुसार हम तेल के आयात हेतु 85,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे हैं। वित्तीय अड़चनें भी हैं। इसलिए विशेषकर इराक युद्ध के पश्चात् की स्थिति पर विचार करते हुए क्या हम अपारंपरिक ऊर्जा की अनदेखी करते हुए हर चीज को नियंत्रित रख सकते हैं? महोदय, मुझे स्वयं को संदेह है कि हम इस विधेयक में उल्लिखित किसी भी लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। हममें कमी कहां है?

आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए विद्युत महत्वपूर्ण अवसंरचना है। स्वतंत्रता से अब तक अभिषिक्त विद्युत क्षमता 1,362 मेगावाट से बढ़कर 1 लाख मेगावाट से ऊपर हो गई है। परन्तु आज भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग कितना है? विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग 330 किलोवाट है जो कि विश्व में सबसे कम है। दुखित हृदय से मैं यहां बताने के लिए खड़ी हूं और कृपया इसे रेखांकित किया जाए कि भारत में विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग सबसे कम है। जबकि ब्राजील में विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग 1,783 किलोवाट है। चीन में 719 किलोवाट है; ब्रिटेन में 5,843 किलोवाट है; आस्ट्रेलिया में यह 6,606 किलोवाट है; अमरीका में 8,747 किलोवाट है। परन्तु अब हम कहां हैं?

महोदय, हमारे यहां लगभग 80,000 गांव ऐसे हैं जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। क्या कमियां हैं? कमियां हैं: अपर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता; विद्यमान उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग न होना; ग्रिड अनुशासन की कमी। ग्रिड अनुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें कदम उठाने पड़ेंगे। फिर अपर्याप्त अंतर-क्षेत्रीय पारेषण सम्पर्क है; अपर्याप्त और पुराने पारेषण और वितरण नेटवर्क हैं।

इसलिए, उन्हें नेटवर्क को आधुनिक बनाना होगा। बड़े पैमाने पर चोरी और सुधारों की धीमी गति बहुत महत्वपूर्ण है।

नौंवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह पता चला था कि राज्य सरकारों ने 87 प्रतिशत प्राप्त किया; केंद्रीय क्षेत्र ने केवल 30 प्रतिशत प्राप्त किया था और निजी क्षेत्र ने 30 प्रतिशत प्राप्त किया था। जल विद्युत और ताप में यह 46 प्रतिशत था जबकि नाभिकीय विद्युत में यह 100 प्रतिशत है।

मैं जानना चाहती हूं कि क्या हम 100 प्रतिशत नाभिकिय विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। यदि नहीं तो मंत्रालय इस नाभिकीय विद्युत का उपयोग कैसे करेगा।

देश जल विद्युत का केवल एक चौथाई ही उपयोग कर रहा है। भारत जल विद्युत क्षमता का 17 प्रतिशत उपयोग कर रहा है जबकि नॉर्वे में यह 58 प्रतिशत है, कनाडा में यह 41 प्रतिशत है और ब्राजील में यह 31 प्रतिशत है।

क्या मेरी बात सही नहीं है कि जल विद्युत उत्पादन सस्ता पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में पारेषण हानि और अन्य हानियां तुलनात्मक रूप में कम होती हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों के घाटों के लिए वित्तीय संकट का केंद्रीय स्रोत पारेषण और वितरण के कारण है। 1977 में यह 25 प्रतिशत था। 1999-2000 के दौरान यह 31 प्रतिशत था। महोदय, क्या हम ध्यान से जांच नहीं कर रहे हैं और कमियों का पता नहीं लगा रहे हैं?

1991 के दौरान सकल राजसहायता 7,494 करोड़ रुपए थी जबकि अब यह 32,429 करोड़ रुपए है।

माननीय मंत्री ने कहा कि हमे जल विद्युत का दोहन करने में अधिक सावधानी बरतनी होगी। हम जल विद्युता की ओर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं।

जहां तक अपारंपरिक ऊर्जा का संबंध है तो समय की कमी के कारण और विशेष रूप से अपारंपरिक ऊर्जा के सम्बंध में न होने के कारण मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और ऊर्जा मंत्रियों को आमंत्रित करके अपारंपरिक ऊर्जा पर एक पूर्ण चर्चा करायें। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत, जो कि देश के विकास का प्रमुख आधार है, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके, सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को विश्वास में लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : सभापति महोदय, मंत्री जी द्वारा जो विधेयक पेश किया गया है, मैंने उसमें कई संशोधन दिए थे। हमारे यहां विधान सभा में जो पुरानी परिपाटी थी, उसके अनुकूल मैं समझता था कि मुझे भी बोलने का अवसर मिलेगा। लेकिन वह अवसर आखिर में मिला है। गीते साहब ने यह विधेयक दूसरी बार पेश किया है। पहली बार सुरेश प्रभु जी ने इसको प्रस्तुत किया था और दूसरी बार इन्होंने कल प्रस्तुत किया है। इसमें दो-तीन बिंदु ऐसे हैं, जिस पर मेरी कुछ आशंकाएं हैं, जिनको मंत्री जी स्पष्ट करेंगे। आपका सम्पूर्ण विधेयक 180 खंडों में विभाजित है। इसमें आपने लिखा हे कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 और विद्युत विनियामक आयोग विधेयक, 1998 के निरसन तथा इन खंडों के विर्निष्ट विषयों की व्याप्तियों के लिए है।

मेरा कहने का मतलब यह है कि जो तीन पुराने एक्ट बने हुए हैं, वह विधेयक में हैं। हम विधेयक पर विचार कर रहे हैं। कुछ समय के बाद इसको सदन एक्ट के रूप में स्वीकार कर लेगा। जो स्वीकृत है, उसको इस विधेयक के तहत समाप्त करने की इसमें परिभाषा परिलक्षित की गयी है। मैं जानना चाहूंगा कि जब हम इसको समाप्त कर देंगे और जब यह समाप्त हो जाएगा, इस बीच में आपकी नियमावली नहीं बनेगी। आपने जिसका जिक्र अपने एक्ट में किया है कि नियमावली बनेगी, विस्तृत रूपरेखा बनेगी, उसको तैयार करेंगे, वह कैसे होगा? हमारी इस शंका को आप दूर करें।

हमारी दूसरी शंका यह है कि आपने जो वित्तीय ज्ञापन दिया है इसमें तीसरा पैरा पढ़कर आप देख लीजिए। ''अपील अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर आने वाला प्राकृत आवर्ती वार्षिक व्यय 3.95 लाख रुपये प्रति वर्ष है। अपील अधिकरण के अवास-अस्थापन जिसमें फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर आदि और प्रकल्पित अनावर्ती व्यय 29 लाख रुपये प्रति वर्ष है। विधेयक में कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय अतिवर्णनित नहीं है''। आपने ऐसा क्यों लिखा है, यह निश्चित नहीं है। यह जो आपने वित्तीय ज्ञापन दिया है और जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किये हैं वे निश्चित नही हैं। जिस समय आपने आंकड़ा दिया था वहीं आंकड़ा अब भी आपका है। जब नियमावली नहीं बनेगी, जब तक नियम की स्वीकृति नहीं होगी, तब तक किस नियम, किस संविधान के तहत आप व्यय कर सेकेंगे। हमारी इस आपत्ति का भी आप निराकरण करें।

माननीय सुरेश प्रभु जी ने जब विधेयक पेश किया था तब उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था कि यह सिलैक्ट कमेटी में चला जाना चाहिए और सिलैक्ट कमेटी में गया भी था। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसको आपने क्यों नहीं माना?

मैं आपके आदेश से पृष्ठ 373 का पैरा 13.17 पढ़ना चाहता हूं। ''समिति पाती है कि खंड 76(5)(ख) के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग सीईआरसी का पदेन अधिकारी सदस्य होगा।'' यह आपका प्रोविजन पहले से था। इसको संशोधित करके सिफारिश की कि समिति चाहती है कि चूंकि सीईएओ को आयोजन का दायित्व सौंपा गया है। अत: सीईएओ के अध्यक्ष को स्थाई समिति के तौर पर शामिल किया जाना अपेक्षित नहीं है। तथापि समिति यह महसूस करती है कि सीईआईसी तकनीकी मामलों में सीई के अध्यक्ष की सहायता लेनी चाहिए। आपने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? आपके विभाग के रिमार्क में लिखा है कि नॉट-एक्सैप्टिड। इसमें लिखना चाहिए था कि इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें तो कोई अधिभार नहीं है, कोई वित्तीय मैटर इन्वौल्व नहीं है, कोई प्रशासनिक मामला भी इंवौल्व नहीं है, फिर आपने इसको स्वीकार क्यों नहीं किया? स्वीकार नहीं किया तो उसका कारण बताना चाहिए था। पार्लियामेंट में आपने एक्सप्रेशन नोट भेजा। इसको आप देख लीजिए, यह मैं कहना चाहता हूं।

फिर पृष्ठ 74 में पैरा 13.18 में लिखा है कि ''समिति पाती है कि किसी भी रिक्ति की अवस्था में, मृत्यु, त्यागपत्र, पद से विमुक्त किये जाने के कारण या सेवा-निवृत्ति के पूर्व 6 महीने के भीतर या किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में केन्द्र सरकार को 78(5) के अनुसार एक महीने के भीतर रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है''। यह आपका प्रॉविजन है।

लेकिन समिति की बात को आपने नहीं माना। समिति ने कहा –समिति अनुभव करती है कि खण्ड 78 और 85 के अधीन चयन समिति की कोई उपयोगी भूमिका नहीं है और इस मामले में देरी हो सकती है। इसलिए महसूस करती है कि सदस्यों का चयन केवल लोकसेवा आयोग से किया जा सकता है। अत: इन दोनों खण्डों को इस अनुरूप में संशोधित करने की सिफारिश करती है। महोदय, विषय बहुत लम्बा है और कई ऐसे बिन्दू हैं, जिनको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किए। मैं खास तौर से दो बिन्दुओं के बारे में जानना चाहता हूं कि इनको क्या कठिनाई है। यह कागज बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कार्यान्वयन कौन करेगा। क्या इसका कार्यान्वयन आप करेंगे? आप नहीं करेंगे। क्या इसका कार्यान्वयन राज्य मंत्री करेंगी?

वे भी नहीं करेंगी। क्या इसका कार्यान्वयन प्रधान मंत्री जी करेंगे? वे भी नहीं करेंगे। आपको लिखकर दे दिया गया और आपने कर दिया। हमने आपसे पूछा था कि इतने संशोधन क्यों दिए हैं? आपने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री संतोष मोहन देव जी हैं और उनको भारत सरकार में मंत्री रहने तथा प्रशासन चलाने का अनुभव है और इतने अनुभवी व्यक्ति ने सिफारिश की है। उस समिति में सभी दलों के लोग हैं। हमारे उपनेता सदन में बैठे हुए हैं, वे कभी इस आसन पर विराजमान थे। उनकी यह परिकल्पना थी कि स्टैंडिंग कमेटी होगी और उनमें सभी दलों के लोग रहेंगे और विचार-विमर्श होगा। जो सिफारिश होगी, वह उचित होगी।

महोदय, मैं विषय से अलग नहीं जा रहा हूं। माननीय सदस्य, श्री सुबोध मोहिते जी सदन में उपस्थिति हैं, उन्होंने कहा कि यह बहुत प्रोग्रेसिव बिल है। हम भी यह मानते हैं। लेकिन आप ही के दल के श्री सुरेश प्रभु जी भी हैं। सिलैक कमेटी में आपके दल के लोग भी होंगे। सिलैक्ट कमेटी ने जो कहा, उसको स्वीकार क्यों नहीं किया गया। इनके विभाग ने कहा – स्वीकार नहीं। ऐसा कहा, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जनप्रतिनिधि के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप इसको इन्क्ल्यूड करते। इन दोनों सिफारिशों को आपने सम्मिलित नहीं किया। आफिसरों के शिकंजे में कसे हुए हैं। समिति ने कहा कि इसको चैक करो, तो उन्होंने नहीं माना और आपको मजबूरन दस्तखत करके संसद में सर्क्युलेट करना पड़ा।

मैं बिहार के बारे में कहना चाहता हूं। ग्रामीण योजनाओं के बारे में जो पैसा दिया है, वह खर्च नहीं हुआ। इस पर राज्य मंत्रीजी ने जवाब दिया था। खर्च नहीं हुआ, तो क्या इससे आपकी जवाबदेही समाप्त हो गई। आप कहते हैं कि 80 हजार गांवों में बिजली पहुंचानी है, तो क्या आप पैदल चलकर बिजली पहुंचायेंगे। कानून पास हो जाएगा, लेकिन हमारे यहां पनबिजली के दो प्रपोजल है, उनके लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। कैमूर और कटबंद – ये दोनों पनबिजली योजनायें लम्बित हैं और आप पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर यह व्यवस्था हो जाए, तो बिजली सुलभ हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि कहलगांव, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालन्दा लाइन कितने दिनों से लम्बित पड़ी हुई है। इस काम को आपको करना चाहिए। पावर ट्रांसफोर्मर जो पावर स्टेशन में लगाते हैं, वह आपकी फैक्ट्री में नहीं बनता है। इसका रिक्विजीशन दिया है और मंत्रालय के सैक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि यह हमको चाहिए, लेकिन काम नहीं हुआ।

मैं समझता हूं कि इस कानून से कुछ नहीं होने वाला है और न ही पब्लिक को कोई लाभ पहुंचने वाला है। पहले कहा जाता था कि भगवान की दी हुई तीन चीजें होती हैं–जलवायु, पानी और वायु। इन पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए लेकिन आज बिजली के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप बिहार में जाइए। आपको वहां अंधेरा ही अंधेरा दिखायी देगा। मोमबत्ती की रोशनी से पढ़ा नहीं जाएगा। इस कारण चश्मा भी नहीं लगेगा। हम वहां जाएंगे तो बैठे रहेंगे। आज बिजली बहुत आवश्यक है और वह जीवन-मरण के लिए है। इस कारण आपके नेता ने बिजली विभाग लिया। चाहे आप इस विभाग में रहें या सुरेश प्रभु रहें लेकिन ठाकरे साहब ने बहुत सोच-समझ कर भारत सरकार से बिजली विभाग अपने हित में लिया जिससे छोटे से छोटा ग्रामीण और बड़े से बड़ा व्यपारी भी उनके चरणों को स्पर्श करे।

मोहिते साहब ने कहा कि महाराष्ट्र में बिजली की कमी हो गई है। वहां बिजली की कमी कैसे हो गई? वहां बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि शुरू से बिजली विभाग आपके पास है। बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या है।...*(व्यवधान)* सरकार किसी की नहीं होती है। वह पब्लिक की होती है। आप इस कानून को पास करते समय आवश्यक संशोधन करते हुए जन हित में काम करें।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : सभापति महोदय, यह बताने की आवश्यकता नहीं कि बिजली सभ्यता की जान है। किन्तु, सभ्यता तभी बरकरार रह सकती है जब आम लोगों को अधिक विकास का फायदा हो। इसलिए हम इस महत्वपूर्ण पहलु को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

इस विधेयक में ग्रामीण विद्युतीकरण का दायित्व पंचायतों, स्थानीय निकायों और सहकारिता को दिया गया है। यह बड़ी हास्यास्पद बात है, क्योंकि पंचायतों, स्थानीय निकायों और सहकारिता के पास आवश्यक तकनीक, मशीनरी, तंत्र आदि नहीं होते हैं। किन्तु कीमी और वाणिज्यिक क्षेत्रों को निजी-कम्पनियों के हाथों में दे दिया गया है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विधेयक के खंड 6 में कहा गया है:-

> "समुचित सरकार सभी-क्षेत्रों में जिनके अन्तर्गत ग्राम और उपग्राम भी हैं, विद्युत प्रदाय करने के लिए प्रयास करेगी।"

मैं माननीय मंत्री जी से 'प्रयास' शब्द को हटाने का अनुरोध करना चाहूंगा। बल्कि, मैं चाहूंगा कि वे इस प्रकार जोड़ें:-

[श्री लक्ष्मण सेठ]

"समुचित सरकार सभी क्षेत्रों में जिनके अन्तर्गत ग्राम और उपग्राम भी हैं, विद्युत प्रदाय आपूत्ति करेगी।"

यह एक कल्याणकारी राज्य और सरकार का दायित्व बनता है कि वे दूर-दराज के इलाकों सहित सभी लोगों को विद्युत की आपूर्त्ति करें। 'प्रयास (इंडीवर)' शब्द में यह बात निहित नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिजली मिलेगी : सरकार प्रयास करेगी, किन्तु सरकार दूर-दराज के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करने में सफल नहीं होगी। यही कारण है कि मैं माननीय मंत्री जी से 'प्रयास (इंडीवर)' शब्द को हटाने का अनुरोध करता हूं।

विधेयक के खंड 7 में कहा गया है:-

कोई उत्पादन कंपनी इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केन्द्र की स्थापना, प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है यदि वह धारा 73 के खंड (ख) में निर्दिष्ट ग्रिड से संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों के अनुरूप है।

मैं कुछ और शब्द जोड़ना चाहता हूं, वह यह कि 'विद्युत का उत्पादन करने वाली कम्पनी ग्रामीण विद्युत्तीकरण के दायित्व का भी निर्वहन करेगी।' इन शब्दों को इस खंड में जोड़ा जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्त्ति का दायित्व सौंपे बगैर निजी-कम्पनियों को विद्युत उत्पादन की अनुमति दी जा रही है। हमारे देश की लगभग 75 फीसदी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उन्हें बिजली नहीं मिलती है और उन्हें कई अन्य लाभ नहीं मिल रहे हैं। सरकार राजसहायता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना बना रही है। हमारा देश अमीर और गरीब की श्रेणियों में बंटा हुआ है। महोदय, जब तक अमीर-गरीब की यह प्रणाली समाप्त नहीं हो जाती तब तक मैं समझता हूं कि राजसहायता भी वापस नहीं ली जा सकती है।

इसका कारण है कि हमारा राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। इसे राजसहायता देनी चाहिए ताकि समाज के गरीब लोग अपनी दशा सुधार सकें। इसलिए राजसहायता को वापस लेना अनुचित होगा।

महोदय, विद्युत का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के कार्यों के संबंध में इस विधेयक के खंड 10 में जो कहा गया है मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:-

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी उत्पादन कंपनी के कर्तव्य इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसार उत्पादन केन्द्रों, जोड़-लाइनों, उपकेन्द्रों और उनसे जुड़ी समर्पित पारेषण लाइनों की स्थापना, उनका प्रचालन और रखरखाव करना होगा।

इस खंड में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए शब्द जोड़े जाने चाहिए।

विद्युत का उत्पादन करनेवाली जो कम्पनियां विद्युत उत्पादन स्टेशन स्थापित करना चाहती हैं उनके लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु पारेषण और वितरण के लिए किसी भी निजी-कम्पनी को केन्द्रीय विद्युत आयोग या राज्य विद्युत आयोग से अनुमति लेनी होगी।

महोदय, सरकार जनता के प्रतिनिधियों से चलती है। जनता के प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। आयोग सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। इसलिए, यह होगा कि राज्य विद्युत आयोग या केन्द्रीय विद्युत आयोग, जैसी भी स्थिति हो, पारेषण, वितरण और व्यापार के मामले में निजी कम्पनियों को बिना उनपर कोई शर्त लगाए बेधड़क अनुमति प्रदान कर देगा। ऐसे मामले में क्या होगा? असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। यही कारण है कि सरकार का स्थान आयोग और शुल्क विनियामक प्राधिकरण लेता जा रहा है। कालांतर में यही होगा कि सरकार राहत की सांस लेने के लिए अदालत का दरवाजा खट-खटाएगी। इसलिए, इस विधेयक में सभी चीजों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जैसे सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार विद्युत मुहैया कराएगी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों सहित सभी-गरीब लोगों को कैसे सरकार से राहत मिलेगी इन सब चीजों पर निर्णय लेने का अधिकार आयोग था विनियामक प्राधिकरण पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए वह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। इसलिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक में यह उल्लेख किया गया है कि बाद में राष्ट्रीय विद्युत नीति की घोषणा की जाएगी। यह राष्ट्रीय नीति ग्रामीण विद्युतीकरण, शुल्क और ऐसे कई अन्य मामलों में अनेक बातों को स्पष्ट करेगी। अब चूंकि जब कभी-भी राष्ट्रीय नीति बनेगी तो जनता के प्रतिनिधियों को उसपर अपनी राय देने का अवसर मिलेगा। आम जनता को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलेगा और विशेषज्ञ तथा व्यावसायिक इसपर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। जब राष्ट्रीय नीति की घोषणा हो जाए, तभी इस विधेयक को इस नीति के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किन्तु, अब यह होगा कि विधेयक पारित हो जाएगा, कानून बना दिय जाएगा और तब जाकर राष्ट्रीय नीति पुर:स्थापित

की जाएगी। यह अनुचित होगा। इसलिए, मैं इस विधेयक को स्वीकार नहीं करता हूं। इस विधेयक में कई तरह की कमियां और खामियां हैं। इस विधेयक का मतलब ही विद्युत क्षेत्र का निजीकरण करना है। इस विधेयक के पारित होने से निजी कम्पनियों को लाभ कमाने का मौका मिल जाएगा और इस देश की जनता को निजी-कम्पनियों द्वारा कमाए जाने वाले लाभ के बोझ को ढोना पड़ेगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पहले वे राष्ट्रीय विद्युत नीति को लेकर आएं और फिर वे इस नीति के अनुरूप इस विस्तृत विधेयक को सभा में पुर:स्थापित करें। यही मेरा नम्र निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, इलैक्ट्रिसिटी बिल, 2001 विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उसके कई उपयोग के लिए लाया गया है। इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 1910, इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 और इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट, 1998 में सुधार करके यह बिल लाया गया है। श्री अनंत गीते जी इसके मंत्री हैं। श्रीमती जयवंतीबेन मेहता भी हमारे महाराष्ट्र से हैं। पावर में कितनी शक्ति होती है, यदि पावर नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी, ऑफिसेज नहीं चलेंगे और कुछ भी नहीं होगा। आज हर काम में बिजली की आवश्यकता है। यह अटल जी भी जानते हैं कि जब पावर नहीं थी तो उनकी स्थित क्या थी। मगर जब उन्हें पांच साल से पावर मिल गई हैं तो पावर में कितनी शक्ति होती हैं, यह वह जानते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि पावर इसी तरह की होती है। हमारे दोनों बिजली मंत्रियों में श्री अनन्त गीते जी के पीछे बालासाहेब ठाकरे जी की पावर है और मेहता मैडम के पीछे अटल जी की पावर है। इस बिल के माध्यम से बिजली की व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इतने सालों में हम 80 हजार गांवों में बिजली नहीं दे पाये हैं। इसके साथ-साथ आपको एक लाख मेगावाट बिजली का यदि उत्पादन करना है तो उसके लिए चार लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, उसके बारे में भी आपको सोचने की आवश्यकता है। एनरॉन कम्पनी का हमें अनुभव है। जब इस कंपनी को महाराष्ट्र सरकार ने बिजली उत्पादन का काम दिया था तो बिजली का रेट प्रति यूनिट दो रुपये पच्चीस पैसे तय हुआ था। एनरॉन कम्पनी अमरीका से मुम्बई आई है और उन्होंने वहां काफी पैसा भी खर्च किया है। अभी मुम्बई हाई कोर्ट का जजमैन्ट इसे चालू या न चालू करने के बारे में आया है। जो बिजली का उत्पादन होगा, उसके बारे में आम आदमी को भी जानकारी होनी चाहिए तथा बिजली के रेट कम से कम होने चाहिए। अगर आप आप चार, पांच या दस रुपये रेट रखेंगे तो उससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जायेगी। यह अच्छा बिल है, बिल सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उनका इम्पलीमैन्टेशन अच्छा नहीं होता है।

सभापति महोदय, देश में बिजली की बहुत बड़ी चोरी होती है। आपने चोरी करने वालों के लिए पांच हजार से दस हजार रुपये के फाइन तथा तीन महीने की सजा की व्यवस्था इसमें की है। मैं समझता हूं कि इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। चोरी करने वालों पर बीस हजार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक फाइन होना चाहिए और एक से डेढ़ साल की सजा होनी चाहिए। यदि आप इसमें इसकी व्यवस्था कर दें तो उचित होगा।

महोदय, महाराष्ट्र में देश का सबसे ज्यादा रेवेन्यू 9,200 करोड़ रुपये होता है। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद भी हमें दो हजार मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में अभी आगाड़ी की सरकार है, यह सही बात है। लेकिन साढ़े चार साल पहले आपकी सरकार थी, तब हमने आपकी सरकार को बोला था कि दो हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की आवश्यकता है, आप यह करिये। लेकिन आपने नहीं किया और इसलिए आपकी सरकार चली गई। महाराष्ट्र के दो मंत्री यहां हैं। इसलिए दो हजार मेगावाट बिजली के लिए जितना पैसा लगेगा, उतना पैसा महाराष्ट्र को देने की आप व्यवस्था कीजिए। महाराष्ट्र सरकार बहुत सारे प्रोजैक्ट्स करने के लिए तैयार है। यह काम भी आपको करना है। मैं अपनी पार्टी की और से इस बिल का समर्थन करता हूं। हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन आपकी पार्टी का समर्थन करने का सवाल नहीं है। यह एक अच्छा बिल है, लेकिन हम इसका इम्पलीमैन्टेशन अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं...*(वयवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : आपके जो मन में है, वह मुंह में आ गया।

श्री रामदास आठवले : जो मेरे मन में है, वह मेरे मन में ही है, लेकिन जो हमारे मुंह में है, वह आपके मन में होने की संभावना है। यहां पोलिटिक्स की कोई बात नहीं है। यह एक अच्छा बिल है, यह देश के विकास का बिल है। पावर रहेगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

''अगर हमें बिजली नहीं मिलेगी तो सारे देश में अंधेरा फैल जाएगा,
अधेरे के कारण अटल बिहारी वाजपेयी का राज चला जाएगा,
और हमारा राज आने से उजाला हो जाएगा।''

[श्री रामदास आठवले]

इसलिए उजाले का निर्माण करने के लिए आप भी कदम उठाएंगे, इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : सभापति जी, सदन के 23 सदस्यों ने इलैक्ट्रिसिटी बिल की बहस में भाग लिया और एक दल के सिवाय सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया है।

श्री रामदास आठवले : वह कौन सा दल है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : उनकी भी कुछ रिजर्वेशन्स हैं। उनका विरोध उतना कड़ा नहीं है।

सभापति जी, माननीय सदस्यों ने कई सुझाव यहां पर दिये हैं जो बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हैं। मैं उन सारे सुझावों के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। सारे मुद्दे जो सदन के सामने रखे गए, हर मुद्दे का जवाब यदि देने जाऊं तो काफी समय लगेगा। इसलिए हर सदस्य के कुछ मुद्दे हैं जिनका जवाब सदन में देना मैं आवश्यक समझता हूं और सदस्य भी चाहेंगे कि उन्होंने जो मुद्दे यहां पर उपस्थित किये हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वैसे तो सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका जवाब देना आवश्यक है।

संतोष मोहन देव जी ने विपक्ष की ओर से इस पर चर्चा का आरंभ किया। वे स्वयं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। जब पहली बार यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया तो सदन ने उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया था। ऊर्जा से संबंधित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर और अलग-अलग स्तर के जो ऊर्जा से संबंधित लोग हैं, संस्थाएं हैं, उपभोक्ता हैं, इन सबसे चर्चा करते हुए स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सदन में रखी। स्टैंडिंग कमेटी ने लगभग 112 सुझाव अपनी रिपोर्ट में दिये जिनमें से 89 सुझावों को हमने स्वीकार किया है। उसमें से 58 सुझाव ऐसे हैं जिनको हमने सीधे विधेयक में स्वीकार किया है और 31 सुझाव ऐसे हैं कि जब हम ऊर्जा नीति बना रहे हैं, नियम बनाने जा रहे हैं, उसमें उन सुझावों को निश्चित रूप से शामिल करने का प्रयास होगा, बल्कि उन सुझावों को हमने स्वीकार किया है।

जैसा सुबोध मोहिते जी ने कहा था कि शायद यह पहला विधेयक होगा जिसमें लगभग 80 प्रतिशत सुझावों को स्वीकार किया गया है। इस विधेयक पर बोलते हुए संतोष मोहन देव जी ने ग्रामीण विद्युत के बारे में जो चिन्ता जताई है, मैं उस चिन्ता से पूरी तरह से सहमत हूं।

रात्रि 8.00 बजे

सभापति महोदय, आज भी इस देश में 80 हजार गांव ऐसे हैं जिन गांवों तक हम बिजली नहीं पहुंचा पाए हैं। जब मैंने इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किया था, तब इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि आज भी देश के 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें हम बिजली नहीं दे पाए हैं। बिजली पहुंचाने की और गांव के विद्युतीकृत होने की हमारी जो परिभाषा है उसके अनुसार यह है कि यदि किसी गांव की सीमा पर एक बल्ब भी लगा दिया जाए, तो उस संपूर्ण गांव को विद्युतीकृत मान लिया जाता है। यह गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए हमने सारे राज्यों के मुख्य मंत्रियों को चिट्ठी लिखी है कि इस परिभाषा को बदलने के बारे में उनके क्या सुझाव हैं। आज बिजली की देश में जो स्थिति है उसके अनुसार हम चाहते हैं कि किसी गांव में कम से कम 10 प्रतिशत घरों को बिजली उपलब्ध करा दी जाए, तो उस गांव को विद्युतीकरण होना माना जाना चाहिए।

महोदय, मैं संतोष मोहन देव जी से बिलकुल सहमत हूं और मानता हूं कि गांवों में विद्युतीकरण की स्थिति बहुत असंतोषजनक है। उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, लेकिन उनमें एक मुद्दा राज्य विनियामक आयोग के बारे में उठाया था कि उनके ऊपर कुछ जवाबदेही होनी चाहिए और राज्य विनियामक आयोग किसी के प्रति आंसरेबल होना चाहिए। उन पर किसी न किसी का कंट्रोल होना चाहिए। इस विधेयक में उसका प्रावधान किया गया है। राज्यों के इन विनियामक आयोगों के ऊपर जो एपीलैट ट्रैब्यूनल का चेयरमैन होगा, वह नॉन पालिटिकल होगा और वह इसको देखेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेकर (अकोला) : सभापति महोदय, इन निकायों पर न तो विधानसभा का और न ही लोकसभा का नियंत्रण बना रह पा रहा है। इसलिए, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इन निकायों पर संसद और विधानसभाओं का नियंत्रण रखने के लिए सरकार कौन से उपाय करने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात का भी आंसर देता हूं। ये जो विनियामक आयोग हैं, वे इंडिपैंडेंटली काम कर रहे हैं। इनके ऊर राज्य सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं है। इन्हें राज्य सरकारें गठित तो करती हैं, लेकिन इन्हें कोई दिशा-निर्देश

नहीं दे सकतीं क्योंकि इन्हें कुछ जुडीशियल पॉवर्स दिए गए हैं। जैसे न्यायपालिका में भी राज्यों में उच्च न्यायालय हैं और उनके ऊपर केन्द्र में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है, जो उच्च न्यायालयों के ऊपर अंकुश रखता है, उसी प्रकार की व्यवस्था इसमें भी की जा रही है। आज जिन राज्यों में इस प्रकार के विनियामक आयोग बने हुए हैं आर जिस प्रकार के अनुभव हमें प्राप्त हो रहे हैं उनको देखते हुए यह महसूस होता है कि जो विनियामक आयोग हैं, वे अपनी जिम्मेदारी निश्चिरूप से निभा रहे हैं। इनके ऊपर यदि किसी का कंट्रोल है, तो वह इस एपीलैट ट्रिब्यूनल का होगा, जिसके चेयरमैन, सुप्रीमकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। इसलिए जो चिन्ता आपने व्यक्त की है, वह निर्मूल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : महोदय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महाभियोग संबंधी प्रक्रिया के आधार पर इस सभा के प्रति उत्तरदायी है। हमारा सवाल है: सरकार ऐसी स्थिति में क्या उपाय करने जा रही है?

[हिन्दी]

जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस सदन के प्रति जवाहदेह हैं और विधानसभाओं के प्रति राज्यों के उच्च न्यायालयें के मुख्य न्यायाधीश जवाबदेह हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध राज्यों की विधानसभाओं में अथवा लोक सभा में इम्पीचमेंट का केस लाया जा सकता है क्या उसी प्रकार की कोई व्यवस्था इन विनियामक आयोगों में आप कर रहे हैं ताकि वे राज्यों अथवा केन्द्र के प्रति आंसरेबल हों?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूं। उनके विवाद विनियामक आयोगों के पास हैं।

यदि विनियामक आयोगों से जो निर्णय किये जाते हैं, उनसे समाधान नहीं होता तो हम उच्च न्यायालय में जा रहे हैं। उच्च न्यायलय से निर्णय मिलने में काफी समय लग रहा है और यह क्षेत्र ऐसा है, जिसमें कम समय के अन्दर निर्णय होने की आवश्यकता है और इसीलिए आज उच्च न्यायालयों के अन्दर कई केसेज हैं, जो सालों से पड़े हैं और उन पर हमें जो तुरन्त न्याय मिलना चाहिए, फैसले मिलने चाहिए, वे नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए इस व्यवस्था की आवश्यकता है। मैं इसलिए इस बात को यहां पर बार-बार दोहरा रहा हूं कि यदि आज की स्थिति में विनियामक आयोग के फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। हमने अपीलेट ट्रिब्यूनल को जो यहां पर गठित करने का प्रावधान किया है, इस अपीलेट में यदि कोई निर्णय होता है और उस निर्णय के खिलाफ यदि किसी को जाना है तो वह उच्चतम न्यायालय में ही जा सकता है। ऐसा करके विनियामक आयोग की प्रतिष्ठा को भी हमने रखने का प्रयास किया है और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज को चेयरमैन के तौर पर रखा है, उनकी प्रतिष्ठा का भी निश्चित रूप से हमने सम्मान किया है।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : विधानसभा की भूमिका को कम कर दिया गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : आप अभी मुझे जवाब पूरा करने दीजिए।

वीरेन्द्र पाल सिंह जी ने एक बात कही, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि यह जो विधेयक आज सदन के सामने पारित होने के लिए प्रस्तुत किया गया है, इसे लाने में पूर्व ऊर्जा मंत्री, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, इसमें कुमारमंगलम जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेरे पूर्व मंत्री यहां जो मेरे साथी सुरेश प्रभु जी थे, जिनके कार्यकाल में इस विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत किया गया, उनका योगदान भी महत्वपूर्ण है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही साथ स्टेंडिंग कमेटी से लेकर सदन में आप सारे सदस्यों का भी योगदान इसमें महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक सुझाव ओपन एक्सेस के बारे में दिया है। हमने ट्रांसमिशन सैक्टर में भी ओपन एक्सेस देने का प्रावधान किया है और डिस्ट्रब्यूशन के सैक्टर में भी दिया है। यह इसलिए है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, खासकर वितरण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होने की आवश्यकता है, कम्पीटीशन की आवश्यकता है। इसलिए उनका जो सुझाव है, जो हम ओपन एक्सेस देने जा रहे हैं, इनके ऊपर नियंत्रण विनियामक आयोग का रहेगा। इसमें सीधा हस्तक्षेप सरकार का नहीं रहेगा। उनकी जो चिन्ता थी, इसके लिए उसका स्पष्टीकरण यहां पर मैंने दिया है।

रूपचन्द पाल जी ने इसका विरोध तो किया है, लेकिन विरोध करते समय इस विधेयक में जो चोरी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के प्रावधान किये हैं, जिसका जिक्र रूपचन्द पाल जी ने यहां पर किया। सबसे पहले चोरी को रोकने के लिए सबसे सख्त कानून

[श्री अनन्त गंगाराम गीते]

अगर कहीं बना तो पश्चिम बंगाल में बना और उसे लागू भी किया गया है। उसे लागू करने के बाद उसका परिणाम भी तुरन्त दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में चोरी में गिरावट आई। केवल चोरी में गिरावट ही नहीं आई, उसकी जो वसूली है, वह वसूली भी बढ़ गई। जो प्रावधान हमने इस विधेयक में चोरी को रोकने के लिए किया है, उसका उन्होंने स्वागत किया है। पश्चिम बंगाल के साथ-साथ आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में और अब गुजरात में भी कानून बना है और इस प्रकार का कानून बनाने के लिए लगभग सभी राज्यों ने सहमति दी है। धीरे-धीरे सभी राज्यों में यह कानून बनेगा।

अखिलेश सिंह जी यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने राज्यों के विद्युत बोर्डों की बिगड़ती हुई स्थिति का जिक्र यहां पर किया। आज लगभग सभी राज्यों के विद्युत बोर्डों की स्थिति एक चिंता का विषय है। उसके अनेक कारण हैं। मैं यहां सारे कारणों में नहीं जाना चाहता लेकिन खासकर प्रेषण और वितरण का घाटा और वितरण के घाटे में मुख्यतया चोरी। राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। उसके लिए भारत सरकार की ओर से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें एक आई०पी०डी०आर० कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके दो भाग हैं। एक भाग में हम जो वितरण की स्थिति है, वितरण की जो व्यवस्था है, उसमें जो तकनीकी कमियां हैं, खामियां हैं या उसमें जो फॉल्ट आते हैं जैसे कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है आदि तकनीकी सुधार का एक भाग उसमें है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से वित्तीय सहायता की जाती है। दूसरा भाग जिसमें राज्य विद्युत बोर्डों का घाटा है, उस घाटे को कम करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप जितना घाटा कम करेंगे, उसका 50 परसेंट इन्सेंटिव के रूप में दिया जायेगा। सदन को यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष इन्सेंटिव स्कीम में लगभग 1600 करोड़ रुपय के क्लेम हमारे पास आये हैं, जिसमें से 800 करोड़ रुपये हमें इन्सेंटिव के रूप में देना है। 1600 करोड़ रुपये के क्लेम आये हैं तो उसका अर्थ यह बनता है कि राज्य विद्युत बोर्डों का जो पूर्व घाटा है, वह 1600 करोड़ रुपये से कम आया है। यह घाटा कम हो चुका है। इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। भारत सरकार की ओर से प्रयास चल रहे हैं।

शिवराज वि० पाटिल जी ने यहां पर कई मुद्दे उठाये। उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा आई.पी.पी. यानी इंडीपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के बारे में उठाया है। उन्होंने एनरॉन डाभोल पावर प्रोजैक्ट का संदर्भ यहां पर दिया था। मैंने अपने भाषण में यह कबूल किया है कि जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर हैं, जो इंडीपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं, उनसे हमने अपेक्षा की थी कि उनका पावर जनरेशन में काफी योगदान होगा लेकिन दुर्भाग्यवश हम जो परिणाम चाहते थे, वे परिणाम हमें दिखाई नहीं दिये। यह वास्तविकता है। इसके कई कारण हैं। मैं उन सारे कारणों में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन जो इंडीपेंडेट पावर प्रोड्यूसर हैं, जो निजी निवेशक हैं जो ऊर्जा के निर्माण में निवेश करना चाहते हैं, जो भी निजी निवेशक इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, वे सबसे पहले इस बात के बारे में सोचते हैं कि मैं जो निवेश कर रहा हूं, वह सुरक्षित हो। दूसरी बात वह यह सोचता है कि यदि मै निवेश कर रहा हूं तो उस निवेश से मैं जो कारोबार करूंगा, ऊर्जा का निर्माण उस ऊर्जा के निर्माण को मैं जब बेचने जाऊंगा तो उससे कुछ मुनाफा मुझे मिले। बिना मुनाफा के कोई व्यक्ति हो या संस्था, वह कोई कारोबार या व्यवसाय में नहीं आती। इस विधेयक में...*(व्यवधान)* मुनाफा कमाने का उन्हें ज्यादा अवसर नहीं है। इंडीपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो बिजली बनाते हैं, उसकी जो उपभोक्ता दर है, वह दर तय करने का अधिकार राज्य विनियामक आयोग का है। राज्य विनियामक आयोग जो दर तय करते हैं, उसी दर पर बिजली बेचनी है। इससे मुनाफा कमाने का अवसर ज्यादा होने की संभावना पैदा नहीं होता है। लेकिन निश्चित रूप से वह चाहते हैं इसलिए निवेशक को सुरक्षितता मिले, सस्ती दर में वह बिजली दे सके, उसके लिए उन्हें जो सहूलियतें चाहिए जो दुर्भाग्य से कल तक नहीं थीं, मैं समझता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से जो इंडीपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं, उनको इस क्षेत्र में आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा परिणाम दिखाई देंगे। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रावधान इस विधेयक में किये हैं।

शिवराज वि. पाटिल जी ने जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और कई सदस्यों ने इस बात को उठाया, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि जो हमारे ऊर्जा निर्माण के स्रोत हैं, जो जल विद्युत हमारे पास है, पारम्परिक ऊर्जा जो सबसे सस्ती है और दूसरी ताप विद्युत जो हमारे पास है, वह चाहे कोल बेस्ड हो या गैस बेस्ड हो या डीजल बेस्ड हो, आज जो ये स्रोत हैं, इनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। डीजल और गैस महंगा होता जा रहा है। कोयले के दाम बढ़ते जा रहे हैं। भविष्य में इन स्रोतों में कमी होने के कारण हैं। कमी हो सकती है। जो जल स्रोत हैं, उस पर भी हम प्रकृति पर निर्भर होते हैं। पिछले वर्ष सारे देश में अकाल हो गया। पानी की कमी हो गई। केवल खेती के लिए या पीने के लिए नहीं तो ऊर्जा के लिए पानी की कमी का ऊर्जा के निर्माण पर असर हुआ है और जो अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत हैं, उन स्रोतों की तरफ भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उससे ऊर्जा का निर्माण करने की आवश्यकता है। इस विधेयक में इस संदर्भ में निश्चित रूप में इस तरफ ध्यान दिया गया है।

एक और मुद्दे को आपने यहां उठाया था जो रिफार्म्स की परिभाषा को लेकर था। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं बल्कि इस परिभाषा को हम इस प्रकार से मानते हैं कि हमारे देश की जो जनता है, सौ करोड़ जनता के हितों की सुरक्षा, इसके सिवा रिफार्म्स की और कोई परिभाषा नहीं हो सकती। वही परिभाषा हम भी मानते हैं और उसी को लेकर हम इस विधेयक को लेकर आए हैं। इस विधेयक में निजीकरण का कहीं भी जिक्र नहीं है। न कोई कम्पलशन है, कोई बंधन नहीं है। निर्णय राज्य सरकारों को करना है। यहां पर कोई बाइंडिंग नहीं है। इस विधेयक में किसी पर कोई बंधन नहीं किया है। आपको इसका निजीकरण करना ही है, इस प्रकार का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। राज्य सरकारों को निर्णय करना है लेकिन निजीकरण के बिना जो हमने हमारे लक्ष्य तय किए हैं कि सन् 2007 तक हर गांव में बिजली हम देना चाहते हैं और सन् 2012 तक हम हर घर में बिजली देना चाहते हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए...*(व्यवधान)* इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक लाख मेगावॉट अतिरिक्त ऊर्जा का निर्माण करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय श्री रघुवंश बाबू ने सदस्य के रूप में जो अपने विचार रखे थे तब उन्होंने ब्यौरा दिया था कि उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए 8 लाख करोड़ की आवश्यकता है और जब इतने धन की आवश्यकता है तो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र, विदेशी निवेश, देशी निवेश हम सबका सहभाग इसमें होना चाहिए और जब हम सबको शामिल करेंगे तो ही हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। किसी एक सदस्य ने प्रश्न पूछा कि आपने दसवें प्लान में 41,000 मेगावॉट का लक्ष्य तय किया है। मुझे सदन को बताते हुए हर्ष होता है कि निश्चित रूप से दसवें प्लान में 41,000 मेगावॉट का लक्ष्य तय किया है। आज लगभग 30-32000 मेगावॉट के प्रोजेक्ट हैं। वे अलग-अलग स्तर पर हैं और इस दसवें प्लान में जो लक्ष्य तय किये हैं, वे निश्चित रूप में पूरा कर पाएंगे तो उसे लिए भी इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं, ये सारे प्रावधान इस लक्ष्य को पूरा करने में हमें निश्चित रूप में सहयोगी हो सकते हैं। यहां पर सभापति महोदय रघुवंश बाबू जब सदस्य के रूप में बोल रहे थे तब उन्होंने ऊर्जा के महत्व को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा। आज हमारे देश का विकास ऊर्जा पर निर्भर है। बिना ऊर्जा के राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है और तब उन्होंने यह कहा कि यदि देश के हर घर-घर में बिजली जाती है तो हम नं. 1 होंगे और यदि बिहार के हर घर-घर में बिजली जाती है तो बिहार भी नं. 1 होगा। लेकिन मैं इसके आगे जाता हूं कि बिहार के यदि हर घर में बिजली जाती है तो एक और एक ग्यारह होंगे।

इतना हम आगे बढ़ सकते हैं इसलिए मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। सुबोध मोहिते जी ने अपने भाषण में कहा था कि केवल विधेयक को पारित करने से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हमें यह निर्धारित करना है कि हर साल हम कितना घाटा कम करेंगे ओर कितनी ऊर्जा का निर्माण करेंगे। निश्चित रूप से हम इस तौर पर सोच रहे हैं, बल्कि निर्णय किया है और राज्यों को भी आदेश दिए हैं। इस तरह से हम घाटा कम करने के बारे में प्रयत्न कर रहे हैं। आने वाले पांच साल में हमारा प्रयास होगा कि इस घाटे को धीरे-धीरे कम किया जाए। दसवीं योजना में हमने जो 41,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा है, उसको प्राप्त करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने जो निर्धारित किया है, उसके मुताबिक हम ऊर्जा की मांग को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रकाश अम्बेडकर जी ने महत्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित किया था कि रिमोट एरिया में ग्रामीण जनता को क्या ग्रिड के माध्यम से बिजली देने का प्रावधान इस विधेयक में है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उसका भी प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। गांवों में ग्रिड के माध्यम से हम बिजली देना चाहते हैं इसलिए उसका भी प्रावधान किया गया है। दुर्भाग्यवश यदि बहुत ही रिमोट एरिया है। जहां ग्रिड समय पर नहीं जा सकती, उसके लिए हमारा जो डिस्ट्रिब्यूटेड जेनरेशन सिस्टम है, उसको भी हम प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। यदि रिमोट एरिया में कोई निजी संस्था, व्यक्ति, कोआपरेटिव या वहां की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, उसको जेनरेट करना चाहती है, वितरण करना चाहती है, तो डिस्ट्रिब्यूटेड जेनरेशन सिस्टम को प्रभावी बनाने का निरंतर प्रयास चल रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि हिन्दुस्तान के हर गांव में बिजली जा सके। आपने नेशनल ग्रिड का भी जिक्र किया था। हमारे यहां रिजनल ग्रिड है और पांच रिजनल ग्रिड हैं, ईस्ट, वैस्ट, साउथ, नार्थ और नार्थ-ईस्ट। नेशनल ग्रिड हम बनाने जा रहे हैं। आज उत्तर पूर्वी राज्यों में सरप्लस बिजली है। हम वहां से बिजली को दक्षिण में ले जा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी के हाथों हमने इस कार्य का उद्घाटन कराया था। तालचर और कोलार के बीच 700 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, इससे उड़ीसा से सरप्लस बिजली को कोलार ले जा रहे हैं तथा साउथ के चारों राज्यों को वह बिजली दे रहे हैं। इस तरह से जहां कम बिजली है, वहां सरप्लस वाले इलाके से बिजली ले जाने को काम कर रहे हैं।

राजो सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने दो मुद्दे यहां उपस्थित किए थे। एक सी.ई.ए. के चेयरमैन के बारे में कहा था। मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा कि सी.ई.आर.सी. के टैरिफ निर्धारित करते समय

[श्री अनन्त गंगाराम गीते]

उत्पादन, पारेषण, वितरण संबंधी जो तकनीकी बारीकियां हैं, उसके लिए विशेषज्ञ की जरूरत होती है। वर्तमान कानून में भी यह प्रोविजन किया गया है और जो हमारे सी.ई.आर.सी. के वर्तमान चेयरमैन हैं, वह उसके सदस्य हैं। जो विनियामक आयोग गठन करने का कानून है, उसके मुताबिक उसके जो सदस्य और चेयरमैन बनाए जाते हैं, वे सलेक्शन कमेटी के माध्यम से चुने जाते हैं। आज तक जो विनियामक आयोगों का अनुभव है, उसमें समाधान है और उनका अच्छा अनुभव है। हम यह महसूस नहीं करते कि इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए जो स्थाई समिति ने सुझाव दिया है, आज की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि बदलाव करें।

आप सभी जानते हैं कि इस सदन में हमने कई विधेयक पारित किए हैं, उनको कानून बनाया है और समय की मांग पर, आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर जो आवश्यक बदलाव हैं, वे हमने किए हैं। इस संदर्भ में यदि आवश्यक हुआ तो निश्चित रूप से समय की मांग पर देश के हित में या क्षेत्र के हित में यदि कोई बदलाव लाना पड़ा, संशोधन करना पड़ा तो निश्चित रूप से भविष्य में वह किया जा सकता है।

सारे सदस्यों के जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। महाराष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने चिंता जताई है कि महाराष्ट्र में लगभग 2500 मैगावाट बिजली की कमी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री जी को हमने आश्वस्त किया है कि भारत सरकार और ऊर्जा मंत्रालय की ओर से निश्चित रूप से सहयोग किया जाएगा। जितनी भी अतिरिक्त ऊर्जा हमारे पास है चाहे वह अन-लोकेटिड कोटे से हो, या पावर-ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से हो, या ईस्टर्न रीजन से साऊथ के रीजन में जा रही हो, या वैस्टर्न रीजन में जा रही हो, अथवा जो पावर हम वैस्टर्न रीजन से ले जा रहे हैं, उसमें से देने के लिए हो, इन सारे के लिए निश्चित रूप से केन्द्र सरकार की ओर से, ऊर्जा मंत्रालय की ओर से हम प्रयत्न कर रहे हैं और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की भी सहायता की जाएगी। सारे सदस्यों का उत्तर देने के लिए तो अब समय नहीं है और समय की बचत के लिए सर्वसाधारण मुद्दे जो हैं उनका जिक्र मैं करना चाहूंगा।

सभापति जी, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विधेयक विद्युत क्षेत्र को सफल बनाने के लिए शुरू किये गये सुधार कार्यक्रमों की एक कड़ी है। इस विधेयक को सिर्फ निजीकरण की शंकाओं के घेरे में नहीं बांधना चाहिए। आज कुछ सदस्य यह समझते हैं कि यह मल्टीनेशनल के लिए या निजीकरण के लिए यह किया गया है तो यह बात इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं। यह विधेयक उत्पादन, पारेषण, वितरण और विद्युतीकरण के क्षेत्र में खुली स्पर्धा द्वारा उपभोक्ताओं तक उचित दर पर गुणवत्ता-परक बिजली पहुंचाने के प्रयासों से संबंधित है। हमारे विद्युत बोर्ड इस स्पर्धा में अपने अनुभवों के आधार पर अग्रतम स्थान पाने में सक्षम हैं। इस विधेयक में निजीकरण के बंधन का प्रावधान नहीं है, जिसका उल्लेख मैंने किया था। साथ ही निजी क्षेत्र के द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का हनन न हो, इससे लिए व्यापक व्यवस्था का प्रावधान है। स्वतंत्र विनियामक आयोग और अपलैट ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान, जिसका उल्लेख मैंने किया है। साथ ही पारेषण में उपनिषेध, जिसका जिक्र मैंने यहां किया है, इन सभी के ऊपर राज्य सरकारों से चर्चा कर राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, गांव की छोटी-छोटी बस्तियों तक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था स्थापित करने के, सरकार के कथनों का प्रावधान भी इस विधेयक में है। इसलिए सदन को मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह विधेयक विद्युत के क्षेत्र में विकास के लिए खुली स्पर्धा है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और देश के विद्युतीकरण, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति सरकार की जवाबदेही का संगम है। इसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे, यह मेरा विश्वास है।

अंतत: मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक किसी लौह-स्तम्भ पर लिखा गया ऐतिहासिक लेख नहीं है बल्कि यह एक नयी दिशा में जाने का संकल्प है और अनुभवों के आधार पर देश और जनहित के लिए जब भी जरूरत होगी, यथायोग्य परिवर्तन इस सदन के समक्ष लाये जाएंगे। मैं सारे सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : आज हम इस विधेयक को अपना समर्थन देंगे लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं इसलिए राज्य सभा में एक या दो संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार रखते हैं। कृपया आप चिन्ता न करें; आज हम विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हम संसद के समक्ष विनियामक आयोग की जवाबदेही के बारे में संतुष्ट नहीं हैं। नियंत्रक आदि महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यहां आती है, लेकिन पहले इस पर लोक लेखा समिति विचार करती है और इसके बाद वह यहां आती है। अत: इस मुद्दे पर हम आपसे आगे बातचीत करना चाहेंगे।

दूसरे, आपने ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में उल्लेख किया है। हम खुश हैं कि आपने कम-से-कम दस प्रतिशत की बात की है। अत: इस पर हम आपसे कुछ ठोस वचनबद्धता चाहेंगे। सभा में सभी

ओर से इसकी मांग की गयी है। आज की सबसे मूलभूत आवश्यकता ग्रामीण विद्युतीकरण ही है। इसलिए, इन दो मुद्दों पर हम आपसे आगे बात करेंगे। आपने यह भी कहा था कि निजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वहां निजीकरण का प्रावधान है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : यह बाध्यकारी नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : यह एक विकल्प है लेकिन यह अनिवार्यता नहीं है। लेकिन जैसा कि श्री शिवराज वी. पाटील ने भी कहा है, एक प्रावधान है...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं भी इस पर सहमत हूं... *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : अत: निजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया यह बात न कहें आदि इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं भी इस बात से सहमत हूं... *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : जहां भी आवश्यक हो, वहां यह कार्य किया जाना है।

महोदय, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं बहुत स्पष्ट उत्तर के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह उनका पहला उत्तर है। मैं सोचता हूं, आज उन्होंने बहुत गंभीर विषय पर बोला है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विद्युत के उत्पादन, प्रेषण, वितरण, व्यापार और उसके उपयोग आदि साधारणत: विद्युत उद्योग के विकास में सहायक उपाय करने, विद्युत टैरिफ के सुव्यवस्थीकरण, साहायकियों के बारे में स्पष्ट नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरण के अनुरूप नीतियों के संवर्द्धन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विनियामक आयोगों का गठन और अपील अधिकरण की स्थापना से संबंधित विधियों का समेकन आदि उनसे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2 परिभाषाएं

किए गए संशोधन :

पृष्ठ 2,–

पंक्ति 35 से पंक्ति 37 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

"(8) आबद्ध उत्पादन संयंत्र" से किसी व्यक्ति द्वारा प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत शक्ति का उत्पादन करने हेतु स्थापित विद्युत संयंत्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी या संगमों के सदस्यों के उपयोग के लिए प्राथमिक रूप से विद्युत शक्ति का उत्पादन करने हेतु किसी सहकारी सोसाइटी या संगम द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र भी है।"। (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 14,–

"प्रदाय" **के स्थान पर** "उसके स्वयं के उपयोग के लिए प्रदाय" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (5)

पृष्ठ 3,–

पंक्ति 20 से पंक्ति 23 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

"(16) अनावृत्त पारेषण लाइनों" से किसी बिन्दु से बिन्दु तक पारेषण के लिए कोई प्रदाय लाइन अभिप्रेत है, जो धारा 9 में निर्दिष्ट आबद्ध उत्पादन संयंत्र के विद्युत संयंत्रों या धारा 10 में निर्दिष्ट उत्पादन केन्द्र को, यथास्थिति, किन्हीं पारेषण लाइनों या उप-केन्द्रों या उत्पादन केन्द्रों या विद्युन्मात्रा केन्द्रों से संयोजन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।"। (6)

पृष्ठ 9, पंक्ति 5,–

"तथा उनके प्रचालन कर्मचारियों" का लोप किया जाए।(7)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : श्री राजो सिंह एक संशोधन प्रस्तुत करेंगे। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : महोदय, मैं अमेंडमेंट नहीं मूव कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य–उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 राष्ट्रीय विद्युत नीति और योजना

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 9, पंक्ति 30,–

"(इसमें टैरिफ नीति भी सम्मिलित है)" **के स्थान पर** "और टैरिफ नीति" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (8)

पृष्ठ 9,–

पंक्ति 27 और 28 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:–

"3. (1) केन्द्रीय सरकार, कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय पदार्थों या सामग्री, जल जैसे संसाधनों के अधिकतम उपयोग और ऊर्जा के नवीकरणीय शर्तो के उपयोग पर आधारित।"। (9)

पृष्ठ 9, पंक्ति 32,–

"राष्ट्रीय विद्युत नीति" **के स्थान पर** "राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (10)

पृष्ठ 9,–

पंक्ति 34 और पंक्ति 35 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

"(3) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों और प्राधिकरण के परामर्श से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति का पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण कर सकेगी।"। (11)

पृष्ठ 9,–

पंक्ति 41 के पश्चात, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए:–

"परंतु यह और कि प्राधिकरण,–

(क) केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने **के पश्चात्** योजना को अधिसूचित करेगा;

(ख) खंड (क) के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेशों, यदि कोई हो, को उसमें सम्मिलित करते हुए इस योजना का पुनरीक्षण करेगा।"। (12)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य – उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 से 7 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 8 जल विद्युत उत्पादन

संशोधन किय गये:

पृष्ठ 10,–

पंक्ति 20 से पंक्ति 26 **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित** किया जाए:-

"8. (1) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, कोई उत्पादन कंपनी, जो जल विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करना चाहती है, प्राधिकरण को, उसकी सहमति के लिए, एक स्कीम तैयार और प्रस्तुत करेगी जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर,

अधिसूचना द्वारा नियुक्त की जाने वाली ऐसी राशि से अनधिक पूंजी व्यय अंतर्वलित होने पर प्राक्कलन किया जाएगा।''। (13)

पृष्ठ 10, पंक्ति 27,—

''(3)'' **के स्थान पर** ''(2)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (14)

पृष्ठ 10, पंक्ति 27,—

''(2)'' **के स्थान पर** ''(1)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (15)

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 38 और पंक्ति 39 **के स्थान पर** ''अनुसार है'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (16)

पृष्ठ 11, पंक्ति 1,—

''(4)'' के स्थान ''(3)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (17)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 8, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 11 उत्पादन कंपनियों को निवेश

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 11, पंक्ति 37,—

'प्राकृतिक विपत्ति'' के पश्चात् ''या लोकहित में उत्पन्न अन्य परिस्थितियों'' **अंत:स्थापित** किया जाए। (18)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : श्री राजो सिंह द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया जाना है। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : महोदय मैं अमेंडमेंट नहीं मूव कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 11, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 छूट देने की शक्ति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 12, पंक्ति 10,—

'लोकहित'' में ''**के स्थान पर**'' धारा 5 के अधीन विरचित स्वीकार्य नीति के अनुसार और लोकहत ''में'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (19)

20, पृष्ठ 12,—

पंक्ति 15 से पंक्ति 18 का लोप किया जाए। (20)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 13, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 36, **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए:-

''परंतु यह भी यदि समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ या उस**के पश्चात्** विद्युत का पारेषण करती है या विद्युत का

वितरण करती है या विद्युत में व्यापार करती है तो ऐसी सरकार इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी मानी जाएगी, किन्तु उसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी:

परंतु यह भी कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित दामोदर घाटी निगम इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा, किन्तु उसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और दामोदर घाटी निगम, अधिनियम, 1948 के उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं है, उस निगम को लागू होते रहेंगे:"। (21)

पृष्ठ 12,–

पंक्ति 40 से पंक्ति 42 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

"परंतु यह भी समुचित आयोग, एक ही क्षेत्र के भीतर अपनी वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के वितरण के लिए दो या अधिक व्यक्तियों को, इन शर्तों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा कि एक ही क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक, इस अधिनियम के अधीन ऐसी अन्य शर्तों और अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अतिरिक्त शर्तों को पूरा करेगा (जिनके अंतर्गत पूंजी की पर्याप्तता, उधारपात्रता या अन्य आचार-संहिता भी है) जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, और ऐसे किसी आवेदक को, जो अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है इस आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उसी प्रयोजन के लिए उसी क्षेत्र में कोई अनुज्ञप्तिधारी पहले से ही विद्यमान है।"। (22)

पृष्ठ 13, पंक्ति 9,–

"की जाएगी" **के स्थान पर** "की जाएगी किन्तु वह ऐसे सभी उपायों का पालन करेगा जो धारा 53 के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (23)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 14, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 13,–

पंक्ति 38 से पंक्ति 44 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

पृष्ठ 13,–

पंक्ति 38 से पंक्ति 44 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

"(क) दो ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में सूचना प्रकाशित करेगा जिन्हें वह आयोग आवश्यक समझे और उसमें उस व्यक्ति का नाम और पता होगा जिसको उसने अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव किया है;"। (24)

पृष्ठ 14,–

पंक्ति 17 और 18 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

"(8) अनुज्ञप्ति पच्चीस वर्ष की अवधि तक तुरन्त प्रवर्तन में रहेगी जब तक कि वह प्रतिसंहृत नहीं कर ली जाती।"। (25)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 15, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 अनुज्ञप्ति की शर्तें

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 14, पंक्ति 23,—

''पहले, दूसरे और तीसरे परन्तुक'' **के स्थान पर** ''पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें परन्तुक'' शक **प्रतिस्थापित** किए जाएं। (26)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 से 21 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 22 जहां कोई क्रम नहीं होता है वहां उपबंध

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 17,—

पंक्ति 35 से पंक्ति 37 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

22. (1) यदि उपयोगिता का धारा 20 या 24 में उपबंधित रीति से विक्रय नहीं किया जाता है तो, समुचित आयोग, उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए या लोकहित में, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा या ऐसी स्कीम तैयार कर सकेगा जो उपयोगिता के प्रचालन के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन समुचित आयोग द्वारा कोई निदेश जारी नहीं किए जाते या स्कीम तैयार नहीं की जाती वहां धारा 20 या धारा 24 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारी उपयोगिता का ऐसी रीति से जिसे वह ठीक समझे, व्ययन कर सकेगा:''। (27)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 22, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 27 प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का गठन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 19, पंक्ति 29 और पंक्ति 30,—

''विद्युत में व्यापार के कारबार'' **के स्थान पर** ''विद्युत उत्पादन या विद्युत में व्यापार के कारबार'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (28)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 27, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 29 निर्देशों का अनुपालन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 20,—

पंक्ति 22 से पंक्ति 29 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

''(4) किसी क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत समिति, समय-समय पर उस क्षेत्र में समेकित ग्रिड स्थायित्व और निर्बाध प्रचालन और विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययिता तथा दक्षता से संबंधित विषयों पर सहमत हो सकेगी।''। (29)

पृष्ठ 20, प्रंक्ति 30,—

''(6)'' **के स्थान पर**, ''(5)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (30)

पृष्ठ 20, पंक्ति 37,–

''(7)'' **के स्थान पर** ''(6)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (31)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 33 निदेशों का अनुपालन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 22,–

पंक्ति 1 और पंक्ति 2 का लोप किया जाए। (32)

पृष्ठ 22, पंक्ति 3,–

''(5)'' **के स्थान पर**, ''(4)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (33)

पृष्ठ 22, पंक्ति 9,–

''(6)'' **के स्थान पर**, ''(5)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (34)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 35 मध्यवर्ती पारेषण सुविधाएं

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 19,–

पंक्ति 20 के पश्चात्, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए:–

''परंतु यह कि प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध फालतू क्षमता की सीमा से संबंधित किसी विवाद का न्याय निर्णयन समुचित आयोग द्वारा किया जाएगा;''। (35)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 36 मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के लिए प्रभार

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 22, पंक्ति 27,–

''अनुपातत: आबंटित की जा सकेगी'' **के स्थान पर**, ''उनके उपयोग के अनुपात में आबंटित की जा सकेगी'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (36)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 38 केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता और उसके कृत्य

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 22, पंक्ति 39,–

"विद्युत व्यापार" **के स्थान पर**, "विद्युत के उत्पादन या विद्युत के व्यापार" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (37)

पृष्ठ 23,–

पंक्ति 26 से पंक्ति 29 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

"(i) किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण प्रभारों के संदाय पर; या

(ii) किसी उपभोक्ता द्वारा जब भी ऐसी खुली पहुंच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभारों और उस पर ऐसे अधिभार के संदाय पर जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।"। (38)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य यहां उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है:

"कि खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 39 राज्य पारेषण उपयोगिता और कृत्य

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 24,–

पंक्ति 29 से पंक्ति 32 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

"(i) किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण प्रभारों के संदाय पर; या

(ii) किसी उपभोक्ता द्वारा जब भी ऐसी खुली पहुंच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभारों और उस पर ऐसे अधिभार के संदाय पर जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।"। (39)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 40 पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के कर्त्तव्य

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 25,–

पंक्ति 14 से पंक्ति 17 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:–

"(i) किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण प्रभारों के संदाय पर; या

(ii) किसी उपभोक्ता द्वारा जब भी ऐसी खुली पहुंच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभारों और उस पर ऐसे अधिभार के संदाय पर जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।"। (40)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 40, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 40, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 41 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 42 अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 26,–

पंक्ति 4 से पंक्ति 36 के स्थान, पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य और खुली पहुंच।

"42.(1) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने प्राधिकृत क्षेत्र में एक दक्षतापूर्ण, समन्वित और कम खर्चीली वितरण प्रणाली विकसित

करे और उसे बनाए रखे तथा इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विद्युत का प्रदाय करे।

(2) राज्य आयोग खुली पहुंच ऐसे चरणों में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, आरंभ करेगा (जिसके अंतर्गत प्रति सहायकी और अन्य प्रचालन अवरोध है) जो उसके द्वारा नियत तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट की जाएं और उत्तरोत्तर चरणों में खुली पहुंच की सीमा को विनिर्दिष्ट करने में और चक्रण के लिए वितरण प्रभारों का अवधारण करने में, वह सभी सुसंगत बातों पर सम्यक् रूप से विचार करेगा इसके अंतर्गत ऐसी प्रति सहायकी, और अन्य प्रचालन अवरोध हैं:

परंतु ऐसी खुली पहुंच राज्य आयोग द्वारा यथा अवधारित चक्रण के लिए प्रभारों के अलावा किसी अधिभार का संदाय करने की प्रति-सहायिकी को समाप्त किए जाने के पूर्व अनुज्ञात की जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसे अधिभार का उपयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र के भीतर चालू स्तर की प्रति-साहियकी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा:

परंतु यह भी कि ऐसा अधिभार और प्रति-सहायिकी उत्तरोत्तर घटाई जाएगी और राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई रीति से समाप्त की जाएगी:

परंतु यह भी कि ऐसा अधिभार ऐसे मामले में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जहां खुली पहुंच ऐसे व्यक्ति को प्रदान की जाती है जिसने विद्युत को अपने स्वयं के उपयोग के लिए, वितरण के लिए ले जाने हेतु आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिसका परिसर किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के (जो नियत दिन से पूर्व विद्युत के वितरण के कारबार में लगा स्थानीय प्राधिकारी नहीं है) प्रदाय के क्षेत्र के भीतर स्थित है, ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी उत्पादन कंपनी या किसी अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत के प्रदाय की अपेक्षा करता है वहां ऐसा व्यक्ति वितरण अनुज्ञप्तिधारी से, सूचना द्वारा, राज्य आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी विद्युत के चक्रण की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे प्रदाय की बाबत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे कर्त्तव्य होंगे जो किसी ऐसे साधारण वाहक के हैं जो गैर-पक्षपातपूर्ण खुली पहुंच का उपबंध करते हैं।

(4) जहां राज्य आयोग किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रदाय करने की बाध्यता से उद्भूत नियत लागत को पूरा करने के लिए अपने प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति से विद्युत प्रदाय प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात करता है तो ऐसा उपभोक्ता राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, चक्रण के प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार का संदाय करने का दायी होगा।

(5) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियत दिन से या अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने की तारीख से, इनमें जो पूर्वतर हो, छह मास के भीतर उपभोक्तओं की शिकायतों को दूर करने के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक फोरम की प्रस्थापना करेगा।

(6) ऐसा कोई उपभोक्ता, जो उपधारा (5) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रतितोष नहीं मिलने के कारण व्यथित है, ऐसे प्राधिकारी को अपने शक्तियों के प्रतितोष के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा जो ओम्बुड्समैन के नाम से ज्ञात हो और जिसे समुचित आयोग द्वारा नियुक्त या पदाभिहित किया जाए।

(7) ओम्बुड्समैन उपभोक्ता की शिकायतों को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से तय करेगा जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(8) उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) के उपबंध ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जो उपभोक्ता को उन उपधाराओं द्वारा उसको प्रदत्त अधिकारों से अलग हों।''। (41)

ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता है। (42)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 42, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 42, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 43 अनुरोध पर प्रदाय करने का कर्त्तव्य

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 26, पंक्ति 42,—

"यह छह मास के भीतर, जो भी पूर्वतर हो" के स्थान पर, "या ऐसी अवधि के भीतर, जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (43)

पृष्ठ 26,–

पंक्ति 43 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए–

"परंतु यह और कि ऐसे गांव या पुरवा या क्षेत्र की दशा में, जिनमें विद्युत प्रदाय के लिए कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है, समुचित आयोग उक्त छह मास की अवधि को ऐसी अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी जिसे ऐसे गांव या पुरवा या क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए वह आवश्यक समझे।"। (44)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 43, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 43, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 44 से 48 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 49 विद्युत के प्रदाय या क्रम की बाबत करार

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 28,–

पंक्ति 36 से पंक्ति 38 **के स्थान पर,** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:–

"विद्युत के प्रदाय या क्रय की बाबत करार।

49, जहां समुचित आयोग ने धारा 42 के अधीन कतिपय उपभोक्ताओं को खुली पहुंच अनुज्ञात की है वहां ऐसे उपभोक्ता, धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के होते हुए भी, विद्युत के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर (टैरिफ सहित) जो उपभोक्ताओं द्वारा ऐसे व्यक्ति के साथ करार की जाए, प्रदाय या क्रय के लिए किसी व्यक्ति के साथ करार कर सकेगा।"। (45)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 49, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 49, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 50 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 51 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के अन्य कारबार

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 29,–

पंक्ति 11 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए:–

"परंतु यह भी इस धारा की कोई बात, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, विद्युत के वितरण के कारबार में लगे किसी स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी।"। (46)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 51, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 51, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंण्ड 52 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 53 सुरक्षा और विद्युत प्रदाय से संबंधित उपबंध

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 29,– पंक्ति 19,–

"प्राधिकरण" के स्थान पर, "प्राधिकरण, राज्य सरकार के परामर्श से" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (47)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 53, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 53, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 54 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 55 मीटर आदि का उपयोग

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 30, पंक्ति 27,—

''कोई व्यक्ति'' **के स्थान पर** ''कोई अनुज्ञप्तिधारी'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (48)

पृष्ठ 30, पंक्ति 28,—

''संस्थापित और प्रचालित किए जाने वाले किसी मीटर के माध्यम के'' **के स्थान पर**, ''किसी सही मीटर के संस्थापन के माध्यम के'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (49)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 55, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 55, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 56 संदाय के व्यतिक्रम पर प्रदाय का जारी नहीं रहना।

संशोधन किए गया:

पृष्ठ 31,—

पंक्ति 18 से पंक्ति 20 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:—

''परंतु विद्युत प्रदाय बंद नहीं किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति विरोध के अधीन''

(क) उससे दावा की गई राशि के बराबर रकम का; या

(ख) पूर्ववर्ती छः मास के दौरान उसके द्वारा संदत विद्युत के लिए औसत प्रभार के आधार पर संगणित प्रत्येक मास के लिए उससे शोध्य विद्युत प्रभारों का, इनमें जो भी कम हो, उसके और अनुज्ञप्तिधारी के बीच किसी विवाद का निपटारा होने तक, निक्षेप कर देता है।''। (50)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 56, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 56, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 57 से 60 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 61 टैरिफ विनियमन

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य उपस्थित नहीं हैं।

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 32,—

पंक्ति 27 और पंक्ति 28 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:—

''(छ) टैरिफ उत्तरोत्तर विद्युत प्रदाय की लागत को प्रतिबिंबित करता है और टैरिफ भी कम होती जाती है तथा समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर सहायिकी खत्म हो जाती है;''। (51)

पृष्ठ 32,—

पंक्ति 29 का लोप किया जाए। (52)

पृष्ठ 32, पंक्ति 30,—

''(झ)'' के स्थान पर, ''(ज)'' प्रतिस्थापित किया जाए। (53)

पृष्ठ 32,—

पंक्ति 32 **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित** किया जाए:—

''(झ) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति।''। (54)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 61, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 61, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 62 टैरिफ का अवधारण

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 33,—

पंक्ति 14 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए—

''परंतु एक ही क्षेत्र में दो या अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के वितरण की दशा में समुचित आयोग, विद्युत अनुज्ञप्तिधारियों के बीच प्रतिस्पर्धा के संवर्द्धन के लिए विद्युत के फुटकर विक्रय के लिए टैरिफ की केवल अधिकतम सीमा नियत कर सकेगा।''। (55)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 62, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 62, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 63 बोली की प्रक्रिया द्वारा टैरिफ का अवधारण

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 33,—

पंक्ति 34 और पंक्ति 35 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:—

''**बोली की प्रक्रिया द्वारा टैरिफ का अवधारण।**

63. धारा 62 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित आयोग टैरिफ का अंगीकार कर सकेगा यदि ऐसी टैरिफ केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा अवधारित की गई है।''। (56)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 63, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 63, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 64 टैरिफ आदेश के लिए प्रक्रिया

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 34,—

पंक्ति 1 से पंक्ति 7 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:—

''(2) प्रत्येक आवेदक, ऐसे संक्षिप्त रूप और रीति में, जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवेदन का प्रकाशन करेगा।''। (57)

पृष्ठ 34, पंक्ति 8,—

''(4)'' **के स्थान पर**, ''(3)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (58)

पृष्ठ 37, पंक्ति 18,—

''(5)'' **के स्थान पर**, ''(4)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (59)

पृष्ठ 34, पंक्ति 21,—

''(6)'' **के स्थान पर**, ''(5)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (60)

पृष्ठ 34, पंक्ति 27,—

''(7)'' **के स्थान पर**, ''(6)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (61)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 64, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 64, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 65 राज्य सरकार द्वारा साहात्यिकी का उपबंध

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 34, पंक्ति 31,–

''तो राज्य सरकार'' **के स्थान पर**, ''तो राज्य सरकार ऐसे किसी निदेश के होते हुए भी, जो धारा 108 के अधीन दिया जाए'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (62)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 65, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 65, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 66 बाजार का विकास

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 34, पंक्ति 41,–

''करेगा।'' **के स्थान पर**,'' करेगा और इस संबंध में धारा 3 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय नीति से मार्गदर्शित होगा।'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (63)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

कि खंड 66, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 66, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 67 मार्गों, रेलों आदि को खोलने के संबंध में उपबंध

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 36, पंक्ति 20,–

''विवाद'' **के स्थान पर** ''विवाद [जिसमें उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर की रकम भी है]'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (64)

पृष्ठ 36,–

पंक्ति 21 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए।

''(5) समुचित आयोग, इस धारा के अधीन उद्भूत किसी मतभेद या विवाद का अपधारण करते समय, उपधारा (3) के अधीन किसी प्रतिकर के अतिरिक्त, उस उपधारा के अधीन संदेय किसी प्रतिकर की रकम से अनधिक कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा''। (65)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 67, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 67, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 68 और 69 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 70 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का गठन आदि

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 38, पंक्ति 20,–

''चौदह से अनधिक सदस्य'' के स्थान पर, ''चौदह से अनधिक सदस्य (जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है)'' प्रतिस्थापित किया जाए।'' (66)

पृष्ठ 38,—

पंक्ति 16 और पंक्ति 17 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

"(4) केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है, प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी या पूर्णकालिक सदस्यों में से किसी एक को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगी।"। (67)

पृष्ठ 38, पंक्ति 28,—

"सभी सदस्य" **के स्थान पर**, "अध्यक्ष और सभी सदस्य" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (68)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 70, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 70, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 71 से 73 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 74 सांख्यिकीय और विवरणियों की अपेक्षा करने की शक्ति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 40, पंक्ति 30 और 31,—

"या विद्युत का उपभोग करने वाले" का लोप किया जाए। (69)

पृष्ठ 28, पंक्ति 33,—

"ऐसा लेखा" **के स्थान पर**, "ऐसी" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (70)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 74, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 74, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 75 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 76 केन्द्रीय आयोग का गठन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 41,—

पंक्ति 13 के पश्चात, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए:-

"परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन नियुक्त केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा उस अधिनियम के अधीन निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"। (71)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभार्पात महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 76, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 76, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 77 और 78 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 79 केन्द्रीय आयोग के कृत्य

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 43,—

पंक्ति 24 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

"(ज) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;" (72)

पृष्ठ 43,—

पंक्ति 27 और पंक्ति 28 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए।

"(ञ) विद्युत के अंतरराज्यीय व्यापार में यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार लाभ मार्जन नियत करना;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो इस अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।"। (73)

पृष्ठ 43,—

पंक्ति 29 और पंक्ति 30 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

"(2) केन्द्रीय आयोग, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों पर सलाह देगा,"। (74)

पृष्ठ 43,—

पंक्ति 37 और पंक्ति 38 का लोप किया जाए। (75)

पृष्ठ 43, पंक्ति 42,—

"राष्ट्रीय विद्युत नीति" **के पश्चात्** "राष्ट्रीय विद्युत योजना और टैरिफ नीति" **अंत:स्थापित** किया जाए। (76)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 79, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 79, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 80 और 81 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 82 राज्य आयोग का गठन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 44,—

पंक्ति 29 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए:-

"परंतु विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन या अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, नियुक्त राज्य आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को संबद्ध राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"। (77)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 82, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 82, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 83 संयुक्त आयोग

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 45,—

पंक्ति 30 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए:-

"(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि उसे सभी भाग लेने वाले राज्यों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, एक संयुक्त आयोग का गठन कर सकेगी और उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों की बाबत शक्तियों का और विशेषत: भाग लेने वाले राज्यों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी।"। (78)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 83, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 83, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 84 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 85 राज्य आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिए चयन समिति का गठन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 46,—

पंक्ति 5 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

''(ग) प्राधिकरण का अध्यक्ष या केन्द्रीय आयोग का अध्यक्ष— सदस्य''। (79)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 85, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 85, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 86 राज्य आयोग के कृत्य

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 47,—

पंक्ति 3 से पंक्ति 5 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:—

''और ऐसे स्रोतों से विद्युत के क्रय के लिए किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत का प्रतिशत भी विनिर्दिष्ट करना।''। (80)

पृष्ठ 47,—

पंक्ति 14 से पंक्ति 17 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए:-**

''(ञ) विद्युत के अंतरराज्यीय व्यापार में यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार लाभ मार्जन नियत करना;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो इस अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।

''(2) राज्य आयोग, राज्य सरकार को निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों पर सलाह देगा,''। (81)

पृष्ठ 47,—

पंक्ति 27 और पंक्ति 28 का लोप किया जाए। (82)

पृष्ठ 47, पंक्ति 30,—

''राष्ट्रीय विद्युत नीति'' **के पश्चात्** ''राष्ट्रीय विद्युत योजना और टैरिफ नीति'' **अंत:स्थापित** किया जाए। (83)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 86, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 86, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 87 और 88 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 89 सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 48, पंक्ति 20,— (84)

''तीन वर्ष **के स्थान पर** ''पांच वर्ष'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 48,—

पंक्ति 22 और पंक्ति 23 के स्थान पर, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:-

''परंतु केन्द्रीय आयोग या राज्य आयोग में अध्यक्ष या अन्य सदस्य उस आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसी हैसियत में पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे जिसमें वह पूर्व में उस रूप में पद धारित करता था:

परंतु यह और कि कोई अध्यक्ष या सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने **के पश्चात्** उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।''।

पृष्ठ 48,– (85)

पंक्ति 36 से पंक्ति 38 तक का लोप किया जाए।

पृष्ठ 49, पंक्ति 1,– (86)

''(ख)'' **के स्थान पर**, ''(क)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 49, पंक्ति 3,– (87)

''(ग)'' **के स्थान पर**, ''(ख)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 49,– (88)

पंक्ति 5 से पंक्ति 11 तक **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

''**स्पष्टीकरण**–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''वाणिज्यिक नियोजन'' से किसी ऐसे संगठन में किसी हैसियत में नियोजन अभिप्रेत है जो समुचित आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई पक्ष रहा है या जो विद्युत उद्योग में व्यापार वाणिज्यिक,''।(89)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 89, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 89, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 90 से 111 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 112 अपील अधिकरण की संरचना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 55,–

पंक्ति 33 और पंक्ति 34 के स्थान पर, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए।

''112. (1) अपील अधिकरण में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे।'' (90)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 112, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 112, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 113 अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 56,–

पंक्ति 30 से पंक्ति 32 तक **के स्थान पर**, ''विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण तथा विनियमन या अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विधि या प्रबंध संबंधी विषयों से संबंधित पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (91)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 113, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 113, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 114 से 125 विधेयक में जोड़ दिए गए।

रात्रि 9.00 बजे

खंड 126 निर्धारण

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 60,–

''पंक्ति 32 से पंक्ति 34 तक **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

''स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) ''निर्धारण अधिकारी'' से, यथास्थिति, राज्य सरकार या बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी का, राज्य सरकार द्वारा इस रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग'' से,–

(i) किन्ही कृत्रिम साधनों द्वारा; या

(ii) ऐसे साधनों द्वारा, जो संबद्ध व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत नहीं है; या

(iii) छेड़छाड़ किए हुए मीटर के माध्यम से; या

(iv) उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए, जिसके लिए विद्युत का उपयोग अप्राधिकृत था, (92)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 126, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 126, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 127 न्याय निर्णयन अधिकारी को अपील

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 60,–

पंक्ति 35 से पंक्ति 38 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

''**अपील प्राधिकारी की अपील**

127.(1) धारा 126 के अधीन किए गए अंतिम आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त आदेश से तीस दिन के भीतर, ऐसे अपील प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से सत्यापित और ऐसी फीस के साथ अपील कर सकेगा, जो विहित की जाए।''। (93)

पृष्ठ 61, पंक्ति 1,–

''न्यायनिर्णयन अधिकारी'' **के स्थान पर**, ''उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (94)

पृष्ठ 61, पंक्ति 4,–

''न्यायनिर्णयन अधिकारी'' **के स्थान पर**, ''उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (95)

पृष्ठ 61, पंक्ति 7 और पंक्ति 8 में,–

''न्याय निर्णयन अधिकारी'' **के स्थान पर**, ''उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (96)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 127, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 127, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 128 से 135 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 136 विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 67,–

पंक्ति 26 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

''या अवस्थित किया गया हो, जिसके अंतर्गत परिवहन के दौरान अवस्थित करना भी है, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलैक्ट्रिक।''। (97)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 136, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 136, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 137 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 138 अनुज्ञप्तिधारी के मीटरों या संकर्मो से छेड़छाड़

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 68, पंक्ति 30,–

''निवारित करेगा; या'' शब्दों **के स्थान पर**, ''निवारित करेगा;'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए। (98)

पृष्ठ 68,–

पंक्ति 31 और पंक्ति 32 लोप किया जाए। (99)

पृष्ठ 68,–

पंक्ति 38 से पंक्ति 40 तक **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किए जाए–

''करने के लिए या ऐसा-परिवर्तन या निवारण करने के लिए जैसा खंड (घ) में निर्दिष्ट है और वह मीटर सूचक या यंत्र उपभोक्ता की अभिरक्षा में है या'' **प्रतिस्थापित** किए जाएं। (100)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 138, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 138, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 139 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 140 विद्वेषपूर्वक विद्युत नष्ट करना या संकर्मो को क्षति पहुंचाने के लिए शास्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 69,–

पंक्ति 11 और पंक्ति 12 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

''वह जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।'' (101)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 140, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 140, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 141 सार्वजनिक लैम्पो का बुझाना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 69–

पंक्ति 13 से पंक्ति 15 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

''141 जो कोई किसी सार्वजनिक लैंप को विद्वेषपूर्वक बुझाएगा तो वह जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।'' (102)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 141, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 141, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 142 से 144 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 145 सिविल न्यायालय को अधिकारिता का न होना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 70, पंक्ति 5, ''धारा 126 में विर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी'' **के स्थान पर** ''धारा 126 में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी या धारा 127 में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।(103)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 145, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 145, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 146 से 152 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(एक) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव।

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 104 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 104 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 152क विशेष न्यायालयों का गठन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 72,—

पंक्ति 7 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए।

''भाग 14क

विशेष न्यायालय

नया खंड 152क।

152क. (1) राज्य सरकार, धारा 135 से धारा 139 तक में निर्दिष्ट अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों का, जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवश्यक हों, गठन कर सकेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) कोई विशेष न्यायालय एकल न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, जो उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति तब तक विशेष न्यायालय, न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं, होगा, जब तक ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले वह अपर जिला और सेशन न्यायाधीश न हो।

(4) जहां विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त है या ऐसा न्यायाधीश ऐसे विशेष न्यायालय की सामान्य बैठक के स्थान से अनुपस्थित है या वह बिमारी या अन्य कारण कारण से अपने कर्त्तव्यों के अनुपालन के लिए असमर्थ है तो विशेष न्यायालय का कोई अत्यावश्यक कार्य हो—

(क) विशेष न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायाधीश द्वारा, यदि कोई हो,

(ख) जहां कोई ऐसा अन्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो उपधारा (1) के अधीन यथा अधिसूचित विशेष न्यायालय की बैठक

के सामान्य स्थान पर अधिकारिता रखने वाले जिला और सेशन न्यायाधीश के निदेश के अनुसार, निपटाया जाएगा।

(104)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 152क, विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 152क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 105 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 105 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 152ख विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 72,—

पंक्ति 7 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए—

1974 का 2 ''152ख. (1) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 135 से धारा 139 तक की अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध केवल ऐसे विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया गया था।

(2) जहां किसी जांच या विचारण के अनुक्रम में किसी न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि धारा 135 से धारा 139 तक के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी ऐसे अपराध की बाबत ऐसा मामला है जो ऐसे क्षेत्र में उद्भूत हुआ है जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन गठित किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह ऐसे मामलों को ऐसे विशेष न्यायालय को अंतरित करेगा और तदोपरि ऐसे मामले का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे विशेष न्यायालय द्वारा विचारण और निपटारा किया जाएगा :

परन्तु विशेष न्यायालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे साक्ष्य पर यदि कोई हो, कार्य करे, जो किसी विशेष न्यायालय को मामले के अंतरण के पूर्व अभियुक्त की उपस्थिति में किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित की गई हो :

परंतु यह और कि ऐसे विशेष न्यायालय की यह राय है कि ऐसे किसी साक्षी का, जिसकी साक्ष्य पहले ही अभिलिखित कर लिया गया हो, न्यायहित में एक और परीक्षण, प्रति परीक्षण और पुन: परीक्षण अपेक्षित है तो वह ऐसे साक्षी को पुन: समन कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त परीक्षण, प्रति परीक्षण या पुन:परीक्षण, यदि कोई है करने के पश्चात् जैसा वह अनुज्ञात करे, साक्षी को उन्मोचित किया जाएगा।

(3) विशेष न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 260 की उपधारा (1) या धारा 262 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 135 से धारा 139 तक में निर्दिष्ट अपराध का, उक्त संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त रूप से विचारण कर सकेगा और उक्त संहिता की धारा 263 से धारा 265 तक के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे विचारण को लागू होंगे :

परंतु यह कि जहां इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में, विशेष न्यायालय को यह प्रतीत हो कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि ऐसे मामले का संक्षिप्त रूप से विचारण अवांछनीय

होगा तो विशेष न्यायालय, किसी ऐसे साक्षी को बुला सकेगा जिसका परीक्षण हो चुका हो और ऐसे अपराधों के विचारण के लिए उक्त संहिता के उपबंधों में उपबंधित रीति से मामले की पुनः सुनवाई करने के लिए अग्रसर होगा :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में, किसी विशेष न्यायालय को यह विधिपूर्ण होगा कि वह पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास को दंडादेश पारित करे।

(4) कोई विशेष न्यायालय, किसी ऐसे अपराध से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति को, साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, उस व्यक्ति, को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में ऐसी सब परिस्थितियों का, जिनकी उसे जानकारी हो, पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे और इस प्रकार किया गया क्षमादान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 308 के प्रयोजनों के लिए उसकी धारा 307 के अधीन प्रदान किया गया क्षमादान समझा जाएगा।

(5) विशेष न्यायालय, किसी उपभोक्ता या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऊर्जा की चोरी के लिए धन के रूप में सिविल दायित्व का अवधारण कर सकेगा जो ऐसी रकम से कम नहीं होगा जो ऊर्जा की चोरी के पता लगने की तारीख से पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि के लिए या चोरी की सही अवधि के लिए, यदि अवधारित की जाए, इसमें जो भी कम हो, लागू टैरिफ दर के दुगुना के बराबर होगी और इस प्रकार अवधारित सिविल दायित्व की रकम उसी प्रकार वसूल की जाएगी मानो वह सिविल न्यायालय की डिक्री हो।

(6) उस दशा में जहां विशेष न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से इस प्रकार अवधारित सिविल दायित्व उस रकम से कम है जो उपभोक्ता या व्यक्ति द्वारा निक्षिप्त की गई है वहां उपभोक्ता या व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी या संबंधित व्यक्ति को इस प्रकार निक्षिप्त अधिक रकम, यथास्थिति, बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी या संबंधित व्यक्ति द्वारा विशेष न्यायालय के आदेश की संसूचना की तारीख से चौदह दिन के भीतर ऐसे निक्षिप्त की तारीख से संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की उधार देने की वर्तमान मूल दर से ब्याज के साथ वापस की जाएगी।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए, सिविल दायित्व से धारा 135 से धारा 139 तक में निर्दिष्ट किसी अपराध के करने के कारण, यथास्थिति, बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी या संबंधित व्यक्ति को उपगत हानि या नुकसान अभिप्रेत है। (105)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 152ख, विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 152क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 106 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 106 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 152ग **विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय की शक्तियां होना**

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 72,—

पंक्ति 7 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए—

152ग. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाई को लागू होंगे और उक्त अधिनियमितियों के उपबंधों के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय, सेशन न्यायालय समझा जाएगा और उसे सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति लोक अभियोजक न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति लोक अभियोजक समझे जाएंगे। (106)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 152ग, विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 152ग विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 107 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 105 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 152घ अपील और पुनरीक्षण

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 72,—

पंक्ति 7 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए—

1974 का 2

152घ. उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय पुनरीक्षण 29 और 30 द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का, जहां तक वे लागू हों, उसी प्रकार प्रयोग करेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की सामान्य सीमाओं के भीतर विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला, यथास्थिति, कोई जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय हो। (107)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 152घ, विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 152घ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 108 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत विधेयक, 2001 की सरकारी संशोधन संख्या 108 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 152ङ पुनर्विलोकन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 72,–

पंक्ति 7 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,–

152ङ विशेष न्यायालय, किसी याचिका पर या अन्यथा और घोर अन्याय का निवारण करने की दृष्टि से, धारा 152ख के अधीन पारित अपने निर्णय या आदेश की पुनर्विलोकन कर सकेगा, किंतु ऐसी कोई पुनर्विलोकन याचिका ऐसे आधार के सिवाय ग्रहण नहीं की जाएगी कि वह ऐसा आदेश था जो तथ्य की त्रुटि के अधीन, किसी सारवान् तथ्य की अनभिज्ञता या अभिलेख की प्रकटता किसी त्रुटि के अधीन पारित किया गया था:

परंतु यह कि विशेष न्यायालय, प्रभावित पक्षकारों की, सुनवाई के बिना किसी पुनर्विलोकन याचिका को अनुज्ञात नहीं करेगा और अपने पुर्वादेश या निर्णय को अपास्त नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण–इस भाग के प्रयोजनों के लिए, "विशेष न्यायालय" से धारा 152क की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है। (108)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 152ङ, विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 152ङ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 153 से 156 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 157 मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक की नियुक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 74, पंक्ति 2 में,–

"करेगा" शब्द **के पश्चात्**, "या ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं" शब्द **अंत:स्थापित** किए जाएं। (109)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 157, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 157, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 158 से 164 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 165 अधिनियम के अधीन संदेय राशियों की वसूली

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 76,–

पंक्ति 13 और 17 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

"165. इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कोई शास्ति, यदि संदाय नहीं किया गया है, तो उसी प्रकार वसूल की जाएगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।" (110)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 165, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 165, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 166 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 167 संक्रमणकालीन उपबंध

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 77,–

पंक्ति 6 और पंक्ति 7 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

''पश्चात् ऐसी और अवधि के लिए, जो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा पारम्परिक रूप से विनिश्चित की जाए, कृत्य करते रहने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।''। (111)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 167, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 167, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 168 विधियों में सुसंगतताएं

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 77, पंक्ति 28,–

''परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962'' **के पश्चात्**, 1962 का 33
''रेल अधिनियम, 1989'' अंतस्थापित किया जाए। 1989 का 24

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 168, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 168, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 169 और 170 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 171 केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 78,–

पंक्ति 3 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,–

''(कक) धारा 14 के छठे परंतुक के अधीन अतिरिक्त अपेक्षाएं (जिनके अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता या आचार संहिता भी है);''। (113)

पृष्ठ 79,–

पंक्ति 5 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,–

''(न) वह प्राधिकारी जिससे धारा 127 की उपधारा (1) के अधीन अपील की जाएगी;''। (114)

पृष्ठ 79, पंक्ति 6 में,–

''(न)'' **के स्थान पर**, ''(प)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (115)

पृष्ठ 79, पंक्ति 8 में,–

''(प)'' **के स्थान पर**, ''(फ)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (116)

पृष्ठ 79,–

पंक्ति 12 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,–

''(ब) धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कृत्य;''। (117)

पृष्ठ 79, पंक्ति 11 में,–

''(फ)'' **के स्थान पर**, ''(भ)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (118)

पृष्ठ 79, पंक्ति 13 में,–

''(ब)'' **के स्थान पर**, ''(भ)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (119)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 171, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 171, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 172 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 173 केन्द्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 80,–

पंक्ति 32 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए।

''(थक) वह अवधि जिसके भीतर धारा 16 के खंड (छ) के अधीन प्रतिसहायिकियां घटा दी जाएंगी और समाप्त कर दी जाएंगी।'' (120)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 173, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 173, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 174 और 175 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 176 राज्य आयोगों की विनियम बनाने की शक्तियां

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 83,–

पंक्ति 38 से 41 और पृष्ठ 84 पंक्ति 1 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

''(त) धारा 42 की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक के अधीन अधिभार और प्रतिसहायिकियों में गठित और उसकी समाप्ति;

(थ) धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन चक्रण प्रभारों पर अतिरिक्त प्रभारों का संदाय;

(द) धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांत;

(दक) धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन शिकायतों के निपटारे का समय और उसकी रीति;

(दख) धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजनों के लिए राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि;''। (121)

पृष्ठ 84,–

पंक्ति 15 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

''(यक) वह अवधि जिसके भीतर धारा 61 के खंड (छ) के अधीन प्रतिसहायिकियां घटा दी जाएंगी और समाप्त कर दी जाएंगी;

(यकक) धारा 61 के अधीन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें;''। (122)

पृष्ठ 84,–

पंक्ति 22 और 23 *का लोप* किया जाए। (123)

पृष्ठ 84, पंक्ति 24 में,–

''उपधारा (4)'' **के स्थान पर** ''उपधारा (3)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (124)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 176, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 176, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 177 से 179 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 180 निरसन और व्यावृत्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 85,–

पंक्ति 41 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,–

1948 का 54 ''(घ) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए सभी नियम तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक ऐसे नियमों का, यथास्थिति, विघटन या उपांतरण नहीं कर दिया जाता है।

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व जारी किए गए सभी निदेश उस अवधि के लिए लागू रहेंगे, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे निदेश जारी किए गए थे।''। (125)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 180, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 180, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 87,–

पंक्ति 16 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,–

''8. मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (2001 का मध्य प्रदेश अधिनियम सं. 4)''। (126)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 77 और 78 विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 5,–

''2001'' **के स्थान पर** ''2003'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (3)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

''बावनवें वर्ष'' **के स्थान पर** ''चौवनवें वर्ष'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (2)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

वृहत नाम

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1,–

कि वृहत नाम में, ''विद्युत उद्योग के विकास'' **के स्थान पर,** ''विद्युत उद्योग के विकास, उसमें प्रतिस्पर्धा के संवर्धन, उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण; और सभी क्षेत्रों में विद्युत के प्रदाय'' **प्रतिस्थापित** किया जाए;''। (1)

(श्री अनंत गंगाराम गीते)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि वृहत नाम, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वृहत नाम, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

[हिन्दी]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 10 अप्रैल, 2003/20 चैत्र, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।